राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] ग्यारहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या : 7

गुरुवार,

22 नवम्बर, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री जसवन्त सिंह गुर्जर।

तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला धौलपुर में जारी वैध अनुज्ञा-पत्र

175 . **श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** (बाड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ज़िला धौलपुर में कुल कितने व्यक्तियों को हथियार के लाइसेंस जारी किये गये हैं? उक्त में से कितने लाइसेंस रद्द किये गये? संख्या सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले के उपखण्ड बाड़ी में गत काफी समय से वैध लाइसेंसधारियों के हथियार बड़ी संख्या में पुलिस रिपोर्ट पर जप्त किये गये थे? गत पांच वर्षों में लाइसेंसशुदा जप्त हथियारों की सूची मय कारण के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त लाइसेंसधारियों के हथियार जिन्हें पूर्व में जप्त किया है, के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण नहीं पाये जाने पर उन्हें वापस लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार जिन लाइसेंसधारियों की मृत्यु हो गई है या अंधे हो गये हैं, वे वारिसों को लाइसेंस की पात्रता रखने पर लाइसेंस देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में उक्त जिले में कितने लाइसेंस जारी किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) धौलपुर जिले में कुल 6215 शस्त्र अनुज्ञाधारक हैं। उक्त में से रद्द किये गये 442 लाइसेंसों का तहसीलवार विवरण निम्नप्रकार से है :—

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

नाम तहसील	मृतक/वृद्ध अनुज्ञापत्र धारियों के वारिसों को शस्त्र हस्तान्तरण किये जाने के कारण	अनुज्ञापत्रधारियों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज होने के कारण	कुल योग
1. धौलपुर	93	32	125
2. बाड़ी	47	74	121
3. बसेड़ी	16	20	36
4. राजाखेड़ा	64	31	95
5. सैपऊ	41	24	65
		योग	**442**

(2) जी हां। जिले के उपखण्ड बाड़ी में 100 लाइसेंसधारियों के हथियार पुलिस द्वारा जमा किये गये थे। गत पांच वर्षों में जमा हथियारों का विवरण निम्नप्रकार से है :—

क्र.सं.	विवरण	अनुज्ञाधारियों का विवरण	परिशिष्ट
1.	अनुज्ञाधारियों की मृत्यु के कारण	41	अ
2.	अनुज्ञापत्र निरस्त होने के कारण	9	ब
3.	न्यायालय ए.डी.जे. धौलपुर के आदेश के कारण	1	स
4.	दीमापुर (नागालैण्ड) से सत्यापन रिपोर्ट न आने के कारण	14	द
5.	अनुज्ञाधारियों द्वारा स्वेच्छा से हथियार जमा कराने के कारण	6	क
6.	विभिन्न थानों में भा.द.सं. के प्रावधानों के अधीन मुकदमें दर्ज होने तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा कानून-व्यवस्था व लोक शांति भंग करने के अंदेशे के कारण	29	ख

उपरोक्तानुसार सूची (परिशिष्ट) संलग्न है।

(3) जिन लाइसेंसधारियों के हथियार पूर्व में जप्त किये गये हैं, उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण नहीं होने बाबत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने तथा अनुज्ञाधारी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर अनुज्ञापत्रधारी को लौटाये जाने की कार्यवाही की जाती है।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

(4) जिन लाइसेंसधारियों की मृत्यु हो गई है या अंधे हो गये हैं, उनके वारिसों द्वारा शस्त्र हस्तान्तरण हेतु आवेदन करने पर आवेदन के पात्रता रखने पर एवं आवेदन पत्र के गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तार किया जाता है।

(5) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में कुल 103 लाइसेंस जारी किये गये हैं। सूची परिशिष्ट "ग" एवं "घ" में संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूं कि यह बात सही है कि बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में जिन व्यक्तियों के कुछ आर्म्स लाइसेंस विधान सभा, लोक सभा एवं पंचायत चुनाव के दौरान जमा किये थे वे आज तक क्यों नहीं लौटाये और ऐसे कितने लाइसेंसों की संख्या है जिनके विरुद्ध कोई अपराध नहीं है? कोई अपराध नहीं पाये गये और उसके बावजूद आज तक नहीं लौटाये।

दूसरा, क्या यह सही है कि कुछ लाइसेंसधारी, जिनके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज हुआ था तथा विचारण के पश्चात् वे उस केस में बरी हो गये, उसके बाद में उन्होंने सक्षम अधिकारी को नकल पेश की, दरखास्त दी वापसी के लिए और उसके बावजूद भी कई वर्ष हो जाने के बावजूद आज तक नहीं लौटाये, इसका क्या कारण है?

तीसरा, अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि आपने परिशिष्ट "ब" पर आपराधिक प्रवृत्ति के कारण जो लाइसेंस जमा कराये हैं उसमें क्रमांक संख्या 1 से 9 तक एक ही जाति के लोगों के आपने लाइसेंस जमा कराये। क्या अन्य कोई व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं थे, इसका क्या कारण है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक, जिसमें माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि जिन व्यक्तियों के लाइसेंस जमा कराये गये उनको क्यों नहीं लौटाया गया। दूसरा भाग संख्या दो में जो सूची 9 व्यक्तियों की दी गई है उसमें यह कहा कि केवल एक ही जाति विशेष के लोगों के लाइसेंस क्यों जमा किये गये हैं। मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट निवेदन किया है कि लाइसेंस पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जप्त किये जाते हैं या जिनके खिलाफ मुकदमा बना गया है, मुकदमा विचाराधीन है उनके जप्त किये जाते हैं और दूसरे कारण जो मैंने बतलाये हैं, जो लोग मर गये हैं या अंधे हो गये हैं, उस हथियार को काम में लेने की स्थिति में नहीं हैं उनके लाइसेंस जमा किये गये हैं। उस संबंध में मैंने यह निवेदन किया है कि यदि ऐसे व्यक्तियों के उत्तराधिकारी अगर दरखास्त देते हैं तो नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर उनको

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

लाइसेंस दिये जा सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। जहां तक एक ही जाति का सवाल है पुलिस रिपोर्ट उनके खिलाफ आई है और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही उनके लाइसेंस जप्त किये गये हैं। यदि आपको यह शंका है कि बिना किसी पुलिस रिपोर्ट के, बिना किसी कारण के लाइसेंस जप्त किये तो आप मुझे बताएं, मैं उसकी दुबारा जांच कराने को तैयार हूं।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत चुनाव हुए बहुत दिन हो गये और जिन पर कोई क्रिमनल केस नहीं है, किसी प्रकार के अपराधी नहीं हैं उनके लाइसेंस बड़े लम्बे समय से क्यों रख रखे हैं, उनको आप कब तक रिलीज कर देंगे? क्या कारण है उनको रखने का? जिन पर कोई केस नहीं है और पंचायत चुनाव के टाइम पर जो लाइसेंस रख लिये थे उनको कब तक दे देंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : राठौड़ साहब, पहले उनका उत्तर आने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं इतनी देर में पूछ ही लेता, साहब।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : गृह विभाग ने सभी जिलाधीशों को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं, उस पत्र की प्रति मैं आपका जानकारी के लिए अवगत कराना चाहता हूं—

"All Collectors & District Magistrates. Renewal of arms licence and issuing of licence to the heirs of the deceased licensee...." हमने इसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि....

डा. किरोड़ी लाल : कौनसी तारीख है यह?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह 1995 का है। गृह विभाग ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं जिला मजिस्ट्रेट्स को, जिला कलक्टर्स को कि लाइसेंसिंग अथोरिटी जिसके भी जुरिस्डिक्शन में है वे तत्काल उसके लाइसेंस को दें और अगर कोई अन्य कारण हो तो उसके बारे में उसकी कार्यवाही करें।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्री महोदय, आपको कोई कारण दिखायी नहीं दे रहा। पंचायत के चुनाव हो गये। (व्यवधान) पंचायत के चुनाव हो गये, कोई कारण आपके पास नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : कोई कारण नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, लाइसेंस क्यों नहीं दिये जा रहे हैं। लोग जाते हैं, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं होती, लम्बे समय से बिना किसी कारण, without any reasonable

(श्री हीरासिंह चौहान)

cause, इस प्रकार के लम्बे समय से लाइसेंस वापस रिन्यू किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री हीरासिंह चौहान : किसी के लोक सभा में किये गये.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हीरासिंहजी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। प्रश्नकर्त्ता।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपका ध्यान बहुत पहले आकर्षित किया था।

श्री अध्यक्ष : उनका पहले राइट है।

श्री हीरासिंह चौहान : आपका ध्यान ही नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैंने हाथ खड़ा किया था।

श्री अध्यक्ष : ध्यान तो इसलिए गया कि आप खड़े कैसे हो गये, प्रश्नकर्त्ता खड़े हैं बार-बार। वे खड़े हो रहे हैं तो उनका राइट है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास वह सूची है, जो इस सूची में दर्शाया ही नहीं गया है। यह चरण सिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह जाति ठाकुर, निवासी पिंदावली का दो वर्ष से चुनाव के कारण लाइसेंस अब तक जमा है, कोई केस नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह राजनीतिक बात है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : दूसरा मेरे पास अन्य नाम है भीखा पुत्र श्री आनन्द प्रजापति, बैनपुरा उसकी 10 वर्ष से चुनाव के कारण बन्दूक जमा है, कोई केस नहीं है और तीसरा एक नरेश पुत्र श्री नवाब सिंह ठाकुर ग्राम धुजपुरा, इसका 10 वर्ष से लाइसेंस जमा है और नन्दू पुत्र श्री धनसिंह प्रजापति इसका भी 10 वर्ष से जमा है चुनाव के कारण। इसका कारण क्या है और यह कब तक जमा रहेंगे?

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया? आपने जप्त किया है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 10 वर्ष से लम्बित है तब तो 2-3 सरकारें उसमें आ गई, क्यों नहीं उसको लाइसेंस दिया गया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप सरकार में हो, हमें यह मालूम नहीं है। उत्तर आपसे लेंगे अब। राजनीतिक रूप से यह काम किया गया है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 10 वर्ष की आप बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजनीति रूप से लाइसेंस जारी करते हैं आप। (व्यवधान) जिन पर आपराधिक मामले नहीं हैं, उनके लाइसेंस जप्त करने का क्या अधिकार है? (व्यवधान) लाइसेंस जारी करने का आधार भी राजनैतिक और लाइसेंस जप्त करने का आधार भी राजनैतिक।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 10 वर्ष की जब आप बात कर रहे हैं, इस सरकार को तो 3 वर्ष ही नहीं हुए, सात साल पहले तत्कालीन सरकार ने....

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं इस दो वर्ष की भी बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ....उन्होंने रिलीज नहीं किये तो इधर आ गये, आप भी इधर आओगे क्या?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो नाम माननीय सदस्य ने यहां उल्लेख किये हैं....

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय मंत्री महोदय, हम तो एम.एल.ए. भी अभी बन कर आये हैं तो अभी उठाएंगे न। हम तो पहले एम.एल.ए. बन कर नहीं आये, अभी एम.एल.ए. बन कर आये हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जिन नामों का उल्लेख माननीय सदस्य ने यहां किया है, उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करके इसका निर्णय शीघ्र कर लिया जाएगा।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं क्या इस पालिसी को 95 के आर्डर हैं उसके बाद इस आर्डर को आपने रिवाइज नहीं किया, किसी प्रकार का निर्देश नहीं दिया और शस्त्रों के, आजकल रोजड़े वगैरह से किसान रखवाली करता है, मारने का कोई काम नहीं है। बन्दूक की एक गोली भी चला ली जाती है तो उससे भी वह भाग जाया करते हैं, इस प्रकार हजारों की संख्या में आपने सारे ये गन के लाइसेंस हैं, सारे थानों में ही बन्द कर रखे हैं, किसी ने तहसील में रिन्युअल नहीं कराये हैं। क्या इसके बारे में कोई फ्रेश आर्डर जारी करके इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अलवर जिले में पिछले 3 साल से कई लाइसेंसों के लिए एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जिन लोगों के खिलाफ कोई आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमें दर्ज नहीं हैं या जिनके बारे में पुलिस में कोई झगड़ालू प्रवृत्ति के लोगों के नाम नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों को लाइसेंस देने के बारे में निश्चित रूप से हम जिला मजिस्ट्रेट को आदेश देंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय मंत्री महोदय, अलवर जिले में पिछले तीन साल से कोई लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। जरा बतायें क्यों नहीं दिया जा रहा है?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको नहीं दिया है। (व्यवधान) श्री राजेन्द्र सिंह।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : मैं अनुमति नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आज की जो सूची दी हुई है इसमें आपके सचिवालय ने यह नहीं लिखा कि प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। माननीय, हमको आज का प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : आप दो दफा पहले खड़े हुए थे। (व्यवधान) और आप प्रश्न कर रहे थे इसलिए...(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : आपके प्रश्न भी नहीं मिले और आपके सचिवालय द्वारा जारी आज की जो अनुपूरक कार्य सूची है इसमें कहीं नहीं लिखा कि प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारे पास आज तक यह 22 तारीख का प्रश्न नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : बैठिये-बैठिये, आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी चाहूंगा। मंत्री महोदय, आपने 442 लाइसेंसों को रद्द करने की बात अपने उत्तर में कही। इन 442 लाइसेंसों को रद्द करने के कारणों में आपने एक कारण यह भी बताया कि एस.पी. द्वारा कानून व्यवस्था और लोक शांति भंग होने के कारण भी लाइसेंस रद्द किये गये। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि बिना आपराधिक कोई मुकदमा दर्ज हुए एस.पी. की रिकमण्डेशन पर आपने कितने लाइसेंस रद्द किये? नम्बर एक। क्या आप यह भी बताएंगे कि लोक सभा, पंचायत और विधान सभा के चुनावों में जिन लोगों के लाइसेंस कानून व्यवस्था और शांति के लिए जप्त किये थे जिनके विरुद्ध एक भी मामला किसी न्यायालय, पुलिस में दर्ज नहीं है, उनके लाइसेंस वापस नहीं लौटाने का कारण क्या है?

श्री अध्यक्ष : यह खास एक क्षेत्र है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : धौलपुर का ही पूछा था।

श्री अध्यक्ष : डांग का खास क्षेत्र है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने केवल धौलपुर का ही प्रश्न पूछा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने भी धौलपुर का ही पूछा है, धौलपुर में ही 442 लाइसेंस समाप्त कर दिये गये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : केवल धौलपुर का ही पूछा है, अलवर के बारे में भी जानकारी करने की बात कही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : धौलपुर वाले की जानकारी दे दो। अध्यक्ष महोदय ने भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया धौलपुर तक।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, चुनाव के दौरान शांति भंग होने के कारण अगर पुलिस को यह आशंका होती है तो निश्चित रूप से वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह सलाह देती है कि हमको चुनाव के दौरान इस तरह की आशंका है कि शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। उनसे लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश से लिये जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अग्रिम रूप से सस्पैंड किये जाते हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, ऐसे लाइसेंस के बारे में क्या निर्णय किया, क्या नहीं किया, क्या होना चाहिए। अगर आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं हैं, उनके खिलाफ किसी प्रकार का जुर्म साबित नहीं होता है, तो ऐसे लाइसेंस दिये जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में निश्चित रूप से निर्देश दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह रामू।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, कि जिन व्यक्तियों के ऊपर 307, 302, 376, 3/25, आर्म्स एक्ट के मुकदमें दर्ज हैं उनके लाइसेंस को जप्त करने पर माननीय मंत्री महोदय विचार रखते हैं या नहीं

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जानकारी दे दें।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : वैसे हैं, शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री शालिगराम क्रम संख्या 26 जाति गुर्जर और अमीना पत्नी श्री जहुवा, इस पर कम से कम 53 केस हैं 307, 302, 307, के 10, 302 के 4, 376 के 5, 325 आर्म्स एक्ट के 6, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक उस आदमी का लाइसेंस जप्त नहीं किया गया है क्योंकि वह कांग्रेस का कार्यकर्ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लाइसेंस जारी किये जाएंगे आप कह रहे हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं हैं उनके तो लाइसेंस आपने जप्त कर रखे हैं उनके लाइसेंस नहीं दिये जा रहे 10-10 साल से और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वे सरेआम लाइसेंस लेकर धौलपुर में घूम रहे हैं जिससे आतंक है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इनके लाइसेंस जप्त कराने का कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री संजीव बेनीवाल। दोनों का साथ रिप्लाई आ जाएगा।

श्री संजीव कुमार (भादरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हथियारों के लाइसेंस की प्रक्रिया के बारे में सवाल चल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि यह जो लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया और नियम बना रखे हैं, क्या सभी जिलों में एक तरह के नियम हैं या हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जो सीमावर्ती जिले हैं उनके लिए कोई अलग से नियम और प्रक्रिया बनी हुई है। यदि अलग से बनी हुई है तो ऐसा क्यों है? नम्बर दो, जिनमें लाइसेंसधारियों की मृत्यु हो गयी है, जो मृतक प्रकरण है उसमें जिनकी सारी रिपोर्ट आ चुकी है सी.आई.डी. से भी रिपोर्ट आ चुकी है और जिनको लाइसेंस देना उचित हैं ऐसे बहुत से मामले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में लम्बित पड़े है तो क्या मृतक आश्रित को लाइसैंस देने के लिए वह जो नियम बने

(श्री संजीव कुमार)

हुए हैं जो जटिल नियम हैं क्या इनका सरलीकरण करने का विचार है ?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : आप एक साथ पूछ लीजिए।

श्री संजीव कुमार : मेरे सवाल का जवाब दिलवाओ, साहब।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में ठहर क्यों गये ?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : आपने, मंत्री जी, अपने उत्तर में कहा है कि जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं....

श्री अध्यक्ष : जब पूरक प्रश्न दूसरे लोग पूछते हैं फिर आपके दिमाग में दूसरा प्रश्न आता है। (व्यवधान) उनके सामने सब स्थिति है, आपके वहां के निवासी भी हैं और बाड़ी क्षेत्र है, ऊपर डांग है, उसकी स्थिति से भी आप वाकिफ हैं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं जिनके बारे में अभी मंत्रीजी ने कहा है उन लोगों की सूची मैं मंत्रीजी को देना चाहूंगा जिनके पास लाइसेंस हैं, क्यो उनको रद्द करने का विचार रखते हैं जिन पर मुकदमे हैं और मुकदमों के दौरान ही लाइसेंस दिये जा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि आपने अपने उत्तर के अनुसार 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक तो आपने लाइसेंस 19 दिये तथा 1.4.2000 से 31.3.2001 तक लाइसेंस 84 जारी किये, कृपया यह भी बताएंगे कि 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक लाइसेंस देने के कितने आवेदन पत्र एस.पी. धौलपुर के पास आये तथा 1.4.2000 से 31.3.2001 तक कितने आये ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अलग कैसे है। धौलपुर का पूछा है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि जो आवेदन पत्र आये हैं उन पर गुण-दोष के आधार पर फैसला किया जाता है। स्क्रूटनी होती है पुलिस रिपोर्ट प्राप्त की जाती है कि उनके खिलाफ किसी तरह का कोई मामला विचाराधीन तो नहीं है। उसमें थोड़ा समय लग सकता है और अगर यह पाया जाता है कि उनके खिलाफ किसी तरह की कोई रिपोर्ट पुलिस में नहीं है, गुण-दोष के आधार पर वो सही है तो ऐसे लाइसेंस देने में सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं है। जहां तक राजस्थान के बोर्डर एरिया का सवाल है, वहां सावधानी से लाइसेंस दिये जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जरूर हमने कहा है कि उनकी पूरी छानबीन करके ही लाइसेंस दिये जाने चाहिए बाकी नियम सब के लिए एक से ही हैं।

डा. किरोड़ी लाल : गृह मंत्रीजी, जिन पर ढेर सारे मुकदमें हैं....(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : मैं यह मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के विरुद्ध आपराधिक मामला है, सजा हो गई है... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मैं आपको बता दूं संख्या 53 इसमें.... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मर्डर के केसेज में सजा हो गई है, क्या राज्य सरकार उनके लिए सर्कुलर जारी करेगी कि ऐसे लाइसेंस राजस्थान भर में निरस्त कर दिये जाएं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसे व्यक्तियों को जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं और कोर्ट से सजा हो गई है, यदि माननीय सदस्य सूची देंगे तो मैं जांच करांकर आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : .... सूची हम देंगे, आप नीचे निर्देश जारी करें कलक्टर को कि ऐसे लोगों की छानबीन करके उनके लाइसेंस निरस्त करो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को निर्देश दूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को अगर लाइसेंस दे दिये गये हैं तो उनकी पुनः जांच करके ही कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यही पूछा है कि बिना कारण के 10 वर्षों से जमा हैं उनको तो देने का विचार रखते है क्या? (व्यवधान) जो 12 वर्ष से जमा हैं बिना किसी कारण के उनको वापस देने का विचार रखते हैं क्या? जो पिछले 10-12 वर्ष से बिना किसी कारण के चुनाव के बहाने से या किसी बहाने से जमा कर लिये हैं....(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : धौलपुर में चुनाव के दौरान जो लाइसेंस ले लिये गये थे उसके गुण-दोष के आधार पर जिलाधीश को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे वापस लौटाये जाने चाहिए अगर उसमें कोई कानून व्यवस्था का मामला नहीं हो तो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे झालावाड़ जिले में 25-25 हजार रुपये में लाइसेंस बिके हैं, कलक्टर ने दिये हैं। (व्यवधान) यहां विधान सभा में क्वेश्चन पर उसका आज तक जवाब नहीं मिला मुझे।

डा. किरोड़ी लाल : ....अपराधियों को दिये जा रहे हैं।

श्री जगन्नाथ : आज तक मुझे जवाब नहीं मिला 25-25 हजार रुपये लेकर के कलक्टर लाइसेंस दे रहा है और विधान सभा में क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, एक साल हो गया। बड़े दुःख की बात है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यदि माननीय सदस्य जिलाधीश के खिलाफ रिश्वत की शिकायत की सूचना मुझे देंगे तो मैं निश्चित रूप से उसकी जांच करवाऊंगा और जो भी दोषी पाया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : माननीय गृह मंत्री महोदय, यह जांच से कुछ नहीं मिलेगा, मुझे तो आज तक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ....क्या जानकारी देंगे....(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ : एक क्वेश्चन लगाया था, आज तक जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। यह लंग पावर आपको यूज नहीं करना है सदन के अन्दर। आप शांति से प्रश्न पूछिये।

श्री जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय, एक साल से मैंने विधान सभा में प्रश्न लगाया है उसका जवाब अभी तक नहीं मिला मुझे।

श्री अध्यक्ष : हां, तो शांति से प्रश्न पूछिये।

श्री जगन्नाथ : मैं किससे कहूं, क्या कहूं?

डा. किरोड़ी लाल : .... और गृह मंत्रीजी से जब शिकायत करें....(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ : गृह मंत्रीजी, 25-25 हजार रुपये से लाइसेंस बिक रहे हैं, आप जांच करा लें। अगर झूठे हो जाएं तो मैं विधान सभा से रिजाइन कर दूंगा। विधान सभा से रिजाइन करने के लिए तैयार हूं अगर मेरी बात झूठी निकल जाए तो।

एक माननीय सदस्य : धीरे तो बोलो, आवाज तो साफ सुनाई दे। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अगर आप लिखित में सूचना देंगे कि इन-इन व्यक्तियों से जिलाधीश ने रिश्वत लेकर के लाइसेंस दिये तो मैं निश्चित रूप से उसकी जांच करवाऊंगा और जांच में दोषी पाये जाने पर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री यशवंत सिंह रामू। श्री नन्दलाल।

ग्राम किलतपुरी (जयपुर) का सिवाय चक भूमि प्रकरण

176. **श्री यशवन्त सिंह** (रामू) (नदबई) एवं **श्री नन्दलाल बंशीवाल** (दौसा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खसरा नम्बर 62 ग्राम मिलतपुरी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर की भूमि को सिवाय चक भूमि माना गया था? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो कैसे?

(2) क्या उक्त खसरा नम्बरका सीमांकन गजट नोटिफिकेशन के अनुसार किया गया है? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या विभाग को आबंटित भूमि की मौके पर तरमीम करने का अधिकार है? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या विभाग को गजट नोटिफिकेशन का उल्लंघन करने का अधिकार है? यदि हां, तो कैसे?

(5) क्या वर्तमान में खसरा नम्बर 62 वन विभाग की भूमि है? यदि हां, तो कैसे और नहीं तो क्यों?

(6) क्या विभाग राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई जांच को नहीं मान रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

राज्य मंत्री, वन (श्री भगराज चौधरी) : (1) जी नहीं। जमाबन्दी सम्वत् 2018 तदनुसार वर्ष 1961 में खसरा नम्बर 62 ग्राम किलतपुरी की कुल भूमि 100 बीघा 19 बिस्वा में से 89 बीघा 10 बिस्वा भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने पर सन् 1961 में विज्ञप्ति राजस्थान राजपत्र प्रचलित कर उसको आरक्षित वन घोषित किया गया और इस खसरा नम्बर की शेष भूमि 11 बीघा 9 बिस्वा तनाजा बमुकाबले देह डिगोता किस्म बंजड़ काबिल चराई रही। यह समस्त भूमि अब वन विभाग के नाम दर्ज है।

(2) किसी भी घोषित वन क्षेत्र का सीमांकन उसके सम्बन्ध में जारी गजट विज्ञप्ति तथा बनाये गये बंदोबस्त नक्शे के अनुसार किया जाता है। तहसील जमवारामगढ़ के ग्राम किलतपुरी के खसरा नम्बर 62 की कुल 100 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से 89 बीघा 10 बिस्वा घोषित आरक्षित वन भूमि का सीमांकन उपरोक्तानुसार किया गया है।

(3) जी नहीं। मौके पर तरमीम नहीं की जाती है।

(4) जी नहीं।

(5) तहसील जमवारामगढ़ के ग्राम किलतपुरी के खसरा नम्बर 62 की 100 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से 89 बीघा 10 बिस्वा भूमि सन् 1961 में आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने पर वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई एवं इस खसरे की शेष भूमि 11 बीघा 9 बिस्वा भी वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गई है।

(6) राजस्व रिकार्ड में उक्त वर्णित समस्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज हो जाने से राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व अधिकारियों की जांच को नहीं मानने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 89 बीघा 10 बिस्वा का नामान्तकरण कब खोला है? दूसरा जो शेष 11 बीघा 9 बिस्वा बची है उसका नामान्तकरण कब खोला? क्या 11 बीघा 9 बिस्वा का नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया है? जारी किया है तो कब? उसकी प्रति सदन पटल पर रखें।

डा. किरोड़ी लाल : अंग्रेजी में बोलें।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अंग्रेजी समझ में नहीं आती मेरे, हिन्दी में बोलें आप तो। अंग्रेजी समझ में नहीं आती अपने। आपकी अंग्रेजी हाई-फाई है अपनी समझ में नहीं आयेगी।

एक माननीय सदस्य : हिन्दी ठीक है, साहब।

श्री अध्यक्ष : The difficulty in the house is that all the members are not conversant with the English language.

डा. किरोड़ी लाल : ....यह नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप चाहते थे कि ये अंग्रेजी में बोलें। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मेरा हाथ जोड़कर के निवेदन है कि इनकी अंग्रेजी....

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह नामान्तकरण वन मंत्री कब से खोलने लग गये ?

श्री अध्यक्ष : I was giving reply to Dr. Kirodi Lal Meena.

मोहम्मद माहिर आजाद : यह नामान्तरण वन मंत्री कब से खोलने लग गये ? यह तो राजस्व विभाग का काम है। राजस्व विभाग ने कब खोला है, यह फोरेस्ट मिनिस्टर साहब कब से खोलने लग गये नामान्तकरण ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कलेक्टिव रेस्पोसिंबिलिटी जो है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्रश्न इन्हीं से पूछा है।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ग्राम किलतपुरी के खसरा नम्बर 62 में से 89 बीघा 10 किस्बा भूमि जो वन क्षेत्र घोषित किया गया सन् 1961 में, उसके सम्बन्ध में नामान्तकरण कुछ समय के बाद भरा जाकर के वर्ष 1995 में यह भूमि वन विभाग के नाम जमाबंदी में अंकित की गई।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वन क्षेत्र घोषित कब किया ?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को पता ही नहीं कब खोली गई है। 12.5.1990 को खोली गई। अध्यक्ष महोदय, नामान्तकरण 12.5.1990 को हुआ है। 24.5.1990 को हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : 24.5.1990 को खोला है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आपको पता नहीं है, आप 1995 बता रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप 1995 बता रहे हैं। इसका नामान्तकरण खुला है 24.5.1990 को और इस भूमि के दो खसरा नम्बर हो गये। पहले एक खसरा नम्बर था। इसके बाद इसके दो-दो हो गये। एक 62 नम्बर और एक 62/1. 62 नम्बर जो है वह सिवाय चक है और 62/1 है वह आपके फोरेस्ट में आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि यह सारी अव्यवस्था इसलिए होती है कि दो टीनेंट हैं। एक माइनिंग होल्डर और एक आपका वन विभाग। हमेशा क्या होता है कि वन विभाग कहता है कि हमारा कागज है, हमारी जमाबंदी और हमारा जो नामान्तकरण और कागज, यही सही है। आपके राजस्व विभाग पेरेंटल डिपार्टमेंट है। राजस्व विभाग है वह यह तय करे कि यह जमीन सिवाय चक है, यह खनिज विभाग की है यह फोरेस्ट की है, यह फलां लीज होल्डर की है। आप

(मोहम्मद माहिर आजाद)

उसको मानते नहीं। पूरे राजस्थान में जो भी यह विवाद पैदा हो रहा है यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप तो कहते हो कि हमारा जो कागज है वही सही है।

आपके सवाईमाधोपुर में यही मामला चल रहा है, आपके जमवारामगढ़ में आंधी में भी यही मामला चल रहा है इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप फोरेस्ट विभाग के कागज पर इतनी अड़ क्यों करते हैं, रेवेन्यू विभाग यह फैसला करे कि यह जमीन तो सिवाय चक है और यह जमीन खनिज विभाग की है और यह खसरा नम्बर की जो जमीन है यह फोरेस्ट विभाग की है। फोरेस्ट विभाग, एक टीनेंट होल्डर अपने कागज को सही कैसे करार दे सकता है?

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, संक्षेप में। आप प्रश्न के रूप में कहें। आप संक्षेप में कहें। प्रश्न के रूप में कहें। लम्बा-चौड़ा आप इसको नहीं कहें।

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रश्न के रूप में ही पूछ रहा हूं, लम्बा नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधा-सा सवाल माननीय सदस्य ने किया है कि आपने इसका नामान्तकरण कब खोला। माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि 1995 में। इसका नामान्तरकरण 24 मई, 1990 को खोला है। पहले एक खसरा नम्बर था उसके बाद दो हो गये। उन दो में से एक सिवाय चक है। अब यह कौन अथोराइज्ड है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्रीजी से, कौन यह फैसला करेगा कि यह जमीन तो सिवाय चक है और यह जमीन फोरेस्ट विभाग की है, इसका फैसला कौन करेगा। यह नाप-तौल करके इसका सीमाकरण कौन करायेगा, यह आप मुझे बता दें।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक 89 बीघा 10 बिस्वा भूमि को वन क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रथम बार म्यूटेशन 24.5.1990 को भरा गया था, यह बात सही है और इस हद तक मैं अपने आपको करेक्ट करता हूं। उसके बाद में इसकी नकल हमें वर्ष 1991 में दी गई और फिर कुछ समय के बाद में अपनी जमाबंदी में इसकी एंट्री भी की गई। जहां तक खसरा नम्बर को दो भाग में डिवाइड करने का प्रश्न है, यह बात सही है कि कुल यह भूमि पहले 100 बीघा 19 बिस्वा थी, उसमें से 89 बीघा 10 बिस्वा भूमि वन क्षेत्र घोषित किये जाने पर जो भूमि वन क्षेत्र घोषित की गई, उसको 62/1 नम्बर का खसरा नम्बर दर्ज किया गया और जो शेष 11 बीघा 9 बिस्वा भूमि का ओरिजनल नम्बर था 62, वही दर्ज रखा गया। इसके बारे में कोई डिस्पुट नहीं है। भई, इसके बारे में कोई डिस्पुट थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

एक माननीय सदस्य : तो हम मान रहे हैं इस बात को। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है, मंत्रीजी यह तो आप एडमिट करते हैं कि खसरा नम्बर 62 और 62/1 और फोरेस्ट और सिवाय चक, इसका झगड़ा था। 89 बीघा 11 बिस्वा आप कह रहे हैं कि फोरेस्ट में दर्ज थी, 11 बीघा 9 बीस्वा सिवाय चक में दर्ज थी। क्या यह सही है कि डिविजनल कमिश्नर धर्मसिंह सागर ने बाकायदा इन्क्वायरी करके 10.9.1999 को इस लोकेशन के बारे में यह निर्णय किया कि 89 बीघा 11 बिस्वा जमीन 62/1 वन विभाग की है और 11 बीघा 9 बिस्वा सिवाय चक है। क्या यह सही है कि....

श्री अध्यक्ष : वह किसकी है 11 बीघा ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : सिवाय चक है, बंजर है।

मोहम्मद माहिर आजाद : 100 बीघा के दो हिस्से कर दिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या यह सही है कि उसके बाद 17.4.2000 को फोरेस्ट विभाग ने प्रोटेस्ट किया और शासन सचिव वन विभाग के कहने से सैटलमेंट कमिश्नर से जांच करवाई गई और सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई? उसने 17.4.2000 को यही माना है कि खसरा नम्बर 62 सिवाय चक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, खसरा नम्बर 62/1 वन विभाग और खसरा नम्बर 62 सिवाय चक में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रश्नगत खान इसी खसरा नम्बर 62 में स्थित है। क्या यह सही है कि इसके बाद में दुबारा एक रिपोर्ट सैटलमेंट कमिश्नर से मांगी गई औरा यह इम्पोर्टेंट है, यह 11.6.2000 की है। अध्यक्ष महोदय, सर्वेक्षण रिपोर्ट ग्राम किलतपुरी तहसील जमवारामगढ़ के खसरा नंबर 62 के सम्बन्ध में दिनांक 22.5.2000 को प्रमुख शासन सचिव मुख्य मंत्री के कक्ष में आयोजित बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लिया। शासन सचिव राजस्व, भू-प्रबन्ध आयुक्त, वन संरक्षक (मुख्यालय) एवं ओ.एस.डी. वन संरक्षक, भू-संरक्षक और उप वन संरक्षक एवं खनिज विभाग.... (व्यवधान) मीटिंग हुई है मुख्य मंत्री के कक्ष में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मीटिंग हुई है सी.एस. स्तर पर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्य मंत्री के कक्ष में, मुख्य मंत्री के प्रमुख शासन सचिव के कक्ष में यह 11.6.2000 को और इन्होंने लिखा है कि उपरोक्त के अतिरिक्त राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित दिशा-स्तम्भ व आगामी सीमा रेखा को ध्यान में रखकर पूर्ण तथ्यों सहित रिपोर्ट दिनांक 11.4.2000 को प्रस्तुत की जा चुकी है। खसरा नम्बर 62 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा के चारों और वन क्षेत्र होना कोई नई बात नहीं है। यह सिवाय चक की भूमि मानी है....(व्यवधान) क्या यह सही है की जी.टी. शीट पर 23.9.2000 को डाक्टर राजबहादुर सिंह, आयुक्त भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा फिर यही माना गया कि खसरा नम्बर 62, 11 बीघा, 9 बिस्वा सिवाय चक में है और खसरा

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नम्बर 62/1 89 बीघा 11 बिस्वा वन विभाग में है? क्या यह सही है कि मुख्य सचिव ने एक मीटिंग अपने कक्ष में बुलाई "A meeting has been fixed in the committee Room 1 at 10.30 A.M. on 25th October, 2000 in the chairmanship of Chief Secretary to discuss various reports and decide whether the mine situated in Khasara no. 62 of village Kilatpuri tehsil Jamva Ramgarh, district Jaipur are situated in the reserve forest blocks, Degota or not.

Following officers are requested to make it convenient to attend the meeting, with all relevant documents Secretary, Revenue; Secretary, Forests;...." ये कुल आठ अफसर हैं। क्या यह सही है कि इसके बाद में यह पूरी जमीन वन क्षेत्र में लगा दी गई जो 11 बीघा 9 बिस्वा थी? क्या यह सही है कि उसके बाद नन्दलाल बंशीवाल जिनकी माइन्स यहां पर थी, उन्होंने चाराजोई की और रेवेन्यू कमिश्नर के यहां अपील की। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में राजस्व के कानून को आपसे ज्यादा कोई नहीं समझता है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आपकी अनुमति से सिर्फ उसका ओपरेटिव पोर्शन पढ़ता हूं, डिविजनल कमिश्नर का अपील को मैरिट पर बिना विचार किये इसलिए निरस्त किया जा रहा है कि यह अपील इन्फ्रक्चुअस हो चुकी है तो उपखण्ड अधिकारी, आमेर के आदेश दिनांक.... की पालना में नामान्तरकरण खोला जा चुका है, तहसीलदार जमवारामगढ़ को खोला जा चुका है। यह प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 1(41)/96 पार्ट दिनांक 17 मार्च, 2000 के अनुसार उच्चतम स्तर पर जमीन जैर बहस को वन विभाग का मान लिया गया है। अपीलार्थी नन्दलाल बंशीवाल की खान मौके पर बन्द है और भूमि जैर बहस वन क्षेत्र दीगोता वन विभाग की आरक्षित भूमि घोषित की जा चुकी है। द्वितीय, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वयं इस प्रकरण में अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.2.1999 जिसमें वह मानते हैं, खुद की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, जिस रिपोर्ट के अन्दर अभी मैंने आपको अर्ज किया, 10.2.1999 को वह मानते हैं कि 62/1 राजस्व विभाग की है और सिवाय चक है, राज्य सरकार को भेजी जा चुकी है। यह मीटिंग में मौजूद है सब में। इसके बाद में पुनः इस प्रकरण में धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत अदालत हाजा अपील के बारे में विचार करना न्यायोचित नहीं समझती। अपीलांट द्वारा 83 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत यदि चाहे तो राज्य सरकार चाराजोई करने को स्वतंत्र है। क्या यह सही है कि जुडिशियल प्रोसेस को सरकार ने एट द इंस्टांस आफ द सी.एम., सी.एम. के सेक्रेटरी

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

के यहां मीटिंग हुई है, सब्वर्ट किया है। यह एग्जीक्यूटिव मीटिंग लेकर डिसाइड करने का इनको कोई राइट नहीं था। क्या यह सही है कि 1999 में से इसके पक्ष में हो गया और 2000 में लगातार इनके पक्ष में रिपोर्ट आ रही थी और 2000 मार्च में नन्दलाल बंशीवाल ने आर.डी. शर्मा के नोमीनेशन पर प्रपोजल किया, उसके बाद इसके तमाम यह किया। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब आने दो ना।

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब क्या देंगे। नन्दलाल बंशीवाल ने आर.डी. शर्मा के नोमिनेशन पर दस्तखत किये। यह सारे प्रकरण में मुख्य मंत्रीजी के ऊपर आरोप लगाया है, यह तो मुख्य मंत्रीजी को जवाब देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, क्या यह सरकार किस-किस की सौदेबाजी पर उतर आई? कोई निर्दलीय विधायक उनके कहने से राज्य सभा में वोट दे तब तो उसका वाजिब काम हो जायेगा, उसकी खान रेगुलराइज हो जायेगी वरना खान रेगुलराइज नहीं होगी, यह तो स्पष्ट आरोप है, मुख्य मंत्रीजी, आपको जवाब देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदस्य के साथ अन्याय हो रहा है....(व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें हुआ यह है....(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : उसमें सम्भागीय आयुक्त, प्रमुख शासन सचिव....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह छोटी बात नहीं है, यह सौदेबाजी है, मुख्य मंत्रीजी स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं....(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : क्या बात कर रहे हैं आप....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और इस तरह की बात करते हैं....(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : आपके खुद के उम्मीदवार को वोट नहीं दिये लोगों ने....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले आप जवाब तो सुन लो। बिराजो। पहले जवाब सुनो आप, बाद में कोई बात हो तो करो।

श्री बनवारी लाल बैरवा : पहले जवाब सुन लो, जो भी बात है, बाद में कर लेना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब यह आरोप लगा है कि आर.डी. शर्मा को माननीय सदस्य ने वोट नहीं दिया....

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले से ही खड़े हो गये....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसके कारण से इनकी खान को रेगुलराइज नहीं किया गया....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री राठौड़ साहब, आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अन्याय हुआ है लगातार इनके साथ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। जवाब देने दीजिये पहले मंत्रीजी को।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह षड्यंत्रपूर्वक रोज इस तरह की कार्यवाही करते हैं, किसी न किसी बात को इश्यू बना करके मंत्री का रिप्लाई नहीं आने देना चाहते, यह रोज का धंधा हो गया है इन लोगों का।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ग्राम किलतपुरी के मूल खसरा नम्बर 62 की कुल भूमि 100 बीघा 19 बिस्वा थी उसमें से 89 बीघा 10 बिस्वा भूमि वन क्षेत्र घोषित की गई और शेष भूमि यथावत पड़ी रही और शेष भूमि जो 11 बीघा 9 बिस्वा थी उसको फिर बाद में वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है पर चूंकि....

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : कब किया गया? किस आधार पर किया गया और कब किया गया....

श्री भगराज चौधरी : सुन लीजिये। पर चूंकि मूल खसरा नम्बर में से केवल 89 बीघा 10 बिस्वा भूमि ही वन क्षेत्र घोषित की गई थी इसलिए अब डिमार्केशन का प्रश्न पैदा हुआ कि शेष भूमि जो छोड़ी गई 11 बीघा, वह किस दिशा में है, आया पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है अथवा यह है। तो लोकेशन का विवाद पैदा होने पर विभिन्न अधिकारियों ने अपनी अलग-अलग राय दी है और चूंकि मामला विवादास्पद होने के कारण से सरकार ने उच्च स्तर पर निर्णय लिया कि आया कौनसी रिपोर्ट, किस की रिपोर्ट सही मानी जाय, किसकी नहीं मानी जाय। इसलिए अंत में फिर सरकार द्वारा फैसला किया गया है कि जो भी कुछ अधिकारियों ने यह राय दी है कि नक्शे में दिखाई गई भूमि पी.क्यू.आर.एस. को सिवाय चक भूमि दर्ज बताया गया है, दरअसल में यह भूमि सिवाय चक कभी दर्ज नहीं रही, यह भूमि बंजड़ काबिज चराई यह भूमि....

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक भी रिपोर्ट आपके पक्ष में हो तो बता दो, एक रिपोर्ट।

एक माननीय सदस्य : आपके जवाब में है....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक रिपोर्ट बता दें....(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह सही नहीं है....(व्यवधान)

श्री अमराराम : अध्यक्ष महोदय, आपका उत्तर ही बता रहा है। 11 बीघा 9 बिस्वा, आपके ही उत्तर में बता रहे हैं। आप पूछ रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं। आपके ही उत्तर में ही बताया है कि 1961 में 11 बीघा 9 बिस्वा थी....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने फैक्ट्स दिये....

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, 20.1.2001 को सिवाय चक जमीन थी....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इन्हें कहिये कि पूरा जवाब तो सुनें। भाई जवाब तो पूरा सुनो, पहले से ही खड़े हो, जवाब सुनिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम : यह हाउस को गुमराह कर रहे हैं, इनके उत्तर में साफ लिखा है। इनके उत्तर में लिखा है कि 1961 से सिवाय चक थी। आपके ही उत्तर को मैं पढ़कर सुना रहा हूं।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन आवर है, ऐसा कोई प्रश्न है तो इनको दूसरे तरीके से आना चाहिए। क्वेश्चन आवर में सारा टाइम अगर हाउस का चला जायेगा तो दूसरे आदमियों के क्वेश्चन हैं, उनका क्या होगा।

श्री अमराराम : अध्यक्ष महोदय, यह खुद ही यह कह रहे हैं कि 1961 में 11 बीघा 9 बिस्वा सिवाय चक बंजड़ थी और अब कह रहे हैं कि यह दर्ज नहीं थी। 1961 से 2000 तक....

श्री अध्यक्ष : आप पूरा उनको रिप्लाई तो देने दीजिये, लेट हिम रिप्लाई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने इतनी सारी रिपोर्ट्स का हवाला दिया है, एक रिपोर्ट, मंत्रीजी, एक रिपोर्ट आपके पक्ष में बता दो। एक रिपोर्ट।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप, लेट हिम रिप्लाई, उनको जवाब देने दीजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : वैसे तो अध्यक्ष महोदय, ऐसी दादागिरी है वन विभाग की कि मनचाहे जहां पर ले करके, डण्डा लेकर खड़े हो जाते हैं, कितने ही किसानों को, कितने ही गौचरों को, कितने ही उसको हर जगह जाकर विकास का काम रोक रखा है, साहब....

श्री अध्यक्ष : जगत सिंहजी। नहीं-नहीं, बीच में नहीं इस तरह से।

श्री जगत सिंह दायमा : अब कब जाकर के इन्होंने इसका अधिग्रहण किया और कब जाकर के, 62 में कहा है यह....

श्री अध्यक्ष : व्यवधान मत डालिये आप, लेट द मिनिस्टर रिप्लाई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक रिपोर्ट तो बता दें।

श्री जगत सिंह दायमा : उसमें यह तरमीम हुई, तीस साल बाद में आपका विभाग....(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो फोरेस्ट सैटलमेंट अधिकारी....

श्री जगत सिंह दायमा : हर जगह अन्याय कर रखा है आपके विभाग ने, हर जगह अन्याय।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : एस.डी.एम., ए.डी.एम., सैटलमेंट कमिश्नर, डी.सी. सब की रिपोर्ट आपके टेबल पर दूं, इसमें से एक भी रिपोर्ट आपके फेवर की हो, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : बैठिये, लेट हिम रिप्लाई, इसका उल्लेख कर चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक रिपोर्ट बता दो आप, ओनली वन रिपोर्ट।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस भूमि की लोकेशन के बारे में विवाद पैदा हुआ....

श्री अमराराम : लोकेशन का विवाद नहीं है, लोकेशन का विवाद तो बताया....

श्री अध्यक्ष : डोंट डिस्टर्ब।

श्री भगराज चौधरी : इसका मुख्य कारण तहसीलदार द्वारा गलत अपनी लोकेशन 11 बीघा का दिखाया गया....

श्री अध्यक्ष : हाउस में बात नहीं।

श्री भगराज चौधरी : उसके विरुद्ध विभाग एस.डी.ओ. को अपील पेश की गई थी, एस.डी.ओ. आमेर को। इसने अपील को खारिज कर दिया पर चूंकि उसका निर्णय गलत प्रतीत हो रहा था इसलिए राज्य सरकार के स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि आया एक खसरा नम्बर के जो दो टुकड़े हुए हैं, एक तो वन क्षेत्र घोषित हो गया है और शेष यथावत अब मौके पर मौजूद पड़ा रहा है तो उनकी लोकेशन कहां दिखाई जाय, पूर्व में, पश्चिम में, क्या स्थिति हो। उसके बारे में कमेटी का गठन किया गया जिसमें कलक्टर, जयपुर और माइनिंग का ओ.एस.डी. और एक अपना अधिकारी हमारे विभाग का था, वन संरक्षक स्तर का जिन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि तहसीलदार द्वारा जो लोकेशन 11 बीघा भूमि के बारे में दिखाया गया है वह गलत है, उसका कोई औचित्य नहीं है। मैं रिपोर्ट पढ़कर सुना रहा हूं आपरेटिव पोर्शन। जहां तक राजस्व अधिकारियों द्वारा संलग्न नक्शे में पी. क्यू. आर. एस. के रूप में 11 बीघा 9 बिस्वा भूमि नक्शे में तरमीम जो की गई है उसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यह तरमीम केवल इस आधार पर की गई है कि चूंकि भूमि तनाजा बमुकाम देह डिगोता के रूप में दर्ज है और इसलिए यह भूमि वहां दोनों गांवों की किलतपुरी और डिगोता की सीमा पर होना उन्होंने जरूरी तौर से मान लिया है, उसका कोई औचित्य नहीं है इसलिए यह तरमीम कर दी गई है। अतः राजस्व अधिकारी द्वारा नक्शे में पी. क्यू. आर. एस. कि की गई तरमीम का कोई वैधानिक आधार प्रतीत नहीं होता है। यह जोइंट रिपोर्ट है कलक्टर की, माइनिंग डिपार्टमेंट की और हमारे विभाग की, अपने मुख्य वन संरक्षक अधिकारी की....

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह रिपोर्ट नहीं है, कंटेंशन है। आप आगे पढ़ो, आपरेटिव पोर्शन नहीं पढ़ रहे हैं आप, डोंट मिसलीड द हाउस।

श्री भगराज चौधरी : यही तो मैं पढ़ रहा हूं, मैंने आपरेटिव पोर्शन ही पढ़ा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं पढ़ा। आप आगे पढ़ें।

श्री भगराज चौधरी : यही मैंने पढ़ा है। पेज नम्बर दो हैं इसका, मैंने वही पढ़ा है। इसके पश्चात् चूंकि इसकी लोकेशन के बारे में विवाद हो गया, यह बात सही है कि विभिन्न अधिकारियों ने 11 बीघा 9 बिस्वा भूमि जो ओरिजनल खसरा नम्बर की जो शेष बच गई थी, जिसे वन क्षेत्र घोषित नहीं किया गया था, उसके वन क्षेत्र घोषित किये गये रकबे के साथ कहां पर लोकेशन इसका होना चाहिए, इसके बारे में विवाद पैदा हो गया। अलग-अलग अधिकारियों ने अलग-अलग राय दी है इसलिए यह मुनासिब समझा गया कि उच्च स्तर पर सारी रिपोर्ट्स को आकलित किया जाय और उसके पश्चात् वैधानिक दृष्टिकोण से इसको एग्जामिन करने के बाद यह तय किया जाय कि उसका औचित्य क्या है और क्या लोकेशन है। इसके आधार पर....

श्री खेतसिंह राठौड़ : भई जवाब तो हो गया।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं हुआ + + +

श्री भगराज चौधरी : इसलिए आपका यह कहना कि यह जो रिपोर्ट्स दी गई हैं फलां अपने सैटलमेंट कमिश्नर द्वारा और सैटलमेंट आफिसर द्वारा, वह रिपोर्ट सही नहीं है, उसका कोई वैधानिक आधार नहीं है और वैधानिक आधार प्राप्त नहीं होने के कारण से ही और वैधानिक आधार पर दी हुई रिपोर्ट नहीं मानें जाने के कारण से ही इस भूमि के बारे में जो आपकी राय आप बता रहे हैं, वह सही नहीं है और राज्य सरकार के स्तर पर जो निर्णय लिया गया वह बिलकुल सही है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, आप तो यह बता दें माननीय मंत्री महोदय कि 11 बीघा 9 बिस्वा....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : इनकी रिपोर्ट के अन्दर....(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, यह बताने का कष्ट करें माननीय मंत्री महोदय कि 11 बीघा 9 बिस्वा का नोटिफिकेशन आपने कब जारी किया?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : हां, यह बात है, मेन बेसिकली बात यह है, बिना नोटिफिकेशन से उसका ट्रांसफर कैसे हुआ? इसकी किस्म परिवर्तन किस आधार पर की, बिना नोटिफिकेशन? (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, जमीन का नोटिफिकेशन किया नहीं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा-सा सवाल....

श्री अध्यक्ष : मैंने काल कर लिया है, श्री अमराराम।

श्री अमराराम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा। मंत्री महोदय बार-बार कह रहे हैं कि इस 11 बीघा 9 बिस्वा जमीन की जगह कहां थी इस बात का विवाद था। हम इस बात के लिए नहीं जा रहे। हम इस बात के लिए जा रहे हैं कि 11 बीघा 9 बिस्वा जो बंजड़ सिवाय चक जमीन थी उसको वन विभाग में केवल इसलिए किया गया, राज्य सरकार के उच्च स्तर पर जो निर्णय लिया गया है उसका कोई आधार नहीं है। चीफ सैक्रेटरी के स्तर पर, मुख्य मंत्री के स्तर पर जो निर्णय लिया गया है उसका कोई आधार नहीं है। सैटलमेंट कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर जितनी भी रिपोर्ट आई है इस संबंध में, 11 बीघा 9 बिस्वा के संबंध में जितनी भी सरकार ने जांच कराई है सब ने उसको सिवाय चक जमीन माना है। और उसको फोरेस्ट में महज इसलिए दिया गया कि बंशीवाल ने आर.डी. शर्मा के, इसलिए राज्य सरकार ने जो उच्च स्तर पर निर्णय लिया है उसका कोई आधार नहीं है। केवल एक आधार है कि राजनीतिक आधार पर आर.डी. शर्मा के बंशीवाल ने दस्तखत क्यों किये, इसके सिवा और कोई आधार नहीं है। इसलिए मंत्री महोदय यह तथ्य बतायें कि राज्य के उच्च स्तर पर निर्णय 11 बीघा 9 बिस्वा को वन क्षेत्र में कैसे परिवर्तित किया?

श्री अध्यक्ष : पूछ लिया आपने।

श्री अमराराम : और किसके आधार पर किया गया? अध्यक्ष महोदय, एस.डी.एम., आमेर ने पहले यह इसी आधार पर नामान्तरकरण फोरेस्ट का किया गया है, 24.9.1997 को इसी एस.डी.एम., आमेर ने फैसला दे दिया कि यह सिवाय चक है और इसी एस.डी.एम. ने दोबारा 9.11.2000 को फिर वही आदेश, अपने ही कोर्ट, अपने ही आदेश को तीन साल के बाद में अपने आप चीफ सैक्रेटरी के आधार से, राजनीतिक आधार से उसी एस.डी.एम. से साढ़े तीन साल के बाद में निर्णय को बदलवाया जाता है, केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति के लिए, इसलिए मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि यह केवल राजनीतिक आधार पर फोरेस्ट जमीन घोषित की गई है।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है इस पर। क्या यह सही है कि 8.1.2001 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने चेम्बर में मीटिंग बुलाकर, सरकारी मुख्य सचेतक की अनुशंसा पर मीटिंग बुलाकर, इस बात की सहमति

(डा. किरोड़ी लाल)

जाहिर की थी कि चूंकि यह एरिया फोरेस्ट में नहीं है इसलिए इस माइन्स को अलाट कर दिया जाए? क्या यह सही है कि 8.1.2001 को मुख्य मंत्रीजी ने अपने चेम्बर में....

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेंट्री पूछिये, डाक्टर साहब।

डा. किरोड़ी लाल : ....अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर इस माइन्स को अलाट करने की सहमति दी थी और उसमें सरकारी मुख्य सचेतक नन्दलाल जी को लेकर उनके पास गये थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और उस समय यह बात हुई थी कि नन्दलाल जी आपके कहे अनुसार राज्य सभा का वोट दे देंगे और आप उनकी माइन्स को रेगुलराइज कर देंगे क्या यह बात मुख्य मंत्रीजी हुई थी या नहीं हुई थी। मुख्य मंत्रीजी सदन में बैठे हैं कह दें।

एक माननीय सदस्य : नॉमीनेशन का यह झगड़ा है। झगड़ा नामीनेशन की वजह से है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री केसाराम।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने की बात है श्री महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक ने यह कहा था.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या कहा था मुख्य मंत्रीजी ने?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक ने यह कहा था कि जो दस्तखत किये हैं इनको कह दो कि फर्जी हैं, मैं आपका काम करा दूंगा। इन्होंने कहा कि मैं असत्य नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। इसकी सजा मिल गयी आपको।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सरकारी उप मुख्य सचेतक ने कही थी कि नहीं कही थी....(व्यवधान) खड़े हो करके आप दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उस मैम्बर को यह बात कहनी चाहिए कि यह बात कही थी कि नहीं कही थी। मैम्बर कहें यहां पर....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : (व्यवधान) ....राज्य सभा चुनावों में सौदा किया गया। राज्य सभा के चुनावों में सौदा किया गया....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ....खुद मैम्बर कह नहीं रहा है इसको आपको आप कह रहे हैं। मैम्बर कहे यह बात। माननीय दौसा से आने वाले सदस्य कहें यह बात कि यह कही थी कि नहीं कही थी। आपके कहने से क्या होता है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ....(व्यवधान) ....कह दो....(व्यवधान) सही-सही बोलना।

मोहम्मद माहिर आजाद : (व्यवधान) ....क्या कहलवा रहे हैं आप। वे खुद तो कह नहीं रहे हैं आप कह रहे हैं इस बात को। वे खुद कह ही नहीं रहे हैं इस बात को।

एक माननीय सदस्य : उसके खुद के भी तो बीमारी है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बोलना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य : असत्य मत बोलना।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : असत्य नहीं बोलूंगा। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह मामला जो हुआ है.... (व्यवधान) यह जो मामला है, साहब, इसमें मेरे साथ बहुत ज्यादा बेइन्साफी हुई है। यह मेरा व्यक्तिगत मामला है, अगर किसी ओर का होता अगर मैं एम.एल.ए. नहीं होता तो मैं इस मामले को तय करवा लेता। यह मेरे को विश्वास है। चूंकि मैं एम.एल.ए. हूं, मेरे से न तो कोई पैसा लेता है न कोई मेरे दबाव में आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि मैं सत्ता पक्ष का एम.एल.ए. नहीं हूं, मैं निर्दलीय हूं। मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इन्होंने आफ दी रिकार्ड जाकर मेरे साथ अन्याय किया है इन्होंने मेरी गरदन काटी है मेरा पेट काटा है। मैंने मुख्य मंत्रीजी से बार-बार निवेदन किया और मंत्रीजी ने बार-बार, जितनी बार भी मैंने निवेदन किया उतनी बार आपने जांच करवायी। उतनी बार आपने मेरे से जांच करवायी और जांच करवा करके आप दबाव में आ गये। आपने मुझे, मैंने आपको राज्य सभा में वोट किया है यह बात सही है। और आपने मेरे को विश्वास दिलाया था कि मैं आपका काम करूंगा....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : (व्यवधान).... प्रलोभन दिया....वायदा खिलाफी की.... (व्यवधान)....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : आपने....(व्यवधान) इससे ज्यादा घृणित काम और कोई नहीं हो सकता राज्य सभा में वोट देने के लिए जिस प्रकार का....(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने मुझे यह विश्वास दिलाया था कि मैं काम करूंगा और आपने चीफ सैक्रेट्री के दबाव में आकर....(व्यवधान) चीफ सैक्रेट्री ने काम बिगाड़ा मेरा। + + + (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : (व्यवधान) ....इससे ज्यादा घृणित कार्य और कोई नहीं हो सकता। राज्य सभा में एक निर्दलीय सदस्य का वोट लेने के लिए सरकार इतना घृणित काम कर सकती है वोट प्राप्त करने के लिए....(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि + + + कि वो सरदार की खान को बचाना चाहता है चीफ सैक्रेट्री भी पंजाबी हैं और वो.... (व्यवधान) जिसकी खान बगल में चल रही है उसको ये....(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के हर एक सदस्य को वोट देने का अधिकार है:...(व्यवधान) माननीय सदस्य बार-बार यह कह रहे हैं कि मैंने अपने विवेक से वोट दिया है किसी के दबाव में आकर वोट नहीं दिया है....(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चीफ सैक्रेट्री के कक्ष में मीटिंग हुई, सारे अधिकारियों ने कहा कि हम नियमों के तहत काम कर रहे हैं तो + + + (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से अपील करता हूं कि आपके.... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वोट जो मांगे हैं वो उम्मीद्वार ने मांगे हैं, चीफ व्हिप ने थोड़े ही मांगे हैं। जो राज्य सभा में खड़े हुए उन्होंने वोट मांगे थे।

डा. किरोड़ी लाल : (व्यवधान) कोई नहीं हो सकता.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(सदन में नारेबाजी)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से न्याय मांगता हूं कृपया मुझे न्याय दिलवाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं न्याय मांगता हूं, मुझे न्याय दिलवाया जाए।

श्री भगराज चौधरी : माननीय अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की कहानी बदल करके....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि खरीदफरोख्त किया है। क्या इन्होंने खरीदफरोख्त किया है, इसका जवाब दें माननीय सदस्य आप बताइये। (व्यवधान)....ये कह रहे हैं खरीदफरोख्त किया है कहां खरीदफरोख्त किया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ....(व्यवधान) मुख्य मंत्री बैठे हुए हैं....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कहां खरीदफरोख्त किया है, कितने में किया है? उन्होंने अभी कहा कि खरीदफरोख्त किया है। आपको खरीदफरोख्त किया है क्या? माननीय सदस्य यह बतायें कि इनको खरीदफरोख्त किया है क्या? (व्यवधान)....आप बताइये माननीय सदस्य कि आपको खरीदफरोख्त है क्या?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भगराज चौधरी : ....(व्यवधान) इसके बारे में विरोध होने से.... (व्यवधान).... (अश्रृव्य) ....राजनीतिक कलर मत दीजिए। ....लोकेशन के बारे में विवाद होने से उच्च स्तर पर....

श्री रामस्वरूप : इन्होंने अपने विवेक से वोट दिया है। (व्यवधान) कोई खरीद-फरोख्त नहीं की। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको न्याय दिलाया जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : (व्यवधान) राज्य सभा में खरीदफरोख्त होती है।

श्री रामस्वरूप : (व्यवधान) राज्य सभा के चुनावों में खरीदफरोख्त किया या नहीं किया वो भी स्पष्ट करेंगे।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान).... मुख्य मंत्री ने भी यही बात कही थी....(व्यवधान) भूमि जो है (व्यवधान) बात कही है.... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आपके द्वारा इस पर टिप्पणी किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। विधायकों की खरीदफरोख्त राज्य सभा चुनावों में की गयी है। ....(व्यवधान) वह आपके और इस सदन के ध्यान में आ चुकी है और आपके द्वारा इस पर....(व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : (व्यवधान).... जो 11 बीघा बिस्वा भूमि बंजड़ पड़त पड़ी थी....(व्यवधान).... (अश्रृत्य)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, कोई खरीदफरोख्त नहीं की गयी है। ये बताये स्पष्ट करें खरीदफरोख्त की गयी है क्या? (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझकर ....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन्होंने राज्य सभा में आपको वोट दिया था।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो असंसदीय हो। इस तरह जानबूझकर प्लेटफार्म का ....(व्यवधान) मिसयूज कर रहे हैं यह भी गलत है। (व्यवधान).... माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझकर इस तरह की शरारतपूर्ण कार्यवाही कर रहे हैं जिससे कि मैन मुद्दा हट सके। यह एक अपने आप में.... (व्यवधान) बात है इसका वोटिंग से कोई लेना-देना नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : .... (व्यवधान) ....आपके आश्वासन के आधार पर वोट दिया....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह एलीगेशन लगा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका प्रोटेक्शन चाहिए, आप इनको रोकिये। इस तरह की बातों से सदन का टाइम बरबाद होता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : .... (व्यवधान) ....काम हो जाएगा.... (व्यवधान).... राज्य सभा में जो वोट दिया है यह आश्वासन देने पर दिया है....(व्यवधान) इसके आधार पर खरीदफरोख्त हुई। अध्यक्ष महोदय, ये इस प्रकार का....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। इस स्थान का मिसयूज कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप इनको निर्देशित कीजिये ये राजनीतिक लाभ उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग शरारती कार्यवाही करना चाहते हैं। इनकी शरारत बदनीयतिपूर्ण है.... (व्यवधान) ये जो भी आरोप हैं मिथ्या हैं।

(सदन में नारेबाजी)

.... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये जो कर रहे हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ....(व्यवधान) इनका मैन मकसद यह है कि सदन में कोई कार्यवाही नहीं हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : (व्यवधान) ....भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस घृणित कार्य के विरोध में सदन से बहिर्गमन करती है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों एवं कुछ निर्दलीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

(सदन में नारेबाजी)

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मुख्य जिला आयोजना अधिकारियों के रिक्त पद

337. **श्री घासीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिलों में मुख्य जिला आयोजना अधिकारी के अधिकांश पद रिक्त हैं जिससे जिला आयोजना समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं हो पा रही हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में मुख्य जिला आयोजना अधिकारी के 18 पद रिक्त हैं, पंचायती राज विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिला आयोजना समिति की बैठकें जिला प्रमुख

(राज्य मंत्री, आयोजना)

महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है।

(2) जी हां। उक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-338

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या-339

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या-340

(स्थगित)

जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड एवं ओरियंटल पावर के बल्स लिमिटेड का संचालन

341. श्री अमराराम (धोद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा में लम्बे अर्से से बन्द जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड एवं ओरियंटल पावर केबल्स लिमिटेड को चालू कराने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या सरकार द्वारा बन्द कारखानों को चालू कराने और पीड़ित कामगारों को आवश्यक राहत पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है? यदि हां, तो उसकी क्या कार्य योजना है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त दोनों इकाइयां निजी क्षेत्र की है और इनके प्रकरण बी.आई.एफ.आर. में लम्बित है। इन इकाइयों के बी.आई. एफ.आर. से निर्णय उपरान्त राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित बिन्दुओं पर दोष गुण के आधार पर उचित निर्णय लिया जायेगा।

पारों की फैक्ट्री बापी (दौसा) द्वारा अनियमितताएं

342. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 से 2000-2001 में उद्योग विभाग में विभिन्न आर्थिक, घोटाले व अनुदान हड़पने के कितने प्रकरण प्रकाश में आये और कितने प्रकरणों में विभाग ने या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला दौसा के औद्योगिक क्षेत्र बापी में पारों की फैक्ट्री द्वारा जिला उद्योग केन्द्र के तत्कालीन महा प्रबन्धकों की मिलीभगत से बिना फैक्ट्री चालू किये नियंत्रित मूल्य पर 18000 टन कोयला आबंटित करवा के खुले बाजार में बेचने का मामला प्रकाश में आने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अभियोजन दर्ज किया है? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(3) उक्त अवधि में जिला मुख्यालय चूरू को नये उद्योगों की स्थापना हेतु कितने नये उद्योगों को पंजीकृत कर कितना अनुदान दिया गया व कितने उद्योगों को विभिन्न योजनाओं में जिला उद्योग केन्द्र की अभिशंसा पर ऋण वितरण किया गया ?

(4) वर्ष 2000-2001 में उक्त जिला मुख्यालय के औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विस्तार हेतु कितनी राशि आबंटित की गई व कितनी व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 से 2000-2001 में उद्योग विभाग में विभिन्न आर्थिक घोटाले व अनुदान हड़पने सम्बन्धी 5 प्रकरण जानकारी में आये। उक्त पांचों प्रकरणों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है :—

क्र.सं.	प्रकरण का विवरण	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज प्राथमिक जांच का क्रमांक
1.	जिला उद्योग केन्द्र भिवाड़ी के आन्तरिक जांच प्रतिवेदन वर्ष 7/94 से 3/98 के आक्षेपों के सम्बन्धी में।	पी/I/2/35/2000 दिनांक 21.4.2000
2.	अलवर जिले की औद्योगिक इकाई के भागीदार से आपराधिक षड्यंत्र कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाने व स्वयं को लाभ पहुंचाने के सम्बन्धी में।	परिवाद सं. 221/2000 दिनांक 24.7.2000
3.	श्री प्रकाश बोहरा, उद्योग निरीक्षक, जिला उद्योग केन्द्र पाली द्वारा फर्जी टी.ए. बिल उठाने बाबत।	परिवाद सं. 30/2001 दिनांक 6.2.2001
4.	जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (शहर) में अधिकारियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अनुचित राशि का भुगतान करने बाबत।	पी/I/2/160/2001 दिनांक 25.9.2001
5.	श्री पी. आर. शर्मा, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, दौसा द्वारा बन्द इकाई मै. पारो रिफ्रेक्ट्रीज कम्पनी को अनुचित रूप से कोयला आबंटन की अनुशंसा करने एवं बैंक से रुपये 38.00 लाख का ऋण प्रदान करने में सहयोग करने के सम्बन्ध में।	पी/I/2/15/2001 दिनांक 5.2.2001

(उद्योग मंत्री)

(2) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्राथमिकी जांच संख्या पी/टी/2/15/2001 दिनांक 9.2.2001 का दर्ज कर ब्यूरो स्तर पर जांच जारी है।

(3) जिले में वर्ष 1999-2000 में 45 लघु उद्योग एवं 104 आर्टीजन का पंजीयन किया गया, तथा इनमें चूरू मुख्यालय के 17 लघु उद्योग एवं 9 आर्टीजन का पंजीयन किया गया। वर्ष 2000-2001 में 45 लघु उद्योग एवं 108 आर्टीजन का पंजीयन किया गया, इनमें चूरू मुख्यालय के 18 लघु उद्योग एवं 6 आर्टीजन का पंजीयन किया गया। वर्ष 1999-2000 में डी.जी. सैट पर 6 इकाइयों को 4,08,000/- एवं राज्य पूंजी विनियोजन में 5 इकाइयों को 10,22,844/- रुपये का अनुदान दिया गया तथा वर्ष 2000-2001 में डी.जी. सैट पर इकाइयों को 5,23,739/- रुपये एवं एक इकाई को 86,445/- रुपये का ब्याज मुक्ति ऋण अनुदान दिया गया। उपरोक्त अनुदान में चूरू मुख्यालय की वर्ष 1999-2000 में डी.जी. सैट पर दो इकाइयों को 2,03,750/- रुपये तथा वर्ष 2000-2001 में दो इकाइयों को 19,775/- का अनुदान दिया गया। उक्त अवधि में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किसी भी उद्योग को ऋण नहीं दिया गया है।

(4) वर्ष 2000-2001 में चूरू जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विस्तार हेतु 34.33 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई थी व 29.87 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। इसमें से जिला मुख्यालय स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 3.13 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई थी तथा 1.93 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में अनुपयोगी सड़कें

343. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में रीको की ओर से सौन्दर्यकरण एवं सड़कों के विकास के नाम पर लाखों रुपये की राशि वर्ष 2000 से 2001 में लगाई है?

(2) उक्त हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई एवं उक्त में से कितनी व्यय हुई है?

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण में हुई अनियमितता की जांच करवाने का विचार रखती है?

(4) क्या रीको के अधिकारियों ने ऐसे क्षेत्र में भी लाखों रुपये की सड़कें बिछाई जिनका कोई उपयोग नहीं हुआ और वहां कोई औद्योगिक प्लाट भी नहीं है?

(5) क्या उक्त सम्बन्ध में जांच हेतु पूर्व में भी रीको अधिकारियों एवं सरकार के पास कोई पत्र आये हैं? क्या सरकार उक्त अनियमितताओं की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। रीको द्वारा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र की पहुंच सड़क क्षेत्र संख्या 1 एवं 2 के जंक्शनों के आवश्यक विकास यथा 2 तिराहों का विकास, सड़क चौड़ा कर विभाजक पट्टी का निर्माण एवं स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य किया गया है। साथ ही निगम के ओवरहैड बोर्ड्स लगाने का कार्य किया गया है।

(2) उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कोई बजट एवं स्वीकृति नहीं थी। वर्ष 2000-2001 में 8.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान था जबकि खर्चा शून्य हुआ था। वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिये 52.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान है। इस प्रावधान में से तिराहों का विकास सम्बन्धित सड़कों के विकास पर माह अक्टूबर, 2001 तक 7.55 लाख रुपये, स्ट्रीट लाइट आदि पर 6.04 लाख रुपये ओवरहैड बोर्ड्स आदि पर 8.34 लाख रुपये कुल 23.93 लाख रुपये खर्च हुए है।

(3) मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर के विकास कार्यों से सम्बन्धित शिकायत पर पूर्व में जांच कराई गई थी। कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

(4) जी नहीं। निगम द्वारा जो भी सड़कें बनाई गई है वे नियोजित भूखण्डों तक सुविधाजनक पहुंच एवं सुचारू रूप से आवागमन के लिए बनाई गई है। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र एवं विस्तार में नियोजन औद्योगिक भूखण्डों के लिए यह सड़कें उपयोगी हैं।

(5) जैसा बिन्दु संख्या 3 के उत्तर में दर्शित है, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर सिविल कार्य से सम्बन्धित जो शिकायती पत्र रीको को प्राप्त हुए हैं, उनकी जांच में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है।

राजस्थान हैण्डलूम प्रोसेस हाउस के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मियों का बकाया भुगतान

344. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999 में राजस्थान हैण्डलूम प्रोसेस हाउस के कितने कर्मियों को किन-किन नियमों के तहत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति दी गई ?

(2) उक्त स्वैच्छिक सेवा निवृत्त किस-किस कर्मी का कितना-कितना भुगतान किस-किस कारण से बकाया है ? क्या उक्त भुगतान में से किसी कर्मी को अध्यक्ष एवं निदेशक प्रबन्धक द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2001 को भुगतान करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस कर्मी के लिये ? अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1999 में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने वाले कर्मियों को राजकीय उपक्रम विभाग के पत्रांक एफ. 2(9) डीपीई/89/1947 दिनांक 8 जुलाई,

(श्री रमेश खींची)

1989 के पैरा 3 के बिन्दु डी के तहत तीन महीने की नोटिस पे का भी भुगतान करने का स्पष्ट उल्लेख है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त स्पष्ट आदेश होने के बाद भी प्रोसेस हाउस के प्रशासन द्वारा पीड़ित कर्मी श्री नरोत्तम शर्मा को अब तक उसकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों एवं अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा?

(5) क्या यह सही है कि उक्त कर्मी के समस्त बकाया भुगतान के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के आदेश होने के बाद भी किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण अभी तक भुगतान नहीं किया गया है? क्या सरकार उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1999 में निगम की प्रोसेस हाउस इकाई के 25 कर्मियों को राजकीय उपक्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसरण में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति दी गई।

(2) उक्त स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की एवज में मात्र एक कर्मचारी श्री नरोत्तम शर्मा का आंशिक भुगतान न्यायिक अभिरक्षा में रहने के प्रकरण एवं निलम्बन अवधि के कारण बकाया था। जी हां। श्री नरोत्तम शर्मा के बकाया आंशिक भुगतान हेतु प्रशासनिक आदेश दिनांक 9.8.2001 को जारी किये गये थे। आदेश की प्रति संलग्न है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। श्री नरोत्तम शर्मा को देय रुपये 30,194.00 राशि में से रुपये 10,000.00 का आंशिक भुगतान प्रेषित किया जा चुका है। शेष राशि का भुगतान निगम में राशि उपलब्ध होने पर शीघ्रतिशीघ्र कर दिया जा[illegible]ा। भुगतान में विलम्ब का मुख्य कारण निगम की अत्यन्त खराब आर्थिक स्थिति है।

(5) जी नहीं। श्री नरोत्तम शर्मा को देय आंशिक बकाया भुगतान नहीं होने में किसी अधिकारी विशेष की लापरवाही नहीं है, चूंकि निगम की आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब होने के कारण ही भुगतान में विलम्ब हुआ है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है। श्री शर्मा को रुपये 10,000.00 का भुगतान किया जा चुका है। शेष देय भुगतान 20,194.00 रुपये निगम में राशि प्राप्त होते ही कर दिया जायेगा।

(आदेश की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

नगरपालिका सवाईमाधोपुर में अनियमित भूखण्ड आबंटन

345. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगरपालिका सवाईमाधोपुर में कार्यरत निजी सहायक के विरुद्ध भूखण्ड संख्या 9 इंदिरा नगर योजना के सम्बन्ध में अनियमितता करने की कोई जांच कराई गई है? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी से? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कर्मचारी को जांच में दोषी पाया गया है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी?

(3) क्या सरकार उक्त भूखण्ड को निरस्त करने तथा अन्य दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त जांच विभाग के उप निदेशक (क्षेत्रीय), कोटा से कराई गई। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। कर्मचारी के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही करने हेतु उप निदेशक (क्षेत्रीय), कोटा को विभाग के पत्रांक 646 दिनांक 3.11.2001 द्वारा लिखा जा चुका है।

(3) जांच रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(जांच रिपोर्ट की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

नगरपालिका भादरा को अतिरिक्त राशि स्वीकृत

346. श्री संजीव बेनीवाल (भादरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में जिला हनुमानगढ़ की कई नगरपालिकाओं को 11वें वित्त आयोग के तहत गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम हेतु अनुदान राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कौन-कौनसी नगरपालिकाओं को और कितनी-कितनी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका भादरा को उक्त अनुदान राशि दूसरी नगरपालिकाओं की तुलना में कम स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार नगरपालिका भादरा को उक्त कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला हनुमानगढ़ की नगरपालिकाओं को चालू वर्ष में गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम हेतु स्वीकृत अनुदान राशि का नगरपालिकावार विवरण निम्न प्रकार है :—

नाम नगरपालिका	राशि (लाखों में)
1. हनुमानगढ़	26.90
2. नोहर	8.50
3. संगरिया	7.60
4. भादरा	2.10
5. पीलीबंगा	18.60
6. रावतसर	10.40

(2) जी हां। ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत स्लम सुधार हेतु 15 अगस्त 1998 से पूर्व बसी नियमित योग्य कच्ची बस्ती के परिवारों की संख्या के अनुपात में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की अभिशंसा के आधार पर नगरपालिका, भादरा को आगामी 3 वर्षों हेतु 7.05 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में 2.10 लाख रुपये आबंटित किये जा चुके हैं।

(3) इस बिन्दु का उत्तर बिन्दु संख्या 2 के उत्तर में निहित है।

मोतीडूंगरी जोन नगर निगम जयपुर द्वारा जारी लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र

347. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नगर निगम, जयपुर द्वारा आबंटित आवासीय भू-खण्डों की आगामी 10 वर्षों की एकमुश्त लीज राशि जमा कर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है? यदि हां, तो श्री कन्हैया लाल पुत्र स्व. श्री हरिनारायण, बी-297ए, आनन्दपुरी, मोती डूंगरी जोन, जयुपर-4 के द्वारा अगस्त, 2000 में लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? उक्त के द्वारा बकाया व आगामी 10 वर्षों की एकमुश्त लीज राशि जमा करा देने पर भी अब तक उन्हें लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र क्यों नहीं जारी किया गया और अब कब तक प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा?

उत्तर

जी हां। श्री कन्हैयालाल के द्वारा दिनांक 29.3.2001 को निर्धारित राशि 50/- रुपये जमा करवाये जाने के पश्चात् दिनांक 28.8.2001 को लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।

नगर निगम जयपुर में आशुलिपिक के रिक्त पद

348. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995 से सितम्बर, 2001 तक नगर निगम, जयपुर में कनिष्ठ लिपिक/हिन्दी आशुलिपिक के कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रमेश खींची)

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1995 से सितम्बर, 2001 तक कनिष्ठ लिपिक/हिन्दी आशुलिपिक के रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं, नवीन नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

नगरपालिका सिरोही की राजीव नगर आवासीय योजना

349. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका सिरोही ने राजीव नगर आवासीय योजना कब बनाई? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक उक्त योजना किन कारणों से क्रियान्वित नहीं हो सकी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त के लिये जो भूमि समझौते से खरीदी गई उस पर अब तक आवासीय, वाणिज्यिक भूखण्ड काट कर आबंटन व विक्रय क्यों नहीं हुआ है? ऐसा नहीं करने से पालिका को कितना आर्थिक नुकसान हुआ?

(4) क्या सरकार ने सिटी मानीटरिंग कमेटी गठित कर रखी है? उक्त कमेटी ने उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिये कब-कब क्या-क्या आदेश दिये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त योजना को क्रियान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके भूखण्ड आबंटन की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी?

(6) क्या सरकार उक्त योजना के क्रियान्वयन में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने अनावश्यक विलम्ब किया उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(7) उक्त योजना के लिये पालिका ने कहां-कहां से कितना ऋण लिया व अब तक उक्त पर कितना ब्याज चुकाया गया? उक्त आर्थिक नुकसान के लिये कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) नगरपालिका ने राजीव नगर आवासीय योजना 1988 में बनाई तथा 1992 में योजना संशोधित हुई। योजना का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) प्रकरण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिरोही व न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिरोही में विचाराधीन थे।

1. न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सिरोही का निर्णय पालिका के पक्ष में दिनांक 2.3.1994 को हुआ।

2. न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिरोही का निर्णय पालिका के पक्ष में दिनांक 28.9.2001 को हुआ।

उपरोक्त कारणों से क्रियान्वयन न हो सका।

(3) पालिका द्वारा आबंटन कार्यवाही हेतु प्रार्थना-पत्र भूखण्ड आबंटन हेतु दिनांक 15-11-1990 तक आमंत्रित किये गये। किन्तु प्रकरण दो अलग-अलग न्यायालयों में विचाराधीन होने से आबंटन नहीं हुआ। भूखण्ड आबंटन हेतु मण्डल प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 30.6.2001 के अनुसार 6.8.2001 तक पुनः प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये। प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच की कार्यवाही आरम्भ की गई तथा दिनांक 16.11.2001 के आदेश से कर्मचारियों की कमेटी निर्धारित की गई है। आर्थिक नुकसान उपरोक्त कारणों से हुआ है।

(4) सिटी मानीटरिंग कमेटी गठित है। कमेटी की बैठक दिनांक 24.3.2000 के प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसार न्यायालय प्रकरण समाप्त किये गये व कमेटी बैठक दिनांक 15.7.2000 के अनुसार आबंटन की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित कर आवेदन पत्रों की जांच प्रारम्भ की जा चुकी है।

(5) जी हां। पालिका स्तर पर भूखण्ड आबंटन की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मार्च, 2002 तक पूरी कर ली जावेगी

(6) योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारणों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.9.2001 को हुआ है जिसके पश्चात् मामले में समुचित कार्यवाही की जा रही है।

(7) शहर की विभिन्न योजनाओं हेतु 67.77 लाख का ऋण प्राप्त हुआ था व मूलधन 16.97 लाख का भुगतान हुआ है तथा 50.80 लाख मूलधन बकाया है। पालिका मण्डल की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने से समय पर भुगतान नहीं हो पाता है व मण्डल द्वारा दिनांक 27.10.2001 को ऋण माफ कराने की कार्यवाही हेतु निर्णय लिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

आर्य नगर विस्तार सीकर रोड जयपुर के भूखण्डों के अवैध कारखाने

350. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान (पीठ जयपुर) की खण्ड पीठ (डबल बैंच) द्वारा दिनांक 18.11.1999 को स्पेशल अपील (रिट) नं. 780/97 के निर्णय में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रही व्यापारिक गतिविधियों, कारखानों, आरा मशीनों एवं फैक्ट्रियों को बन्द करवाने हेतु आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक मानीटरिंग कमेटी का गठन कर छह माह में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि सीकर रोड मुरलीपुरा स्कीम के पास केडिया पैलेस के पश्चिम में आर्य नगर विस्तार 4ई (वी) के आवासीय भूखण्ड सं. 68, 69, 70 मै. गणपति हैण्डी क्राफ्ट के नाम से लकड़ी चीरने व फर्नीचर बनाने का कारखाना अवैध रूप से चलाया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय का स्मरण करवाते हुए आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, आयुक्त नगर निगम, जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर को सम्बन्धित आवासीय कालोनी के निवासियों द्वारा कई बार पत्र देने व दो बार आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को जानबूझकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन करने पर अवमानना कार्यवाही करने बाबत कानूनी नोटिस दिये जाने के उपरान्त अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(4) क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में उक्त कारखाना बन्द करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) डी.बी. स्पेशल अपील रिट 780/97 अमित जैन बनाम रिनेश गुप्ता व अन्य डी.बी. अपीलों में माननीय उच्च न्यायालय राज. पीठ जयपुर की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 18.11.1999 को निर्णय पारित किया गया कि आयुक्त, ज.वि.प्रा. निदेशक (आयोजना) सचिव, जविप्रा, वरिष्ठ नगर नियोजक, एम.पी. कलक्टर, सचिव, नगरीय एवं आवासन एवं आयुक्त नगर निगम को सम्मिलित करते हुए एक कमेटी का गठन किया जावे, यह कमेटी चार माह के अन्दर जयपुर शहर में जविप्रा अधिनियम 1982 के प्रावधानों के विरुद्ध आवासीय परिसरों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के भू-उपयोग परिवर्तन एवं निर्माण के सम्बन्ध में सर्वे करायेगी एवं उक्त सर्वे रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने के पश्चात् जविप्रा द्वारा

(स्वायत्त शासन मंत्री)

जविप्रा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 6 महीनों में कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी हां। आर्य नगर विस्तार 4ई(बी) के आवासीय भूखण्ड संख्या 67, 68, 69, 70 में गणपति हैण्डीक्राफ्ट के नाम से श्री सागरमल जांगिड़, श्री मुकेश जांगिड़ श्री बाबूलाल जांगिड़ एवं श्री इन्द्रपाल जांगिड़ द्वारा लकड़ी चीरने व फर्नीचर बनाने का व्यावसायिक कारखाना अवैध रूप से चलाये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है।

(3) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार जविप्रा में ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है।

(4) उपरोक्त अवैध कारखाना चलाने वाले व्यक्तियों को जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत नोटिस दिये जा चुके हैं एवं विधिक प्रक्रिया अपनाकर अवैध कारखाना हटवाया जा रहा है।

नगर विकास न्यास अलवर द्वारा जारी फर्जी पट्टे

351. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) एवं **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास अलवर के योजना क्षेत्र में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए 76 फर्जी पट्टों को तत्कालीन निदेशक एवं सचिव नगर विकास न्यास अलवर द्वारा दिनांक 31.5.2000 को निरस्त किए गये? निरस्त किए पट्टों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निरस्त किए गये पट्टों में नगर विकास न्यास के वर्तमान अध्यक्ष का भी एक पट्टा था?

(3) क्या यह सही है कि फर्जी पट्टा प्रकरण में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। वर्णित पट्टे अनधिकृत रूप से जारी पट्टों को सचिव न्यास द्वारा निरस्त किया गया। सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। जारी है। शीघ्र ही पूर्ण की जायेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान के सामने बने नाले के निर्माण में अनियमितता

352. **श्री सांवरलाल** (भिनाय) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान के सामने नाले पर निर्माण

(श्री सांवरलाल)

कार्य किया हुआ है? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति ने क्या-क्या निर्माण करवा रखा है?

(2) क्या उक्त निर्माण नियमानुसार सही है? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच कराई जा रही है? यदि हां, तो किसके द्वारा?

(3) क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी हां। हरिशचन्द्र लोक प्रशासन संस्थान के सामने श्री विजय शर्मा द्वारा पूल, आवास गृह, कार्यालय एवं नर्सरी और चारदीवारी का निर्माण किया हुआ है।

(2) जी नहीं। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 3.7.1999 को श्री विजय शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा लोक प्रशासन संस्थान के सामने जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर किये जा रहे निर्माण के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया था। जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में श्री विजय शर्मा द्वारा न्यायालय अपीलीय अधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में वाद दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया था जो स्थगन आदेश अभी तक प्रभावशील है। न्यायालय में आगामी तारीख पेशी 27.12.2001 नियत है।

(3) जी नहीं। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर द्वारा अनियमित आबंटित भूखण्ड

353. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला व तहसील जयपुर के ग्राम व ब्लाक विजय महल में श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर की कुल कितनी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं? उक्त योजनाएं किस खातेदार की किस-किस खसरा नम्बरान की कितनी-कितनी भूमि पर बसाई गई है? योजना का नाम, क्षेत्रफल आदि मय मानचित्र के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर द्वारा बनाई गई आवासीय योजना में खातेदार से क्रय की गई भूमि के साथ सिवाय चक सरकारी भूमि पर भी भू-खण्ड, सड़क अथवा अन्य सुविधाओं को प्रारूपित कर लिया गया? यदि हां, तो समिति ने कितनी सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री फतेह सिंह)

(3) क्या जिन खातेदारों से समिति ने उनकी कृषि भूमि खरीद की उन्होंने भी सरकारी सिवाय चक भूमि पर अपना पुराना कब्जा बताकर समिति को बेच दिया? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन खातेदारों ने अपनी कब्जे की सिवाय चक भूमि को बेचा है? मय नाम खातेदार व सिवाय चक भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें?

(4) क्या राजस्व कानूनों के तहत जयपुर नगर की सीमा में किसी खातेदार को अपने कब्जे की सिवाय चक भूमि को बेच देने का अधिकार प्राप्त है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जविप्रा द्वारा ग्राम विजय महल में श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर की 7 योजनाओं की क्रियान्विति की जाकर नियमन शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। योजना के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट "क" पर अवलोकनीय है एवं मानचित्र की प्रति परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

(2) गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति की बनाई गई आवासीय योजना (1) आनन्द कालोनी-II (2) गोविन्द नगर विस्तार (3) सीताराम पुरी द्वारा सरकारी सिवाय चक भूमि पर भी आवासीय भूखण्ड काटे थे, जिसका विवरण परिशिष्ट "ग" में अंकित कर दिया गया है।

(3) गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति को जिन खातेदारों ने अपनी भूमि बेची है वह स्वयं खातेदारी भूमि को ही समिति को बेचा है। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार खातेदार द्वारा सिवाय चक भूमि का विक्रय करना प्रतीत नहीं होता है।

(4) जी नहीं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चन्द्रा एवं सूर्या कंस्ट्रक्शन कम्पनी की स्वीकृत निविदाएं

354. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 जनवरी, 1999 से अक्टूबर, 2001 तक जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चन्द्र एवं सूर्या कंस्ट्रक्शन कम्पनी को कौन-कौनसी सड़कों के निर्माण/मरम्मत की स्वीकृति/निविदा खोली गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों पर उक्त कम्पनियों ने किस दिनांक से कार्य प्रारम्भ किया और उनको कब तक कार्य पूर्ण किया जाना था? सड़कवार कार्य अवधि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मंगलाराम गोदारा)

(3) क्या निविदा में निर्धारित अवधि में सड़कों का निर्माण कार्य हो चुका था? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी सड़कों पर निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया गया? क्या उक्त कारण उक्त पर शास्ती आरोपित की गई? सड़कवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त कम्पनियों से शास्ति वसूली की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 1999 से अक्टूबर, 2001 तक जयपुर विकास प्राधिकरण में मैसर्स सूर्या कंस्ट्रक्शन की निविदा खोली/स्वीकृत की गई थी सूची संलग्न है (परिशिष्ट "अ")। मैसर्स चन्द्रा कंस्ट्रक्शन कं. की कोई निविदा स्वीकृत नहीं की गई है।

(2) उक्त कम्पनियों द्वारा किये गये कार्य की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "ब")।

(3) जी नहीं। कुछ कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जा सका जो कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुए उनकी सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। उक्त कम्पनियों पर शास्ति नहीं लगाई गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के विचाराधीन खनिज पट्टे

355. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के कौन-कौनसे पहाड़ों से किस-किस प्रकार के खनिज पदार्थों अथवा खनिज पत्थरों का खनन कार्य कब से किया जा रहा है?

(2) उक्त क्षेत्र में कहां-कहां प्रधान/अप्रधान खनन पट्टे/अनुज्ञा पत्र किस-किस व्यक्ति/फर्म को कब से दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अब भी प्रधान/अप्रधान खनन पट्टे/अनुज्ञा पत्रों के लिए आबंटन पत्र विचाराधीन है? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के कहां के लिए और कब से? उक्त क्षेत्र की खनन खदानों में अब तक की गई प्रधान/अप्रधान खनिज (पत्थर व अन्य खनिज पदार्थों) लीज की प्लाटिंग मय नक्शा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में नई का नाथ, भोजपुरा, लालगढ़, खोरी, निमोरा, झर, बांसखो, गुमानपुरा, चैनपुरा, बस्सी, श्यामपुरा, गुलानिमोरिया क्षेत्रों में क्वार्टज, रेडआकर, व्हाइट क्ले, सिलिका सैण्ड चाइना क्ले एवं फैल्सपार खनिज तथा कुथाड़ा, तूंगा, नई का नाथ, बांसखो, राजाधौक, पीर

(राज्य मंत्री, खनिज)

की डूंगरी, चारणवास, बैनाड़ा, श्यामपुरा, भांखरी, ढिढोल, भोजपुरा, हाथीपुरा तथा निमोडिया क्षेत्रों से चेजा पत्थर, लाइम स्टोन व ग्रेनाइट खनिजों का खनन कार्य खनन पट्टों के प्रभाव में आने की तिथि से किया जा रहा है।

(2) उक्त क्षेत्रों में आबंटित पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र, प्रधान खनिजों तथा अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों की सूची मय विवरण संलग्न परिशिष्ट अ-1, अ-2 व अ-3 में दिया गया है।

(3) जी हां। प्रधान, अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों/पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र हेतु लम्बित आवेदन पत्रों की सूची व विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब-1, ब-2 व ब-3 में दिया गया है। खानों की प्लाटिंग का नक्शा संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम देवखेड़ा (टौंक) में बिना पूर्वेक्षण कार्य के जारी किए गए गारनेट खनन पट्टे

356. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रधान खनिज गारनेट हेतु खनन पट्टा जिस क्षेत्र के लिये दिया जाता है वह क्षेत्र पूर्व में वर्क एण्ड हैल्ड अथवा पूर्वेक्षण कार्य किया हुआ होना चाहिए? यदि नहीं, तो किस नियम/कानून के तहत सीधे खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम देवखेड़ा तहसील देवली, जिला टौंक में खनिज गारनेट का खनन पट्टा श्री इकबाल को वर्ष 2001 में सीधे स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो किस नियम/कानून के तहत।

(3) क्या उक्त स्वीकृत क्षेत्र पूर्व में वर्क एण्ड हैल्ड अथवा पूर्वेक्षण कार्य किया हुआ है? यदि नहीं, तो क्या उक्त आबंटन नियमानुसार सही हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में अन्य कितने व्यक्तियों को उक्त प्रकार खनिज गारनेट के सीधे खनन पट्टे बिना पूर्वेक्षण कार्य किये अथवा वर्क एण्ड हैल्ड नहीं रहे, क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त स्वीकृतिधारी वर्तमान सहायक शासन सचिव खान विभाग, शासन सचिवालय जयपुर के रिश्तेदार हैं? यदि हां, तो रिश्ता क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि सहायक शासन सचिव, खान विभाग के विरुद्ध अनेकों शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब तथा उक्त पर कब क्या जांच

(श्री मानिक चन्द सुराना)

व कार्यवाही की गई? शिकायतों पर जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त सहायक शासन सचिव गत कितने वर्षों से खान विभाग में ही लगातार कार्यरत हैं और कितनी पदोन्नतियां उन्होंने विभाग में रहते हुए पायी हैं? सरकार की नीति उक्त के बारे में क्या-क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधान खनिज का (गारनेट सहित) एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 5(2) के प्रावधानानुसार कोई भी खनन पट्टा जब तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता तब तक कि आवेदित क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य द्वारा अथवा अन्यथा आवेदित खनिज की उपलब्धता स्थापित नहीं हो गई हो।

(2) जी हां। यह सही है कि ग्राम देवखेड़ा तह. देवली जिला टौंक में खनिज गारनेट का खनन पट्टा क्षेत्र 5 हैक्टेयर श्री इकबाल पुत्र श्री हनीफ अहमद निवासी जयपुर को जुलाई, 2001 में स्वीकृत किया गया है। श्री इकबाल द्वारा आवेदित क्षेत्र पूर्व में श्री मोहम्मद युसुफ के पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र 52/91 के तहत धारित रह चुका था और इस क्षेत्र में वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक अजमेर में खनिज गारनेट की उपलब्धता बतायी है। एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 5(2) तथा एम.सी.आर., 1960 के नियम 22(4) के अन्तर्गत कार्यवाही कर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान द्वारा खनन पट्टा आबंटित किया है।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार खनन पट्टा आबंटन की कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत की गई है।

(4) राज्य में उपरोक्त के अलावा अन्य 4 पार्टियों को बिना पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत कराये खनिज गारनेट के खनन पट्टे आवेदित क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता के बारे में भू-वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत किये गये हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	नाम पार्टी	एम.एल.नं.	नि.ग्रा.व जिला	स्वीकृति दिनांक
1.	विजय प्रकाश मित्तल	10/66	खटवार तह. दूदू, जयपुर	6.6.2001
2.	सरदार मेहन्दर सिंह	19/2000	सरवाड़, अजमेर	6.6.2001
3.	सरदार मेहन्दर सिंह	20/2000	सरवाड़, अजमेर	7.9.2001
4.	श्रीमती किरण देवी	2/93	कोटुकोटा, भीलवाड़ा	20.1.2001

(राज्य मंत्री, खनिज)

(5) जी हां। उक्त पट्टाधारी श्री हनीफ अहमद, सहायक शासन सचिव, खान विभाग शासन सचिवालय, जयपुर के पुत्र है।

(6) जी हां। श्री हनीफ अहमद, सहायक शासन सचिव, खान विभाग के विरुद्ध श्री राकेश, श्री प्रदीप अग्रवाल, श्री राधा मोहन झालानी, श्री रामशरण अन्त्यानुप्रासी एवं दो गुमनाम शिकायतें शासन को मई, 2001 से नवम्बर, 2001 तक प्राप्त हुई हैं। शिकायतकर्ता श्री राकेश शर्मा, श्री प्रदीप अग्रवाल, श्री राधामोहन झालानी को उनके द्वारा दिये गये पते पर शिकायत के सम्बन्ध में तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित किये गये परन्तु तीनों के पत्र डाक विभाग से बिना वितरण के वापस प्राप्त हुए। श्री रामशरण अन्त्यानुप्रासी को भी शिकायत के सम्बन्ध में तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है। प्राप्त शिकायतों में इनके पुत्र एवं रिश्तेदारों के नाम खनन पट्टे आबंटन, अवैध खनन आदि के सम्बन्ध में निदेशक खान से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है। शिकायतों पर जांच कार्यवाही जारी है।

(7) सहायक शासन सचिव श्री हनीफ अहमद पदोन्नति पर दिनांक 1.5.2001 से निरन्तर खान विभाग में कार्यरत हैं और उन्हें अनुभागाधिकारी पद पर पदोन्नति खान विभाग में रहते हुए दी गई है। इससे पूर्व वे निम्नानुसार खान विभाग में पदस्थापित रहे हैं :—

अराजपत्रित

वरिष्ठ लिपिक—जनवरी 1993 से 17.4.1993 तक

सहायक — 30.4.1993 से 27.12.1999 तक

राजपत्रित

अनुभागाधिकारी (कार्यव्यवस्था) — 28.12.1999 से 22.12.2000 तक

अनुभागाधिकारी (पदोन्नति पर) — 23.12.2000 से 30.4.2001 तक

पदोन्नति के वक्त स्थानान्तरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार की कोई नीति बनी हुई नहीं है।

राजस्थान खनिज उद्योग संघ संस्था में अनियमितता

357. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) एवं **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में राजस्थान खनिज उद्योग संघ नाम से कोई संस्था कार्यरत है? यदि हां, तो उक्त के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी कौन-कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री आत्माराम मेघवाल)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त संघ के स्वयं भू-अध्यक्ष श्री विष्णु किशोर कट्टा हैं? क्या उक्त ने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिये उक्त संघ का दुरुपयोग किया है?

(3) क्या उक्त संघ द्वारा आज तक संघ के अन्य पदाधिकारियों एवं खननधारियों की समस्या के समाधान हेतु सरकार से पत्र व्यवहार किया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त संघ का पंजीकरण एवं मान्यता समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार को राजस्थान खनिज उद्योग संघ से लैटर हैड पर प्राप्त पत्रों पर अध्यक्ष का नाम श्री विष्णु किशोर कट्टा व महामंत्री का नाम श्री श्याम सुन्दर शर्मा छपा हुआ है। संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत जयपुर में पंजीकृत नहीं है।

(2) राजस्थान खनिज उद्योग संघ नाम से कोई संस्था पंजीकृत नहीं है।

(3) जी हां। कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं जिन्हें नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को भेजा गया है। चूंकि संस्था पंजीकृत ही नहीं है, अतः मान्यता समाप्त करने का प्रश्न नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के थानों में दर्ज आपराधिक प्रकरण

358. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रैल, 2000 से 31 अगस्त, 2001 के मध्य विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी स्थित थानों में कितने हत्या/तस्करी के मुकदमें दर्ज हुए? विवरण थानानुसार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज मुकदमों में कितनों में चालान किया गया तथा कितने आज भी अन्वेषण पूरा नहीं होने के कारण आम सबूत अदप वकुआ के कारण चालान नहीं किये जा सके?

(3) उक्त मुकदमों में से कितनों में अन्तिम रिपोर्ट दी गई?

(4) क्या यह सही है कि कई हत्याओं में पूर्ण सबूत एवं अभियुक्तों के नाम होने के बाद भी दोषियों को दोषमुक्त कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के अन्तर्गत 7 पुलिस थानों का क्षेत्र आता है। 1 अप्रैल, 2000 से 31 अगस्त, 2001 के मध्य इन थानों में हत्या के 6 व तस्करी के 192 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं। थानेवार दर्ज अभियोगों का निस्तारण सहित विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) उक्त दर्ज अभियोगों में से हत्या के 5 अभियोगों में व तस्करी के 191 अभियोगों में चालान किया गया है। हत्या व तस्करी के क्रमशः एक-एक अभियोग में अन्तिम प्रतिवेदन अदमपता मुलजिम दी गई है।

(3) उक्त में से 2 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट दी गई है।

(4) उक्त अवधि के दौरान दर्ज हत्या के किसी भी अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट अदमसबूत नहीं दी गई।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

जयपुर के थानों में दर्ज आपराधिक प्रकरण

359. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में वर्ष 1999 से मार्च, 2001 तक विभिन्न थानों में हत्या, लूटपाट, चोरी, डकेती एवं राहजनी के कितने मामले दर्ज किये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने प्रकरणों में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है और कितने शेष हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में वर्ष 1999 से मार्च, 2001 तक विभिन्न थानों में हत्या के 94, लूट के 99, राहजनी के 58, चोरियां 6873 व डकेती के 10 अभियोग पंजीबद्ध हुये हैं।

(2) उक्त प्रकरणों में से हत्या के 64, लूट के 50, राहजनी के 24, चोरियां 1239 एवं डकेती के 9 अभियोगों में चालान पेश अदालत में किये जा चुके हैं। शीर्षकवार विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

निरीक्षक के पद पर पदोन्नति में आरक्षित वर्ग की पूर्ति

360. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1985 के पश्चात् राजस्थान पुलिस (सिविल) में कितने उप निरीक्षकों को निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति दी गई? वर्षवार मय नाम सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1976 से 1982 तक चयनित सभी उप निरीक्षकों (सिविल) को अभी तक निरीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है? यदि हां, तो इन्हें पदोन्नति नहीं देने के क्या कारण रहे और कितने उप निरीक्षक अब तक उप निरीक्षक के पद पर ही कार्यरत हैं? विवरण मय नाम एवं नियुक्ति तिथि के सदन की मेज पर रखें।

(श्री मदन दिलावर)

(3) क्या सरकार जिन उप निरीक्षकों ने 20 वर्ष से अधिक सेवा कर ली है उन्हें विशेष अवसर प्रदान कर निरीक्षक के पद पर पदोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1985 के पश्चात् सिविल पुलिस में अब तक निरीक्षकों के पद पर हुई पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण की पूर्ति नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों? निरीक्षक पदो की पदोन्ति में बैठे उप निरीक्षकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने हेतु कोई विशेष अभियान चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1985 से 30.6.2001 तक कुल 846 उप निरीक्षक पुलिस को पुलिस निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई है। वर्षवार नामवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1976 से 1982 तक लोक सेवा आयोग से पुलिस उप निरीक्षक पद पर चयनित व्यक्तियों में से दिनांक 30.10.2001 तक पुलिस निरीक्षक के पद पर कुल 17 उप निरीक्षक पुलिस पदोन्नत नहीं हो सके, जिनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। उप निरीक्षक पुलिस (सिविल) से निरीक्षक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के तहत योग्यामक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नति दी जाती है। जो अभ्यार्थी उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाये उनको पदोन्नति नहीं दी गई। अतः ऐसे 17 उप निरीक्षक के पद पर ही कार्यरत हैं जिनकी सूची उपरोक्तानुसार परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के अन्तर्गत पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति से पूर्व पुलिस उप निरीक्षक पद के कर्मचारियों को योग्यात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् सफलतापूर्वक पी.सी.सी. पूर्ण करनी होती है, उसके पश्चात् ही पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान है तथा उक्त नियमावली के नियम 28 (बी) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रिक्त पदों की संख्या के 10 प्रतिशत पदों की सीमा तक, उत्कृष्ट कार्य करने वाले 20 वर्ष की बेदाग सेवा वाले पुलिस उप निरीक्षक पद के कर्मियों को पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित पी.सी.सी. करने के लिए राज्य सरकार मनोनीत कर सकती है।

(गृह मंत्री)

(4) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित 16 प्रतिशत व 12 प्रतिशत पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित रोस्टर अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है। पदोन्नति के समय आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित संख्या में योग्य एवं पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 7(4) के अनुसार आरक्षित वर्ग के रिक्त रहे पदों को अगले वर्ष नियुक्ति हेतु "केरी-फारवर्ड" किया जाता है। निरीक्षक पद की पदोन्नति में बैठे उप निरीक्षकों की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(5) जी नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या-361

(स्थगित)

जोधपुर हत्याकाण्ड में लिप्त दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

362. श्री अमराराम (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जोधपुर के श्री बृजराज सिंह बेड़ा हत्याकाण्ड की पुलिस जांच पूरी हो गई है? यदि हां, तो जांच में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या पुलिस ने उक्त घटना के पश्चात् कानून के अनुसार उचित तथा समयानुसार कार्यवाही की थी? यदि नहीं, तो क्यो?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम सूचना रिपार्ट दर्ज करने का निर्देश दिया गया? क्या उक्त जांच का आदेश देने से पूर्व पुलिस ने मृतक की मां की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार कर दिया था? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या उक्त सम्बन्ध में यह आपराधिक कृत्य नहीं था? यदि हां, तो क्या उक्त हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर के श्री बृजराज सिंह बेड़ा हत्या काण्ड के सम्बन्ध में अभियोग संख्या 65/2001 धारा 302, 201 भादस थाना मण्डौर जोधपुर का अनुसंधान दिनांक 10.7.2001 से सी.आई.डी. (सीबी) राज. जयपुर द्वारा किया जा रहा है। अनुसंधान जारी है।

(2) पुलिस द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

(3) घटित घटना के दिन दिनांक 23.8.2000 को श्री अशोक सिंह की रिपोर्ट पर मर्ग सं. 10/2000 अन्तर्गत धारा 174

(गृह मंत्री)

सीआरपीसी में पंजीबद्ध कर जांच प्रारम्भ की गई जो कार्यवाही विधिवत थी। दिनांक 17.10.2000 को मृतक बृजराजसिंह की माता श्रीमती मीरा सिंह ने एक रिपोर्ट उपस्थित थाना होकर पेश की। रिपोर्ट में बृजराज सिंह की मृत्यु की परिस्थितयों के बारे में संदेह प्रकट किया गया। क्योंकि मर्ग में पूर्व से मृतक की मृत्यु की परिस्थितियां एवं उत्पन्न संदेह के क्रम में मृत्यु की समीक्षा की जा रही थी। अतः इस प्रस्तुत शुदा रिपोर्ट में वर्णित बिन्दुओं पर तथ्यों के अनुरूप जांच जारी रखते हुए श्रीमती मीरासिंह की रिपोर्ट को शामिल मर्ग पत्रावली किया गया था। स्थानीय पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने हेतु कोई मनाही नहीं की गई थी। याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय जोधपुर के आदेश पर मर्ग जांच कार्यवाही में अभियोग संख्या 65/2001 धारा 302, 201 भादसं दिनांक 17.3.2001 थाना मण्डोर में पंजीबद्ध किया।

(4) प्रश्न के बिन्दु संख्या 3 के सम्बन्ध में अंकित उत्तर के अनुसार यह आपराधिक कृत्य नहीं था, क्योंकि स्थानीय पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई गई थी। अभियोग का अनुसंधान दिनांक 10.7.2001 से सी.आई.डी. (सीबी) राज. जयपुर द्वारा किया जा रहा है। यदि कोई पुलिस कर्मी/अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण के सम्बन्ध में दर्ज अभियोग का अनुसंधान जारी है।

जिला भरतपुर के थानों में दर्ज प्राथमिकी सूचनाएं

363. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रैल, 2001 से 30 सितम्बर, 2001 तक जिला भरतपुर में कितनी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई? संख्या सूची थानेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में पुलिस थाना कामां, पहाड़ी, जुरहरा, गोपालगढ़, सीकरी व नगर में दर्ज प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई? उक्त में कितने मुलजिम पकड़े गये व कितनों से माल बरामद हुआ और कितने अपराधी फरार हैं? विवरण मुकदमें व थानेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से किन-किन प्रकरणों में अन्तिम रिपोर्ट दी गई?

उत्तर

(1) 1 अप्रैल, 2001 से 30 सितम्बर, 2001 तक जिला भरतपुर के 23 थानों पर कुल 4504 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं। थानेवार संख्या सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में थाना कामां, पहाड़ी, जुरहरा, गोपालगढ़, सीकरी व नगर में दर्ज अभियोगों में की गई कार्यवाही व पकड़े गये मुलजिम तथा माल बरामदगी का विवरण परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(3) उक्त में से थाना कामां, पहाड़ी, जुरहरा, गोपालगढ़, सीकरी व नगर में दिनांक 1.4.2001 से 30.9.2001 तक कुल 366 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट दी गई, जिनका पूर्ण विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(सूची/विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

थाना मण्डावर (झालावाड़) में मृतक के गलत शिनाख्त

364. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि थाना मण्डावर जिला झालावाड़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 112/2000 श्री रमेश सैन की हत्या के सम्बन्ध में दर्ज हुई? यदि हां, तो कुल कितने अपराधी गिरफ्तार किये, कितने क्यों शेष हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस ने श्री रमेश सेन की लाश को श्री राजू पुत्र श्री पन्नालाल जाति भील निवासी भूर मण्डावर के नाम से शिनाख्त कर दाह संस्कार भी कर दिया था? यदि हां, तो गलत शिनाख्त करने वाले पुलिसकर्मी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई। क्या यह सही है कि श्री राजू पुत्र श्री पन्नालाल के 10-15 दिन बाद जिन्दा लौटने पर तथा इत्तला मिलने पर भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 14.12.2000 को श्री रमेश सैन के गुमशुदा होने की रिपोर्ट कोतवाली झालावाड़ में दर्ज की गई? यदि हां, तो रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई और विलम्ब के क्या कारण हैं?

(4) क्या मृतक का पोस्टमार्टम दिनांक 8.12.2000 को झालावाड़ चिकित्सालय में हुआ? यदि हां, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाना मण्डावर में दिनांक 9 सितम्बर, 2001 का प्रेषित की गई? यदि हां, तो इतने विलम्ब के क्या कारण रहे?

(5) क्या श्री रमेश सैन हत्याकाण्ड के मुख्य अभियुक्त श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री प्रेमशंकर के गिरफ्तारी व बयान के आधार पर अन्य श्री बबलू शर्मा पुत्र श्री शिवराम शर्मा को पुलिस ने मुलजिम बनाया? यदि हां, तो मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया?

उत्तर

(1) जी नहीं। थाना मण्डावर जिला झालावाड़ में अभियोग संख्या 112/2000 धारा 302, 201 आई.पी.सी. में श्री रमेश सैन की हत्या के सम्बन्ध में दर्ज नहीं हुआ। अनुसंधान व पतारसी के मृतक की पहचान श्री रमेश सैन पुत्र श्री राधेश्याम के रूप में हुई थी। इस अभियोग में एक अभियुक्त श्री रमेश शर्मा श्री भैरूंलाल निवासी चांदनियां खेड़ी को गिरफ्तार किया है। शेष अभियुक्तों के बारे में अनुसंधान जारी है।

(गृह मंत्री)

(2) जी नहीं। पुलिस द्वारा श्री रमेश सैन की लाश को राजू पुत्र श्री पन्नलाल भील निवासी भूढ़ मण्डावर के नाम से शिनाख्त करके दाह संस्कार नहीं कराया गया बल्कि प्रयासों के बावजूद भी लाश की पहचान नहीं होने पर सरपंच ग्राम पंचायत ओलाना व ग्रामवासियों के सहयोग से अज्ञात मृतक के रूप में अंतिम दाह संस्कार कराया गया। लाश की कोई गलत शिनाख्तगी पुलिस कर्मचारियों द्वारा नहीं की गई। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अज्ञात मृतक की व मुल्जिमान की तलाश के प्रयास जारी रहे।

(3) जी हां। यह सही है कि दिनांक 14.12.2000 को श्री बृजराज सैन पुत्र श्री राधेश्याम सैन निवासी झालावाड़ द्वारा अपने छोटे भाई रमेश सैन की गुमशुदगी के सम्बन्ध में सूचना दी गई जिस पर गुमशुदगी रपट संख्या 617 रोजनामचा आम थाना कोतवाली झालावाड़ में दर्ज कर श्री रमेश सैन की तलाश हेतु प्रयास किये गये। इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर कोई विलम्ब नहीं हुआ।

(4) यह सही है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा दिनांक 8.12.2000 को पोस्टमार्टम कराया गया था जिसकी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड द्वारा दिनांक 9.4.2001 को दी गई थी। पोस्टमार्टम विलम्ब से प्राप्त होने के कारणों के सम्बन्ध में पृथक से जांच करवाई जा रही है।

(5) मृतक के प्रियजनों द्वारा उच्चाधिकारियों को इस आशय का परिवाद पेश किया गया कि रमेश सैन की हत्या एक व्यक्ति द्वारा नहीं की जा सकती तथा इस हत्या काण्ड में अभियुक्त के अन्य रिश्तेदार भी लिप्त हैं। इस परिवाद के आधार पर इस प्रकरण में (1) श्री दिनेश शर्मा (2) बबलू उर्फ पवन कुमार (3) शिवराज शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध 173 (8) जा.फौ. में अनुसंधान जारी है।

जिला कोटा के पुलिस थानों में वाहन व्यवस्था

365. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्रामीण पुलिस थानों में उपलब्ध वाहन (जीप) से गम्भीर अपराधों को रोकने व जांच में उनकी कोई उपयोगिता है? यदि हां, तो किस प्रकार।

(2) थाना सीमल्या-बूठादीत, कनवाल जिला कोटा ग्रामीण क्षेत्र में जीप कब से क्यों उपलब्ध नहीं है?

(3) क्या सरकार उक्त थानों में जीप उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक।

(4) जिला कोटा के ग्रामीण क्षेत्र थाना बूठादीत, सीमल्या, कनवास, सुल्तानपुर में अप्रैल से 5 नवम्बर 2001 तक

(श्री हेमन्त कुमार)

कितने-कितने हत्या व गम्भीर प्रकृति के अपराध दर्ज हुए और उक्त में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामीण क्षेत्र के थानों में उपलब्ध वाहन (जीप) से गम्भीर अपराधों के रोकने व जांच कार्यों में महति उपयोगिता है। थानों की परस्पर दूरियां अन्य राज्यों की सीमाएं राज्य में लगी हुई होने से अपराधिक तत्व अपराध करके एक दूसरे की सीमा में आमद-रफ्त करते है, उन पर अंकुश व नियंत्रण तथा प्रभावी गस्त हेतु सरकारी वाहनों (जीपों) की उपयोगिता है।

(2) थाना सीमल्या में दिनांक 10.9.2001 से जीप उपलब्ध नहीं है। थाना सीमल्या हेतु जिप्सी संख्या आर. जे. 20 सी-2323 आबंटित थी। उक्त वाहन निर्धारित समयावधि एवं किलोमीटर पूर्ण करने पर तथा वाहन की कण्डीशन थाने की ड्यूटी योग्य नहीं होने के कारण तथा मरम्मत कार्य अधिक होने के कारण नकारा घोषित करने के पश्चात् स्टेट मोटर गैराज जयपुर में जमा कराने की कार्यवाही की जा रही है।

थाना बूढ़ादीत में दिनांक 20.2.2001 से तथा कनवास में दिनांक 03.11.2001 से जीप उपलब्ध नहीं है। थाना बूढ़ादीत की जीप संख्या आर. जे. 20 सी-2272 आबंटित थी, जो नकारा घोषित होने के उपरान्त मोटर गैराज में दिनांक 19.02.2001 को जमा करा दी गई। इसी कारण थाना कनवास की जीप संख्या आर. जे. 20 सी-0907 नकारा घोषित होने के कारण मोटर गैराज, जयपुर में भेजने हेतु पत्र व्यवहार जारी है।

(3) वाहनों का रिप्लेसमेंट सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वित्त विभाग के विचाराधीन है।

(4) थाना बूढ़ादीत, सीमल्या, कनवास, सुल्तानपुर में हत्या के 6 अभियोग दर्ज हुए हैं, जिनमें 5 अभियोगों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है तथा एक अभियोग में अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है। विवरण परिशिष्ट "अ" में उपलब्ध है। उक्त थानों में गम्भीर प्रकृति के कुल 31 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं, जिनमें 25 अभियोगों में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं तथा एक अभियोग में एफ.आर. अदम पता तथा शेष 5 में तफ्तीश जारी है। विवरण परिशिष्ट "अ" में उपलब्ध है, जो संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा शहर में यातायात की सुचारू व्यवस्था

366. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) एवं **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यातायात पुलिस, कोटा ने पुराने कोटा शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने हेतु कोई योजना बनाकर कार्यवाही शुरू की है ? यदि हां, तो यातायात व्यवस्थित नहीं रहने के क्या कारण हैं ?

(2) अब कब तक यातायात व्यवस्थित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। यातायात पुलिस कोटा ने पुराना कोटा शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने हेतु योजना बनाकर कार्यवाही शुरू की गई है।

यातायात अव्यवस्थित होने के निम्नलिखित कारण हैं :—

1) कोटा शहर में सबसे पुराना बाजार एवं शहर के सबसे बड़े मुख्य बाजार इस पुराने कोटा शहर में ही स्थित है, जिनमें सड़कें वही पुरानी है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस वजह से सड़कें सकड़ी पड़ती जा रही है।

2) इन बाजारों में वाहनों के लिए पार्किंग स्थलों की व्यवस्था नहीं है।

3) दुकानदारों द्वारा अपनी-अपनी दुकानों का सामान सड़क व फुटपाथ पर फैलाकर रखते हैं जिन्हें कई बार यातायात पुलिस द्वारा हटाया जाता है। उसके बाद में फिर रख देते हैं, इससे भी यातायात अवरुद्ध होता है।

(2) पुराने कोटा शहर में योजना बनाकर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा रही है एवं बाजार से लगते तीनों खाली स्थल नगर निगम कोटा से प्राप्त होने पर उक्त स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाकर पार्किंग व्यवस्था सुचारू की जावेगी।

जिला धौलपुर में वन भूमि पर अतिक्रमण

367. **श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** (बाड़ी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला धौलपुर में विभाग की भूमि पर किन-किन स्थानों पर कौन-कौन व्यक्तियों द्वारा कहां-कहां अवैध कब्जा किया हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में विभाग के लिए आरक्षित भूमि पर अवैध खनन कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

(3) उक्त जिले में विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में वृक्षारोपण कार्यक्रम में कितनी राशि व्यय की गई तथा उक्त कार्य कहां-कहां किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला धौलपुर में वन भूमि पर अवैध कब्जे करने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिवार, स्थलवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जिला धौलपुर के वन भूमि पर चोरी छुपे अवैध खनन के मामलों में विभाग द्वारा अप्रैल 1999 से अक्टूबर, 2001 के मध्य अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध 395 केसेज दर्ज किये जाकर 18,07,155/- रुपये का मुआवजा वसूल किया गया है।

(3) धौलपुर जिले में चालू वित्तीय वर्ष में कोई वृक्षारोपण कार्य नहीं करा गया है। गत वर्षों में कराये गये वृक्षारोपणों के संधारण, पौधशालों में पौध तैयारी पर चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर, 2001 तक 36.55 लाख रुपये की राशि (कार्य प्रभारित कर्मियों के व्यय सहित) व्यय की गई है। जिन कार्यों पर राशि व्यय की गई उसकी सूची परिशिष्ट "ख" अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला अजमेर में सड़क निर्माण पर व्यय

368. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत गत 2 वर्षों में जिला अजमेर में सड़कों का निर्माण हुआ है? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़क कब-कब कितनी-कितनी राशि की स्वीकृत की गई और कितना व्यय वास्तव में हुआ?

(2) क्या उक्त सड़कें पूर्ण गुणवत्ता के साथ निश्चित अवधि में पूर्ण हुई? यदि हां, तो कौनसी सड़क किस समय पूर्ण हुई एवं गुणवत्ता को किसने प्रमाणित किया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जिला अजमेर में स्वीकृत सड़कों की सूची, राशि एवं व्यय परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) उक्त सड़कें पूर्ण गुणवत्ता के साथ बनाई जा रही है, सभी सड़कों का पूर्ण करने का समय निकल चुका है। परन्तु कार्य प्रगति पर है। गुणवत्ता का प्रमाणीकरण, कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता गुण-नियंत्रण खण्ड द्वारा किया जाता रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखे)

ग्राम कुआगांव व बिचपुरी (बामनवास) हेतु सांसद कोटे से स्वीकृत पुलिया निर्माण

369. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति बामनवास के ग्राम कुआं गांव व बिचपुरी के मध्य पूर्व सांसद के कोटे से पुलिया स्वीकृत हुई थी? यदि हां, तो स्वीकृति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य को प्रारम्भ करवाये जाने के लिए कई बार पत्र लिखे गये तथा गर्वनिंग कौंसिल की मीटिंग में भी दो बार अधिशासी अभियन्ता गंगापुर ने निर्माण चालू करने का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो अब तक कार्य विलम्ब के क्या कारण हैं?

(3) क्या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाईमाधोपुर ने अपने पत्रांक 2022-24 दिनांक 20 फरवरी, 2001 को एक पत्र लिखकर अधिशासी अभियन्ता को कार्य प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये थे? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे लापरवाह अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध गम्भीर लापरवाही व बार-बार चेतावनियों के बावजूद कार्य शुरू नहीं करने पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और कब तक?

(5) क्या यह सही है कि कार्य विलम्ब के कारण उक्त पुलिया निर्माण पर अब अत्याधिक राशि व्यय होगी? यदि हां, तो कितनी तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त कार्य में जितनी राशि व्यय होगी वह सांसद विकास से ही कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। स्वीकृत पत्र की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त कार्य में विलम्ब, भूमि चयन विवाद के कारण हुआ।

(3) जी हां। पत्र की प्रति संलग्न है।

(4) कार्य में विलम्ब भूमि चयन के विवाद के कारण रहा है। कार्य में अधिशासी अभियन्ता स्तर पर कोई लापरवाही नहीं बरती गई।

(5) कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही पूर्ण होना सम्भावित है।

(पत्र की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

सरकारी अधिकारी द्वारा गैर सरकारी संस्था में नियुक्ति

370. **श्री ललित भाटी** (अजमेर पूर्व) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता अजमेर जोन अजमेर तथा अधीक्षण अभियन्ता अजमेर जोन अजमेर सिटीजन कौंसिल अजमेर जोन कि एक गैर सरकारी पंजीकृत संस्था है, में पदाधिकारी/सदस्य के पद पर आसीन है? क्या उक्त ने राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 18 के अनुसार संस्था में पद/सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व कार्मिक विभाग एवं राज्य सरकार से स्वीकृति मांगी थी? यदि हां, तो ऐसे पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारियों को पद/सदस्यता ग्रहण करने के लिए सरकार एवं कार्मिक विभाग द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्व अनुमति नहीं लेने पर राज्य सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 18 का उल्लंघन हुआ है? यदि हां, तो उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) से (3) जी नहीं। राज्य सरकार की स्वीकृति लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

चन्द्रा एवं सूर्या कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध अनियमितता शिकायतें

371. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिसम्बर, 1998 से अक्टूबर 2001 तक चन्द्रा एवं सूर्या कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा निर्मित कौन-कौन सी सड़कों पर निर्धारित मानदण्ड से कम मात्रा में बिटुमिन लगाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायतों के आधार पर सरकार ने कम्पनी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की है?

(3) क्या सरकार ने उक्त कम्पनियों के विरुद्ध डामर अनियमितताओं की जांच करवाई है? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) उपरोक्तानुसार कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(3) उपरोक्तानुसार कोई जांच नहीं कराई गई।

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की क्षतिग्रस्त सड़कें

372. श्री नानूराम ककरालिया (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में कौन-कौन सी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में जयपुर से जोबनेर, पचकोड़िया, भादवा, डूंगरीकलां आदि सड़कें काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं? यदि हां, तो कब से?

(3) उक्त सड़कों का निर्माण किस वर्ष में कराया गया था? उक्त सड़कों के निर्माण के पश्चात् उक्त की मरम्मत कब-कब कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त सड़कों का पुनः निर्माण/मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के पुनर्निर्माण/मरम्मत के लिये राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां, तो कितनी और कब?

(6) उक्त सड़क का मरम्मत कार्य अब तक चालू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? अब कब तक उक्त कार्य शुरू कराकर पूर्ण करा दिया जावेगा?

(7) क्या यह सही है कि ग्राम रायथल, तहसील आमेर से ग्राम डूंगरी खुर्द वाया रामपुरा (रायथल) तक ग्रेवल रोड का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो कब?

(8) क्या यह सही है कि उक्त ग्रेवल सड़क वर्तमान में क्षतिग्रस्त है?

(9) क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण/डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) जी हां। जिला जयपुर में जयपुर से जोबनेर, पचकोड़िया, भादवा, डूंगरीकलां सड़क पिछले कुछ वर्षों से क्षतिग्रस्त है।

(3) उक्त सड़कों का निर्माण वर्ष एवं नवीनीकरण कार्य वर्ष परिशिष्ट "अ" में ही अंकित कर दिया गया है।

(4) जी हां। निम्न सड़कों को सड़क अपग्रेडेशन योजना 2001-2002 के तहत सुधारीकरण हेतु प्रस्तावित है :—

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

क्र.सं.	सड़क का नाम	कि.मी.	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	जोबनेर कोड़ी सिनोदिया	3/0 से 5/0 एवं 10/0 से 15/0	17.50
2.	लालपुरा हिंगोनिया	3/0 से 7/0 एवं 8/0 से 10/0	15.00
3.	पचकोडिया से लोहरवाडा	4/0 से 6/500	6.25
4.	हरसोली से हिंगोनिया	3/0 से 6/0 एवं 6/0 से 11/0	20.00
5.	बागावास से बधाल	5/0 से 13/0 एवं 3 किमी.	28.00
6.	करणसर से भैसावा	0/0 से 6/0	15.00
7.	काजीपुरा से खण्डेल	0/0 से 3/0	7.5
8.	फुलेरा जोबनेर रोड	8/0 से 16/0	20.00
9.	सीकर रेनवाल पचकोड़िया सड़क	64/0 से 67/0	14.20
10.	फुलेरा साम्भर कालेज रोड	0/0 से 2/0	6.50

(5) जी हां। उपरोक्तानुसार।

(6) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2001-2002 में सड़क उन्नयन व सुदृढ़ीकरण योजना के तहत कार्य माह दिसम्बर से शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

(7) जी हां। इस सड़क का निर्माण वर्ष 1996-97 में करवाया गया था।

(8) जी हां। कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त है।

(9) जी हां। ग्राम रामपुरा को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत उक्त सड़क का डामरीकरण कार्य वर्ष 2007 तक या इससे पूर्व होना प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

राज्य में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अभियन्ता

373. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा), **श्री प्रभुलाल करसोल्या** (नैनवां) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के क्या नियम हैं? वर्तमान में कितने वर्ष अधिकतम प्रतिनियुक्ति पर किसी कर्मचारी को भेजा जा सकता है?

(2) श्री हरीश माथुर अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग कब-कब व कितनी अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर विभाग से बाहर रहे? क्या इनकी अवधि पूर्ण हो चुकी है? यदि

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

हां, तो वापस बुलाने की क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त अधिकारी अभी कहां कार्यरत हैं? क्या इनको वापस बुलाने के लिये कोई पत्र भेजा गया था? यदि हां, तो कब और उस पर कार्यवाही किसके आदेश द्वारा नहीं की गई थी?

(4) क्या उक्त दौरान श्री माथुर कभी जेल गये हैं? यदि हां, तो कब व क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144-ए में वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुंक्ति की शर्तें निर्धारित की गई है। जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। प्रतिनियुक्ति की निर्धारित अवधि की कोई सीमा नहीं है।

(2) श्री हरिशचन्द्र माथुर, अधिशासी अभियन्ता विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर निम्नप्रकार से कार्यरत रहे हैं :—

क्र.सं.	विभाग का नाम	अवधि कब से कब तक
1.	राज. पुल निर्माण निगम	26.6.1992 से 15.1.1998 तक
2.	एन.एच.ए.आई.	16.1.1998 से निरन्तर

जी नहीं। उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि राज्य सरकार के आदेश 1.4.2000 द्वारा दिनांक 31.1.2002 तक बढ़ाई गई है।

(3) श्री माथुर जयपुर में कार्यरत हैं।

जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्रथमतया दिनांक 21.1.2000 एवं दिनांक 4.2.2000 को पत्र लिखे गये थे बाद में एन.एच.ए.आई. के अनुरोध पर प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 31.1.2002 तक बढ़ाई गई है।

(4) जी हां। श्री हरिशचन्द्र माथुर अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा केस संख्या आरसी 16 (ए)/97 रजिस्टर्ड किया गया था। इन्हें दिनांक 1.9.1998 को 12.30 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा गया तथा दिनांक 2.9.1998 को जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया।

(नियमों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सूर्या/चन्द्रा कंस्ट्रक्शन कम्पनी को आबंटित अपूर्ण कार्य

374. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 जनवरी, 2000 से अक्टूबर, 2001 तक सूर्या कंस्ट्रक्शन कम्पनी एवं चन्द्रा कंस्ट्रक्शन को कौन-कौन सी सड़कों के निर्माण/मरम्मत के कार्य/निविदा किस-किस दिनांक को आबंटित की गई? सड़कवार निविदा राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मंगलाराम गोदारा)

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों पर उक्त कम्पनियों ने किस दिनांक से कार्य प्रारम्भ किया और उनको कब तक कार्य पूर्ण किया जाना था? सड़कवार कार्य अवधि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निविदा निर्धारित अवधि में उक्त सड़कों का निर्माण हो चुका था? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी सड़कों पर निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर शास्ति आरोपित की गई? सड़कवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त कम्पनियों से शास्ति वसूली जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सड़कवार सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) सड़कवार सूची परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(3) कोई शास्ति नहीं लगाई गई है या वसूल की गई है। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। जो कि अन्त में समय पर कार्य पूर्ण होने पर वापस हो सकती है। क्षतिपूर्ति का सड़कवार ब्यौरा परिशिष्ट "स" में संलग्न है।

(4) उक्त कम्पनियों से परिशिष्ट "स" में दर्शाये अनुसार क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जा चुकी है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला न्यायालय झालावाड़ द्वारा आशुलिपिकों की भर्ती में अनियमितताएं

375. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) एवं **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला एवं सत्र न्यायालय, झालावाड़ में आशुलिपिक की भर्ती परीक्षा में आशुलिपि पुस्तिका एवं अनुवाद पुस्तिका के ऊपर केवल स्लिप पंच करवाकर उसके ऊपर नाम और रोल नम्बर लिखवाये गये थे? यदि हां, तो क्यों? उक्त में मूल आशुलिपि की कापी एवं मूल अनुवाद कापी के ऊपर नाम और रोल नम्बर अभ्यर्थी द्वारा क्यों नहीं लिखने दिये गये?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों के चार बैच बनवाये गये थे और चारों बैंचों में एक ही मैटर का डिक्टेशन दिया गया था? यदि हां, तो प्रथम बैच के अभ्यर्थियों ने अगले तीनों बैचेज के अभ्यर्थियों को मैटर बता दिया? यदि नहीं, तो कैसे?

(3) क्या जिला एवं सत्र न्यायालय, झालावाड़ की नजर में उक्त दोनों प्रश्नों में उल्लिखित बातें हैं और सही प्रतीत होती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो क्या न्यायालय प्रशासन उक्त आशुलिपि परीक्षा

(श्री नन्दलाल पूनिया)

को निरस्त कर दोबारा परीक्षा आयोजित करने का विचार रखती है?

(4) क्या उक्त अपनाई गई प्रक्रिया में अनियमितता की आशंका है? यदि नहीं, तो कैसे?

उत्तर

(1) यह सही है कि अनुवाद पुस्तिका के ऊपर स्लिप पंच करवाकर उसके ऊपर नाम और रोल नम्बर लिखवाये गये थे। मूल आशुलिपि की कापी पर रोल नम्बर एवं नाम नहीं लिखने दिये गये क्योंकि पर्ची पर व आशुलिपि की कापी पर परीक्षा के तत्काल पश्चात् गुप्त गुढांक (कोड) आबंटित किये गये। यह कार्य स्वयं प्रभारी अधिकारी परीक्षा जिनके हस्ताक्षर एवं सील स्लिप पर एवं उत्तर पुस्तिका पर अंकित थे, उनके द्वारा किया गया। तत्पश्चात् स्लिपों को एक लिफाफे में सीलचिट कर जिला एवं सेशन न्यायाधीश को सुपुर्द कर दिया तथा कोड नम्बर लिख कर सभी उत्तर पुस्तिकाओं को जंचवाया गया। जब उत्तर पुस्तिकाएं जंच गई तत्पश्चात् डिकोड करने के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश के पास के सीलचिट लिफाफे को खोल कर स्लिपें पुनः उन उत्तर पुस्तिकाओं के कोड के अनुरूप लगाकर रोल नम्बर से परीक्षा फल तैयार किया। ऐसा करना उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के दौरान अभ्यर्थियों की पहचान (नाम व रोल नम्बर से भी) उजागर न हो और गोपनीयता बनी रहे इसलिए किया गया। कोड पद्धति परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता का अंग है एवं पारम्परिक प्रक्रिया है।

(2) यह सही है कि अभ्यर्थियों के चार बैंच बनाये गये थे क्योंकि परीक्षार्थियों की संख्या अत्यधिक (625) थी। एक बार में श्रुतिलेख करवाया जाना सम्भव नहीं था इसलिए अभ्यर्थियों के चार समूह बनाये गये और उन्हें एक ही मैटर का श्रुतिलेख दिया गया जिससे अभ्यर्थियों को समान आधार उपलब्ध हो और उनमें कोई विभेद न हो। प्रथम समूह की परीक्षा के उपरान्त उन्हें परीक्षा केन्द्र परिसर से बाहर भिजवा दिया गया और परिसर में प्रतीक्षारत आशार्थियों का दूसरा समूह को केन्द्र के भीतर लिया गया तत्पश्चात् इसी प्रकार तीसरा एवं चौथा समूह की परीक्षा ली गई। ऐसी अवस्था में जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा हो गई उनकी प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से मिलने की सम्भावना नहीं रखी।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य स्मरण शक्ति के आधार पर किसी अभ्यर्थी द्वारा उद्घोषक द्वारा बोले गये करीब दो पेज (560 शब्द) को याद रखना यथावत् किसी दूसरे को बता दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ की नजर में परीक्षा प्रणाली फुलप्रूफ गोपनीय पद्धति एवं एक ही मैटर का डिक्टेशन समानता का होकर समान मापदण्ड के सभी परीक्षार्थियों को परीक्षित

(विधि मंत्री)

किया गया है। परीक्षा प्रभारी उच्चतर न्यायिक सेवा के जिम्मेदार एवं विश्वसनीय अधिकारी हैं तथा परीक्षा पद्धति की जानकारी जिला एवं सेशन न्यायाधीश के ज्ञान में है। इसलिए आशंका निराधार एवं निर्मूल है। परीक्षा को निरस्त करने का कोई औचित्य एवं आधार नहीं है।

(4) धांधली की आशंका ही निर्मूल है क्योंकि गोपनीयता एवं निष्पक्षता बनाये रखने की पूर्ण सावधानी बरती गई है।

जिला नागौर में कार्यरत ग्रिड सब स्टेशनों पर भार

376. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में कुल कितने 132/220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रिड सब स्टेशनों का स्वीकृत भार कितना है? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सब स्टेशनों पर स्वीकृत भार के बराबर विद्युत आपूर्ति जनवरी, 2001 से जून, 2001 तक नहीं दी गई जिससे जिले में उक्त अवधि में विद्युत आपूर्ति मात्र तीन चार घंटे प्रतिदिन ही की जा सकी?

(4) अब उक्त ग्रिड सब स्टेशनों पर स्वीकृत भारत के बराबर आपूर्ति कब तक चालू कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) वर्तमान में नागौर जिले में 132/33 के.वी. के 11 तथा 220/132 के.वी. के 3 सब स्टेशन कार्यरत हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) ग्रिड सब स्टेशनों का स्वीकृत भार नहीं होता है। 220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशनों को विद्युत आबंटन मांग व उपलब्धता के अनुसार विद्युत प्रसारण निगम द्वारा किया जाता है जो कि घटता-बढ़ता रहता है। नागौर जिले में कार्यरत उक्त 220/132 के.वी. व 132/33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशनों पर वर्तमान में भार क्षमता का विवरण उपरोक्त परिशिष्ट "अ" में दर्शा दिया गया है।

(3) विद्युत आपूर्ति मांग के आधार पर की जाती है परन्तु उपलब्धता की कमी अथवा विद्युत तंत्र में खराबी के कारण कमी कभी-कभी सम्भव है। जनवरी, 2001 से जून 2001 के दौरान 6 से 7 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की गई।

(4) वर्तमान में उपलब्धता के आधार पर मांग के अनुरूप 6 से 7 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

जिला जैसलमेर/बाड़मेर में ऊर्जा उत्पादन का सर्वे

377. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार का जिला बाड़मेर और जैसलमेर में विद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापित करने का विचार है? यदि हां, तो कहां-कहां पर किस-किस प्रकार का कब-कब कितनी-कितनी क्षमता व लागत के? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में विद्युत उत्पादन के क्या-क्या साधन कहां-कहां पर उपलब्ध हैं जिनका उपयोग सरकार किस प्रकार से कब तक करना चाहती है?

(3) क्या सरकार ने उक्त सर्वे कराया गया है कि उक्त जिलों में उपलब्ध साधनों का उपयोग करके कितनी बिजली पैदा की जा सकती है? यदि हां, तो उक्त सर्वे रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में ग्राम गिराल में एक लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत उत्पादन गृह लगाने हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट उपयुक्त पाये जाने के पश्चात् ही क्षमता का पता चलेगा एवं इसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जिला बाड़मेर में विद्युत उत्पादन हेतु लिग्नाइट उपलब्ध है, जिसे तापीय विद्युत हेतु उपयोग में लिया जाना सम्भव है।

(3) उक्त जिलों में उपलब्ध लिग्नाइट का उपयोग किया जायेगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट उपयुक्त पाये जाने के पश्चात् ही क्षमता का पता चल पायेगा एवं इसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

पंचायत समिति इटावा (कोटा) के अविद्युतीकृत ग्राम

378. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा जिला कोटा के ग्राम कोकरा व भीपूरा को विद्युतीकृत करने के आदेश किये गये हैं? यदि हां, तो कब व उक्त कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या थी?

(2) क्या उक्त ग्राम लम्बे समय के बाद भी मौके पर विद्युतीकृत नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त ग्रामों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला कोटा की पंचायत समिति इटावा के ग्राम मिरोड, कांकरा व श्रीपुरा को विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1998-99 में प्रस्तावित किया गया था तथा उसी वर्ष में विद्युतीकरण किया जाना था।

(2) उक्त ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1998-99 में ठेका दिया गया था परन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य न करने से विद्युतीकरण नहीं हो सका, इसके लिए ठेकेदार को दण्डित भी किया गया है।

(3) जी हां। उक्त गांवों को वर्ष 2001-02 में विद्युतीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

विद्युत वितरण निगम अजमेर द्वारा अभियन्ताओं के स्थानान्तरण

379. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक अजमेर विद्युत वितरण निगम ने अपने आदेश क्रमांक 1618 दिनांक 20 जनवरी, 2001 के द्वारा दो अधिशासी अभियन्ताओं का स्थानान्तरण किया? यदि हां, तो किस-किस का और कहां-कहां- और क्यों? उक्त आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश में अंकित अधिकारी अजमेर कम्पनी में नहीं था और एक आदेश में ही तीनों कम्पनियों में घुमाया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा क्या उक्त प्रकार का आदेश जारी रहने का अधिकार उक्त अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को था? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों किया गया?

(3) उक्त अधिकारी ने कौन-कौनसी कम्पनियों में जाने का ओप्शन कब-कब दिया और योजना अनुसार कब-कब देना था? उक्त ओप्शनों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार की राय में उक्त आदेश सही है? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो उक्त बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर विद्युत वितरण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने आदेश संख्या 1618 दिनांक 20.01.2001 के द्वारा श्री नटवरलाल शर्मा, अधिशासी अभियन्ता का सीकर से चिड़ावा स्थानान्तरण तथा इन्द्रराज सिंह अधिशासी अभियन्ता, जो कि जयपुर विद्युत वितरण निगम से जोधपुर तथा बाद में अजमेर विद्युत वितरण निगम में आये थे को अपने क्षेत्र में प्रावैधिक सहायक, अधीक्षण अभियन्ता (पवस) सीकर के पद पर पदस्थापित किया था। यह स्थानान्तरण/पदस्थापन निगम की प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किये

(ऊर्जा मंत्री)

गये थे। आदेश की प्रति परिशिष्ट "क" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। अजमेर विद्युत वितरण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने अपने आदेश क्रमांक 1618 दिनांक 20.01.2001 के द्वारा श्री इन्द्रराज सिंह, अधिशासी अभियन्ता को अजमेर विद्युत विरतण निगम में आने के बाद सीकर में पदस्थापित किया है, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। इससे पहले जयपुर विद्युत वितरण निगम से जोधपुर विद्युत वितरण निगम में तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम से अजमेर विद्युत वितरण निगम में स्थानान्तरण क्रमशः राज्य सरकार ने अपने आदेश संख्या प. (15) ऊर्जा/2000 जयपुर 21.12.2000 व प. (15)(1) ऊर्जा 2000 दिनांक 18.01.2001 के द्वारा किया था।

(3) उक्त अधिकारी ने दिनांक 3.8.2000 को अपना विकल्प पत्र जयपुर डिस्काम से प्रथम वरींयता पर प्रसारण निगम तथा द्वितीय वरीयता पर अजमेर डिस्काम के लिए दिया। योजना के अनुसार विकल्प पत्र 17.8.2000 तक देय था। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.12.2000 को जारी अधिसूचना में भूलवश उनका अन्तरण जोधपुर डिस्काम में कर दिया गया। अधिकारी द्वारा इस विषय में प्रतिवेदन दिया गया तथा इसे स्वीकार करके उन्हें राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.1.2001 को जारी अधिसूचना द्वारा पूर्व अधिसूचना में संशोधन करते हुए उन्हें उनके द्वितीय वरीयता के विकल्प के अनुसार अजमेर डिस्काम में अन्तरित कर दिया गया। उनके विकल्प पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं की प्रतिलिपि परिशिष्ट अ, ब, स व द पर संलग्न है।

(4) चूंकि अन्तरण मूलतः कर्मचारियों तथा अधिकारियों के इच्छित कम्पनी में उचित अवसर तथा स्थान पाने के लिए उनके हितों को देखते हुए किये गये थे और कर्मचारियों के हित में थे इसलिए उचित है। अब कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(अधिसूचनाओं की प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला पाली के स्वीकृत प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

380. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम जोजावर (पाली) में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन तथा ग्राम कोलर व घनेड़ी में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन कब स्वीकृत हुए थे तथा इन्हें कब तक पूर्ण किया जाना था ?

(2) क्या सरकार इन्हें पूर्ण कर इसी वित्तीय वर्ष में चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(श्री केसाराम चौधरी)

(3) क्या सरकार जोजावर में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन चालू होने के बाद ग्राम गुड़ा केसर सिंह में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो वहां पर वोल्टेज सुधार हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

(1) ग्राम जोजावर (जिला पाली) में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन को वर्ष 1998-1999 की वार्षिक योजना में सम्मिलित करने के लिए स्वीकृत किया गया, जिसे दो वर्षों में पूर्ण किया जाना था (2000-01)। ग्राम कोलर व धनेड़ी में 33 के.वी. सब स्टेशन क्रमशः वर्ष 1994-95 व 1997-98 में स्वीकृत हुए थे तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृति के बाद के वर्षों में निर्माण किया जाना था।

(2) जी हां। ग्राम जोजावर में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन को अब जनवरी, 2002 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। ग्राम कोलर में 33 के.वी. सब स्टेशन वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पूर्ण कर चालू किया जा चुका है तथा ग्राम धनेड़ी में सब स्टेशन दिनांक 8 नवम्बर, 2001 को चालू किया जा चुका है।

(3) जोजावर में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन चालू होने के पश्चात् आवश्यकता होने पर तकनीकी व वित्तीय साध्यतानुसार इस क्षेत्र में 33 के.वी. सब स्टेशन बनाने की कार्यवाही की जावेगी।

हरा चारा उगाने हेतु दिये गये कनेक्शनों की विद्युत दरें

381. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षों में अकाल के दौरान राज्य सरकार ने हरा चारा उगाने की स्कीम के तहत प्रदेश के काश्तकारों को उनके कुओं पर कनेक्शन, विशेष स्कीम के तहत दिये गये थे? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितने कुओं का उक्त स्कीम के तहत कनेक्शन दिया गया? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कुओं के कनेक्शन पर विद्युत चार्ज सामान्य विद्युत दरों से काफी अधिक वसूला जाता है? यदि हां, तो सामान्य स्कीम के कुएं एवं हरा चारा उगाने की स्कीम के तहत विद्युतीकृत कुएं में विद्युत दर प्रति यूनिट में तुलनात्मक रूप से कितनी राशि अधिक वसूली जाती है?

(3) हरा चारा उगाने की विशेष स्कीम के तहत विद्युतीकृत हुये कुएं पर कितनी अवधि के बाद सामान्य चार्ज करने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अकाल के दौरान वर्ष 1999-2000 में राज्य सरकार द्वारा हरा चारा उगाने की स्पेशल स्कीम के तहत कृषि कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया था जिसमें माह अक्टूबर, 2001 तक दिये गये कनेक्शनों की जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। उक्त वर्णित स्पेशल स्कीम जो पूर्णतः स्वैच्छिक थी तथा इसमें जो कृषक वरीयता लांघ कर कनेक्शन लेना चाहते थे उनके लिए सामान्य विद्युत दरों से अधिक दर से वसूलने का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में सामान्य श्रेणी में कृषि उपभोग की दर 90 पैसा प्रति यूनिट के सापेक्ष स्पेशल स्कीम में 165 पैसे प्रति यूनिट लिये जाने का प्रावधान है।

(3) उक्त वर्णित स्पेशल स्कीम के तहत दिनांक 31.3.2000 तक जारी कनेक्शनों को इनके नीचे वाली वरीयता के कनेक्शन साधारण श्रेणी में होने की तिथि से बिजली का बिल साधारण श्रेणी की विद्युत दर से वसूलने का प्रावधान है। तत्पश्चात् स्पेशल स्कीम में जारी कनेक्शन को उपभोग दर में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने का प्रावधान है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

अभियन्ताओं द्वारा गैर सरकारी संस्था की सदस्यता

382. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता अजमेर जोन अजमेर तथा अधीक्षण अभियन्ता अजमेर जोन अजमेर सिटीजन कौंसिल अजमेर जो कि एक गैर सरकारी पंजीकृत संस्था है, में पदाधिकारी/सदस्य के पद पर आसीन है? क्या उक्त ने राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 18 के अनुसार संस्था में पद/सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व कार्मिक विभाग एवं राज्य सरकार से स्वीकृति मांगी थी? यदि हां, तो ऐसे पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारियों को पद/सदस्यता ग्रहण करने के लिये सरकार एवं कार्मिक विभाग द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्व अनुमति नहीं लेने पर राज्य सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के नियम 18 का उल्लंघन हुआ है? यदि हां, तो उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्तमान में सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (अजमेर जोन) श्री एच.आर. पूनिया व अधीक्षण अभियन्ता (अजमेर वृत) श्री के.एल. नागपाल सिटीजन कौंसिल के किसी भी पद पर या सदस्य नहीं है।

(2) सदस्य न होने के कारण स्वीकृति का कोई प्रश्न नहीं है।

(3) जब सदस्यता ही नहीं है, तो किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

सहायक अभियन्ता भांकरोटा (जयपुर) द्वारा अनियमितताएं

383. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अक्टूबर 2000 में सहायक अभियन्ता 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन भांकरोटा, जयपुर के विरुद्ध मस्टररोल में अनियमितता कर फर्जी भुगतान करने के सम्बन्ध में विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यालय में सरकारी सामान की चोरी एवं गबन के सम्बन्ध में पुलिस में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त शिकायत की जांच विजिलैंस टीम द्वारा की गई? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त शिकायत में लिप्त सहायक अभियन्ता पूर्व में भी निलम्बित हो चुका है? यदि हां, तो उक्त अधिकारी को इतने-इतने दीर्घकाल तक एक ही स्थान पर पदस्थापित रखे जाने के क्या कारण हैं?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण में सहायक अभियन्ता एवं अन्य दोषी अधिकारियों का अन्यत्र पदस्थापन कर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त सम्बन्ध में श्री ए. के. वर्मा सहायक अभियन्ता के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत की प्रति परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सहायक अभियन्ता 132 के.वी. जी.एस.एस. भांकरोटा, जयपुर के द्वारा कार्यालय से सरकारी सामान की चोरी की रिपोर्ट संख्या 372/98 एवं 24/2000 दर्ज करवाई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रति परिशिष्ट 'ब' पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। इस शिकायत की सतर्कता शाखा के पुलिस उप निरीक्षक

(ऊर्जा मंत्री)

द्वारा जांच माह नवम्बर, 2000 में करवायी गई थी। जांच में शिकायत निराधार पाई गयी। जांच रिपोर्ट की छाया प्रति परिशिष्ट "स" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी हां। मण्डल आदेश सं. राराविमं/जांच/सी-6662/प्रे. 4911 दिनांक 28.11.96 के द्वारा सहायक अभियन्ता को निलम्बित किया गया था एवं उन्हें चार्ज शीट भी दी गई। दिनांक 31.12.1997 के आदेश द्वारा श्री वर्मा सहायक अभियन्ता को निर्दोष मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त की गई एवं निलम्बनकाल का समस्त भुगतान किया गया। श्री ए.के. वर्मा सहायक अभियन्ता दिनांक 20.9.1998 से 132 के.वी. जी.एस.एस., भांकरोटा में कार्य कर रहे हैं।

(5) उक्त प्रकरण में अधिकारी दोषी नहीं पाया गया। अतः उनके विरुद्ध किसी तरह की कार्यवाही किये जाने का विचार नही है।

(शिकायत की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लक्ष्मीतारा सिनेमा नागौर का विद्युत कनेक्शन

384. श्री हबीबुर्रहमान (मूंडवा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लक्ष्मीतारा सिनेमा, नागौर का विद्युत कनेक्शन कब तक करा दिया जावेगा और उक्त कनेक्शन कब से कटा हुआ है?

(2) उक्त का बिल कब जमा कराया था और अब तक कनेक्शन चालू नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) लक्ष्मीतारा सिनेमा, नागौर का विद्युत कनेक्शन दिनांक 17.10.1999 को बकाया राशि जमा न कराने के कारण काट दिया गया था। बकाया राशि मय ब्याज व स्थाई विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कनेक्शन को पुनः चालू करवाने सम्बन्धित निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर कनेक्शन चालू कर दिया जावेगा।

(2) उपभोक्ता द्वारा दिनांक 31.07.2001 को ब्याज छूट योजना के तहत कोर्ट केस वापस लेने की शर्त मानकर बकाया राशि 4,71,712/- रुपये में से 3,54,913/- रुपये जमा करवाये हैं। उपभोक्ता पर 4,71,712/- रुपये में से बकाया रही राशि, ब्याज व गुणांक अंतर (10/94 से 8/95 की अवधि) का 89,150/- रुपये 74 पैसे अभी भी बकाया है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता ने कोर्ट केस वापस लेने का प्रमाणित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करवाया है। उपभोक्ता में बकाया राशि होने के कारण कनेक्शन पुनः चालू नहीं किया जा सका है।

जिला कोटा में संचालित अनाथ आश्रम में अनियमितताओं की जांच

385. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा में इमानुएल बाइबल समिति जो वर्ष 1981 से संचालित है तथा बाद में इमानुएल अनाथ आश्रम कैथून रोड रायपुर कोटा से पंजीकृत कराया हुआ है इसकी कोटा शहर में अनेक शाखाएं हैं उसमें अभी तक कितने बालक/बालिकाएं किस-किस उम्र के कब-कब आये? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक अनाथालय में कितने बच्चों ने प्रवेश पाया तथा वर्तमान में कितने बालक-बालिकाएं अनाथालय में निवास कर रहे हैं?

(3) अब तक प्रत्येक वर्ष बालक बालिकाएं अनाथालय छोड़कर किसके साथ कब-कब किस उद्देश्य से कहां-कहां गये तथा अनाथालय छोड़कर गये बच्चों को किसके सुपुर्द किया?

(4) उक्त बालक/बालिकाओं में से कितने बालक/बालिकायें पादरी बन गये तथा कितने ईसाई धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं एवं कितने लोग स्वयं का व्यवसाय या सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में कहां-कहां कब से कार्य कर रहे हैं? प्रत्येक बालक/बालिकाओं का नाम व माता/पिता/संरक्षक का नाम व पता का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग में इस नाम से कोई संस्था पंजीकृत नहीं है तथा न ही कोई अनुदान विभाग द्वारा इस नाम से किसी संस्था को दिया जाता है।

(2) विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(3) विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(4) विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-386

(स्थगित)

जिला नागौर के कस्बा लाडनूं में अनुसूचित जाति के छात्रावास

387. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कस्बा लाडनूं (नागौर) में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति का छात्रावास संचालित है? यदि हां, तो उक्त में कितने छात्रों को प्रवेश देने की क्षमता है?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष उक्त छात्रावास में प्रवेश क्षमता बढ़ाकर सरकार ने पचास के बजाए साठ कर दी है? यदि हां, तो बढ़ाई गई छात्र संख्या के छात्रों को कब प्रवेश दिया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने आदेश की अवहेलना करके उक्त

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(छात्रावास) के लिए बढ़ाई छात्रों की संख्या को स्थानीय अधिकारियों ने किसी दूसरे छात्रावास को स्थानान्तरित कर दी है? यदि हां, तो क्यों? उक्त सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

(4) क्या सरकार उक्त छात्रावास के लिए बढ़ाई गई छात्रों की संख्या के अनुसार छात्रों को प्रवेश दिलायेगी और गलत कार्यवाही करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो किनके विरुद्ध कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कस्बा लाडनूं में अनुसूचित जाति का छात्रावास संचालित है। उक्त छात्रावास में 50 छात्रों को प्रवेश देने की क्षमता है। माह जुलाई, में 50 छात्रों को प्रवेश दिया गया जिसे सितम्बर, 2001 में बढ़ाकर 60 कर दी गई है।

(2) जी हां। उक्त छात्रावास में इस वर्ष सरकार ने छात्र संख्या पचास से बढ़ा कर साठ कर दी है। बढ़ाई गई छात्र संख्या के अनुरूप छात्रों को प्रवेश दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

(3) जी नहीं। उक्त छात्रावास में बढ़ाई गई छात्र संख्या को किसी दूसरे छात्रावास में स्थानान्तरित नहीं की गई।

(4) जी हां। बढ़ाई गई छात्र संख्या के अनुरूप ही उक्त छात्रावास में छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। गलत कार्यवाही नहीं की गई है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-388

(स्थगित)

जिला जालौर के छात्रावासों में अधीक्षक के रिक्त पद

389. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जालौर में विभाग द्वारा संचालित कितने छात्र/छात्राओं के छात्रावास हैं और वे कहां-कहां संचालित हैं?

(2) क्या उक्त छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक पद स्थापित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां, कौन-कौन अधीक्षक पद स्थापित हैं?

(3) क्या उक्त किसी छात्रावास में अधीक्षक पद स्थापित नहीं हैं? यदि हां, तो सरकार की पदस्थापित करने की क्या मंशा है?

उत्तर

(1) जालौर जिले में 9 छात्र/छात्राओं के छात्रावास उनके नाम के आगे अंकित स्थानों पर संचालित हैं :—

1. राजकीय अनु. जाति छात्रावास, सायला
2. राजकीय अनु. जाति छात्रावास, बागरा

(समाज कल्याण मंत्री)

3. राजकीय अनु. जाति छात्रावास, सांचौर
4. राजकीय अनु. जनजाति छात्रावास, जालौर
5. राजकीय अनु. जनजाति छात्रावास, रानीवाड़ा
6. राजकीय अनु. जाति छात्रावास, भीनवाल
7. राजकीय अनु. जाति छात्रावास, सायला
8. राजकीय स्वच्छकार छात्रावास, जालौर
9. राजकीय अनु. जाति कन्या छात्रावास, जालौर

(2) जी हां। निम्न चार छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक पदस्थापित हैं :—

1. राज. अनु. जाति छात्रा., बागरा श्री राजाराम, छात्रावास अधीक्षक
2. राज. अनु. जनजाति छात्रा., जालौर, श्री सौभागमल खोरवाल, छात्रावास अधीक्षक
3. राज. अनु. जनजाति छात्रा., रानीवाड़ा श्री अब्दुल मजीद, छात्रावास अधीक्षक
4. राज. स्वच्छकार छात्रावास, जालौर श्री मधुकर तिवाड़ी, छात्रावास अधीक्षक

(3) जी हां। निम्न पांच छात्रावासों में अधीक्षक पदस्थापित नहीं हैं :—

1. राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, सायला
2. राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, सांचौर
3. राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास, भीनमाल
4. राजकीय स्वच्छकार छात्रावास, सायला
5. राजकीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, जालौर

इन पदों को भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

ग्राम पालड़ी मीणा में शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा वरुण विहार "ए" के भू-खण्डों का कब्जा

390. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति, जयपुर द्वारा आगरा रोड स्थित ग्राम पालड़ी मीणा, जयपुर में वरुण विहार "ए" आवासीय कालोनी में भू-खण्ड आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो भू-खण्ड संख्या सहित आवंटियों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति द्वारा ग्राम पालड़ी मीणा में वरुण विहार "ए" आवासीय कालोनी में काटे गये आवासीय भू-खण्ड संख्या 38, 39,

(श्री भगवान सहाय सैनी)

40, 41, 48, 69 के आबंटियों को अभी तक न तो साइड प्लान दिया गया है और न ही वास्तविक कब्जा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त समिति के विरुद्ध वरुण विहार "ए" कालोनी के किसी/किन्ही आबंटी द्वारा राज्य सरकार को शिकायत प्रस्तुत की गई है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त समिति द्वारा ग्राम पालड़ी मीणा में वरुण विहार "ए" आवासीय कालोनी का साइट प्लान जयपुर विकास प्राधिकरण में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है? यदि हां, तो साइड प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त समिति द्वारा वरुण विहार "ए" आवासीय कालोनी में जिन पट्टेधारियों को वास्तविक कब्जा एवं साइड प्लान उपलब्ध नहीं कराया है उन्हें समिति वास्तविक भूमि का कब्जा मय साइट प्लान उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी. हां। भू-खण्ड संख्या सहित आबंटियों के नाम की सूची परिशिष्ट "एक" पर संलग्न है।

(2) शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा पालड़ी मीणा में वरुण विहार "ए" कालोनी का सम्पूर्ण रिकार्ड प्रशासक, समिति को नहीं सम्भलाया है। उक्त कालोनी के भू-खण्ड संख्या 38, 39, 40, 41, 48, 69 के आबंटियों को साइट प्लान व वास्तविक कब्जा दिलाये जाने की जानकारी उपलब्ध कराये गये रिकार्ड में नहीं है।

(3) जी हां। अधिनियमान्तर्गत शिकायतकर्ताओं को अधिनियम की धारा 75 में वाद प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

(4) जी नहीं।

(5) प्रशासक, शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर के पास पूर्ण रिकार्ड के अभाव में पट्टाधारियों को वास्तविक कब्जा एवं साइट प्लान उपलब्ध कराने की जानकारी नहीं है।

पूर्व पदाधिकारियों से प्रशासक को समिति का रिकार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। रिकार्ड प्राप्ति पश्चात् वांछित कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति, सांगानेर (जयपुर) द्वारा किसान कार्ड वितरण में अनियमितता

391. श्री अरूण सिंह (डीग) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम सेवा सहकारी समिति, सीतापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की आम सभा की बैठकें समिति के विधान के अनुसार होती हैं? यदि हां, तो समिति की गत 10 वर्षों में आम सभा की बैठक कब-कब हुई? समिति के विधान की प्रति तथा गत 10 वर्षों में आयोजित बैठकों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत आम सभा ने सदस्यों को लाभांश वितरण का निर्णय लिया था? यदि हां, तो अब तक सदस्यों को लाभांश का वितरण क्यों नहीं किया गया है तथा अब कब तक लाभांश का वितरण कर दिया जावेगा?

(3) क्या सहकारिता विभाग ने सहकारी समिति के व्यवस्थापकों के स्थानान्तरण की समय सीमा निर्धारित कर रखी है? यदि हां, तो कितनी? क्या ग्राम सेवा सहकारी समिति सीतापुरा के व्यवस्थापक काफी लम्बे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं? क्या सरकार इनका स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्य केवल सदस्यों को ऋण वितरण करना ही है? यदि नहीं, तो समिति इसके अलावा कौन-कौनसी गतिविधियां चलाती है? क्या उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वस्तुओं का वितरण किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या किसानों को किसान कार्ड हेतु चिह्नित किया है? यदि हां, तो अब तक कितने किसानों को किसान कार्ड वितरित कर दिये गये हैं तथा कितनों को कार्ड देना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त समिति का स्वयं का भवन है? यदि हां, तो कहां और नहीं, तो क्या उक्त समिति किराये के भवन में संचालित है? क्या समिति द्वारा स्वयं का भवन निर्माण के प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या? मकान मालिक के नाम तथा किराये की राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। ग्राम सेवा सहकारी समिति, सीतापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की आम सभा की बैठकें समिति के विधान के अनुसार नहीं हुई हैं। गत दस वर्षों में समिति की आम सभा की बैठकें दिनांक 4.2.1991, 15.2.1993, 20.11.1997 व 23.1.2001 को सम्पन्न हुई हैं। गत दस वर्षों में समिति की आम

(सहकारिता मंत्री)

सभा की चार बैठकें हुई हैं। समिति के विधान की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। गत आम सभा ने सदस्यों को लाभांश का वितरण करने का निर्णय नहीं लिया था। संचालक मण्डल द्वारा दिनांक 15.12.2001 को प्रस्तावित आम सभा में प्रस्ताव पारित कराकर लाभांश वितरण अंगीकृत उप नियमों अनुसार किया जावेगा।

(3) जी नहीं। सहकारिता विभाग में सहकारी समिति के व्यवस्थापकों के स्थानान्तरण की समय सीमा निर्धारित नहीं का है। ग्राम सेवा सहकारी समिति, सीतापुरा के व्यवस्थापक वर्ष, 1986 से इस समिति में कार्यरत हैं। सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों का स्थानान्तरण राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में न होकर व्यस्थापकीय सेवा नियम, 1991 के नियम 10 के अनुरूप किया जाता है, जो इस प्रकार है :—

"व्यवस्थापक का स्थानान्तरण साधारणतया एक समिति से दूसरी समिति में नहीं किया जावेगा। किन्तु विशेष परिस्थितियों में अधिशासी अधिकारी द्वारा बैंक के अध्यक्ष की अनुमति से स्थानान्तरण किया जा सकेगा।"

(4) जी नहीं। उक्त ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्य केवल सदस्यों को ऋण वितरण करना ही नहीं है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य अपने कार्य क्षेत्र के कृषकों, कमजोर वर्ग के लोगों, लघु व सीमान्त कृषकों, ग्रामीण दस्तकारों एवं कृषि श्रमिकों की सहायता एवं आर्थिक उन्नति, इन्हें सघन ऋण एवं अन्य सेवाएं उपलब्ध कराकर करना है। समिति द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने के साथ-साथ खाद-बीज व कीटनाशकों की आपूर्ति भी की जा रही है। समिति द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वस्तुओं का वितरण नहीं किया जा रहा है।

(5) जी हां। समिति द्वारा 395 किसानों को किसान कार्ड वितरण करने हेतु चिह्नित किया गया है। इनमें से 322 सदस्यों को किसान कार्ड वितरण किया जा चुका है। शेष 73 सदस्यों को किसान कार्ड देना प्रस्तावित है।

(6) जी हां। समिति का भवन सीतापुरा ग्राम में स्थित है। समिति ने इसके अलावा भवन किराये पर भी लिया हुआ है। समिति ने स्वयं के भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन का आवेदन ग्राम पंचायत श्रीराम की नांगल को किया हुआ है। भूमि आबंटन होने पर भवन निर्माण की कार्यवाही की जावेगी वर्तमान में समिति के किराये के भवन के मालिक श्री बाबूलाल पुत्र श्री नानगराम बागड़ा, ग्राम आशावाला है तथा किराये की राशि 1200/- रु. प्रतिमाह है।

(विधान की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कुजटी तहसील लूणकरणसर में सदस्यों को बकाया भुगतान

392. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कुजटी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि. ग्राम कुजटी तहसील लूणकरणसर ने दिनांक 21.01.1999 से 27.1.1999 व 7.2.1999 से 7.3.1999 तक के मध्य दुग्ध उत्पादकों द्वारा दिये गये दुग्ध का भुगतान अब तक नहीं किया है? यदि नहीं, तो क्यों? दुग्ध उत्पादकों की कितनी-कितनी राशि अब तक बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 28.6.2001 द्वारा दुग्ध उत्पादकों को चुकारा किये बिना ही क्षेत्रीय विधायक को यह सूचना दे दी कि दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनके बकाया भुगतान के प्रकरण का निपटारा करवा दिया गया है? उरमूल के प्रबन्ध संचालक द्वारा उक्त गलत सूचना देने के सम्बन्ध में क्या रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जयपुर को दिनांक 2.8.2001 को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया एवं गलत सूचना देने की जांच का निवेदन किया गया? यदि हां, तो उक्त रजिस्ट्रार द्वारा उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त रजिस्ट्रार, जयपुर या संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बीकानेर ने उक्त विवाद के निपटारे के लिये धारा 75 राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम के तहत अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की है?

उत्तर

(1) कुजटी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि. ग्राम कुजटी, तहसील लूणकरणसर ने दिनांक 7.2.1999 से 7.3.1999 तक की अवधि के मध्य दुग्ध उत्पादकों द्वारा दिये गये दुग्ध का समिति के खरीद रजिस्टर के अनुसार किसी सदस्य का कोई भुगतान बकाया नहीं है। अवधि दिनांक 21.1.1999 से 27.1.1999 तक की अवधि की जिन दुग्ध उत्पादकों की राशि बकाया है उनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है, क्योंकि भूतपूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान अध्यक्ष के मनमुटाव के कारण भुगतान अभी तक दुग्ध उत्पादकों को नहीं हुआ है।

(2) जी हां। रजिस्ट्रार इस सन्दर्भ में संयुक्त रजिस्ट्रार, खण्ड बीकानेर को जांच सौंपी है। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त होना अपेक्षित है।

(3) राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 75 के तहत कोई वाद रजिस्ट्रार जयपुर या संयुक्त रजिस्ट्रार बीकानेर को प्रस्तुत नहीं किया जाने के कारण कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

प्रबन्ध निदेशक, राजफैड द्वारा विदेश यात्राओं पर व्यय राशि

393. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में राजफैड के प्रबन्ध निदेशकों ने कितनी बार विदेश यात्राएं की हैं?

(2) उक्त विदेश यात्राओं में किस अधिकारी ने कितनी अवधि के लिये किस-किस दिवस की यात्रा कब-कब की है? विवरण सदन की मेज पर रखें? उक्त यात्राओं का खर्चा राज्य सरकार ने वहन किया अथवा किसी संस्था ने वहन किया?

(3) उक्त यात्रा के लिये अधिकारी का खर्चा वहन किया उस संस्था को राजफैड ने कितना चंदा दिया?

(4) उक्त चंदा किस माह/वर्ष में दिया गया तथा विदेश यात्रा किस माह/वर्ष में की गई?

(5) उक्त यात्रा के बाद अधिकारी ने राजफैड में क्या सुधार लागू किये और उक्त यात्रा का सीधे रूप से क्या फल मिला?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों से राजफैड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा एक बार विदेश यात्रा की गई है।

(2) उक्त विदेश यात्रा राजफैड की तत्कालीन प्रबन्ध संचालक श्रीमती किरण सोनी गुप्ता (आई.ए.एस.) द्वारा दिनांक 25.10.1999 से 25.11.1999 तक चालस्टन (अमेरिका) की विदेश यात्रा की गई।

(3) आल इण्डिया कोआपरेटिव काटन फैडरेशन लि., अहमदाबाद को वर्ष 1998-99 का वार्षिक चन्दा दिनांक 21.9.1999 को 1.25 लाख तथा दिनांक 18.10.1999 को 1.25 लाख रुपये कुल 2.50 लाख रुपये भेजा।

(4) उक्त चन्दा सितम्बर, अक्टूबर, 99 में दिया गया तथा विदेश यात्रा माह अक्टूबर, नवम्बर, 99 में की गई।

(5) उक्त यात्रा से लौटने के पश्चात् दिनांक 09.12.1999 को इनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया।

रेलवे एम्पलाइज कोआपरेटिव बैंकिग सोसायटी लिमिटेड, जोधपुर में अवैध नियुक्ति

394. श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर रेलवे एम्पलाइज कोआपरेटिव बैंकिग सोसायटी लि., जोधपुर में अनियमितता के सम्बन्ध में राज्य सहकारी विभाग द्वारा जांच विचाराधीन है? उक्त जांच में दोषी पाये जाने वाले संस्था के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सहकारी समिति द्वारा किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति को नियम विरुद्ध अवैध नियुक्ति दी गई है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी समिति की जांच की जाने के कारण विभाग ने दिनांक 17.3.2001 को मल्टी स्टेट कोआपरेटिव एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाने के निर्देश दिये? उक्त निर्देशों पर अब तक कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि सहकारी समिति के शेयर धारक नये चुनाव की बराबर मांग करते आ रहे हैं? क्या सरकार उक्त के चुनाव करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। रेलवे एम्पलाइज कोआपरेटिव बैंकिंग सोसायटी लि., जोधपुर में अनियमितता के सम्बन्ध में राज्य सहकारी विभाग में मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट 1984 की धारा 69 के अन्तर्गत जांच विचाराधीन है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही नियमानुसार कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(2) यह सही है कि उक्त सहकारी समिति द्वारा एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को नियुक्ति दी गई है। उक्त नियुक्ति की वैधता के बारे में धारा 69 में जांच करवाई जा रही है।

(3) जी हां। विभाग को प्राप्त हुई शिकायत के क्रम में कराई गई प्राथमिक जांच के आधार पर विभाग ने सोसायटी को दिनांक 15.3.2001, 21.5.2001 एवं 31.7.2001 को निर्देश दिये। निर्देशों की अनुपालना नहीं करने के कारण सोसायटी के विरुद्ध मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु एक्ट की धारा 69 के अन्तर्गत जांच कराई जा रही है।

(4) जी नहीं। जी हां।

पंचायत समिति कुचामन सिटी (नागौर) में विधायक कोटे से कमरे के निर्माण की स्वीकृति

395. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बरजन पंचायत समिति कुचामन सिटी (नागौर) में विधायक कोटे से एक कमरे के निर्माण की स्वीकृति जारी हुई थी? यदि हां, तो उक्त स्वीकृति कब जारी हुई व कितनी राशि की जारी हुई तथा इसका निर्माण कब प्रारम्भ हुआ और निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

(2) उक्त निर्माण का लेआउट पंचायत के कनिष्ठ अभियन्ता ने कब दिया तथा निर्माण कार्य के दौरान उन्होंने इसका कब-कब निरीक्षण किया? निरीक्षण की तिथि व रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त निर्माण की माप पुस्तिका कब भरी गई व माप पुस्तिका के आधार पर कराये गये निर्माण का मूल्यांकन कितना हुआ? माप पुस्तिका की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त निर्माण में कितनी राशि बचाई गई है तथा उक्त राशि क्या वापस जिला ग्रामीण विकास विभाग, नागौर को भिजवाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त निर्माण का अंतिम भुगतान बकाया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर के आदेश संख्या 9525 दिनांक 19.10.2000 के द्वारा राशि 1,35,000 रुपये की जारी हुई थी। निर्माण कार्य दिनांक 1.12.2000 को प्रारम्भ हुआ तथा 23.3.2001 को पूर्ण कराया गया। विवरण संलग्न है। परिशिष्ट "क"।

(2) उक्त निर्माण कार्य का लेआउट पंचायत समिति कुचामनसिटी के कनिष्ठ अभियन्ता ने 1.12.2000 को दिया तथा निर्माण कार्य के दौरान कनिष्ठ अभियन्ता ने दिनांक 23.3.2001 को केवल एक बार कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण की रिपोर्ट संलग्न है। (परिशिष्ट "ख")

(3) उक्त कार्य की माप पुस्तिका दिनांक 17.4.2001 को भरी हुई व माप पुस्तिका के आधार पर कराये गये निर्माण का मूल्यांकन 1,29,874 रुपये हुआ। माप पुस्तिका की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "ग")

(4) उक्त निर्माण में 5126 रु. की राशि की बचत हुई, जिसका भुगतान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा नहीं किया गया। क्योंकि कार्य का भुगतान मूल्यांकन के आधार पर ही किया गया है। उक्त निर्माण पर अब कोई भुगतान बकाया नहीं है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्रीगंगानगर आगार के चालक को आर्थिक सहायता राशि का भुगतान

396. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जुलाई, 2001 में श्रीगंगानगर आगार में किसी चालक को हनुमानगढ़ में ड्यूटी पर गोली लगी थी? यदि हां, तो उक्त चालक को सरकार द्वारा क्या आर्थिक सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चालक को इलाज के दौरान कितनी-कितनी राशि दी गई तथा उसके

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

उपरान्त कितना मुआवजा दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त चालक को जो आर्थिक सहायता दी गई है, वह रोक दी गई है यदि हां, तो क्यों? अब रुकी हुई राशि का भुगतान सरकार कब तक करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि माह जुलाई, 2001 में श्रीगंगानगर आगार के चालक श्री जरनेल सिंह को निगम वाहन पर ड्यूटी देते हुए हनुमानगढ़ में गोली लगी थी। चालक को राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान परिवहन निगम द्वारा दी गई आर्थिक सहायता का विवरण भाग-2 मे दिया जा रहा है।

(2) हनुमानगढ़ टाउन के अस्पताल में चिकित्सा हेतु रुपये 1992/- का व्यय किया गया, एम्बुलेंस तथा अटेण्डेंट पर रु. 5000/- व जयपुर में चिकित्सा पर 8024/- रु. व्यय किये गये। स्वयं चालक को रु. 10000/- पृथक् से चिकित्सा हेतु अग्रिम दिया गया है। इस प्रकार रु. 25010/- का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही उक्त चालक कर्मचारी राज्य बीमा योजना से शासित है इसलिये कर्मचारी राज्य बीमा श्रीगंगानगर द्वारा रु. 7392/- का भुगतान भी किया गया है।

(3) जी नहीं। कर्मचारी राज्य बीमा द्वारा चालक को भाग-2 में दर्शाये अनुसार हित लाभ के पेटे रु. 7392/- का भुगतान किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा द्वारा इस प्रकरण में रोजगार चोट के अन्तर्गत दुर्घटना की स्वीकृति भी दिनांक 20.11.2001 को जारी कर दी गई है।

आटो मोबाइल वाहनों से प्रदूषण पर रोक

397. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा आटो मोबाइल वाहनों के लिये प्रदूषण नियमन प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य किया हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह कतई नहीं देखा जाता कि कोई वाहन प्रदूषण फैला रहा है? क्या वर्तमान में मात्र उसका प्रमाण पत्र रोका जाता है?

(3) क्या यह सही है कि कानून के अनुसार कोई भी वाहन निर्धारित मात्रा में अधिक अवांछनीय पदार्थों को वायुमण्डल में छोड़ने में प्रदूषण का दोषी होता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

(4) क्या यह सही है कि प्रमाण पत्र प्राप्त करना महज औपचारिकता है जो निर्धारित शुल्क अदा करने पर बिना निरीक्षण के प्राप्त हो जाता है?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम, 115 के प्रावधानों के अनुसार सभी मोटर वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा आकस्मिक प्रदूषण निरीक्षण के दौरान यह भी देखा जाता है कि कोई वाहन प्रदूषण नहीं फैला रहा है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहन के मालिकों को वाहन दुरुस्त कराकर प्रदूषण के मापदण्डों के भीतर लाकर अधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्रों से प्रमाण पत्र लाने हेतु पाबन्द किया जाता है।

(3) जी हां। प्रदूषण रोकने के लिए वाहनों की प्रदूषण जांच करवाकर प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया गया है। यह प्रमाण पत्र छह माह की अवधि के लिए मान्य होता है। छह माह बाद पुनः वाहन की प्रदूषण जांच करवाकर फिट होने पर ही प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वाहन की जांच कराकर प्रमाण पत्र नहीं लेने वाले वाहनों के विरुद्ध चालान किए जाते हैं।

(4) जी नहीं। अधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र मौके पर वाहनों की प्रदूषण जांच कर निर्धारित मानदण्ड से कम प्रदूषण पाये जाने पर ही प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करते हैं। इन केन्द्रों की समय-समय पर जांच की जाती है तथा निर्देशों की पालना न करने एवं अनियमितता बरतने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। गम्भीर आरोप होने पर इनके प्रमाण पत्र निरस्त भी किए जा सकते हैं।

जयपुर से बीची वाया खेड़ा श्री हनुमानजी बस का नियमित संचालन

398. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से बीची जाने वाली राजस्थान परिवहन निगम की बस पूर्व में प्रतिदिन खेड़ा श्री हनुमान जी होकर चलती थी, जिसे अब सप्ताह में मात्र दो दिन कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 23 जून, 2001 को उक्त बस को सायंकाल में खेड़ा श्री हनुमानजी नहीं ले जाया गया, जबकि बस में खेड़ा श्रीहनुमानजी की सवारियां बैठी हुई थीं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार मनमानी

(श्री अरुण सिंह)

करने वाले उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या उक्त सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों? शिकायत की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त बस को पुनः प्रतिदिन खेड़ा श्रीहनुमानजी होकर चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर से बीची वाया फागी माधोराजपुरा-खेड़ा हनुमानजी वाहन का संचालन माह सितम्बर, 1993 से किया गया था। तत्समय खेड़ा हनुमानजी से बीची तक का रास्ता कच्चा था एवं वर्षाकाल के दौरान उक्त मार्ग अवरूद्ध हो जाता था तब यह वाहन खेड़ा हनुमानजी तक ही संचालित किया जाता था। तत्पश्चात् माधोराजपुरा से बीची तक पक्की सड़क का निर्माण हो जाने पर यह बस सेवा माह जून, 1997 से सीधी बीची तक नियमित रूप से संचालित की जाने लगी, जो खेड़ा हनुमानजी नहीं जाती थी। लेकिन यात्रियों की भारी मांग पर इस बस सेवा को सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शनिवार को वाया खेड़ा हनुमानजी होकर संचालित किया गया क्योंकि उक्त दो दिवस को ही यात्री खेड़ा हनुमानजी के दर्शनार्थ आते-जाते हैं। सप्ताह में दो दिन संचालित किए जाने बाबत वर्ष 1999 में जारी आदेशों की प्रति परिशिष्ट "1" संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त बस सायंकाल 17:45 बजे बीची के लिए प्रस्थान हुई थी, निर्धारित शिड्यूल पर वाहन संचालित न करने बाबत शिकायत प्राप्त होने पर अनुबन्धित वाहन चालक श्री राजेन्द्र पाराशर को निगम सेवा से पृथक कर दिया गया है एवं परिचालक श्री प्रेमशंकर शर्मा को भविष्य के लिए चेतावनी दे दी गई है।

(3) जी हां। दिनांक 23.6.2001 को उक्त समय पर चालक की ड्यूटी पर श्री राजेन्द्र पारासर पुत्र श्री सोहनलाल, अनुबन्धित चालक थे जिनको कार्य सन्तोषजनक नहीं होने के कारण निगम सेवा से हटा दिया गया है तथा परिचालक की ड्यूटी पर श्री प्रेमशंकर शर्मा कार्यरत थे जिन्हें भविष्य हेतु चेतावनी देते हुए सतर्कता बरतने हेतु पाबन्द कर दिया गया है। तत्सम्बन्धी शिकायत की प्रति परिशिष्ट "2" संलग्न है।

(4) जी नहीं। जयपुर से बीची मार्ग पर संचालित बस सेवा को वाया खेड़ा हनुमानजी होकर केवल सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शनिवार को ही खेड़ा हनुमानजी के लिए यात्री भार उपलब्ध होता है क्योंकि इन्हीं दिवसों को यात्री दर्शनार्थ आते हैं। अन्य दिवसों में यात्री भार नगण्य रहता है। ऐसी स्थिति में उक्त बस

(यातायात मंत्री)

को प्रतिदिन खेड़ा हनुमानजी होकर संचालित किया जाना आर्थिक दृष्टि से निगम हित में न होने के कारण संचालित किया जाना सम्भव नहीं है।

(शिकायत की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अजमेरी गेट जयपुर से राजावत फार्म तक सिटी बसों का संचालन

399. श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेरी गेट से अग्रवाल फार्म एस.एफ.एस. चलने वाली सिटी बसें थड़ी मार्केट अग्रवाल फार्म पर ही रुक जाती हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में उक्त बसें राजावत फार्म एस.एफ.एस. अग्रवाल फार्म तक चलती थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त असुविधाओं के कारण एस.एफ.एस. के निवासियों को दो किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है ?

(4) क्या सरकार पुनः राजावत फार्म तक उक्त बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उक्त बसें थड़ी मार्केट की बजाय एस.एफ.एस. चौराहे पर रुकती हैं।

(2) जी नहीं। उक्त बसें एस.एफ.एस. चौराहे तक ही चलती हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। वर्तमान में राजावत फार्म होकर बसें चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजावत फार्म पर निगम बसों को खड़ी करने का स्थान नहीं है। बसों को खड़ी करने के स्थान को जे.डी.ए. द्वारा तारबन्दी कर दिए जाने से बसें एस.एफ.एस. चौराहे से घूमकर आ जाती हैं।

राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों का गोविन्दगढ़ (जयपुर) में ठहराव

400. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ऐसी सेवा भी है जो जयपुर-रींगस मार्ग पर चौमूं व गोविन्दगढ़ नहीं ठहरती है ? यदि हां, तो चौमूं व गोविन्दगढ़ नहीं ठहरने वाली बसों से सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बसों का ठहराव उक्त स्थानों पर नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(श्री भगवान सहाय सैनी)

(3) क्या यह सही है कि गोविन्दगढ़ स्टैण्ड पर प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक तथा सायंकाल 6 बजे से 8 बजे तक बसें नहीं ठहरने के कारण सैकड़ों यात्रियों को तीन-तीन घंटे तक स्टैण्ड पर खड़ा रहना पड़ता है?

(4) क्या सरकार उक्त समस्या का समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। चौमूं व गोविन्दगढ़ पर नहीं ठहरने वाली बसों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) ये बस सेवाएं सुविधा वाहनें एवं लम्बी दूरी की नान-स्टाप बस सेवाएं हैं, अतः इनका ठहराव निर्धारित नहीं किया हुआ है।

(3) जी, नहीं। गोविन्दगढ़ बस स्टैण्ड पर प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक एवं सायंकाल 6 बजे से 8 बजे तक जयपुर की ओर एवं सीकर की ओर जाने वाली बसें उपलब्ध हैं। विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है। इस विवरण को देखने से स्पष्ट होगा कि उक्त स्टैण्डों पर यात्रियों को तीन-तीन घंटे तक निगम बस का इन्तजार नहीं करना पड़ता है।

(4) चौमूं और गोविन्दगढ़ स्टैण्ड पर पर्याप्त मात्रा में बसें ठहरती हैं। जिनका विवरण खण्ड-3 के जवाब में दिया गया है। इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

दिल्ली हेतु वाया जयपुर-चौमूं बसों का संचालन

401. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर से दिल्ली वाया चौमूं चन्दवाजी होकर कोई राजस्थान पथ परिवहन निगम की बस सेवा चालू है? यदि हां, तो जयपुर से प्रस्थान समय कब-कब है? समय सारिणी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जयपुर से दिल्ली वाया चौमूं-चन्दवाजी होकर और अधिक निगम की बसों का रूट करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर से दिल्ली वाया आमेर-चन्दवाजी भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र होने से बसों के संचालन में समय अधिक लगता है? यदि हां, तो क्या उक्त बसों को वाया चौमूं होकर संचालन किया जावे तो समय की बचत हो सकती है?

(4) उक्त समस्या का समाधान अब कब से करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। जयपुर से दिल्ली के लिए वाया कोटपूतली होकर सीधा राष्ट्रीय उच्च मार्ग है तथा दिल्ली के लिए सीधा यात्री भार इसी मार्ग पर उपलब्ध है।

पूर्व में निगम द्वारा माह फरवरी, 99 से दिसम्बर, 99 एवं मई, 2000 से दिसम्बर, 2000 तक जयपुर से दिल्ली वाया चौमूं-चन्दवाजी मार्ग पर एक बस सेवा का संचालन प्रारम्भ किया गया था। इस बस सेवा को उक्त अवधि में औसतन यात्री भार क्रमशः 44 प्रतिशत एवं 55 प्रतिशत तथा आय प्रति कि.मी. औसतन 7.77 रु. व 10.36 रु. प्राप्त हुई जो आगार की संचालन लागत 15.20 रु. से कम है इसलिए इसका संचालन बन्द कर दिया गया।

(3) जी नहीं। चूंकि जयपुर से दिल्ली वाया आमेर-चन्दवाजी-कोटपूतली की तुलना में जयपुर से दिल्ली वाया चौमूं-चन्दवाजी मार्ग 8 कि.मी. अधिक दूरी का मार्ग है जिसके कारण अधिक किराया व अधिक समय लगने से पर्याप्त सीधा यात्री भार उपलब्ध नहीं होता है अतः वाया चौमूं होकर सेवा के संचालन से समय की बचत नहीं होगी।

जयपुर से दिल्ली वाया आमेर-चन्दवाजी मार्ग पर चार लेन का होने से बसें अधिक समय नहीं लेती हैं।

(4) भाग 2 व 3 में अंकित जवाब को देखते हुए चौमूं-चन्दवाजी होकर जयपुर-दिल्ली बस चलाया जाना निगम हित में नहीं है।

आसीन्द से जयपुर हेतु सीधी बस सेवा

402. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है की आसीन्द तहसील केन्द्र एवं धार्मिक स्थलों का विशेष केन्द्र है? क्या सरकार आसीन्द से जयपुर हेतु सीधी बस सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। आसीन्द से जयपुर सीधी बस सेवा के संचालन का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

आसीन्द से जयपुर आने वाले यात्रियों को सीधी बस सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से पूर्व में निगम द्वारा माह मार्च, 1997 से उदयपुर-जयपुर वाया गंगापुर-आसीन्द-गुलाबपुरा-विजयनगर-नसीराबाद-अजमेर होते हुए एक बस सेवा माह दिसम्बर, 1997 तक संचालित की गई थी परन्तु उक्त अवधि में इस बस सेवा की औसत आय प्रति कि.मी. मात्र 7.39 रु. ही रहने के कारण इसका संचालन बन्द कर दिया गया।

पुनः इसी मार्ग पर माह दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 1999 तक बस सेवा संचालित

(यातायात मंत्री)

की गई, परन्तु इस अवधि में भी बस सेवा की औसत आय प्रति किमी. 3.71 रु. ही प्राप्त हुई जो आगार की संचालन लागत 10.13 रु. से अत्यधिक कम होने के कारण अनार्थिक रहने से बन्द कर दिया गया।

परिवहन अधिकारी कार्यालय, जयपुर में वाहन लाइसेंस में अनियमितताएं

403. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों द्वारा 50 सी.सी. से अधिक क्षमता वाले दो पहिया वाहन यथा कायनेटिक स्टाइल (72 सी.सी.), कायनेटिक डीलक्स (100 सी.सी.), टी.वी.एस. स्कूटी (60 सी.सी.), बजाज स्प्रिट, आदि वाहन जिनमें न तो कोई हाथ से शिफ्ट करने वाल गियर होते हैं न ही पैर से शिफ्ट करने वाले गियर होते हैं, का पंजीयन मोटर साइकिल विद गियर की श्रेणी में किया जाता है? यदि हां, तो क्यों? क्या अलग-अलग किया जाता है? यदि हां, तो उक्त में किस-किस वाहन का किस-किस श्रेणी में पंजीयन किया जाता है?

(2) उक्त वर्णित वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों के स्थायी लाइसेंस मोटर साइकिल विद गियर के होने आवश्यक हैं अथवा मोटर साइकिल विदाउट गियर के? नियमानुसार किस श्रेणी का लाइसेंस उक्त वाहनों को चलाने हेतु मान्य है?

(3) क्या अधिकांश महिला, बालिका उक्त वाहनों को यह समझते हुए क्रय करती हैं कि उक्त वाहनों में किसी प्रकार के गियर नहीं होते हैं? क्या इनका पंजीयन मोटर साइकिल गियर की श्रेणी में किया जाता है?

(4) क्या उक्त वर्णित वाहनों को मोटर साइकिल विदाउट गियर श्रेणी के लाइसेंसधारी व्यक्ति चलाने के लिए अधिकृत हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सभी प्रकार के दुपहिया वाहन का पंजीयन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(27) के अन्तर्गत परिभाषित "मोटर साइकिल" की श्रेणी में किया जाता है इस परिभाषा में विद गियर अथवा विदाउट गियर के आधार पर मोटर साइकिल का वर्गीकरण नहीं किया गया है।

(2) प्रश्न के बिन्दु संख्या 1 में वर्णित वाहन कायनेटिक स्टाइल (72 सी.सी.), कायनेटिक डिलक्स (100 सी.सी.) विद गियर मोटर साइकिल है जिसमें स्वचालित गियर है। टी.वी.एस. स्कूटी (60 सी.सी.) में एस.टी.डी.. माड़ल तथा बजाज स्प्रीट मोटर साइकिल विदाउट गियर वाले मोटर साइकिल है। विदाउट गियर मोटर साईकिल चलाने के लिए व्यक्तियों को मोटर साइकिल विदाउट गियर श्रेणी का वाहन चालक लाइसेन्स लेना आवश्यक है। परन्तु यदि किसी व्यक्ति के पास मोटर साइकिल विद गियर श्रेणी का लाइसेन्स है तो वह व्यक्ति बिना गियर मोटर साइकिल

(यातायात मंत्री)

भी चला सकता है। गियर वाली मोटर साइकिल चलाने के लिए व्यक्ति को मोटर साइकिल विद गियर श्रेणी का लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

(3) विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस बिन्दु के दूसरे भाग का उत्तर इस प्रश्न के बिन्दु संख्या 1 में दिया गया है।

(4) उक्त वर्णित वाहनों में से विदाउट गियर श्रेणी के वाहन को ही मोटर साइकिल विदाउट गियर श्रेणी का लाइसेंसधारी चला सकता है इस प्रकार का लाइसेंसधारी विद गियर श्रेणी के वाहन को नियमानुसार नहीं चला सकता है।

अल्प बचत पुरस्कार में निकली मारुति कार की सुपुर्दगी

404. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अल्प बचत पुरस्कार की श्रेणी में "वाहन कंचन उपहार योजना" के अन्तर्गत प्रथम पुरस्कार "मारुति कार" योजना में सीकर जिले में श्री पंकज गिल पुत्र श्री राधाकृष्ण गिल के नाम से पुरस्कृत टिकट ई. 569305 पर एक मारुति कार पुरुस्कार के रूप में मिनी/मुख्य ड्रा दिनांक 24.4.2001 में निकली थी ?

(2) उक्त पुरस्कार मारुति कार पुरस्कार विजेता को अभी तक नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि अन्य सभी पुरस्कार विजेताओं को उनके पुरस्कार दिये जा चुके हैं ?

(3) उक्त में विलम्ब के लिये कौन अधिकारी दोषी हैं और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा पुरस्कार मारुति कार कब तक पुरस्कार विजेता को दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वाहन कंचन उपहार योजना के अन्तर्गत प्रथम पुरस्कार मिनी/मुख्य ड्रा में नहीं रखा गया था। किन्तु माह अक्टूबर, 2000, दिसम्बर, 2000 तक जिलों में संचालित की गई जिला स्तरीय उपहार योजना में प्रथम पुरस्कार मारूति कार रखी गई थी। सीकर जिले की जिला स्तरीय उपहार योजना में पुरस्कारों हेतु ड्रा दिनांक 24.4.2001 को निकाला गया था जिसमें प्रथम पुरुस्कार मारुति कार श्री पंकज गिल पुत्र श्री राधा किशन गिल के निःशुल्क कूपन ई 569305 पर निकला है।

(2) जिला स्तरीय उपहार योजना के अन्तर्गत रखे गये पुरस्कारों पर स्रोत पर आयकर पुरस्कार विजेता द्वारा जमा कराया जाना था। पुरस्कार विजेता श्री पंकज गिल द्वारा आयकर दिनांक 3.11.2001 को जमा कराया गया है। अतः पुरस्कार (मारुति कार) क्रय की कार्यवाही आयकर जमा कराने के बाद करायी जा रही है।

(3) विलम्ब के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है। मारुति कार पर पुरस्कार

(राज्य मंत्री, अल्प बचत)

विजेता को पुरस्कार प्राप्त करने से पूर्व स्रोत पर आयकर जमा कराया जाना आवश्यक है। पुरस्कार विजेता द्वारा दिनांक 3.11.2001 को आयकर जमा कराया गया है। अतः पुरस्कार विजेता को मारुति कार अब यथा शीघ्र एक सप्ताह में प्रदान कर दी जावेगी।

जिला झुंझुनूं को मिली प्रोत्साहन राशि से हुए निर्माण कार्य

405. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1998-99 से 2001-02 की अवधि में अल्प बचत कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला झुंझुनूं से मिली प्रोत्साहन राशि में से कौन-कौनसे निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये ?

(2) उक्त कार्यों में से कौन-कौनसे कार्य पूर्ण हो चुके हैं ?

उत्तर

(1) अल्प बचत कार्यक्रम के अन्तर्गत झुंझुनूं जिले को प्राप्त राशि में से निम्नानुसार निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये :—

वर्ष	निर्माण कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि रुपये
1998-1999	9	7,67,000/-
1999-2000	वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 90 दिनांक 1.4.1999 द्वारा प्रतिबन्ध लगाने के कारण कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई।	—
2000-2001	7	10,37,000/-
2001-2002 (31.10.2001 तक)	30	34,06,500/-
योग	46	52,10,500

स्वीकृत कार्यों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न सूची अनुसार उपलब्ध है।

(2) बिन्दु संख्या 1 के अनुसार संलग्न सूची के कालम संख्या 7 के अनुसार निम्न कार्य पूर्ण हो चुके हैं :—

वर्ष	सूची के क्रम संख्या
1998-99	1, 2, 3, 4, 5, 8 एवं 9
2000-2001	2
2001-2002	1, 2, 3, 4, 5 एवं 11

कुल 14 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मण्डियों के व्यापारियों को देय सुविधाएं

406. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या कृषि एवं विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या मण्डियों में व्यापारियों को सुविधा देने की दृष्टि से मण्डी प्रांगण में एस.टी.डी. बूथ, कम्प्यूटर सेंटर, धर्मकांटा आदि लगाने हेतु स्थान दिये जाने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हेतु भूमि आबंटित करने का विचार रखती है?

उत्तर

मण्डियों में सभी उपयोगकर्ताओं को सुविधा देने की दृष्टि से मण्डी प्रांगण में एस.टी.डी/पी.सी.ओ. बूथ एवं धर्मकांटा लगाने हेतु स्थान दिये जाने का प्रावधान है। कम्प्यूटर सेंटर हेतु वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में स्वीकृत सड़कों का निर्माण प्रकरण

407. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कृषि उपज मण्डी के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 से 2000-2001 में कौन-कौनसी सड़कें स्वीकृत की गईं और वर्तमान में कितनी सड़कें स्वीकृत किया जाना विचाराधीन है? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) अब अपूर्ण सड़कें कब तक पूर्ण करवा दी जाएंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1998-99 से 2000-2001 में विधान सभा क्षेत्र बस्सी कृषि उपज मण्डी समिति के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

1. सम्पर्क सड़क मूण्डली
2. सम्पर्क सड़क दामोदरपुरा
3. सम्पर्क सड़क सिण्डोली
4. सम्पर्क सड़क धोरेट

वर्तमान में नवीन सड़कों की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित मण्डी समितियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) जी हां।

(3) उपरोक्तानुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22 नवम्बर, 2001)

स्वायत्तशाषी संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्वाचित जन प्रतिनिधि

93. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम में पार्षदों, अध्यक्ष,

(श्री देवीसिंह भाटी)

सभापति के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? यदि हां, तो कब से तथा कितने-कितने प्रतिशत?

(2) अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पश्चात् उक्त आरक्षित पदों पर निर्वाचित व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, जाति, स्थाई पता, पद नाम, नगरपालिका, नगर परिषद्, निगम की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9(3ए) के अन्तर्गत वर्ष 1994 से आरक्षण की व्यवस्था है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये एस.सी. और एस.टी. की कुल जनसंख्या के अनुपात में जितना 50 प्रतिशत से कम रहता है उतने वार्ड आरक्षित किये जायेंगे। परन्तु यह आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 21 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जो पूर्व में वर्ष 1999 तक 15 प्रतिशत था। अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार है :—

1. एस.सी.	14.83 प्रतिशत
2. एस.टी.	2.51 प्रतिशत
3. अन्य पिछड़ा वर्ग	21.00 प्रतिशत

(प्रति संलग्न है)

(2) आरक्षित पदों पर निर्वाचित व्यक्तियों के नाम मय वांछित सूचना के वर्षवार सूची संलग्न है।

(वर्षवार सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से जिला परिषद्, बाड़मेर द्वारा विकलांग बेरोजगार अध्यापकों के साथ कथित अन्याय करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री प्रताप सिंह सिंघवी एवं एक अन्य सदस्य की ओर से केसरीसिंहपुर नगरपालिका के पांच पार्षदों को कथित निलम्बन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री सांवर लाल, सदस्य की ओर से अजमेर के विजयनगर नगरपालिका क्षेत्र में भूमि का नियमन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री ज्ञानचन्द पारख एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से पाली के बांगड़ चिकित्सालय में गरीब मरीजों से अत्यधिक शुल्क वसूलने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य की ओर से प्रतापगढ़ के जनजाति कन्या छात्रावास का ट्यूबवैल खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(12.01 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा अंकुश कीजिए। जब भी आते हैं अनर्गल आरोप सरकार पर लगाकर इस तरह का षड्यन्त्र करते हैं। इन पर प्रतिबन्ध लगाएये। यह हाउस कोई इनकी बपौती नहीं है। 10 आदमी खड़े हो जाएं और पूरे हाउस का टाइम जाया कर दें।

श्री सांवरलाल : आपकी बपौती है क्या हाउस ...(व्यवधान) आपके जैसे कई घूमते हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल है।

उसके बच्चों को जहर दिया जा रहा है, छुरी रखी जा रही है उसके ऊपर।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिए, पाइंट आफ आर्डर है।

श्री मदन दिलावर : मेरा भी पाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री सी. पी. जोशी : आप ही के लिये पाइंट आफ आर्डर है, विराजिए।

श्री मदन दिलावर : मेरा भी पाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले उनका पाइंट आफ आर्डर है, आपको भी सुनेंगे, विराजिए।

श्री सी. पी. जोशी : मैं आपका ध्यान रूल 307 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री मदन दिलावर : रूल की आड़ में खा जाओ आप, रूल का बहाना लेकर खा जाओ, एम.एल.एज. को खरीदने का प्रयास करो।

श्री सी. पी. जोशी : आप विराजो, आपको तकलीफ क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सिस्टम कर रखा है क्या इन्होंने। + + + कहां तकलीफ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 307 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। रूल 307 रेजीड्युअरी पावर देती है स्पीकर महोदय को। उपाध्यक्ष महोदय, 25 नवम्बर को दिल्ली में प्रिसाइडिंग आफिसर की मीटिंग है। इस मीटिंग के सम्बन्ध में अलग अलग स्टेट की असेम्बली कुछ

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सी.पी.जोशी)

निर्णय ले रही है। कल ही छत्तीसगढ़ की असेम्बली के युनानिमसली एक प्रस्ताव पास किया कि वैल में जो सदस्य आयेंगे, उसमें सारी पार्टी के आदमियों ने मिलकर निर्णय लिया, स्पीकर सूओमोटो उन आदमियों को बाहर निकालने का फैसला छत्तीसगढ़ की असेम्बली ने कल यूनानिमस लिया। उपाध्यक्ष महोदय, जो बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं इस रूल में पर्ची का कोई प्रोविजन नहीं है। तत्कालीन स्पीकर महोदय ने.... (व्यवधान) आपको तकलीफ है क्या? आप जाओगे क्या मतलब है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप तो बाहर ही मरवा दो एम.एल.एज. को जो यहां आयेंगे ही नहीं। आप तो मरवा दो जो यहां आपकी खिलाफत ही नहीं करेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, परम्पराओं पर भी सदन चलता है और यह परम्परा है।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमिशन से बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप बैठो। यह रूलिंग की पालना कर रहे हैं, ज़रा देखो।

श्री राजेन्द्र पारीक : लेकिन आप लोगों ने तो षडयंत्र बना लिया। तीन-तीन साल पुराने अखबार की कटिंग लेकर डा. किरोड़ी लालजी यहां पर खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान) क्या हो आप लोग?

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, यह कौन हैं?

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस को कंट्रोल करो तो मैं अपनी बात कर सकूं, यह कोई तरीका ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रहे हो आप।

श्री मदन दिलावर : मैं तो बहुत सीधा सादा आदमी हूं, वह करते हैं गड़बड़, पारीक साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप जैसा कोई सीधा ही नहीं है हाउस में।

श्री राजेन्द्र पारीक : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जीरो आवर में पाइंट आफ आर्डर उठाया नहीं जा सकता।

श्री सी. पी. जोशी : इसीलिए मैंने पहले उठाया है फिर पर्ची वाला मामला आ जाता। उपाध्यक्ष महोदय, आप जो फरमा रहे हैं मैं इस बात से बिलकुल भिज्ञ हूं आपने जो कमेंट किया उस बारे में। लेकिन यह पाइंट इसलिए इम्पार्टेंट है कि यह जो हमने रूल बनाये हैं उसमें पर्ची का कोई प्रोविजन नहीं है। तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने एक व्यवस्था दी। व्यवस्था इस बात के लिए दी कि कोई भी इश्यू इमरजेंसी का हो उसको उठाकर सदन के सामने पेश किया जाये। इस रूल में अलग-अलग नियमों के अन्तर्गत कुछ चीजें

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सी.पी.जोशी)

उठा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस शार्ट असेम्बली में आप नोट करें कि एक इश्यू एक बार नहीं दो-दो, तीन-तीन बार आया। एक इश्यू में पर्ची के माध्यम से मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाये जाएं। हम सार्वजनिक जीवन में हैं। हम यह छूट दे दें पर्ची के माध्यम से कि कानून की अवहेलना करके उस पर्ची का हम दुरुपयोग करें तो मैं समझता हूं कि हम सही परम्पराओं का निर्वहन नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, 25 नवम्बर को सारे हिन्दुस्तान के प्रिसाइडिंग आफिसर्स की मीटिंग हो रही है। हम चाहते हैं कि नियमों का पालन किया जाये। ऐसी व्यवस्था नहीं की जाये की जिससे परम्परा के आधार पर सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले आदमियों पर एकतरफा आरोप लगाये जाएं। अखबार में छप जाये, मंत्री अपनी बात कह नहीं सके, हमें सूचना नहीं मिले। मैं समझता हूं कि यह विरोधी पक्ष के लोगों ने जो इस सदन में यह परम्परा बना दी है कि आरोप लगाकर मंत्री की बात न सुनें, अपनी बात कह कर चले जायें इससे एक गलत परम्परा लोकतन्त्र में पड़ जायेगी और सरकार में काम करने वाले आदमी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि या तो आप स्ट्रिक्टली रूल के अन्तर्गत जो प्रोविजन हैं उसके अन्तर्गत नियमों का पालन करते हुए मुद्दों को उठाने दिया जाये या पर्ची की जो व्यवस्था है उसको अविलम्ब बंद किया जाये जिससे यह सरकार के सम्बन्ध में एक भ्रांति पैदा करने का काम करना चाहते हैं उसको रोका जाये। अन्यथा हमें भी यह मौका दिया जाये कि हम कह सकें कि विपक्ष के लोग पैसा खा कर लोगों की प्राइवेट प्रैक्टिस करने के नाम पर असेम्बली का दुरुपयोग करना चाहते हैं, बिजनेसमैन का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और सरकार को डाक में रखना चाहते हैं। यह परम्परा लोकतन्त्र के लिये स्वस्थ परम्परा नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रसाइडिंग आफिसर्स की मीटिंग में आप इन मुद्दों को उठाएं। राजस्थान की जो परम्परा रही है उन परम्पराओं का दुरुपयोग करके कुछ लोग जिनका क्रिमनल, कल तक तो आरोप लग रहे थे कि एम.एल.ए. क्रिमनल है, जो लोग क्रिमनल एक्टिविटी में जेल में बंद होने चाहिये थे वह सदन में खड़े हैं....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार कांग्रेस को बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है। आप इस पर रोक लगाएं। यह सारा सदन इनकी + + + नहीं है। कांग्रेस को बदनाम करने का यह तरीका निकाला है इन्होंने और असत्य बोलकर कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर दें?

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें संविधान में विशेष अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी बात यहां आकर कहें।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो, विराजो।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर बात कही है इन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट विराजो आप, बाद में बोल लेना आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं एक विनंती कर रहा हूं। माननीय मंत्रीजी के मन में कोई क्रोध होगा, हो कोई बात नहीं है। लेकिन जो बात उन्होंने कही कि हम जो यहां विषय उठाते हैं वह पैसे लेकर उठाते हैं। इस प्रकार का आरोप.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : .... इसके अलावा आपका और कोई मकसद नहीं होता यहां पर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर इसमें इनके पास कोई सच्चाई है, अगर उनके पास कोई जानकारी है उन्होंने यह कहा कि हम यहां पर जो विषय उठाते हैं वह लोगों से पैसे लेकर उनकी पैरवी करने के लिये उठाते हैं, इसमें कोई सच्चाई उनके पास है तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं....

श्री राजेन्द्र पारीक : सच्चाई तो आपके अध्यक्ष के लिये साबित हो चुकी। उसको आपने बहाल करके वापस ले लिया, क्या कर लोगे आप सच्चाई का। सारा जग जानता है कि + + +

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यदि एक भी सबूत है जिसमें हमने कोई पैसा लेकर किसी का मामला उठाया हो तो आप निश्चित रूप से हमारे खिलाफ जरूर कार्यवाही करके हमको दण्डित करें अन्यथा उस मंत्री को दण्डित किया जाये जिसने इस सदन के प्रतिपक्ष के अधिकार को रोकने का प्रयास किया और घृणित षड्यन्त्र किया (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सच्चाई के बारे में कर क्या लोगे। + + + सच्चाई आ गई आपने क्या कर लिया। उनको संसदीय समिति का सभापति बना दिया। + + + (व्यवधान) संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष बना दिया + + + (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब तो स्पष्ट है.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : चोर का खण्डन करने के लिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : यह क्या बात हुई, यह कह रहे हैं कि यहां पर (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मंत्रीजी सही कह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : बी.जे.पी. भ्रष्ट है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बी.जे.पी. भ्रष्ट है। (व्यवधान) + + + संसदीय आवास समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : नैतिकता की दुहाई देते रहे हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप नैतिकता की दुहाई दे रहे हो, नैतिकता को आप समझते ही नहीं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह जो यहां बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : संसदीय आवास समिति का अध्यक्ष बना दिया। (व्यवधान) प्रीमियम देंगे, बोनस देंगे। (व्यवधान) आप क्या व्यवस्था करेंगे। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर) : रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, क्या यह सच्चाई नहीं है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बंगारू लक्ष्मण को (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप क्या बात कर रहे हो?

श्री शैलेन्द्र जोशी : क्या यह सच्चाई नहीं है, क्या बात हुई, बंगारू लक्ष्मण के? (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : क्या यह सच्चाई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + +

एक माननीय सदस्य : आपकी पार्टी क्या कर सकती है? + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप क्या बात करते हो?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी पार्टी चोरों को पनिश नहीं कर सकती, क्योंकि + + + आपके लोग कुछ नहीं कर सकते। + + + आप क्या बात करते हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप कुछ नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह नीतिगत क्या बात करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जोशीजी, बिराजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + +, यह नीतिगत क्या बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति/नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अमराराम (धोद) : यह तो कोई बात नहीं हुई।

(आसन की ओर से हाथ के इशारे से अंकित नहीं करने के निर्देश दिए गए)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी, बिराजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए, आसन पैरों पर, अंकित नहीं हो रहा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या बात हुई, हाउस ऐसे थोड़े चलता है।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो प्रश्न अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उठाया है पर्ची के सम्बन्ध में, इस सम्बन्ध में पहले भी बहुत विचार हुआ है। इसको रेगूलेट करने की कोशिश की, उसके बाद भी यह प्रश्न अभी माननीय अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है। चूंकि यह हाउस कल तक ही है, इसलिए इस पर तुरन्त कोई व्यवस्था हो सके यह सम्भव नहीं है। जहां तक स्पीकर कान्फ्रेंस का सवाल है, वह इसलिए बुलाई गई है कि सारा देश इस बात से चिन्तित है कि विधान सभाएं, राज्य सभा लोक सभा सुचारू रूप से कैसे चले, इस पर विचार करने के लिए 25 तारीख, परसों स्पीकर कान्फ्रेंस बुलाई है। इसमें जो कुछ निर्णय होंगे, उसकी आप भी पालना करेंगे और हम भी पालना करेंगे। लेकिन अभी तक जो पर्चियों की व्यवस्था है यह यथावत रहेगी, उसको कल तक बंद नहीं करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इन्होंने कहा है कि पैसे लेकर मामला उठाते हैं। मंत्री महोदय ने यह बात कही कि विपक्ष के लोग जो विषय यहां पर उठाते हैं वह पैसे लेकर उठाते हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + +

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इन्होंने कहा कि पैसे लेकर उठाते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यहां पर

+ + + अभिव्यक्ति/नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कहा कि हम लोग जो भी विषय यहां पर उठाते हैं, जनता की समस्याओं को लाते हैं वह हम लोग पैसा लेकर यहां पर उठाने का काम करते हैं। (व्यवधान) यह विषय आया है। इसके बारे में आप निर्णय दीजिए वरना यह सदन, हम दोषी हैं तो हमको दण्ड दीजिए कोई चिंता की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : नहीं चलेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह फल है क्या ईमानदारी का?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप लोबिंग करते हैं। आप गलत काम के लिए लोबिंग करते हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है, आप लोबिंग करते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर हममे से कोई ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर हमारे में से कोई दोषी हैं तो आप दण्ड दीजिए, आसन को अधिकार दे रहे हैं। लेकिन इस तरह प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों पर आरोप लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने वाला काम.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हर बात के लिए पैसे की.... (व्यवधान) लोबिंग करना गलत है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक तरफा व्यवस्था नहीं चलेगी।

श्री अमराराम (धोद) : यह क्या बात हुई ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप मंत्री हो तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप इस प्रकार से सदन का अपमान करें। (व्यवधान) यह हमारा अपमान है। (व्यवधान) अगर आपके पास प्रमाण है तो नाम लेकर आरोप लगाइये कोई चिंता की बात नहीं। (व्यवधान) अगर हमारे में से किसी ने पैसे लेकर कोई.... (व्यवधान) आइये मैदान में कोई चिंता की बात नहीं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : मंत्री महोदय ने माननीय सदस्यों पर आरोप लगाए हैं कि पैसे लेकर उठाते हैं। इस तरह से मंत्री महोदय चलेगा नहीं सदन में....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्षमा, क्षमा से पहले कोई बात नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप लोबिंग करते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या होगा इन + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल रही हैं, आप बिराजिए।

श्री अमराराम (धोद) : शिक्षा मंत्रीजी सदन के सामने रखे.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अमराराम (धोद) : जिन्होंने ऐसा काम किया है उनको निश्चित रूप से सजा दें। अगर ऐसे तथ्य शिक्षा मंत्रीजी के पास में नहीं हैं तो निश्चित रूप से इस सदन में खड़े होकर माफी मांगे वरना सदन.... (व्यवधान) आरोप लगा दें कि पैसे लेकर उठा रहे हैं। सरकार के तमाम मंत्री और विधायक + + + खुद भ्रष्टाचार फैलाए.... (व्यवधान) इसलिए वह सोचते हैं कि तमाम प्रतिपक्ष वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा कि यह सरकार कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुमित्राजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, पाइंट आफ आर्डर से कुछ नहीं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + + वहां क्या होगा? (व्यवधान) जहां + + + माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर + + + वहां पर क्या होगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा पाइंट आफ आर्डर है, आपको सुनना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कह रहा हूं ना कि बोलो (व्यवधान) उनको शांत कर रहा हूं, आपके लिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमारी नहीं सुनेंगे?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सबकी सुनेंगे, आसन चाहेंगे उसकी सुनेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि सच पूछिए तो यह आसन की जिम्मेदारी थी कि रूल 37 के अन्तर्गत कोई भी अपने व्यक्तिगत हित साधन का उपयोग करने के लिए इस मंच का, इस सदन का उपयोग नहीं कर सकता है। चूंकि वह उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था तो आसन को ही चाहिए था कि वह क्वेश्चन एडमिट ही नहीं करते। लेकिन एडमिट होने के बाद सदन में जिस तरह का नजारा हुआ, जो कुछ सदन में हुआ, उसमें शक की सुई तो सत्तापक्ष की ओर उठती है, मंत्रिमण्डल की ओर उठती है। और फिर (व्यवधान) आप मुझे बात कहने दीजिए.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 10 दिनों से इस तरह के आरोप....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप ही हरिशचन्द्र हो....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इसमें पाइंट आफ आर्डर क्या है? (व्यवधान) पिछले 10 दिनों में षड्यंत्रपूर्वक सारे मंत्रियों पर आरोप लगाए जाते हैं और मंत्री जब अपना वर्शन करना चाहते हैं तो आसन ....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बैठे रहोगे तब तक लगेंगे।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप मेरी बात सुनिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप इनको कंट्रोल तो कीजिए। (व्यवधान) आप इनको तो कंट्रोल कर नहीं सकते, हमारी बात पूरी सुन नहीं सकते और हमें बैठने का इशारा और करते हो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी बात को हरिशचन्द्र की बात मानी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिए, बोलिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : रूल 37 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि It shall not relate to an individual case unless it raises a question of principle or policy. करना ही नहीं चाहिए था आपको। यदि आपने किया तो उसके बाद सारी गलती तो नजर आ रही है, बिलकुल साफ आपकी सरकार की। क्यों किया ऐसा ? और फिर रहा सवाल....(व्यवधान) बात तो सुनिये आप। फिर क्या तमाशा है आपका। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपको सुनना नहीं चाहते हैं। आप लोगों ने इस सदन को क्या बना रखा है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चुन कर मैं भी आयी हूं। मैं भी सदन में चुन कर आयी हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य की कोई.... (व्यवधान) आप कोई जज है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कोई जज हैं या कोई आर्बीट्रिटर हैं या कोई सालीसीटर हैं। आपकी लोकस स्टेण्डाई है क्या....(व्यवधान) Are you an Arbitrator? Are you a Solicitor ? आप हैं क्या ?

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्रियों पर आप आरोप लगायें और मंत्रियों की आप सुने नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बात सुननी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी लोकस स्टेण्डाई है क्या ? आप कोई आर्बीट्रिटर हैं जो आपको डिसीजन मेकिंग माना जाएगा। आप भी एक माननीय सदस्या हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना आपने। मैं बोलूं ना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो फिर मेरे को कहने दीजिए। मैं भी सदस्य हूं। (व्यवधान) तो बात तो पूरी हो जाने दीजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तो ऐसे अथोरिटी से बोल रही हैं जैसे आपको कोई डिसीजन मेकिंग बना दिया गया है। (व्यवधान) आप कोई आर्बीट्रिटर हैं क्या, कोई सोल अथोरिटी हैं। कंक्लूसिब बीर्डिकट है आपका जो माना जाए।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, ये विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। सत्तापक्ष के सदस्य ऐसे.... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह निवेदन कर रही हूं आपको, अगर शिक्षा मंत्रीजी से....(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सदस्या अपनी बात कहना चाहती हैं और वे क्या बता रहे हैं + + +.

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बैठो। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : पाइंट आफ आर्डर की बात कह रही हैं, सिर्फ पाइंट आफ आर्डर की बात कह रही हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : बात करते हैं उपाध्यक्ष महोदय, + + + बीसियों माननीय सदस्यों ने कहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनको बोलने दें पूरा, उनको तो बोलने दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी को मैं बहुत जिम्मेदार मानती हूं। (व्यवधान) वे विद्वान हैं, एकेडेमिशियन हैं और इस तरह की बात करते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : हमको यह सोचना चाहिए कि जब दूसरों के कर रहे हो, वह जायज है क्या?

एक माननीय सदस्य : बी.जे.पी. से क्या लेना-देना है आपका? बी.जे.पी. से क्या बात कर रहे हो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यदि यह ऐसे रहा तो यह सदन नहीं चलेगा। (व्यवधान) नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे सदन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी माफी मांगें, इससे पहले हाउस नहीं चलेगा। अपने शब्द वापस ले मंत्रीजी और क्षमा मांगें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, सदन नियम और प्रक्रियाओं के तहत चलता है। सदन नियम और प्रक्रिया के तहत चलता है। एक व्यक्ति + + + से यह कहे कि सदन नहीं चलेगा तो यह भी बरदाश्त नहीं किया जाएगा। (व्यवधान) सदन चलाने की प्रक्रिया है, नियम है और व्यवस्था है, आसन है। एक व्यक्ति की + + + से सदन रुके यह बरदाश्त नहीं किया जा सकता है।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : सुनना ही नहीं चाहते हैं, मैं क्या करूं। (व्यवधान) सुनना ही नहीं चाहते हो तो मैं क्या करूं कैसे बोलूं। जब आप सुनेंगे ही नहीं तो कैसे बोले (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप : + + +

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : + + +

एक माननीय सदस्य : + + +

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, किसी व्यक्ति को यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि इस धरती पर वही एक ईमानदार है और बाकी सब भ्रष्ट हैं। इसलिये शिक्षा मंत्रीजी ने सम्पूर्ण विपक्ष पर जो आरोप लगाया है यह बिलकुल निराधार है, बेबुनियाद और असत्य है। शिक्षा मंत्रीजी को या तो इसका प्रमाण देना चाहिए। हम सब भुगतने के लिये तैयार है और अगर ....(व्यवधान) अगर प्रमाण नहीं है तो उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी।

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही एक बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.25 बजे 13.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

पुनः सम्वेत होने पर

(समय 13.00 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अभी जो यह मामला हुआ है, मैंने अपना वक्तव्य इस सदन में दिया है। उसके बाद मैं बाहर गया तो मेरे को साहब, धमकियां दी जा रही हैं। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं क्या हो रहा है? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को धमकी दी जाए। सदन में धमकी दी जाए। सदन के बाहर धमकी दी जाए। (व्यवधान) माननीय सदस्य ने सरकार के खिलाफ मामला उठाया है और माननीय सदस्य को धमकी दी जा रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य को सरेआम धमकी दी गयी है। कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक चार्ज लगाया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पूरी तसल्ली से कहो तो कोई समझ में आये। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को बोला कि ....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : धमकी किसने दी यह पता करो, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : यह कहां मामला आ गया? किस बात की धमकी देते थे इनको?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सत्तापक्ष के लोग धमकी दे रहे हैं, साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद : धमकी किसने दी यह बताओ न?

+ + + नारेबाजी/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मोहन लाल मोदी : इनका तो यह है कि किसी तरह इस सदन को नहीं चलने दिया जाए। यही है मामला इनके सामने।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धमकी किसने दी यह तो पता चले।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं कह रहा हूं कांग्रेस के सत्तापक्ष के लोग धमकी दे रहे हैं मेरे को।

मोहम्मद माहिर आजाद : नाम बताओ किसने दी है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : जब माननीय सदस्य की ही सुरक्षा नहीं है तो फिर किसकी सुरक्षा होगी? आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा इस प्रदेश में? अराजकता की भी हद होती है।

श्री मोहन लाल मोदी : नाम बताओ न किसी का? नाम बताओ नाम, किसने धमकी दी है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : एक मिनट सर।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रचण्ड बहुमत के आधार पर आप हमारी बात को दबाना चाहते हो। आप चोर डाकू कहते हो। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन है। कागज लिखकर धमकियां आ रही हैं? साहब।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद का विषय है कि दलित वर्ग का व्यक्ति, दलित वर्ग का एम.एल.ए., एक तो आप उनका काम नहीं करते हो और गलत तरीके से....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या इश्यु है? कहां से लेकर आये? यह तो कोई इश्यु ही नहीं है। प्रश्न ही दूसरा है। बिराजो।

श्री जगत सिंह दायमा : उसके बाद इनको धमकी दी जा रही है। यह तो गलत है न, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार ने एक तरफ तो इनकी रोजी रोटी छीन ली और ऊपर से धमकाने की कोशिश की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। यह तो क्वेश्चन आवर में ही समाप्त हो गयी बात। अब कहां से लेकर आये आप?

श्री जगत सिंह दायमा : इनको इस काम के लिए क्यों धमकी दी जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, आज ये एक-एक दाने के लिए मोहताज हो गये। इनकी सुरक्षा का क्या करेंगे बताइये आप?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिजनेस को चलने दीजिए ताकि.... (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजें। बिजनेस बहुत लम्बा है आज।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब एम.एल.ए. के साथ ....मेरा एक निवेदन सुन लें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात सुन ले सिर्फ माननीय सदस्य हैं। इन्होंने कहा कि इनको धमकी दी जा रही है। उनकी बात सुनो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिजनेस तो चलता रहेगा। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : जब एम.एल.एज. के साथ यह हाल होगा तो प्रदेश की जनता के साथ क्या होगा आप इसका अन्दाजा लगाइये। एम.एल.ए. को धमकी दी जा रही है। एम.एल.ए. के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह इश्यु क्वेश्चन आवर में ही समाप्त हो गया। प्लीज आप बिराजिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, जब एक माननीय सदस्य को धमकी दे तो आम जनता का क्या हाल होगा, बताइये आप? आम जनता कहां सुरक्षित रहेगी?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। आप किसी और तरीके से उठा लेना भले ही लेकिन आज यह इश्यु इस वक्त नहीं आ सकता। बिराजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करने दीजिए मुझे। अभी माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने आपसे निवेदन किया था कि पर्ची जो सिस्टम है उसका कोई ज्यादा उपयोग नहीं होता। वह एक अलग विषय होगा लेकिन उसी दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग जो प्रश्न उठाते हैं पैसे लेकर प्रश्न उठाते हैं। (व्यवधान) मुझे पूरा करने दीजिए। नहीं है तो, वह तो लिखित में होगा तो होगा। तो मेरा यह निवेदन है कि उन्होंने यह कहा कि विपक्ष चाहे प्रोद से आने वाले हो, चाहे माहिर आजाद हों, चाहे सुरेन्द्र व्यास हों, चाहे जगत सिंहजी हों, चाहे रामूजी हों, चाहे नन्दूजी हों, और चाहे कोई भी हो, ये सब विपक्ष के विधायक जो हैं, पैसा लेकर यहां सवाल उठाते हैं और आप इसको बरदाश्त कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे कोई गम्भीर बात विधान सभा की गरिमा को गिराने वाली बात नहीं हो सकती और जिन्होंने मांग की थी मंत्री महोदय ने इस प्रकार का जो वक्तव्य दिया है वह क्षमा याचना करें और इससे उनकी भी गरिमा के लिये भी ठीक रहेगा। यदि आवेश में बिना समझे ही बात निकल गयी मुंह से, तो सदन से बड़ा कोई नहीं होता है। आपने सदन की

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इंसल्ट की है। सारे विपक्ष के लोग + + + आप निर्णय करिये।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : आप लोग ही तो रोज मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगाते हैं। आप ज्यादा हो गये क्या?

श्री उपाध्यक्ष : बराजिये प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ऐसा नहीं है, साहब। It should not be ignored.

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको प्रोसिडिंग बता दूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : प्रोसिडिंग क्या करेगी इसमें?

श्री उपाध्यक्ष : जो ये बोले हैं, वह सुना देता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पूरा हाउस है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो वह बोले हैं उसको सुना देता हूं। उसके बाद आप बात करो न। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपने भी वेस्टेड इन्टरेस्टिंग एक व्यक्ति के हैं यहां पर कोई भी आरोप लगा दिये....(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : जीरो आवर में पाइंट आफ आर्डर आता ही नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : किसमें।

श्री उपाध्यक्ष : जीरो आवर में कौनसा पाइंट आफ आर्डर है? अभी तो जीरो आवर चल रहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर।

एक माननीय सदस्य : आता हूं कौल एण्ड शकधर में लिखा हुआ है आता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट बिराजें प्लीज।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर। एक मिनट सुन तो लें। मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। मुझे जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा मदद।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं एक सैकण्ड अर्ज कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट तो बिराजें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : एक सैकण्ड के लिए सुने लें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + सर।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको भी बुला दूंगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रामूजी को कहना चाहता हूं कि इनके स्वर्गीय पिताजी को + + +

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्या पाइंट आफ आर्डर है? व्हाट इज योअर पाइंट आफ आर्डर?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + सर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर यह है कि यह जो धमकी की बात है न....

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई पाइंट आफ आर्डर है क्या?

श्री मदन दिलावर : + + +

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं कह रहा था कि + + + आप कभी हां पक्ष की भी सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है, यह एक्सपंज है। अंकित नहीं हो । ऐसे नहीं चलेगा हाउस। I cannot allow this.

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ××××

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा और आप बोल रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। कृपा कर के बिराजें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैं इससे ज्यादा गम्भीर ....(व्यवधान) बिराजें प्लीज। आप सीनियर मैम्बर हैं, आप बिराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो प्लीज। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो प्लीज एक मिनट।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नीचे बैठो। उनको बैठाओ।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

+ + + अभिव्यक्ति/नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।
××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जगत सिंह दायमा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा है।

श्री जगत सिंह दायमा : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री दयाराम परमार : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय जगत सिंहजी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज बिराजें।

श्री जगत सिंह दायमा : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री नाथूराम अहारी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री अमीन खान : XXX

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : X X X

श्री नाथूराम अहारी : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। एक मिनट। जो प्रश्न अभी हाउस के सामने था और जो कुछ माननीय सी. पी. जोशी ने कहा, जो प्रोसीडिंग है, मैं समझता हूं उसमें जो बात है उसको आप सुन लीजिए। उसे बाद आपको कोई एतराज हो तो हम बात करेंगे।

"श्री सी. पी. जोशी बोले अन्यथा हमें यह मौका दिया जाए, हम यह कह सकें कि विपक्ष में लोग पैसा खाकर लोगों की प्राइवेट प्रैक्टिस, कह सकें, प्रैक्टिस के नाम पर हम असेम्बली का दुरुपयोग करना चाहते हैं, बिजनेसमेन का इन्टरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और सरकार को डाक में रखना चाहते हैं।" यह इनका वर्शन है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह देख लो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : और क्या कहना चाहते हो.... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पूरी देखें।

श्री उपाध्यक्ष : आप देख लो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : या तो टुकड़ों में से निकाला है बाकी यह बात बिलकुल स्पष्ट है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रोसिडिंग देख लो ना....(व्यवधान) प्रोसिडिंग की कापी मंगवायी है, मैंने तो मन से नहीं लिखी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह ठीक है आपकी बात। हो सकता है इसके ऊपर कुछ शब्द रह गये हों या कुछ बात रह गयी हो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सुनने में आपके रह गयी होगी।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसका जो भाव था वह यह था कि आप लोग जो भी यहां विषय उठाते हो वह सब पैसे लेकर उठाते हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जो कहा वह सुन लिया ना आपने।

डा. किरोड़ी लाल : उन्होंने क्लियर कहा कि आप लोग जो यहां विषय उठाते हो, पैसे लेकर उठाते हो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : गलत कहा है गलत कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई व्यक्तिगत किसी पर आरोप लगाया नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने कहा हम भी यह कहते हैं....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं या....(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : जो कुछ कहा है नहीं कहा है, आप उसको एक्सप्लेन कर दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : या तो आप मंत्रीजी स्वयं कहें कि आपका क्या मतलब था। हम तो जो समझे.... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : यदि वो कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो उसको प्रूव करके लगाएं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप लोग यहां जो विषय उठाते हो वह लोगों से पैसे लेकर के उठाते हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक बोलो तो समझ में आएगा, बाकी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। (व्यवधान) माननीय सुरानाजी।

श्री जुगल काबरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है। (व्यवधान) अगर विपक्ष को आरोप लगाने का अधिकार है तो सत्ता पक्ष के लोग भी अपनी बात कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय काबराजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि हम जो बात शिक्षा मंत्रीजी के बोलने का समझे और जो हमने सुना वह हमारे मन में यह है कि आपने कहा कि आप लोग तो हम पर एलीगेशन लगाते हो, आप लोग भी लोगों से पैसे लेकर के यहां विषय उठाते हो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : लेकर के नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम जैसा समझे हैं।

श्री जुगल काबरा : प्रोसिडिंग में साफ लिखा हुआ है कि यह नहीं कहा। प्रोसिडिंग आप पढ़िए ना।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां, आप बोलिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं इसीलिए इसको हम यह समझे हैं और जो हमने आपकी बात को सुनकर के अहसास किया उस अहसास में यह आया कि.... (व्यवधान) हम सब लोग या....

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, इनके समझने से मतलब नहीं, जो प्रोसिडिंग में अंकित है वह बात मानी जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लोगों से पैसे लेकर उनके विषय यहां उठाने का काम करते हैं अगर यह मैसेज जाएगा.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोले तो बात समझ में आ सकती है आप दस बोलते हो, इनको बोल लेने दो, आपको मौका दे दूंगा बोलने तो दो किसी को।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जो समझे हैं और जो मैंने व्यक्तिगत रूप से समझा, आपने यह कहा कि वह पर्ची, वह तो बात अलग है। आप लोग हम पर भी आरोप लगाते हो, उसी रेफरेंस में आपका यह कहना था कि आप लोग भी जो विषय उठाते हो वह सारे विषय पैसे लेकर के उठाते हो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप सुन लो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मान लो, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे सुनने में कोई कमी रह गयी या कोई गलती रह गयी तो उसे स्पष्ट कर लें, उसमें कोई एतराज नहीं। जो हम समझे, वह यह समझे हैं कि हम जो विषय यहां उठाते हैं वह किसी न किसी से कुछ लेन देन का सौदा तय करके फिर हम यहां विषय को लेकर आते हैं। अगर यह बात है तो यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है.... (व्यवधान) इससे तो यह लगेगा कि प्रतिपक्ष अगर कोई भी विषय उठाता है अगर उससे पीछे यह भावना जुड़ गयी और जनता के सामने अगर यह गया कि हम यहां विषय इसलिए उठाते हैं, हम कोई न कोई किसी से सौदा तय करके या कोई हमको आकर के फीड करता है या हमको पैसे देता है उसकी पैरवी करने के लिए हम यहां खड़े होते हैं। यह हमारे लिए भी और सम्पूर्ण लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यशाली बात होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी आप या तो पूरी प्रोसिडिंग निकालें, हमारे यह बात कुछ समझ में नहीं आ रही है जो बात यहां हुई वह इस तरह की थी, अगर आपका कुछ इसमें है तो आप स्वयं खड़े होकर के अपनी बात को स्पष्ट करें। अगर आपकी यह मंशा है कि हम सब लोग जो बोलते हैं, जनता की समस्याओं को लेकर आते हैं वह किसी न किसी से कुछ न कुछ जोड़ तोड़ करके उनकी बात को रखते हैं। अगर ऐसी भावना है तो यह बहुत गलत है, इसको हम किसी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कीमत पर बरदाश्त करने वाले नहीं हैं। हम यह चाहेंगे कि इसको स्पष्ट कर दिया जाय कि यह विषय क्या है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप बिराजों। सुरेन्द्रजी व्यास, आप क्या कह रहे हो?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी स्वयं ने जो प्रोसिडिंग्स पढ़कर सुनायी है उसमें यह कहा है कि हमको मौका दें तो हम यह कह सकें कि विपक्ष के लोग पैसा लेकर के मुद्दे उठाते हैं। यही है आप दुबारा पढ़ दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोले आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो इसका तो मतलब स्पष्ट है, कह सकें मतलब यह कहना है उनको। यह आप उनको अवसर प्रदान करें। आप मुझे अवसर प्रदान करें और मैं चाहता हूं कि राजस्थान का + + + यह कोई बात हुई क्या? मैं नहीं कहता ऐसा तो यह अगर इस तरह की कोई बात कहें भावना आपकी नहीं थी तो आप इसको स्पष्ट कर दीजिए क्योंकि हमारी भी सैल्फ रेस्पेक्ट है। अभी मंत्रीजी कह रहे थे मैंने बात की उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से उनका आदर भी करता हूं, मित्र भी हैं। उन्होंने कहा, साहब डेढ़ सौ करोड़ रुपये खा गये। मैंने कहा यह कहा तो गलत कहा, तथ्यों के बिना विपक्ष को भी नहीं कहना चाहिए। अगर कहा तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपने उसको विलोपित कर दिया। पर पूरे प्रतिपक्ष को लेकर अगर मंत्रीजी ने कोई ऐसी टिप्पणी की है जैसा इनके वार्तालाप से प्रतीत होता है, उनका यह आशय नहीं था तो स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए उसमें दिक्कत क्या है? हमारा उनसे ऐसा कोई दुराग्रह तो है नहीं लेकिन जो बात है वह वह बताएं, उनका मंतव्य क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं था उस वक्त में।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : इसमें कोई उलझने वाली बात ही नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जिस तरह से बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमने ऐसा सुना। यही मेरा प्रश्न था 307 के अन्तर्गत की हम भावना में बहकर आरोप लगाकर दूसरे की बात नहीं सुनें तब हमें लगता है कि किसने क्या कहा था। मेरी कतई भावना यह नहीं है। मैंने यह कहा कि आज मंत्री के रूप में हम यह कहते हैं तो कल लोग यह भी प्रश्न करके कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है प्रश्न पूछने के सम्बन्ध में। मेरा प्रतिपक्ष के प्रति अनादर करने का नहीं है न उनके ऊपर यह कहने का कि वह ऐसा करते हैं। आपने ऐसी भावना क्यों ली

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सी.पी.जोशी)

मुझे समझ में नहीं आता। आप और हम सब मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करें। मेरी यह भावना नहीं थी। जो अंकित हुआ है वह सही अंकित हुआ है। मैंने यह नहीं कहा आपने गलत समझा है तो आप अपने आपको करेक्ट कर लें। मेरी भावना तो यह नहीं थी, मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बात खतम हो गयी।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात का क्या रहा।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य की ओर से जिला-बीकानेर के थाना नया शहर पुलिस चौकी, लालगढ़ के कर्मचारियों द्वारा एक सैनिक दम्पत्ति के साथ की गयी मारपीट की घटना के सम्बन्ध में।

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्रोसिडिंग से निकलवाइये, आहूजाजी ने जो कहा है, उपाध्यक्ष महोदय, आहूजाजी ने जो कहा है वह प्रोसिडिंग से निकलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो प्लीज।

(2) श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा नियम विरुद्ध नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री सोहन नायक सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर जिले के किसानों की फसल के खराब होने के कारण उनके ऋणों की वसूली स्थगित करने के सम्बन्ध में।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह रोज की रोज किसी को कुछ भी कह देना....(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप सीनियर मैम्बर्स को और मंत्रियों को जगह दे देते हैं। आप हमारी, छोटी पार्टियों की बात नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा लोकतंत्र के अन्दर...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य के लिए इस तरह से....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : (4) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा उदयपुर जिले के जोगी (रावल) जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल कर आरक्षण का लाभ देने के सम्बन्ध में।

(5) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य की ओर से लाडनूं की सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन एरियर एवं बोनस का भुगतान नहीं होने के सम्बन्ध में।

(6) श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से खनिज विभाग द्वारा एक ही परिवार के सदस्यों को नियम विरुद्ध खान आबंटित करने के सम्बन्ध में।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो व्यवस्था करवाओ इसकी।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं अगर ऐसा कहलवाना चाहते हैं तो हमें....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहते हो क्या यह इस तरह से भाटीजी को कहें।

श्री उपाध्यक्ष : (7) श्री हरीश्चन्द कुमावत, सदस्य की ओर से चालू राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान रोक देने के सम्बन्ध में।

(8) श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं के महाविद्यालयों में कुछ अन्य विषय खोलने के सम्बन्ध में।

श्री जगत सिंह दायमा : + + +

श्री उपाध्यक्ष : (9) श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की ग्राम पंचायत थोबाऊ, फागुतरा, पुंनासा एवं दातीवास को बागोड़ा तहसील में शामिल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य की ओर से जिला बारां की प्रस्तावित पेयजल योजना की शीघ्र शुरू करने के सम्बन्ध में।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, + + + फिर कभी और कोई बात हुई तो आप मुझे बाहर मत निकालना बोलने में मैं भी कम नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : (11) श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शिव में 132 ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री दुर्गा प्रसाद, सदस्य की ओर से परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग की कथित लापरवाही से राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी के सम्बन्ध में।

मुझे माननीय सदस्यों को निवेदन करना है कि आज बिजनेस बहुत लम्बा है और उसमें हमने दो काल अटेंशन भी लगाये हैं इसलिए सदन की सहमति हो तो इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : हां, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अटरू से आने वाले माननीय और रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने माननीय भाटी साहब के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, आप प्रोसिडिंग मंगाकर देख लें असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, उनको निकलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो....(व्यवधान माननीय माहिर आजादजी, (व्यवधान) कुछ रहे गये हैं।

(13) श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य की ओर से जिला भरतपुर में पेयजल का संकट होने के सम्बन्ध में।

(14) श्री संजीव बेनीवाल, सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ के भादरा में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(15) श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य की ओर से जिला टोंक के थाना टुनी में दर्ज प्राथमिकी सं. 295/2001 के आरोपियों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

(16) श्री समरजीत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में बिजली आपूर्ति की समस्या के सम्बन्ध में।

(17) श्री शिवराम कुशवाह, सदस्य की ओर से धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में चम्बल नदी से सिंचाई करवाने के सम्बन्ध में।

(विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, या तो पर्ची भी खतम की जाये, वरना हम 295 भी पढ़ेंगे। पर्ची, शून्यकाल भी आप खतम कर दो बिजनेस बड़ा है तो और या फिर 295 भी पढ़वाओ। दोनों चीजें एक साथ करिये आप। (व्यवधान) या तो शून्यकाल भी खतम कर दो। इसमें क्या बात है, वरना, 295 भी पढ़वाओ हमसे.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पर्ची भी खतम कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

मोहम्मद माहिर आजाद : बस, ठीक बात है। ऐसा नहीं है हमारा तो 295 का सारा विवरण लिखा हुआ है, पर्ची को तो पढ़ कर सुनानी पड़ेगी....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उप नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि शिक्षा मंत्री महोदय, कुछ सीरियस हो करके यह जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, कब टीचर्स आते हैं, कभी कोई आते हैं। आज मैनेजमेंट के हजारों लोग सड़क पर आये हैं, कम से कम आप उनकी समस्याओं के बारे में ....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये सांवर लालजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : निश्चित रूप से बैठ करके आप विचार करें। अगर आप चाहो तो सदन के कुछ लोगों के साथ बैठकर विचार करो। क्योंकि इन शिक्षण संस्थाओं को हमें समाप्त नहीं करना है, हमें उनको जिंदा रखते हुए हम अपने काम को कैसे चला सकें इसके बारे में सोचना है। क्योंकि आपने कई प्रकार के ऐसे कानून इन पर लादे हैं जिसके कारण से बोर्ड की मान्यता का एक हजार और दो हजार की जगह दस हजार और बीस हजार किया। परीक्षा शुल्क आपने डबल बढ़ाया। इनके सब टीचर ट्रेण्ड होने चाहिए, आज नही हैं। इनका प्रतिशत जो है 10 प्रतिशत, हर साल घटा करके जीरो पर्सेंट पर आप लाना चाहते हो, तो कोई भी प्राइवेट संस्था चल नहीं सकेगी। अगर आपने इसको ठीक आधार पर बनाने का प्रयास नहीं किया तो देश की आजादी के पहले जिन लोगों ने सेवा की भावना से इन शिक्षण संस्थाओं को चला करके राजस्थान की इतनी सेवा की, उनको आप एक घाट अगर पानी पिलाओगे। इसमें वह संस्थाएं आप छांटों जो वास्तव में शोषण

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करती हैं। वह शोषण करने वाली संस्थाएं कभी आपसे अनुदान लेना चाहेगी ही नहीं। आप देना चाहोगें तो वह आपको लौटा देगी। क्योंकि वह आपके शिकंजे में नहीं फंसना चाहते हैं। जो इस शिकंजे में फंस करके इतना बड़ा काम इतने वर्षो से कर रहे हैं उन दोनों को एक नाप तौल से नहीं नापे और उनके साथ बैठ करके क्योंकि रोज इस तरह सें शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग आयेंगे ना तो यह हमारे लिये और आपके लिये, सबके लिये ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से कोई कमेटी बनानी है तो कमेटी बनाइये। उनके मैम्बर्स को लीजिये, उनके टीचर्स को लीजिये और ले करके....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर चर्चा हो चुकी ना। बस इस पर चर्चा हो चुकी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप बैठ करके इसका कोई सोल्यूशन निकालकर इसकी घोषणा करिये। नहीं तो रोज शिक्षक, आज हजारों की तादाद में जितने भी शिक्षण संस्थाएं चलानी हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह मिल लिये ना कल उनसे। आपने यह प्रश्न कल उठाया, सरकार मिल ली ना कल, कल मिल लिये ना ये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिनको 70-70 साल, 80 साल हो गये, उन संस्थाओं के लोग अगर सड़क पर आ जायें तो ठीक नहीं है। इसके बारे में विचार करना चाहिये....

श्री हरिसिंह (महुवा) : काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : राजस्थान के इतने सारे शिक्षक आये हुये हैं, यह क्या बात है....(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : कल तो केवल महाविद्यालय के....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये....

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है। और जैसा बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है हमने अभी जो फैसला किया है, इसके पहले एन. के. सेठी साहब अध्यक्ष जो हैं, उन सबसे बैठकर चर्चा की है। यह प्रश्न जो आपने उठाया और उस तथ्य के सम्बन्ध में जैसा आपने कहा है, और व्यापक चर्चा करने के बाद निर्णय करेंगे। मैं यह समझता हूं कि जैसी आपकी भावना है मिल बैठकर इस समस्या के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं यह चीजें जिसके सम्बन्ध में यह एम्प्लाई के सामने कहा जा रहा है यह बातें सत्य से परे हैं। ग्रांट इन

(श्री सी.पी.जोशी)

एड का कोई सम्बन्ध इन लोगों की सर्विस कंडीशन से नहीं है। ये मैनेजमेंट के लोग उन लोगों के एम्प्लाई है उनको यह कह रहे हैं कि हमने सर्विस कंडीशन बदली है, हमने कोई सर्विस कंडीशन नहीं बदली है। किसी भी मैनेजमेंट के आदमी को, किसी भी एम्प्लाई को बाहर निकालने का अधिकार नहीं है। जो नियम बने हुए है उसी से गाइड होंगे, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। केवल मात्र जो अनुदानित संस्थाएं है उनमें एक ही इश्यु है कि छह डिस्ट्रिक्ट में 1283 संस्थाओं को 120 करोड़ रुपये मिलता है। हम इस 120 करोड़ को कम नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में यह है, जैसा आपने कहा कि इसमें अच्छी और बुरी संस्थाओं को छांट लें। इस 20 करोड़ को फिक्स करके हम इसमें से चाहते हैं कि मूक, बधिर महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को हम इसमें ले सकें और जो संस्थाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं उन संस्थाओं को बाहर निकाल सकें। क्या तरीका हो सकता है? उस पर मैं आपसे और जो भी सदस्य हैं, उनसे बैठकर चर्चा करके इस सम्बन्ध में एक ओपन माइंड से चर्चा के बाद फैसला करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि मैनेजमेंट उन एम्प्लाई को गुमराह करके सड़क पर ला रहा है जिनकी सर्विस कंडीशन को तो हम अल्टर ही नहीं कर रहे हैं। न नियम बना रहे हैं, न कोई हम परिवर्तन कर रहे हैं। खाली एक भ्रम की स्थिति बनाकर मैनेजमेंट जो तीन-तीन साल से लोगों की फीस बढ़ा रहा है, केवल मात्र इसके नाम पर इनको यह छूट दें यह भी ठीक भी नहीं है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में आपके साथ और जो भी माननीय सदस्य हैं, उनके साथ बैठकर जो चीजें हो सकती हैं जिससे पैसे का सदुपयोग हो सकें, शिक्षा के क्षेत्र में हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में जो ज्यादा वंचित वर्ग है वह जुड़ सके, उसमें जो भी आप सजेशन देंगे, बैठकर इसकी बात करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भाटीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सैकण्ड में बात....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने उनको काल अपोन किया है। उनको काल अपोन किया है। आप बिराजिये....(व्यवधान)

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने हाथ के संकेत से अंकित नहीं करने के निर्देश प्रदान किये)

आप बिराजिये। पहले वह बोलेंगे। बैठिये बैठिये। आप बोले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय सदस्य, यह बात कह दी। मंत्रीजी ने यह बात कह दी आपसे बात करके, सब लोगों से चर्चा करके फैसला करेंगे। फिर क्या बोल रहे हो आप?

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : क्या बात है। मंत्रीजी ने कह दिया आपसे बैठकर चर्चा करेंगे। फिर क्या बोल रहे हो आप। बस....(व्यवधान) बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अंकित ही नहीं हो रहा है। बोलेंगे तो फायदा क्या.... (व्यवधान) कैसे बिठाऊं? कोई कुस्ती करूं क्या उनसे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पाइंट आफ इंफोर्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि मेरे खिलाफ जो भी टिप्पणी हुई है उसको एक्सपंज मत कराइये। लेकिन मेरा भी आरोप है स्वायत्त शासन मंत्रीजी, आप मुझे यह बता दीजिये कि धर्मीचन्द जैन की जो भू-माफिया की बात करते हो और अखबारों में जवाब देते हो धर्मीचन्द जैन की जमीन किसने कबाड़ी और किसके पास है? नेता महोदय ने कबाड़ी है और उनके कब्जे में है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह क्या इश्यु है अभी?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह आरोप है।

श्री उपाध्यक्ष : काहे का आरोप है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मेरा आरोप है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। श्री रामनारायण चौधरी। (व्यवधान) बिराजिये। खतम हो गयी बात....(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय देने की कृपा करें। मैं फालतू बात नहीं कह रहा हूं कोई (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको देंगे ना। आपको बोलने देंगे। बहुत व्यवस्था है, बहुत समय है, आपको बोलने देंगे। चिन्ता मत करो। बिल पर बोलना खूब आप, मर्जी हो जितनी, छूट है आपको बोलने की....(व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति का दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री रामनारायण चौधरी (सभापति, प्राक्कलन समिति "ख") उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति "ख" 2001-2002 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :—

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामनारायण चौधरी)

1. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग के क्रिया कलापों एवं गतिविधियों से सम्बन्धित समिति का दसवां प्रतिवेदन।

2. आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "ख", 2000-2001 के चतुर्थ प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पर्चियों का क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया। पर्ची गयीं.... (व्यवधान) श्री गोवर्द्धन कल्ला....(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : पर्ची कैसे गयी ....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय खेतसिंहजी राठौड़ साहब। संसदीय कार्य मंत्रीजी। सहकारिता मंत्रीजी, कल आपने हाउस में यह कहा था कि आज मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं दिल्ली गये हुए है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी....(व्यवधान) अंकित नहीं हो....

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी, कुछ नियम से, कुछ सिस्टम से बोलिये ना मेहरबानी करके। आप किसी को न तो पूछते हो....(व्यवधान) न आप इजाजत लेते हो....(व्यवधान) सुन लिया....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आपको अवसर देंगे। आपको मौका दूंगा, आप बिराजो प्लीज.... (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। बिराजिये प्लीज....(व्यवधान)

याचिकाओं का उपस्थापन

बड़ी सादड़ी के अर्द्धनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बड़ी सादड़ी का कार्य पूर्ण कराये जाने बाबत

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : मैं क्षमा चाहता हूं थोड़ासा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्द्धनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बड़ी सादड़ी का कार्य पूर्ण कराने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला। (व्यवधान) एक मिनट भी नहीं रुक सकते क्या?

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

जैसलमेर के बारठ का गांव पंचायत मुख्यालय को डामर सड़क से जोड़ने बाबत

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बारठ का गांव जिला जैसलमेर के पंचायत मुख्यालय को डामरीकृत सड़क से जोड़ने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

चौमूं बाइपास का निर्माण

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चौमूं बाइपास का निर्माण करवाए जाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, अब आप क्या फरमाना चाहते हो?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों में से एक बोलेगा कि दो बोलेंगे....(व्यवधान) आप उनको बोल लेने दो।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : आपने जो व्यवस्था दी है, 295 तो पढ़े हुए मानकर सरकार को चले जायेंगे। लेकिन जो पर्ची हमारी है उसकी तो कोई व्यवस्था नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : उसको भी आज रोक दिया। व्यवस्था दे चुके, बात खतम हो चुकी।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, रोक दिया, लेकिन आज जो बाजरा मार्केटिंग सोसायटी से....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हाउस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया ....(व्यवधान) उसके बाद कोई पर्ची-वर्ची नहीं है।

श्री सांवरलाल : आप हमारे इस अधिकार को मत मारिये। आज पहली बार पर्ची का नम्बर आया.... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पहली बार पर्ची कटी है।

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान के हजारों किसान जो मार्केटिंग सोसायटियों ने बाजरा खरीदा है, एफ.सी.आई. उसको रिजेक्ट कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें माननीय सदस्य ....(व्यवधान) बाजरे पर बहुत बहस हो चुकी। स्टेटमेंट हो चुका, दिन भर बहस हो चुकी है इस बाजरे पर, अब क्या चाहते हो....(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : किराया लग गया, उस बाजरे को खरीदा नहीं गया, उसको काला बता कर रिजेक्ट कर दिया गया।

श्री सांवरलाल : पहली बार लाटरी निकली है और आज आप उस लाटरी को खतम करा रहे हो....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान में हजारों क्विटल बाजरा जो मार्केटिंग सोसायटी ने खरीदा है, उसको एफ.सी.आई. रिजेक्ट कर रही है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटपूतली से चार ट्रक एफ.सी.आई. में गये हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पूरे एक दिन बाजरे पर बहस हो गयी। अब और क्या चाहते हो आप...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, बाजरे पर बहस हो गयी, बहस का क्या करें.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री ने जवाब दे दिया, सारी बात हो गयी। रोज रोज बाजरा कहां से लायेंगे आप....(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : बाजरा तो हो ही नहीं रहा।

श्री उपाध्यक्ष : आप अब क्या बोल रहे हो ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप कह रहे हैं बहस हो गयी। राजस्थान में बाजरे की खरीद पर मात्र नाटक हो रहा है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी ना बात।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : दो मिनट बात तो कहने दो।

श्री उपाध्यक्ष : कोई इश्यु ही नहीं है बाजरे का।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को....(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : राजस्थान का किसान पीड़ित है। राजस्थान का किसान इससे मर रहा है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप इनको सुनना नहीं चाहते हो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : तीन दिन पटवारी नहीं मिलता है।

श्री अमराराम (धोद) : किसान के साथ मजाक बना रखा है बाजरे के नाम पर।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : क्यों अन्याय कर रखा है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : बाजरा खरीदा गया....(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आज जो लोग इनसे पीड़ित हैं जयपुर में आये हुए बैठे हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर गौर फरमाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक तो बैठे। दोनों में से एक तो बैठे नीचे...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्ची है मैं कैसे बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोलेगा, इनको बोलने दो ना ....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसानों के हित की बात कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं, लम्बा चौड़ा निवेदन है कि राजस्थान में सरकार जो बाजरे की खरीद कर रही है, पहले तो तीन दिन तहसीलदार नहीं मिलता, पटवारी नहीं मिलता, फिर भी प्रमाण-पत्र ले जाये तो उसको बता दें कि यह बाजरा काला है और इस बार पूरे राजस्थान में बाजरा काला हो गया। उसका कारण है कि जिस समय बाजरे की फसल पक रही थी उस समय बारिश हुई उससे बाजरे का रंग काला हुआ तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि राजस्थान के किसानों के साथ में राज्य सरकार से उनको न्याय दिलाया जाये और खरीद सही तरीके से की जाये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्ची है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने आसन से पर्ची के बारे में जो व्यवस्था दी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर, प्लीज....(व्यवधान) हां, क्या कह रहे हो....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने पर्ची के बारे में जो व्यवस्था दी, मेरी आसन से प्रार्थना है कि कम से कम जब तक आप कोई नयी व्यवस्था तय नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची को मैंने रोका नहीं है। हाउस ने यह कहा कि आज पर्ची पर बहस नहीं होनी चाहिए। चूंकि 295 भी सस्पेंड हुआ है। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पहली बार पर्ची निकली है, बाजरे में....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आज स्वीकार नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए सस्पैंड किया है, कल पर्ची आयेगी।

डा. किरोड़ी लाल : आज-आज ही सस्पैंड हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : 295 तो वैसे ही है लिखा हुआ ....(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, 295 तो लिखा हुआ पूरा विवरण है, पर्चियों में तो कुछ नहीं है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आज वाली कल आयेगी।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज वाली पर्ची कल आयेंगी क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आज की जो पर्ची है....(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : यह सरकार किसानों के साथ अन्याय करती रही है और ज्यादती कर रही है।

एक माननीय सदस्य : बाजरा नहीं खरीद रही।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप लोग बिलकुल इस पर ध्यान नहीं दे रहे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि मैं समय पूरा दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : समय तो सारा बेकार ही जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, केवल आज के लिए ही आपने अगर इनको रोका हो.... (व्यवधान) केवल आज ही के लिए अगर पर्ची रोकी है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : कल ले लेना आज वाली ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चलने तो दो....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आज ही के लिए रोकी है ना, आज ही के लिए अगर आपने पर्ची रोकी है तो इन्हें कल ले लें। कल डबल कर देना, क्या फर्क पड़ता है....(व्यवधान) कम से कम एक बार निपट तो जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कल ये ले लेंगे, अपने को क्या फर्क पड़ता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आठ होंगी कल पर्ची।

डा. किरोड़ी लाल : कल आठ पर्ची होंगी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजों ना, हो गयी बात क्या है?

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, कल पर्ची आठ होंगी।

श्री उपाध्यक्ष : आठ होंगी कि नहीं होंगी, कल फैसला करेंगे। आज की बात आज, करो कल की बात कल करना। क्या हुआ इनका....(व्यवधान) क्या रह गया फिर....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था समय दूंगा, एक मिनट। आपने सबको बोलने दिया तो एक मिनट मेरे को भी सुन लो, आप मुझे मौका देंगे तब तो बोलूंगा तब तो कहूंगा अपनी बात।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सुनूं, क्या बिजनेस है? क्या है? कह दिया ना कल इन पर्चियों का....(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, पानी के लिए त्राहि-त्राहि मच रही है। माननीय सदस्य उठाना चाह रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हो....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनको तो बोलने की आदत है, सुनने की जरूरत नहीं। यह बोलते रहे हैं। डा. करण सिंहजी बोल रहे है।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, बाजरे में कीड़ा लगा....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जब आपको यह कह दिया कि कल इन पर्चियों पर आपको बोलने दूंगा तो अब क्या....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पर्चियों की बात थोड़े ही कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें....(व्यवधान) अब हो गयी ना बात।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : वह जो ग्राम सेवक धरने पर बैठे हुए हैं, उनके बारे में सोचें।

श्री उपाध्यक्ष : कल करेंगे, उनको रिपीट करेंगे, बिराजें आप....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ग्राम सेवक आज प्रदर्शन कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : बाहर प्रदर्शन है बहुत भारी तादाद में प्रदर्शन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रचण्ड प्रदर्शन कर रहे हैं, हजारों की संख्या में आये हुए हैं।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उनका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो गया है। उनको नियमन करना है, यह सरकार ने पहले लिख कर दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकार उनसे बात नहीं कर रही, सरकार बात तो करे ग्राम सेवकों से।

श्री उपाध्यक्ष : यह सारी बात हो गयी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : पंचायतों का सारा काम चौपट हो गया है। इन ग्राम सेवकों के बारे में जो भी निर्णय आप करें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय डा. करण सिंह।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, इस सदन में यहां नहीं हैं लेकिन मेरी आवाज सदन की कार्यवाही में टंकित होकर जायेगी। यहां सदन के वरिष्ठ मंत्री....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। वह अस्वस्थ हैं और वह जवाब भी देने की स्थिति में नहीं है। उन्हें तकलीफ उस हिसाब से है। इसलिए इसको सस्पैंड कर देता हूं अभी।

डा. करण सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अत्यन्त लोक महत्व का मुद्दा है, मंत्रीजी चाहे उसका जवाब आगे दे देवें कभी आकर के क्योंकि....

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात तो सुनें।

डा. करण सिंह यादव : कल के लिए करा दें।

श्री उपाध्यक्ष : यही कह रहा हूं और मैं क्या कह रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को ही सस्पैंड कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, उनका स्वास्थ्य कल ठीक होगा तो कल लगवा देंगे।

डा. करण सिंह यादव : कल लगवा दीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह सरकार ही सस्पैंड हो जाये तो ठीक है ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी कटारिया .... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इस सरकार को ही सस्पैंड कर दो आप तो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री गायब, उनके समर्थक गायब, राज्य मंत्री गायब तो सरकार ही सस्पैंड हो जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, थोड़ा बहुत मानवीय दृष्टिकोण भी रखें....

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बांसवाड़ा जिले में वन कर्मियों द्वारा अवैध कटाई कराने से उत्पन्न स्थिति

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत बांसवाड़ा जिले के वन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विभाग के कतिपय कर्मचारियों द्वारा वनों की कथित रूप से अवैध कटाई करवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वन राज्य मंत्री का ध्यानाकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वन मंत्रीजी....(व्यवधान) माननीय सदस्य, सुनिये, कृपा करिये। बिराजें, बिराजें। आप बहुत दिनों बाद आये और अभी-अभी बोलने लग गये।

श्री भगराज चौधरी (राज्य मंत्री, वन) : उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में वन विभाग की रेंज, कुशलगढ़ के अन्तर्गत आने वाले राजपुरा वन क्षेत्र में सागवान के वृक्षों की अवैध कटाई सम्बन्धी समाचार दिनांक 6 अगस्त, 2001 के दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने पर जिला कलक्टर बांसवाड़ा ने उप खण्ड अधिकारी कुशलगढ़ से जांच करवायी। जिन्होंने प्रारम्भिक तौर पर मौके पर दो सागवान के पेड़ कटे हुए तथा सागवान के पेड़ों के कटे हुए 10 ठूंठ दिनांक 6.8.2001 को पाये। मामले की प्रस्तावित जांच को दृष्टिगत रखते हुए रेंज कुशलगढ़ के रेंजर कार्तिकेश्वर, सहायक वनपाल मानसिंह राणा तथा वन रक्षक देवेन्द्र कुमार को दिनांक 6.8.2001 को विभाग द्वारा निलम्बित कर दिया गया।

वन संरक्षक (पश्चिम), वृत्त उदयपुर ने अपने सहायक वन संरक्षक श्री जी.पी. सक्सैना से जांच करवाई जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.8.2001 को काटे गए दो सागवान के पेड़ तथा काटे हुए 35 सागवान के ठूंठ राजस्व भूमि में होना बताया। वन संरक्षक (पश्चिम वृत्त), उदयपुर ने इसकी जानकारी दिनांक 18.8.2001 को जिला कलक्टर, बांसवाड़ा को भी दी। वन क्षेत्र में कटाव नहीं पाए जाने के कारण निलम्बित किए गए कर्मचारियों को दिनांक 30.8.2001 को वन संरक्षक (पश्चिम वृत्त), उदयपुर द्वारा बहाल कर दिया गया। पेड़ों के काटे जाने की भूमि के सम्बन्ध में एसडी.ओ. की रिपोर्ट और उसके पश्चात् जो हमारे विभाग के अधिकारियों ने रिपोर्ट दी उसमें विवादास्पद स्थिति सामने आने के कारण से जिला कलक्टर, बांसवाड़ा ने मण्डल वन अधिकारी, बांसवाड़ा तथा उप खण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ को मौके पर जाकर निरीक्षण कर संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। जिस पर इन दोनों अधिकारियों द्वारा संयुक्त जांच की जाकर दिनांक 24.9.2000 को प्रतिवेदन जिला कलक्टर को प्रस्तुत किया गया। संयुक्त प्रतिवेदन में वन भूमि से दो सागवान के सूखे पेड़ काटे जाने तथा छह सागवान के पेड़ों के काटे हुए पुराने ठूंठ पाया जाना बताया गया। इन पेड़ों के नुकसान के सम्बन्ध में समय पर कार्यवाही नहीं करने के लिए सहायक वनपाल मानसिंह राणा तथा वन रक्षक देवेन्द्र कुमार त्रिवेदी को जिम्मेदार ठहराया गया। संयुक्त जांच रिपोर्ट में नुकसान के लिए जिम्मेदार पाए गए इन दोनों कर्मचारियों सहायक वनपाल मानसिंह राणा तथा वन रक्षक देवेन्द्र कुमार द्विवेदी को निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से बहुत

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आशाएं लिए हुए था कि ये कम से कम अपने विभाग में जिस प्रकार की अनियमितताएं होती हैं उनसे निश्चित रूप से सख्ती से निपटेंगे लेकिन जो उत्तर आपका पढ़ा, वह उत्तर, ऐसा आपने मन में कैसा लगा कि यह उत्तर आप यहां पढ़ेंगे तो आपका मन इसके बारे में गवाही देगा? मुझे अफसोस है इस बात का, कम से कम विभाग में अगर किसी प्रकार की अनियमितता हो गई और विभाग इसको रफा-दफा करने के लिए जो प्रयास कर सकता है, वह क्या अब मैं आपसे केवल दो-तीन बातें पूछना चाहता हूं। पहला तो यह बता दें कि इस वन को काटने में किया उस समय लगे हुए अकाल राहत के मजदूरों का उपयोग किया गया कि नहीं? एक तो यह बता दें और दूसरा, क्या सबसे पहले जांच जब कलक्टर, बांसवाड़ा को इसकी शिकायत हुई तो सर्वप्रथम कलक्टर, बांसवाड़ा ने ए.डी.एम. बांसवाड़ा को कह कर कुशलगढ़ के एस.डी.ओ., जिसकी रेंज में यह एरिया है, उसको इसकी जांच के लिए भेजा था? उसकी जांच रिपोर्ट के कंटेंट पढ़ दीजिए, उसने जांच की, उसमें क्या-क्या था? उसने हरेक के बयान लेकर इतनी परफैक्ट जांच की तुरन्त 6 तारीख को उसे भेजा और 4 तारीख को कलक्टर को यह सूचना मिली, उसमें उन्होंने 5-6-7, तीन दिन में अपनी पूरी जांच, उसके कंटेंट क्योंकि मेरे पास उसकी रपोर्ट है पूरी, अब आप उसको नहीं बताएंगे तो फिर मुझे बतानी पड़ेगी, बाद में बताने की आवश्यकता नहीं होगी। एक तो उस जांच रिपोर्ट को आप बताएं कि उसके कंटेंट क्या थे। दूसरा उसके बाद 6 तारीख के दिन ही उदयपुर के अखबारों में जब आया तो वहां आपके जो भी कंजरवेटर आफ फोरेस्ट है, उदयपुर पश्चिम का, उसने उसी दिन अपने एक अधिकारी को जांच अधिकारी लगाया विभाग का। इस विभाग के अधिकारी ने जांच की, उसके कंटेंट भी आप पढ़िए कि उसने सारा रफा-दफा करके सब मिट्टी में मिला दिया। उसने यह रिपोर्ट आपको जांच करके 17-8-2001 को दे दी। उसके बाद फिर कलक्टर, बांसवाड़ा ने क्या एक संयुक्त कमेटी जिसमें आपके एस.डी.ओ. भी थे और वह विभाग का एक अधिकारी भी था, जांच की, उस जांच के कंटेंट क्या थे? तीन जांच हो गई, पहली एस.डी.ओ. के द्वारा की गई जांच और उसके फाइंडिंग क्या थी। उसके बाद आपके विभाग ने किस तरह से उसको रफा-दफा करके 6 तारीख को सस्पैण्ड किया इन तीन लोगों को और 30 तारीख के दिन वापस आपके विभाग ने निर्दोष मानते हुए क्योंकि आपके विभाग के अधिकारी सक्सैना ने यह कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सब गलत, जमीन भी हमारी नहीं, पता नहीं उसने क्या-क्या किया? क्योंकि यह बहुत बड़ा पोथा है, अगर पढूंगा तो समय अधिक लगेगा। मैं पढ़ना चाहता हूं आप पढ़े ताकि कम से कम आपका अंतर्मन आपको कुछ मजबूर करे कि क्या चीज पढ़ रहा हूं अपने विभाग की। और तीसरा, जो संयुक्त जांच हुई, उस संयुक्त जांच में क्या-क्या कंटेंट थे और उसका निर्णय हुआ ये तीन आप सुना दे तो इससे समझ में आएगा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

फिर आपने वापस जब सस्पैण्ड किया तो इस विधान सभा में लगे हुए प्रश्न के आधार पर आपने उनका वापस सस्पैण्ड कर डाला। तो जो तीन थे उनमें से आपने इन छोटे छोटे दो अधिकारियों को रखकर, जो आपका रेंजर इसमें सस्पैण्ड किया था, जिसकी पहली जिम्मेदारी थी क्योंकि मेरे पास वे सारे एफिडेविट और उसके बयान है जिसमें स्वयं उस रेंजर का बयान है कि यह लकड़ी कैसे कटी, कहां गई। जिस आरा मशीन पर गई, उसके साथ कौन आपका कर्मचारी गया, उसने जा करके उस आरा मशीन के मालिक के बयान इसमें लिये हुए हैं। जिस गाड़ी में गई उस गाड़ी के नम्बर इसमें दिए हुए हैं जिस मस्टररोल पर वे मजदूर लगे हुए थे उस मस्टररोल के नम्बर उसमें दिए हुए हैं। उसमें कौनसी जगह पर यह मजदूर काम करता था। जिस मजदूर का उपयोग करके इन्होंने जंगलात से लकड़ी कटाई अपने अधिकारियों को लकड़ी भेजने के लिए जबरदस्ती, जिसके पास आपने चिराई के लिए भेजा था उसको मना कर दिया कि मैं यह चीर नहीं सकता जब तक आप इसका डाक्यूमेंट मुझे नहीं दिखाएंगे तब तक नहीं करूंगा तो उसको रेंजर का डर बताया कि नहीं, रेंजर साहब ने यह भेजी है, इसके कारण से उसने वह काटी और उसने कहा कि साढ़े सात हजार रुपए इसकी मजदूरी हुई, उसके एवज में आपके रेंजर साहब ने उसको दो हजार रुपए दिए। ये सारे डाक्यूमेंट के आधार पर है। तो मैं समझता हूं कि आप इन तीन चीजों को पढ़ दो कि पहला, एसडीओ. ने जांच की उसके क्या कंटेंट थे, दूसरा आपके अधिकारी वन विभाग ने की, उसके क्या कंटेंट थे, तीसरी संयुक्त जांच में किन-किन को दोषी माना। इन तीन को पढ़ दें तथा वन विभाग के अन्दर लगे हुए उस समय अकाल राहत के मजदूर ने इस जंगल को काटा कि नहीं काटा, इन तथ्यों को पढ़ दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जिला कलक्टर द्वारा सर्वप्रथम इस प्रकार की खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर एसडीओ., कुशलगढ़ को मौके पर जाकर इन्क्वायरी करके रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया। उस पर एसडीओ. मौके पर गया और उसने दो पेड़ सागवान के मौके पर काटे हुए पाए। इसके अलावा 10 पुराने सागवान के पेड़ के काटे हुए ठूंठ मौके पर पाए, इस तरह की रिपोर्ट जिला कलक्टर को दी। वह रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध नहीं है पर चूंकि कलक्टर ने जो रिपोर्ट हमारे पास भेजी है उसमें इसका सारांश दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। उसके पश्चात् यह बात सही है हमारे विभाग के स्तर पर भी अधिकारियों द्वारा जांच की गई, जिनके द्वारा एसडीओ. के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी.... उससे कुछ थोड़ा विरोधाभास था....

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : आप थोड़ा पढ़ कर सुना दो न।

श्री भगराज चौधरी : फिर जिला कलक्टर के द्वारा यह कहा गया कि चूंकि हमारे एसडीओ की रिपोर्ट तो यह है और आप यह बता रहे हैं इसलिए अच्छा यह

(श्री भगराज चौधरी)

होगा कि आप संयुक्त जांच करो जाकर के। उस पर एस.डी.ओ., कुशलगढ़ और हमारे विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाकर के फिर दुबारा जांच की, सारे रिकार्ड का सर्वेक्षण करके रिपोर्ट दी। वह सारांश मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : आ गए साहब, हैल्थ मिनिस्टर साहब। आप तो कह रहे थे कि तबीयत ठीक नहीं है। ये तो बिलकुल भले-चंगे हैं। साहब, भले चंगे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ?

श्री भगराज चौधरी : आप थोड़ा सुन लीजिए, माननीय सदस्य। Please, keep patience to hear me. I am giving reply to what you have said.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : You can reply in English.

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जोइंट रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मैं पढ़ रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं,नहीं। मैंने आपको जिस क्रम से कहा, पहले तो आप एस.डी.ओ. की रिपोर्ट के कंटेंट पढ़िए। दूसरा, आपके विभाग के जिस अधिकारी ने किया, उसका क्या वर्जन है और तीसरा, उसे बाद जो जोइंट कमेटी बनी उसका क्या वर्जन है। ताकि बात बिलकुल स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सच है, कौन गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़कर उसका कन्क्ल्यूज़न, लास्ट में उसका क्या कन्क्ल्यूजन रहा, वह बता दें।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एस.डी.ओ. द्वारा जो इन्क्वायरी करने के बाद रिपोर्ट दी गई वह जिला कलक्टर को दी गई थी उसकी प्रति हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास उपलब्ध है। मैं पढ़ देता हूं, आप विराजो। मैं भी आपने जैसा कहा, उतना ही पढ़ता हूं क्योंकि है तो बहुत लम्बी लेकिन मैं सारा नहीं पढ़ता। दुर्भाग्य है, अगर मंत्री भी यह कहें कि मेरे पास जांच की रपोर्ट नहीं है। कमाल हो गया। यह क्या बात हुई?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : आंर्डर, आर्डर प्लीज?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने यह सर्टीफाइड कापी ली है कलक्टर के यहां से। यह मैंने सर्टीफाइड कापी ली है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। वह क्या कह रहे हैं, उसका पाइंट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य, आप बिराजिये, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं। आप विराजिये, पाइंट आफ आर्डर है।

श्री रामनारायण चौधरी : पाइंट आफ आर्डर है। ओन ए पाइंट आफ आर्डर सर, 131 के नोटिस के तहत माननीय सदस्य ने मंत्री महोदय से वक्तव्य लिया है, पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला है।

(श्री रामनारायण चौधरी)

और उन्होंने इंफोर्मेशन दी है। ये कहते हैं उनके पास इंफोर्मेशन है तो मैं इंफोर्मेशन देता हूं। माननीय सदस्य के पास जब इंफोर्मेशन है तो फिर बाद में 131 के तहत सदन का समय क्यों उन्होंने जाया किया? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सदन को पता होना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : सदन को क्या पता होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह तो कोई बात नहीं हुई। यह दुरुपयोग नहीं हो रहा है समय का?

एक माननीय सदस्य : यह तो गलत बात है.... माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी : आप ऐसा नहीं ला सकते....(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पूरे सदन को पता होना चाहिए। सदन को पता होना चाहिए कि क्या गुल खिला रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : इंफोर्मेशन दे नहीं सकते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इंफोर्मेशन आपके मंत्रीजी के पास है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सदन को भी पता होना चाहिए कि क्या गुल खिल रहे हैं। राजस्थान की जनता को पता लगना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : An hon'ble member is supposed to seak information from the Government.

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आजकल तो सबको मिलती है रिपोर्ट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह रिपोर्ट...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मिलती है तो आपइंफोर्मेशन मांग क्या रहे हो?....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मांग रहा हूं मैं इनसे.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : When you are already in possession of the information.

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह उस रिपोर्ट के आधार पर अपने विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से जो लोग इसमें दोषी हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, यह मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय मंत्रीजी, इनके पास रिपोर्ट है और आपके पास नहीं है, यह कैसे सम्भव है।

एक माननीय सदस्य : आश्चर्य की बात है।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैने इस बात को स्वीकार किया है कि एस.डी.ओ. के द्वारा इन्क्वायरी करने के पश्चात् जो कलक्टर को रिपोर्ट दी है उस पर कलक्टर ने हमें जो पत्र लिखा है उसमें उसका सारांश दिया हुआ है, इसलिए ऐसी स्थिति में एस.डी.ओ. स्वयं की रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध होना कोई विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि कलक्टर ने उस रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए हमें पत्र लिखा है जिसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि

(श्री भगराज चौधरी)

एस.डी.ओ. के द्वारा मौके पर दो सागवान के पेड़ मौके पर काटा जाना और 10 पेड़ पुराने सागवान के कटे हुए होना, उनके ठूंठ मौके पर देखे गये। इस बात की पुष्टि कलक्टर ने अपने पत्र में की है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : पूरा तो कर लेने दो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, पूरा कर देंगे। क्या पूरा कर देंगे, इनके पास रिकार्ड ही नहीं है। क्या पूरा कर देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलना है, बोले जाओ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : रिपोर्ट ही नहीं है उनके पास।

श्री भगराज चौधरी : इसलिए कलक्टर ने हमको जो पत्र भेजा है....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सवाल यह है कि 131 का नोटिस दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : इनको समाप्त कर लेने दो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सरकार को जानकारी के लिए पहले नोटिस मिल गया, वे आज जवाब देने को तैयार हैं तो नकल नहीं, भेजें, उस रिपोर्ट की, वह उनके पास नहीं हो। या तो दवा रहे हैं.... (व्यवधान) क्या पढ़ दिया फिर आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तैयारी के साथ नहीं आये। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा की, पहला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस सत्र में आपने लगाया, हम आपके बड़ अहसानमंद हैं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कृपा काम नहीं आ रही ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : परन्तु पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्दर मंत्री महोदय होमवर्क करके नहीं आये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह नकल नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनके पास रिकार्ड नहीं है। जो रिकार्ड उत्तर में बताया, जिन लोगों ने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिन लोगों ने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में हमें भेजा है उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। पोस्टपोन कर दो कल के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। यह बात तो आप कह चुके, अब और क्या कहना चाहते हो। उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और पोस्टपोन कर दो कल के लिए। (व्यवधान) आप विराजों ना। मैंने कहा ना। यह नहीं कहा क्या आपको सुना नहीं क्या?

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस हद तक स्वीकार कर रहा हूं कि एस.डी.ओ. मौके पर गये थे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप रिपोर्ट मंगाकर पढ़ दीजिए उसका सब्सटेंस।

श्री भगराज चौधरी : मैंने पता किया था। The original report given by S.D.O. is not with us. He had given the report to the Collector.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : This is no way to reply.

श्री भगराज चौधरी : The Collector has sent.....(interruptions)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या बात हुई उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री भगराज चौधरी : एसडीओ. ने अपना प्रतिवेदन जिला कलक्टर....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किस-किस तथ्य पर बात करें हम ? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रकरण के अन्दर एसडीएम की रिपोर्ट वो रिपोर्ट है....

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न करो ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिसके आधार पर सिद्ध हुआ कि कुछ लोगों ने मिलीभगत करके कुशलगढ़ वन क्षेत्र के अंदर हजारों पेड़ काट दिये और उस रिपोर्ट को लेकर नहीं आये तो हम क्या जवाब लें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो यह बताएं कि दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे, बात तो यह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रिपोर्ट लेकर नहीं आये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : रिपोर्ट लेकर आये नहीं। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, दो पेड़ सागवान के कटे हुए होना पाया है और साथ में.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं क्षमा चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, हम डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वन विभाग के जंगल साफ हो रहे हैं। पूरे राजस्थान में वन विभाग के जंगल साफ हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : 10 पेड़ पुराने कटे हुए होना, उनके ठूंठ मौके पर पाये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, एक मिनट।

श्री भगराज चौधरी : उनके द्वारा दिया जाना कलक्टर ने बताया है और कलक्टर ने अपने प्रतिवेदन में.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उत्तेजित मत होओ, आप तसल्ली रखो, घबरा क्यों रहे हो। बिराजो, बिराजो।

श्री भगराज चौधरी : उस बात का उल्लेख किया है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, विराजें, एक मिनट। आप विराजें, एक मिनट।

श्री भगराज चौधरी : जहां तक कार्यवाही करने का प्रश्न है इस मामले में, यह हमारे पास.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक कार्यवाही करने का प्रश्न है इस मामले में, यह हमारे पास.... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्री महोदय, आपसे प्रार्थना करता हूं जब तक आप एसडीओ. की रिपोर्ट को पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस केस में कहां कौन-कौन लोग थे, उसमें एक-एक व्यक्ति के बयान लेकर सारा केस बनाकर पूरी जांच रिपोर्ट उसने दी है जो जांच रिपोर्ट हमने स्टाम्प लगाकर इसकी कापी ली है। उसमें यह सारी चीजें, एक के बाद एक,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कि किस आरा मशीन पर यह चीरा गया, कौन उसके साथ गाड़ी में बैठकर, कौन जीप लेकर वहां जाकर उससे चिरवाया। एक दो रुपये की नहीं है, तीन लाख से चार लाख की लकड़ी है। यह जो चीरी गयी है और जो काटे गये हैं और उसने बिलकुल एक एक ठूंठ को गिनकर यह संख्या बतायी है कि यह कौनसी जड़ है, इसमें आराजी नम्बर दिया है, इस आराजी नम्बर से इतने पेड़, इस आराजी नम्बर से इतने पेड़ और उसमें जितने मजदूर लगे थे उन मजदूरों के बयान इसमें हैं। वो ट्रैक्टर जिसमें यह ले जाया गया और उस ट्रैक्टर के मालिक का इसमें बयान है, ट्रैक्टर के ड्राइवर का इसमें बयान है, उस आरा मशीन के मालिक जिसने यह लकड़ी चीरी उसका बयान है, वो जहां गया इसमें सारे के सारे अधिकारियों के वर्शन है और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर, मंत्री महोदय, मैंने बात कही, इसमें तीन रिपोर्ट के आधार पर आप पढ़ेंगे तो आप स्वयं अपने आपमें स्पष्ट हो जाएंगे एस.डी.ओ. की क्या रिपोर्ट थी और इसी तरह से आपका वन अधिकारी गया सक्सैना, उसने क्या रिपोर्ट दी, उसको असत्य साबित करके उनको वापस बेहाल कर दिया। फिर वापस दो लोगों की एस.डी.ओ. प्लस आपके विभाग के अधिकारी की ज्वाइंट कमेटी जांच के लिए गयी। उस जांच कमेटी ने भी वहीं वर्ज़न, जो एस.डी.ओ. ने कहा था उसमें थोड़ा-बहुत, कहीं, उन्होंने 10 कहा तो इन्होंने आठ कहा, इसमें पेड़ों का अन्तर है कही, बाकी सारी बातें उस ज्वाइंट कमेटी ने, आप कहो तो मैं इन तीनों को पढ़ देता हूं। अगर इस तरह से आप यह उत्तर देंगे कि आपके पास कलक्टर का पत्र है, मुझे जो उत्तर आपने दिया है उसी में आपने यह बताया कि ये तीन जांच हुईं। आपने अपने वर्शन में बताया है। तो हम यह तो पूछ सकते हैं कि ये तीन जांच क्या हैं, इनका कंटेंट क्या हैं, जांच में क्या हुआ, क्या उनका निष्कर्ष है, वो तो आप पढ़ो तब तो पता लगेगा कि क्या स्थिति है।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान) थोड़ा सुन लीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दो नहीं है, यही तो आश्चर्य है। असत्य है। (व्यवधान) यही तो असत्य है।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर पाली जिले में लाम्बिया कालू के जोड़ में चार हजार खेजड़ियां काटी गयीं। मंत्री महोदय ने 65 हजार रुपये वसूल किये। चार हजार खेजड़ी काटी गयीं। पूरे राजस्थान का जंगल कट रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं थोड़ा-सा पढ़ता हूं।

श्री केसाराम चौधरी : पूरे राजस्थान में जंगल के जंगल कट रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह आपके विभाग के लोग कर रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी : पाली जिले के लाम्बिया कालू में चार हजार खेजड़ी काटी गयी और 65 हजार रुपये वसूल किये।

श्री शिवनाथ सिंह : क्या रेलेवेंस है उसका यहां। माननीय उपाध्यक्षजी.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पूरे राजस्थान को साफ ही कर दो ना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर इस तरह से जवाब होगा तब तो.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वन मंत्रीजी बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान) एक मिनट, माननीय मंत्रीजी, बहुत सीधी सी बात है, आपके पास इन तीन रिपोर्टस् की क्या फाइंडिंग्स है वह बता दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बस, बस, उपाध्यक्ष महोदय, आप महान् हैं।

श्री भगराज चौधरी : मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : Whatever you have got ?

श्री भगराज चौधरी : मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि एस.डी.ओ. कुशलगढ़ द्वारा मौके पर जाकर....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह नहीं, आप एस.डी.ओ. की रिपोर्ट संख्या से लेकर किस तारीख.... (व्यवधान) नहीं, उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये ना उनको।

श्री भगराज चौधरी : जो रिपोर्ट जिला कलक्टर को दी है उसके सम्बन्ध में जिला कलक्टर ने हमको पत्र लिखा है जिसमें दो पेड़ सागवान के एस.डी.ओ. द्वारा मौके पर काटा जाना पाया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह नहीं है। मैं आपको पढ़ देता हूं पूरा। (व्यवधान) पांच मिनट लगेंगे, मैं पढ़ देता हूं कि कलक्टर ने इस रिपोर्ट में क्या कहा। दो पेड़ कहां से लाये आप? ये दो पेड़ आप कहां से लाये?

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको सुन तो लो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह कहां से लाये आप?

श्री उपाध्यक्ष : इनको सुन तो लो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपको थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछा उसका जवाब तो सुन लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ये मिसलीड कर रहे हैं। हाउस को मिसलीड कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : He is misleading the House.

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको मालूम है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्रीजी, आप तो ईमानदार हो, आप तो बताओ उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे। आपने पहले कहा चपरासी से लेकर पी.सी.सी.एफ. तक बेईमान, भ्रष्ट हैं। (व्यवधान) वो भ्रष्ट हैं, आप तो ईमानदार हो। मंत्रीजी, आप तो ईमानदार हो, आप कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे, आप यह बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 131 पढ़ना चाहता हूं। आप नियम 131 पढ़ें।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पढ़ लिया इसको। आप बिराजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं सुनाता हूं आपको।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पढ़ लिया इसको, लेकिन यदि माननीय सदस्य कोई पाइंटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : पाइंटेड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यही तो पूछा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे दस्तख्त हैं। (व्यवधान) हम हस्ताक्षरकर्ता हैं। चौधरी साहब, हम हस्ताक्षरकर्ता हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : जो सागवान के पेड़ काटे.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम हस्ताक्षरकर्ता हैं इसके अन्दर। हमारे दस्तख्त हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : यह 131 का कोई औचित्य नहीं है, मान्यवर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमारे दस्तख्त हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : 131 (2) को पढ़िये आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप 131 को पढ़िये।

श्री रामनारायण चौधरी : It is of grave public importance....

श्री उपाध्यक्ष : आप 131 को पढ़िये।

श्री रामनारायण चौधरी : ....requiring the immediate intervention of the State Government.

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी तो ईमानदार हैं, पहले इन्होंने कहा था मेरे विभाग में चपरासी से लेकर पी.सी.सी.एफ. सभी चोर हैं, सब भ्रष्ट हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको पढ़िये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तो ईमानदार मंत्री इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं?

मंत्रीजी बहाना क्यों ढूंढ रहे हैं। आप दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे। आप कृपा करके यह

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बतायें, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं या नहीं।

आप यह सब जांच रिपोर्ट तो छुपा गये। ये कागज आपके पास हैं नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्रीजी क्या बताएंगे ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरे भी दस्तख्त हैं इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : मेहरबानी करके आप इसको पढ़ लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहां से आ गये। बांसवाड़ा की बात में आप कहां से आ गये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरे भी दस्तख्त हैं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बांसवाड़ा का हो चाहे अलवर का हो, मैं राजस्थान का हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो तो सही। आपको बोलने देंगे बिराजो। एक मिनट। माननीय सदस्य, 131 का पार्ट दो बहुत क्लियर है।

"After the motion has been put on the list of business, immediately after the questions and before the list of business is entered upon, the member who has given notice of the motion, may, while calling the attention of the Minister, read his motion and the Minister shall make a Statement."

यह पार्ट तो खतम हो गया, स्टेटमेंट दे दिया मिनिस्टर ने।

Thereafter a Member, who have given a notice and another member who have given a previous intimation to the Speaker, may seek clarification from the Minister.

यह क्लेरीफिकेशन सीक कर रहे हैं कि एस.डी.ओ. की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स बता दीजिए। तो बता दीजिए न, इसमें क्या है।

श्री रामनारायण चौधरी : He has given the clarification.

(14.00 बजे)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप यह चाहो, कोई यह पूछे उसका जवाब नहीं देने देंगे, ऐसा नहीं होगा। इन्फार्मेशन सीक की गई है उसका जवाब देना पड़ेगा।

श्री शिवनाथ सिंह : ऐसा नहीं है, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : नियमों का पालन नहीं हो रहा है।

श्री शिवनाथ सिंह : कि यहां 131 में यह इन्फार्मेशन मांग रहे हैं और माननीय मंत्री महोदय ने जितनी भी जांच हुई उनका सार बतला दिया। अब ये कहें कि एस.डी.ओ. की पूरी रिपोर्ट हमको पेश करो।

श्री उपाध्यक्ष : ये डिनाई करें न, डिनाई कर दें। (व्यवधान) यह कहें तो सही। What is wrong in it ?

श्री शिवनाथ सिंह : हमको नहीं दे रहे हैं, साहब। अब माननीय सदस्य यह कहें कि एस.डी.ओ. की रिपोर्ट पूरी पेश करो उसमें किस-किस ने बयान दिये थे, कहां क्या बयान हुए, यह सब डिटेल्स हैं वह इस सदन में मेरे खयाल से समय के हिसाब से अच्छा नहीं होगा। जो एस.डी.ओ. की रिपोर्ट है उसका कनक्लूजन है वह माननीय मंत्री महोदय दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको शायद ध्यान नहीं है, मैंने पहली दफा यही बात कही कि आप जो तीनों क्वेश्चंस पूछे गये उनकी फाईडिंग्स पढ़ दो।

श्री शिवनाथ सिंह : हां, यही तो बता रहा हूं न।

श्री उपाध्यक्ष : यही तो कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं इनको ?

श्री शिवनाथ सिंह : ये नहीं कह रहे हैं, ये नहीं मान रहे हैं, इस बात को।

श्री उपाध्यक्ष : ये नहीं कह रहे हैं इस बात को।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने यही कहा कि तीनों जांच का सार पढ़ दो।

श्री शिवनाथ सिंह : आपका कहना है कि उसमें एफ. आर. दो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : यहां और भी सब कुछ होता है और यदि हरेक आदमी का बयान लिया जाएगा, वह यहां पेश किया जाएगा तो मेरे खयाल से कोई अन्त नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : हम कह ही नहीं रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरी यह मंशा थी ही नहीं कि रिपोर्ट सारी पढ़ो मैंने तो रेफरेंस के लिए बताया था।

श्री उपाध्यक्ष : Whatever you have got reply, खतम करो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने यह नहीं कहा था कि आप सारी रिपोर्ट पढ़ो, मैंने तो यह कहा था कि ये तीन रिपोर्ट हैं आपके पास।

श्री रामनारायण चौधरी : ये रिपोर्ट हैं, ये सीक कर सकते हैं।

He is not seeking any information. He is giving the information.

श्री उपाध्यक्ष : No he is seeking information. He is not giving information. बिराजिये, बिराजिये। He is seeking information because he has not given the information, therefore he is giving the information which I am not allowing him.

श्री रामनारायण चौधरी : He has given the information.

श्री उपाध्यक्ष : I am asking the Hon'ble Minister that he should pointedly reply to the 3 questions which he has pointed out. Whatever answer or reply he has got, let him give.

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, इनको बयान का सारांश मांगने का पावर है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : जांच का सारांश जान सकते हैं ये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : लेकिन जांच की पूरी रिपोर्ट हो, वह सदन में यहां आ नहीं सकती इसलिए हमारा निवेदन है कि सारांश रूप से वह पढ़ दें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : फाइंडिंग यह है।

श्री उपाध्यक्ष : कह कौन रहा है उनको?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फैक्ट्स और फाइंडिंग्स यह है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे? फैक्ट्स और फाइंडिंग्स तो यह हैं। अब आप उनके खिलाफ कार्यवाही कब करेंगे, कैसे करेंगे ये बतायें। अब इस 131 पर ज्यादा लैक्चर नहीं हो।

श्री भगराज चौधरी : Government has already taken action against those who have been found involved in this case. जो भी कर्मचारी इस केस में लिप्त पाये गये हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही चालू कर दी गयी है और आज भी वह निलम्बन की स्थिति में हैं इसलिए आप क्या करवाना चाह रहे हैं? बात यह है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम तो यही पूछना चाहते हैं कि इनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की है?

श्री भगराज चौधरी : यह बात सही है कि एक बार एस.डी.ओ. कुशलगढ़ द्वारा इन्क्वायरी जिला क्लक्टर द्वारा करवाई गई जिसकी रिपोर्ट जिला कलक्टर, बांसवाड़ा को दी गई। बांसवाड़ा जिला कलक्टर ने हमें जो पत्र भेजा है उसमें एस.डी.ओ. की फाइंडिंग्स का सार दिया हुआ है जिसको मैंने आपको भी सुना दिया कि दो पेड़ सागवान के काटे हुए पाये और 10 पेड़ पुराने सागवान के काटे हुए थे जिनके ठूंठ मौके पर उन्होंने मौजूद बताये, यह सार है एस.डी.ओ. की रिपोर्ट का। उसके पश्चात् हमारे विभाग के जो अधिकारी है मि. सक्सैना जो ढी.ए.टू सी.सी.एफ. है जिनके द्वारा जांच की गई, उनके द्वारा जांच करने पर उन्होंने पेड़ काटना बताया मगर साथ में यह कहा कि ये हमारे वन विभाग की भूमि में से नहीं काटे गये हैं। ये बहुत सारे पेड़ तो राजस्व भूमि में से काटे हैं, इस प्रकार की उन्होंने रिपोर्ट दी। उस पर जब वह रिपोर्ट कलक्टर को भेजी तो कलक्टर ने कहा कि आपकी रिपोर्ट तो यह है कि राजस्व भूमि में से काटे गये हैं जब कि एस.डी.ओ. यह कह रहे हैं कि दो पेड़ तो वन विभाग की भूमि में से काटे हैं और शेष 10 पेड़ सागवान के कटे हुए ठूंठ मौके पर मौजूद हैं, दोनों की रिपोर्ट्स मेल नहीं खा रही हैं इसलिए आप ऐसा क्यों नहीं करें कि दोनों अधिकारी मौके पर जावें और सारे एरिया को देखकर घूम-फिरने के पश्चात् आप जोइंट, रिपोर्ट पेश करें कि आखिर में स्थिति क्या है, आया वन क्षेत्र में से काटे गये हैं, यदि हां, तो कितने काटे गए हैं और राजस्व भूमि में से काटे हैं तो कितने काटे हैं, कब के काटे हुए हैं, कब के नहीं हैं। इस प्रकार की जांच आप देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इस पर दोनों अधिकारी एस.डी.ओ. कुशलगढ़ और हमारे वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जाकर उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसका सारांश मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। उसका सारांश यह है :—

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजपुरा वन क्षेत्र में वृक्षों की हुई कटाई की संयुक्त जांच रिपोर्ट वन अधिकारी, बांसवाड़ा एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता, उप खण्ड अधिकारी द्वारा जो दी गई है जिसकी रिपोर्ट जिला कलक्टर द्वारा हमको भेजी गई है, उसका सार यह है। राजपुरा जंगल में वृक्षों की हुई कटाई की संयुक्त जांच रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नप्रकार है। प्रथम बिन्दु यह है—वृक्ष कितनी संख्या में काटे गये हैं। यह बिन्दु है। दो सूखे सागवान के वृक्ष काटे गये हैं इसके अलावा मौके पर अन्य पुराने ठूंठ भी काटे हुए पाये गये। जिनकी कुल संख्या 10 है। यह जोइंट रिपोर्ट है। श्रमिक पवन पिता राम और एवजी पर कार्य करने वाले द्वारा निशानदेही करवाई गई जिसमें एक वृक्ष का ठूंठ ताजा काटा गया था और एक वृक्ष का ठूंठ पुराना पड़ा हुआ था। यह वृक्ष जिस भूमि में से काटे गये हैं वह भूमि किसकी है दूसरा बिन्दू यह है। उपरोक्त् दो वृक्षों सहित कुल 10 वृक्ष ग्राम

(श्री भगराज चौधरी)

खानपाड़ा के मजरा राजपुरा में निम्न सर्वे नम्बरान में से काटे गये हैं उसका विवरण निम्नप्रकार है। यह रिपोर्ट भूमि का डिमार्केशन करने के पश्चात् पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर यह आइडेंटिफाई किया गया कि आया यह पेड़ किस भूमि में से काटे गये हैं। खसरा नम्बर और रकवा नम्बर फलां-फलां, विभाग का नाम, वन भूमि पर काटे गये वृक्षों का विवरण। वन विभाग की भूमि में से दो सागवान के वृक्ष काटने के ठूंठ मौजूद हैं, खसरा नम्बर 245/145, यह वन विभाग की भूमि है। खसरा नम्बर 246/128, वन विभाग की भूमि है और दो सागवान वृक्षों के पुराने ठूंठ मौके पर काटे हुए मौजूद हैं। खसरा नम्बर 247/156, वन विभाग की भूमि है और ये दो सागवान वृक्षों के ठूंठ मौके पर काटे हुए मौजूद हैं। उपरोक्त काटे गये वृक्षों के 10 ठूंठ मौजूद हैं। जिनमें से 6 वन भूमि के अन्दर स्थित हैं और 4 जो मौके पर पेड़ काटे गये ठूंठ पाये गये थे वह वन विभाग की भूमि में से नहीं पाये गये, वह वन विभाग की भूमि से बाहर पाये गये और सारे काटे गये 10 वृक्षों के ठूंठ मौजूद हैं। उक्त वृक्षों के काटने के समय का अनुमान कब काटे गये हैं, यह प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन काफी पुराने लगते है, कुछ खसरा नम्बर ऐसे हैं जो वन विभाग के हैं, कुछ राजस्व विभाग के हैं खातेदारी के हैं, नक्शे में सर्वे में नहीं दिये जाने के कारण से स्पष्ट तौर से यह कहा जाना मुश्किल है कि काटे हुए पेड़ वन विभाग की भूमि में स्थित हैं अथवा राजस्व भूमि में स्थित हैं। यह जोइंट रिपोर्ट है। फिर देखिये, वन विभाग की भूमि पर खड़े वृक्षों की जिम्मेदारी वन विभाग के कर्मियों द्वारा निभाई जाती है। वन क्षेत्र में वृक्ष काटने पर राजस्थान वन अधिनियम की धारा 253 के तहत कार्यवाही की जाती है जिसके लिए वनकर्मी सक्षम हैं लेकिन गैर वन भूमि में से काटे जाने पर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्षजी, अब ये रूकने वाले नही हैं, ये पूरा ही देंगे जवाब।

श्री मोहन लाल मोदी : पर्याप्त हो गया, पर्याप्त हो गया, समय का ध्यान रखें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, फाइंडिंग्स बता दी आपने।

श्री भगराज चौधरी : उसके पश्चात् चूंकि जोइंट रिपोर्ट में यह पाया गया है कि वन कर्मचारियों की नैग्लीजैंसी, लापरवाही से दो सागवान के पेड़ मौके पर काटा जाना पाया गया और पुराने 10 सागवान के पेड़ काटे जाने के ठूंठ मौके पर पाये गये इसलिए उनकी जिम्मेदारी को मानते हुए उन पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनको तत्काल हमने सस्पैंड कर

(श्री भगराज चौधरी)

दिया है और इस मामले में उनके खिलाफ में डिसिप्लीनरी कार्यवाही चालू कर दी है। नम्बर एक।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं हम बोलेंगे, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या बोलोगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई जरूरी नहीं है। सस्पैंड कर दिया, अब क्या पूछोगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा पाइंटेड सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, फिर ध्यानाकर्षण का अर्थ क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : बोल गये, एक मैम्बर, अलाउ कर दिया इनको, नाट नेसेसरी कि अब सब बोलें, कोई जरूरी नहीं कि सब मैम्बर बोलें। आप नियम पढ़ लो। पढ़ो न इसको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 131 में जो सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर करता है वह पाइंटेड सवाल पूछ सकता है। आप क्यों डिप्राइव कर रहे हो अपने हिसाब से।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ सकता है लेकिन विदाउट परमिशन आफ स्पीकर नहीं पूछ सकता। पढ़ो इसको।

श्री भगराज चौधरी : नहीं, I have given my reply.

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बिराजें, मैं नहीं दूंगा आज्ञा।

श्री भगराज चौधरी : मैं बहुत विश्वस्त जानकारी दे रहा हूं आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन को सब अधिकार हैं। आसन में सब अधिकार निहित हैं, (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, यह छोटी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बिराजिये। (व्यवधान) बिजनेस लम्बा है इसलिए मेहरबानी करो।

एक माननीय सदस्य : मेरा तो एक पाइंटेड सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि चिकित्सा राज्य मंत्री पधार गये हैं.... (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि थोड़ा सुनने का धैर्य रखें। हमें जब कभी इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं हमने क्या कार्यवाही की है। यह सब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, निवेदन पूरा करिये आप।

श्री भगराज चौधरी : वर्ष 2000-2001 के अन्दर जब भी इस प्रकार की शिकायतें हमें मिली हैं तो हमने 942 मामलों में मुकदमें दर्ज किये हैं 942 of such

(श्री भगराज चौधरी)

cases have been registered. उसके पश्चात्.... (व्यवधान)।

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, दो सागवान के पेड़ कटे हैं। मंत्री महोदय ने यह कहा है कि ये पुराने पेड़ हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ..... कोयले के ट्रक जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, विराजिये प्लीज। विराजो-विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोलो-बोलो मंत्रीजी, राजस्थान में आपकी जैसी छवि है उस छवि को क्यों नष्ट करना चाहते हो?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, इतने ईमानदार आदमी हैं उनकी बात को दबाया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी छवि है राजस्थान के अन्दर।

श्री भगराज चौधरी : मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि भविष्य में भी जब कभी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ....छवि खराब करना चाह रहे हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो न।

श्री भगराज चौधरी : भविष्य में भी जब कभी इस प्रकार की घटना हमारे सामने लाई जाएगी, निश्चत तौर पर उसमें नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : ....बहुत लम्बा हो जाएगा, आठ बजेगी। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : पार्टी के लोग छवि खराब करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : पूर्व में भी जब-जब ऐसी घटना हमारे सामने आयी है, 1960 मुकदमें दर्ज किये हैं। और जो व्यक्ति इसमें दोषी पाये गये हैं....

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, एक इतना ईमानदार आदमी है उसकी बात को नहीं दबाया जाए।

श्री भगराज चौधरी : उनसे 10 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किये गये हैं। 10 लाख रुपये एक साल के अन्दर, वर्ष 2000-2001 के अन्दर वसूल किये हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कार्यवाही नहीं कर रहे हो अब क्या जुर्माना करोगे।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आज ही मेरा प्रश्न था, मैं आपकी बात से संतुष्ट हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया, हो गया न।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : हम इनकी बात से संतुष्ट हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या यह सच है कि इनके ही कर्मचारी श्री देवेन्द्र कुमार, वन रक्षक ....(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उसको सस्पैण्ड कर दिया क्या आपने, सस्पैंड कर दिया अब उसको छोड़ो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप सुनो तो सही। क्या यह सारा जो है वह आरा मशीन पर ले जाकर चिराने के लिए स्वयं उपस्थित हुआ था या नहीं?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : वह सस्पैण्ड कर दिया उसको सस्पैण्ड कर दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपका अधिकारी तो ना कहता है कि नहीं हुआ जब कि उसने स्वयं ने यह जाकर के पूरी की पूरी लकड़ी जो लगभग 3-4 लाख रुपये की थी, सारी की सारी चिराई या नहीं चिराई? वह स्वयं वहां जाकर के गाड़ी में, जीप लेकर के मौके पर जाकर के जबरन चिराई या नही चिराई आरा मशीन से?

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : यह फारेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : फारेस्ट विभाग का ही है।

श्री भगराज चौधरी : लकड़ी तीन लाख रुपये की नहीं थी। यह तथ्य जरूरी इन्क्वायरी में सामने आया है कि हमारे वन विभाग के कर्मचारी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो-बिराजो। माननीय राजेन्द्र राठौड़, बिराजो। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : लकड़ी कितने रुपये की थी?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, वह उस रिकार्ड में है।

श्री उपाध्यक्ष : बोल लिये।

श्री भगराज चौधरी : वन विभाग के कर्मचारी देवेन्द्र कुमार द्वारा आरा मशीन पर लकड़ी पहुंचाने की इन्क्वायरी में सामने आयी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें छोटे वन कर्मियों को फंसाया जा रहा है।

माननीय मंत्रीजी, मेरा इसमें पाइंटेड सवाल है कि आप छोटे वनकर्मियों को क्यों फंसाना चाहते हैं जब कसूर है सी.सी.एफ. का, कसूर है रेंजर का? यह सारी लकड़ी काटकर के सरकारी पब्लिक रिलेशन आफिसर, पी.आर.ओ. के घर पर गई है और आप यह कह रहे हो कि चार बार जांच करवाई है इसके अन्दर। एक बार एस.डी.ओ. ने जांच की....(व्यवधान) एक बार एस.डी.ओ. और सी.सी.एफ. ने मिलकर जांच की....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर करण सिंहजी। बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक बार सी.सी.एफ. ने जांच की। चारों जांचों में जो दोषी पाये गये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह बता दी न। यह सारी बता दी। रिपीट हो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सी.सी.एफ. के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? छोटे कर्मचारी...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ये दो छोटे कर्मचारी को सस्पैण्ड कर देंगे और जो बड़े अधिकारी हैं, जिन्होंने लकड़ी काम में ली है, जिनके कारण से उन दोनों को....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सवाल यह है कि छोटे कर्मचारी को....

डा. किरोड़ी लाल : .... वह नीचे वाले को नहीं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह नीचे वालों को कह कर....(व्यवधान) आप उस रेंजर को क्यों नहीं सस्पैण्ड करना चाहते हैं? छोटे कर्मचारी को सस्पैण्ड करके बहुत बड़ा तमगा ले रहे हो। जिस अधिकारी के आदेश से उन छोटे कर्मचारी ने यह काम गलत किया, उनके दबाव में किया उनको तो आप सजा दे रहे हो जो केवल अपने अधिकारी को खुश करने के लिए मजबूरन उसको ले जाना पड़ा। जो आपको रेंजर हैं वह सस्पैण्ड क्यों नहीं हुआ? जहां यह लकड़ी गई है उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई? जो बड़े अधिकारी हैं जिनके लिए ये छोटे कर्मचारी लकड़ी इकट्ठी करके आपके हुकुम की तामील करके भेजते हैं वे तो फांसी पर लटका दिये जाते हैं और जिनके आधार यह सारी बेईमानी हो रही हैं उनको आप बिलकुल सूखा छोड़ देते हो। आप यह कहो कि क्या वे दो अधिकारी, जिनके कारण से इन छोटे अधिकारियों को मजबूरन यह काम करना पड़ा और साथ जाकर के कटवाना पड़ा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो-बिराजो। हो गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप उन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं? बस इतनी बात बता दीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्रीजी, आप तो ईमानदार हो, उन अधिकारियों को मलाई क्यों चटाना चाहते हो?

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर करण सिंहजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ....आप फारेस्ट, रेंजर, सी.सी.एफ. पी.सी.सी.एफ. को क्यों मलाई चटाना चाहते हो? (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, आप फारेस्टर, रेंजर और पी.सी.सी.एफ., सी.सी.एफ. को मलाई क्यों चटाना चाहते हो? उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करना चाहते हो?

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें सारा दोष रेंजर का हैं सारा कुकृत्य रेंजर ने किया है। रेंजर ने लकड़ी कटाई। चार लाख की लकड़ी कटी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : .... उपाध्यक्ष महोदय, यह अफसरों के घर के दरवाजे, खिड़कियां बनने के लिए आयी है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : छोटे कर्मचारियों को मारा जा रहा है और बड़े कर्मचारियों को बचाया जा रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : : यह शीशम, सागवान की लकड़ी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : .... आपके आदेश से मान लो मैं कोई काम करूं तो मुझे तो फांसी पर लटका दो और आप मुक्त हो जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दी न बात। डाक्टर करण सिंहजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : छोटे कर्मचारी की कोई हिम्मत नहीं होती। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, चोर की जगह चोर की मां को मार डालो तो इलाज हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात को नोट कर लिया उन्होंने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप इतना तो कह डालो कि उसकी जांच करके अगर उनका कोई दोष होगा तो उनके साथ भी सजा होगी या नहीं? रेंजर के साथ होगी या नहीं होगी? यह कह दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कह चुके वो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्रीजी, जो आपके बड़े अधिकारी हैं, जिनके इशारे पर इन छोटे कर्मचारियों को यह गलत काम करना पड़ा....

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप उनको सस्पैण्ड करेंगे क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ....उनके खिलाफ भी आप कार्यवाही करेंगे क्या? बस इतना ही चाहते हैं और क्या।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : .... आप सस्पैण्ड कर दो, ईमानदार हो, साहसिक हो, डर क्यों रहे हो आप?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अंग्रेजी में जवाब दो, साहब।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मामले में चाहे कितना ही बड़ा कोई अधिकारी इसमें इन्वाल्व पाया जाएगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर करण सिंहजी। वह पहले ही कह दिया।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मंत्री हो तो आप जैसा।

रैफरल अस्पतालों एवं जिला चिकित्सालयों में निश्चेतना विशेषज्ञों की कमी

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों, रेफरल अस्पतालों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पतालों में निश्चेतना विशेषज्ञों की भारी कमी से स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाली असुविधाओं के क्रम में माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यानआकर्षित करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : उपाध्यक्ष महोदय, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने निश्चेतना विशेषज्ञों के बारे में जो ध्यानाकर्षण करने का आग्रह किया है उसके सम्बन्ध में वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि जो डायरेक्टोरेट विंग है हमारी राजस्थान में, उसमें एस.एस. जो वरिष्ठ विशेषज्ञ निश्चेतना है उसके पद जो सृजित हैं वे छः जगह पर हैं। महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा, सामान्य चिकित्सालय भरतपुर, जिला चिकित्सालय कांबटिया जयपुर, सामान्य चिकित्सालय श्रीगंगानगर, सामान्य चिकित्सालय अलवर, बांगड़ चिकित्सालय पाली। इसके साथ ही राज्य में कनिष्ठ विशेषज्ञ निश्चेतन के 54 पद विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत हैं। इसकी सूची संलग्न है। इसके अतिरिक्त 64 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी स्नातकोत्तर, जिन्होंने निश्चेतना में पोस्ट ग्रेजुएट किया है, इसमें से 42 निश्चेतना के चिकित्सक जिला स्तर पर, 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर एवं 11 चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर पदस्थापित हैं। सामान्य चिकित्सालय अलवर में निश्चेतना विशेषज्ञ के दो पद क्रमशः एक पद वरिष्ठ विशेषज्ञ और एक पद कनिष्ठ विशेषज्ञ स्वीकृत हैं वरिष्ठ विशेषज्ञ निश्चेतना का पद इसी महीने में सेवा-निवृत्ति के कारण रिक्त हो गया और कनिष्ठ विशेषज्ञ का स्थानांतरण दसवें महीने में हो गया परन्तु उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया है एवं इनकी सेवाएं सामान्य चिकित्सालय अलवर में ली जा रही हैं। इसके साथ ही सामान्य चिकित्सालय अलवर में चिकित्सक के पद पदस्थापित डाक्टर अर्चना आहूजा, जो निश्चेतना में स्नातकोत्तर हैं, उनकी सेवाएं भी निश्चेतना कार्य में ही उपयोग में ली जा रही हैं। इसके अलावा निश्चेतना विशेषज्ञ के चिकित्सकों के पद सृजित किये जाने की कार्यवाही भी पृथक से विचाराधीन है। कालेज शाखा के सन्दर्भ में राज्य में जो 6 मेडिकल कालेज चल रहे हैं उसमें सम्बद्ध चिकित्सालयों में जो स्थिति है वह इस प्रकार है—

जयपुर मेडिकल कालेज में प्रोफेसर के 6 पद स्वीकृत हैं, 6 ही कार्यरत हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के 6 पद स्वीकृत हैं, 6 ही कार्यरत हैं। जिनमें 19 कार्यरत हैं तथा

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

तीन रिक्त हैं। अजमेर में आचार्य का एक पद स्वीकृत है, एक ही कार्यरत है। एसोसियेट प्रोफसेर के दो पद स्वीकृत हैं, दो ही कार्यरत हैं और सहायक आचार्य के 9 पद स्वीकृत है और 8 कार्यरत हैं, एक रिक्त है। कोटा में आचार्य के दो पद स्वीकृत हैं, दो ही कार्यरत हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के तीन पद स्वीकृत हैं, तीन ही कार्यरत हैं और सहायक आचार्य के 6 पद स्वीकृत हैं, 6 ही कार्यरत हैं।

जोधपुर में प्रोफेसर के दो पद स्वीकृत हैं, दो कार्यरत हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के चार पद स्वीकृत हैं, चार ही कार्यरत हैं और सहायक आचार्य के 10 पद स्वीकृत हैं, नौ कार्यरत हैं, एक रिक्त है। उदयपुर के अन्दर दो प्रोफसर के पद स्वीकृत हैं, दो ही कार्यरत हैं। एसोसियेट प्रोफेसर के दो स्वीकृत हैं और दो ही कार्यरत हैं और सहायक आचार्य के 12 स्वीकृत हैं, छह कार्यरत हैं, छह पद रिक्त हैं। बीकानेर में दो प्रोफेसर के पद स्वीकृत हैं, दो ही कार्यरत हैं, और एसोसियेट प्रोफेसर के तीन पद स्वीकृत हैं, दो कार्यरत है, एक कोर्ट स्टे के कारण रिक्त है। सहायक आचार्य के आठ पद स्वीकृत है छह कार्यरत हैं, दो रिक्त हैं।

उक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य और सह आचार्य के सभी स्वीकृत पद लगभग भरे हुए हैं। बीकानेर में रिक्त रहने का कारण राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर द्वारा स्थानान्तरण पर स्टे देने के कारण रिक्त है तो सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु अर्चना हमने आर.पी.एस.सी. अजमेर को क्रमशः दिनांक 10.4.2001 को प्रस्तुत कर दी थी तथा आक्षेप जो उन्होंने लगाये थे, उसकी पूर्ति का पत्र भी हमने 3.8.2001 को आर.पी.एस.सी. को भेज दिया है और जैसे ही चयनित चिकित्सक उपलब्ध होंगे रिक्त पदों को भर दिया जायेगा। यह भी निवेदन है कि सभी मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित चिकित्सालयों में कहीं भी शल्य कार्य पर लगभग विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

डा. करण सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, और कोई बात हो तो, इसकी तबीयत ठीक नहीं हैं।

डा. करण सिंह यादव : बात तो बहुत है, पांच मिनट का समय लूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डाक्टर साहब, घर पर पूछ लेना ना। तबीयत ठीक नहीं है। क्या पूछना है?

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा बोलो बोलो। आप बोलो।

डा. करण सिंह यादव : मेरा निवेदन है, अभी मंत्रीजी के जवाब से ऐसा लगा कि राजस्थान में एनेस्थीसिया प्रचुर मात्रा में है और राजस्थान में जितने सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र हैं, उन सब में एनेस्थेसिस्ट उपलब्ध हैं। पर, मंत्री महोदय, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपके स्वयं के जवाब में अभी जो आपने पढ़ा, उसमें आपने वर्णित किया है कि 11 सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों पर एनेस्थेसिस्ट उपलब्ध हैं, जबकि राजस्थान में 263 सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र हैं जिनको हम सी.एस.सी. कहते हैं, जहां पर सर्जन के पद स्वीकृत हैं,

(डा. करण सिंह यादव)

इनमें से 135 तो पोस्टपार्टम सेंटर्स हैं, जहां प्रसवोत्तर काल की सुविधा है, जहां पर गायनोकोलोजिस्ट है, जहां पर शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों में रैफरल अस्पतालों में, जो लगभग 300 के आस-पास हैं, उनमें जितने सर्जन बैठे हैं। अधिकतर, वे सर्जन नहीं होकर फिजिशियन हैं और दवाई का ही काम करते हैं क्योंकि वहां पर एनेस्थेसिस्ट उपलब्ध नहीं हैं। जितने गायनोकोलोजिस्ट बैठे हुए हैं, वह सीजेरियन नहीं कर सकतीं और कोई आपरेशन नहीं कर सकती क्योंकि वहां पर उपलब्ध नहीं है। अलवर जैसे जिले के अन्दर, आपने अपने जवाब में अभी बताया कि वहां पर वरिष्ठ चिकित्सक का पद था, वह खाली पड़ा हुआ है। वहां कनिष्ठ विशेषज्ञ का पद है, वह स्थानान्तरण के कारण से खाली पड़ा है। एक मात्र मेडिकल आफिसर काम कर रहा है सारे अलवर जिले में, पूरे अलवर जिले में, जहां पर करीब डेढ़ दर्जन सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र हैं, वहां पर मात्र दो मेडिकल आफिसर हैं, जो सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों में काम कर रहे हैं। मैं यह बात आपके ध्यान में समय-समय पर लाता रहा हूं। मुझे डाक्टर होने के नाते बड़ी वेदना

है कि यह सर्जन, यह स्पेशलिस्ट, यह आर्थोपेडिक सर्जन आज जितने गांव में बैठे हुए हैं, वह हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं क्योंकि वहां पर एनेस्थेसिस्ट उपलब्ध नहीं हैं। अब उपलब्ध नहीं हैं तो उसमें सरकार क्या करें। मैं तो आपका ध्यान आपके ही जवाब की तरफ दिलाना चाहूंगा की आपने अभी स्वयं ने कहा कि 11 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के ऊपर एनेस्थेसिस्ट बैठे हुए हैं। अब एक डाक्टर एनेस्थीसिया का जो चिकित्सा केन्द्र है, उसमें जो क्वालिफाइड एनेस्थेसिस्ट हैं, वह गांव में बैठकर क्या सेवा कर रहा है। उसकी सेवाएं जहां पर पद खाली हैं, वहां पर क्यों नहीं ली जाती। आपने सीकर के फागलवा पी.एच.सी. में नरेन्द्र दत्त मिश्रा को लगा रखा है, झुंझुनूं के बड़गांव में लगा रखा है, भरतपुर के पुनसारी में लगा रखा है। पाली के जावली में लगा रखा है। उदयपुर में लगा रखा है डबोक में, टौंक में लावदर में लगा रखा है। पाली के अन्दर किसी गांव के अन्दर लगा रखा है, भीलवाड़ा में जालन्दरी में लगा रखा है, नागौर में मीठड़ी में लगा रखा है। ये एनेस्थीसिया के ट्रेंड, क्वालिफाइड लोग हैं जिनकी सेवाएं, आज मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सदन में एनेस्थेसिस्ट आज सिर्फ बेहाशी के इलाज के लिए नहीं है, एनेस्थेसिस्ट की जरूरत आई.सी.यू. के लिए है, एक्सीडेंट इमरजेंसी के लिए है, पैन क्लिनिक्स के लिए है। अगर राजस्थान में चिकित्सा की दृष्टि से आज किसी डाक्टर की सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वह आज आवश्यकता एनेस्थेसिस्ट की है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा की एक तो यह जो क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं। आपने नागौर के अन्दर डिप्टी सी.एम.एच.ओ. एनेस्थेसिस्ट लगा रखा है, वह बैठकर वहां

(डा. करण सिंह यादव)

बाबूगीरी कर रहे हैं और अस्पताल में बेहोशी का काम करने वाला कोई आदमी नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास में एनेस्थेसिस्ट की बहुत कमी है। अगर हम राजस्थान के उन चिकित्सालयों को सर्जीकल सुविधा देना चाहते हैं तो हमको एनेस्थेसिस्ट लगाने होंगे और जो आज आपके पास उपलब्ध हैं, उनका सही उपयोग होना होगा और मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, आज एनेस्थेसिस्ट जहां राजस्थान में मेडिकल कालेजेज् में लगभग 20 या 30 प्रतिवर्ष भर्ती किये जाते हैं, आप इनकी संख्या को दुगुना कर सकते हैं, तीन गुना कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पाइंटेड बात करें। आप तो सारा राजस्थान डिस्कस कर रहे हैं।

डा. करण सिंह यादव : मैं मंत्रीजी से पाइंटेड बात ही कर रहा हूं। नहीं, राजस्थान नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ....और आप क्या कर रहे हैं।

डा. करण सिंह यादव : मैं यह कहना चाह रहा हूं कि मेडिकल कालेजेज के अन्दर इतने प्रोफेसर हैं, उनके नीचे काफी संख्या में एम.डी. एनेस्थीसिया के छात्र भर्ती किये जा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट का समय लूंगा। आपका जो आर.सी.एच. प्रोग्राम (री-प्रोडक्टिव चाइल्ड हैल्थ प्रोग्राम) है, उसके अन्दर इस बात का प्रोविजन है कि अगर आप डाक्टर को ट्रेनिंग देना चाहें, आपके वित्त विभाग के पास पैसा हो या नहीं हो, आर.सी.एच. प्रोग्राम जो सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड है और जिसमें आपको एक पैसा वापस किसी को लौटाना नहीं होता है, उस प्रोग्राम के माध्यम से आप इनकी ट्रेनिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मुझे यह वेदना है कि जब मैंने पहली साल में भी अपना भाषण दिया, मंत्री महोदय कहते हैं कि आप हमारे ओपनिंग बैट्समैन हो, तब भी मैंने कहा एनेस्थीसिया की बहुत कमी है। दूसरे साल भी कहा, तीसरे साल भी कहा लेकिन इन सालों में एक पद भी एनेस्थीसिया का नया सृजित नहीं हुआ इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से दो पाइंटेड सवाल पूछना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : इतनी देर क्या किया आपने? यही तो कह रहा हूं कि आप पाइंटेड सवाल पूछें।

डा. करण सिंह यादव : साहब, एनेस्थीसिया के यह डाक्टर जो सी.एम.एच.ओ. बने हुए हैं और जो गांवों के अन्दर, पी.एच.सी. के अन्दर बैठे हुए हैं, जिनकी जितनी उपयोगिता इन चिकित्सालयों में अधिक है, क्या उनको वापस आप किसी अच्छी जगह भेजोगे जहां पर उनकी उपयोगिता हो सके, उसके बारे में इस हाउस में कमिटमेंट कर सकते है और दूसरा, एनेस्थीसियों के डाक्टरों की संख्या को बढ़ाने के लिए आप मेडिकल

(डा. करण सिंह यादव)

कालेज के प्राचार्य लेवल पर, प्रिंसिपल लेवल पर मीटिंग करके और इस बारे में गंभीर मंत्रणा करके, जहां से उसके लिए फंड आया जा सके, जिससे कि राजस्थान में एनेस्थेसिस्ट बढ़ें और यहां लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस बात की ओर इशारा किया, मैंने अपने उत्तर में यह कहा है कि निश्चेतन विशेषज्ञ, चिकित्सकों के पद सृजित किये जाने की कार्यवाही पृथक से विचाराधीन है और मैं इस बात को स्वयं महसूस करता हूं और मैंने इस सम्बन्ध में विभाग में भी निर्देश दिये हैं। जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जो सी.एच.सी. हमारी हैं, जहां पर गायनोकोलोजिस्ट के पद स्वीकृत हैं और जो सर्जरी के पद स्वीकृत हैं, बिना एनेस्थेसिस्ट के वहां पर वह काम कैसे करेंगे और आज तक पता नहीं यह कैसे हो रहा था, मैंने इसके लिए निर्देश दिये हैं और मैंने मुख्य मंत्रीजी से भी इस बारे में अनुरोध किया है कि यह पद यहां पर स्वीकृत होने चाहिए। मेडिकल आफिसर एनेस्थेसिस्ट ही वहां पर लगे पर वह लगने चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने पहले से ही दूसरे मामले में, इस बारे में भी विभाग को निर्देश दिये और मेडिकल कालेजेज की स्थिति मैंने आपको बता दी है और जो डाक्टर्स हमने रिक्रूटमेंट किये हैं, वह हमने इस बात के निर्देश दिये थे कि राजकीय सेवा में जिनको हम लेंगे मेडिकल आफिसर के रूप में, उनको तीन वर्ष तक अनिवार्य रूप से ग्रामीण सेवा देनी पड़ेगी। यह हमने इस सदन की भावना के आधार पर ही एक नियम बनाया था ताकि ग्रामीण क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हो। यह तो उसी तरह की बात है मैं सदन में इस बात को

इसलिए रख रहा हूं कि आज एक कांस्टेबिल की भर्ती होती है, उसमें एक एम.ए. पास, गोल्ड मेडलिस्ट लड़का सलेक्ट हो जाता है और वह पुलिस थाने में जायेगा, वहां पर सब इंस्पेक्टर है, वह 10वीं पास है, पुराना आदमी है, वह कहेगा कि मैं तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड आदमी हूं, वह थाने की सीट पर बैठ करके काम करेगा। बात यह नहीं है। उसका ज्ञान ज्यादा हो सकता है परन्तु नियुक्ति हमने इस उद्देश्य से की थी। आपका सुझाव यह केवल एनेस्थीसिया के लिए ही नहीं है, यह सुझाव आपके जितने भी डाक्टर्स जो पी.जी. किये हुए हैं, मैं उससे भी एक कदम आगे जाकर बात कहना चाहता हूं कि हमने मेडिकल आफिसर की नियुक्ति की और आज चूंकि पी.जी. स्टूडेंट काफी-संख्या में हमारी नियुक्ति के लिए आ रहे हैं, यदि हम उन मेडिकल आफिसर्स को यदि उनको नियुक्ति देकर शहरों में लगाते रहेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, तो जो मूल भावना इस सदन में थी कि ग्रामीण क्षेत्र को चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए, वह कैसे मिल पायेगी क्योंकि यह हमारे लिए सम्भव नहीं होगा। हम एक

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

निश्चेतन विशेषज्ञ को तो वहां लगा दें और एक गायनी के डाक्टर को हम नहीं लगायें, या एक आर्थोपेडिक्स के पी.जी. को हम नहीं लगायें तो यह एक मूल भावना जो इस सदन की थी, जो पीछे चर्चाओं में हुई, इसलिए हमने वह नियम सदन की भावना के आधार पर बनाया था। तो यह सम्भव नहीं हो पायेगा क्योंकि यह हमने जो 500 डाक्टर्स आर.पी.एस.सी. से जो नियुक्त किये हैं राजस्थान में, उन सभी को हमने ग्रामीण क्षेत्र में पी.एच.सी. के ऊपर हमने लगाया है और इसी प्रकार जो....

डा. करण सिंह यादव : मंत्री महोदय, क्वालिफाइड आदमी का यूटिलाइजेशन नहीं हो, ऐसे नियम बना रखे हैं, ऐसे नियम से क्या। आपके 15 आदमी, 100 आदमी पी.एच.सी. में लगे हुए, जो एनेस्थेसिया की सर्विस नहीं दे सकते, उनको आप यह कहते हैं कि हमने तो, उसको मलेरिया का इलाज नहीं आता, उसको और चीज नहीं आती, जहां उसकी उपयोगिता की जा सकती है, जहां कमी है लोगों की वहां पर आप उनको नहीं दे रहे साहब, यह क्या नियम है, वह नियम क्यों नहीं बदले जा सकते।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे डाक्टर करण सिंहजी साहब बहुत रेनाउन कार्डियोलोजिस्ट हैं और आप जानते हैं कि नियुक्ति जिस पद के लिए होती है, हमारे पास में ऐसे भी डाक्टर्स हैं जो कि एम.सी.एच. किये हुए हैं, पर आप और हम जानते हैं कि मेडिकल कालेज में उनको हम नहीं लगा सकते, जो मेडिकल आफिसर जो मेडिकल कालेज के अन्दर डाक्टर होगा, वह किसी पेशेंट को नहीं देख सकता। वहां पर वह केवल करसरी केयर के लिए वहां पर आते हैं, वह प्रोफेसर ही उसको देख सकता है। (व्यवधान) आप भी इस बात को जानते हैं पर आज हमारे सामने आपको मैंने जैसे यह बताया, हमने ग्रामीण क्षेत्र को जो डिफाइन किया है, मैं एक बार जो धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, मैं उस बात को वापस स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमने नगरपालिका क्षेत्र, जो कि शहरी क्षेत्र कहलाता है, हमने जो उसको डिफाइन किया है, दूसरा हमने जो तहसील मुख्यालय हैं वहां पर हम नई नियुक्ति के डाक्टर को नहीं लगायेंगे और तीसरा है सब तहसील मुख्यालय इन तीन स्थानों को छोड़कर के यदि उस जगह सी.एच.सी. होगी, जहां यह तीन स्थान नहीं होंगे तो वहां पर भी डाक्टर लगेंगे। तो इसलिए हमने जो मूल भावना हमारी थी, अब यह बात आपकी, मैं कोई पीड़ा से अपने आपको अलग नहीं कर रहा हूं, आप भी वहीं बात कह रहे हैं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं यह निवेदन कर रहा था, मंत्री महोदय, मैं एक मिनट में, आपको यह मालूम है कि राजस्थान में एनेस्थेसिया एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एनेस्थेसिया के पी.जी. किये हुए डाक्टर्स राजकीय सेवा में बहुत कम आते हैं, निजी चिकित्सालय राजस्थान में बहुत तेजी से खुलते हैं, अब कम से कम इस तरह की स्पेशलिटी जिसके डाक्टर कम हैं उनको तो आप ऐसी जगह पर लगायें जहां उनका उपयोग हो जावे। हम यह नहीं कहते की आप आर्थेपेडिक्स वाले लगावें पर एनेस्थेसिया वाले को तो लगाना ही चाहिए आपको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप अपना जवाब दे दीजिये, यह कोई डिबेट नहीं है, आप समाप्त करिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा आपको बताया कि सदन की जो भावना है, जो माननीय सदस्य चूरू से आने वाले हैं, यह भी स्वास्थ्य मंत्री पांच साल राजस्थान के रहे हैं, यह बातें भी इनके सामने आई हैं और मैं बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य की बात से इनकार नहीं करता या माथुर साहब जो बात मुझे कह रहे हैं, मैं उससे असहमत नहीं हूं, मैंने यह कहा है कि आपके सदन ने ही यह चर्चा की थी और इस सदन में चर्चा के बाद में ही मैंने यही पर इसी सदन में घोषणा की थी तब सभी माननीय सदस्यों ने इस बात का स्वागत किया था कि ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टर लगना चाहिए, तो अब मैं जैसा आप चाहते हैं कि ऐसी बहुत सी जगह....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : यह गजब क्यों बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह ठीक है पर एनेस्थेसिया के लिए, एनेस्थेसिया एक ऐसा सब्जेक्ट है, उपाध्यक्ष महोदय, कि डाक्टर आता ही नहीं हैं, सीधा ही जाता है प्राइवेट हास्पिटल में, बाकी इन्होंने जो घोषणा की है ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टर को लगाने की, वह स्वागत योग्य है।

श्री उपाध्यक्ष : प्राइवेट जाना है जिसको जाने दो।

श्री राजेन्द्र चौधरी : बस वही बात थी। अब मैंने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि क्योंकि विशेष योग्यता के पी.जी. डाक्टर्स चाहे वह नेत्र का हो, चाहे वह आपके गायनिक का हो, चाहे एनेस्थेसिया का हो, सभी का अपनी जगह महत्व है, मैं एनेस्थेसिया के महत्व को कम नहीं करना चाहता, पर मैंने जैसा कहा है कि सी.एन.सी. पर जहां पर सर्जरी और गायनिक के पद हमने दे रखे हैं उस पर हम अलग से एनेस्थेसिया के मेडिकल आफिसर की पोस्ट को क्रियेट करने के लिए हमने विभाग को निर्देश दिये हैं। यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। धन्यवाद।

विधायी कार्य : विधेयक पर खण्डशः विचार

राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक, 2001

श्री उपाध्यक्ष : खण्डशः विचार। खण्ड 30। श्री मांगी लालजी।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 30 में मैंने संशोधन प्रस्ताव दिया है और यह खण्ड इन सहकारिता की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी सहकारी संस्था के निर्वाचित संचालक मण्डल को रजिस्ट्रार द्वारा अधिनियम, नियम, उप-विधियों की अवहेलना पर दूसरा उनके कर्तव्यपालन में कहीं चूक पर या रजिस्ट्रार ऐसा आदेश दे और उसकी पालना की चूक पर उसको हटा सकेगा मेरा संशोधन है। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी निर्वाचित व्यक्ति को लोकतंत्र का तकाजा है कि या तो उस संस्था जिसकी सर्वोपरि सभा साधारण सभा में निहित है उसके द्वारा हटाया जाय या राजस्थान में जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार उस निर्वाचित व्यक्ति को उन दोषों के सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर देने के बाद यदि उपयुक्त समझे की इसको पदच्युत किया जाना चाहिए, संचालक मण्डल को हटाया जाना चाहिए तो उसको हटाया जाय ताकि एक निर्वाचित व्यक्ति की लोकतंत्र के अनुसार उनकी गरिमा कायम रह सके। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, जब भी इस तरह के संचालक मण्डल को भंग करे, प्रावधान किया गया है कि उनकी जगह एक सरकारी अधिकारी को प्रशासक लगाया जायेगा। कल हमारे लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने भी उल्लेख यह किया था कि जब किसी भी संस्था के उच्चाधिकारी यदि उस संस्था के कार्यकारी अधिकारी हैं या जो उच्च अधिकारी है वह उस संस्था के प्रशासक हों, उदाहरण के लिए जैसे शासन सचिव किसी संस्था के प्रशासक हैं और उनके कर्तव्यों में किसी भी प्रकार की कोई चूक हुई है तो रजिस्ट्रार उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकेगा। इस तरह की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए मेरा सुझाव है, मेरा यह संशोधन है कि निर्वाचित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद सिर्फ सरकार ही हटाये और प्रशासक के स्थान पर उस संस्था की जनरल बाडी के जो संचालक मण्डल की सदस्यता के लिए योग्यता रखते हैं उनमें से तीन सदस्य और दो राजकीय अधिकारी, पांच सदस्यों का तदर्थ संचालक मण्डल गठन कर दें और शीघ्र ही जब कि उसके चुनाव हो, वह भी व्यवस्था यह है कि वह भी वहां के रजिस्ट्रार की देखरेख में संस्थान के दैनिक कार्यों का सम्पादन करेंगे। इससे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सहकारिता में कायम होगी। हमने जो राजस्थान की जनता को हमारी घोषणा पत्र से जो विश्वास दिया था, उसका वायदा भी पूरा हो जायेगा। मुझे आशा है माननीय सहकारिता मंत्रीजी इसको स्वीकार करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अन्य 34 माननीय सदस्य और हैं इस पर बोलने वाले, उनमें से कोई बोलना चाहते हैं? (व्यवधान) आपको बुला रहे हैं, चिंता मत करो, आपको थोड़े ही कहा है।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं बोलना चहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं?

श्री रतन लाल ताम्बी : हां साहब। यह खण्ड 30 का जो संशोधन है, मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक भावना की दृष्टि से और निर्वाचित बोर्ड को आप भंग करें तो कम से कम जो निर्वाचित सदस्य है उनमें से और दो-एक सरकारी हों, इस तरह का जो प्रस्ताव आपके समक्ष आया है उसके आधार पर यह उपयुक्त होगा कि सहाकारिता में विश्वास रखने वाले सदस्यों का विश्वास रखने वाले सदस्यों का विश्वास कायम रह सके और इस संशोधन का मैं भी समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जरूर स्वीकार किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवर लालजी, श्री हीरासिंहजी, श्री केसारामजी, श्री रतन लालजी जाट। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जाट साहब आ गये।

श्री उपाध्यक्ष : कहां आ गये।

डा. किरोड़ी लाल : रतन लाल जाट आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कहां हैं?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आ रहे हैं, साहब, जब तक यह बोल लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आ रहे हैं उसकी छोड़ो, अभी तो नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि इस विधेयक के खण्ड 30 में उप धारा 6 को निम्नानुसार जोड़ा जाय, इस उप धारा में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक ऐसी सहकारी सोसायटी जिसमें इस अधिनियम के अध्याय 7 के अन्तर्गत कोई भी प्रकार की राजकीय सहायता प्राप्त नहीं की है अथवा पुनः लौटा दी है, ऐसी सोसायटी पर इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(14.39 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, सहकारी सोसायटी के नये विधेयक में सहकारिता के सिद्धान्त अनुसूची-"क" में इन्होंने वर्णित किये हैं। चतुर्थ सिद्धान्त इन्होंने कहा है स्वायत्तता और स्वतंत्रता। सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वायत्त संगठन है। इन्होंने जब सहकारिता संस्था को अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित संस्था बताया है तो मैं समझता हूं कि यह धारा 30 के अन्दर जो रजिस्ट्रार को असीमित अधिकार दे रहे हैं, यह लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है। सभापति महोदय, सहकारिता और सहकार अगर इसके मूल सिद्धान्त के विपरीत कोई प्रावधान है तो, मंत्री महोदय, आपको विचार करना चाहिए।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

धारा 30 की उपधारा (1) में रजिस्ट्रार को ऐसी शक्तियां देना चाहते हैं जो चुने हुए संचालक मण्डल को या संचालक मण्डल के किसी भी सदस्य को या संचालक मण्डल के अध्यक्ष को हटा सकते हैं और 30(1) में हटा क्यों सकते हैं इसमें कारण दिये हैं इन्होंने, अगर वह अपने कर्तव्य की पालना करने से चूक करता है। अब, सभापति महोदय, सहकारिता सोसायटी के अन्दर डायरेक्टर्स हैं और पूरे एक्ट को मैंने अच्छी तरह से पढा है, इस विधेयक को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है, इसमें कही भी कर्तव्य को परिभाषित नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया है कि क्या कर्तव्य होंगे। मतलब जिस चीज को डिफाइन नहीं किया उसमें चूक का क्या पता या इसमें दूसरा कारण इन्होंने दिया है रजिस्ट्रार द्वारा जारी निर्देशों का जान-बूझकर आज्ञा का पालन नहीं करता है। अब, सभापति महोदय, लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई संस्था को अगर नौकरशाह आज्ञा दें तो यह लोकतंत्र के मूल सिद्धान्तों के विपरीत की बात है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके अन्दर जो विधेयक आया है ये आपके मूल सिद्धान्तों के खिलाफ है। आपने सैक्शन 30 में यह कहा है कि सहकार उत्पादन सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विकास कार्य के समुचित क्रियान्वयन में सुनिश्चत करने का प्रावधान रजिस्ट्रार द्वारा जारी निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा करता है मतलब सरकार द्वारा जारी निर्देशों....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने संविधान को पढा है। आपके संविधान के तमाम इन्क्वायरीज, जांच सारी ब्यूरोक्रेसी को नौकरशाही के हाथों में दी हुई है और वो जो जांच करके देगी उस आधार पर जनप्रतिनिधि.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, 1995 में धारा 139 के माध्यम से जो क्रांतिकारी परिवर्तन उस समय लेकर आये थे उसमें यह प्रावधान था कि सारी की सारी ये शक्तियां ये सारे के सारे अधिकार साधारण सभा में निहित हो जाएं। अब उपाध्यक्ष महोदय, यह 30(2) के (क) में इलेक्टेड बॉडी को हटाकर किसी भी सरकारी सेवक को यानी गवर्नमेंट सरवेंट को नियुक्त कर देंगे और आपने विधेयक के खण्ड 106 में ट्रिबयूनल गठित कर रखा है। अगर वास्तव में आप कहते हैं कि किसी न किसी तरह का चैक होना चाहिए तो ये सारे मामले ट्रिब्यूनल को सौंप दें। किसी चुने हुए प्रतिनिधि को हटाने के लिए आप एक अधिकारी को इतनी शक्ति दे मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। आपने धारा 30(2) के अन्दर इलेक्टेड बॉडी को हटाने की बात कह दी और मैं निवेदन करना चाहता हूं इसमें, सभापति महोदय, देखने की बात यह हैं कि राजस्थान के अन्दर ग्रामीण सहकारी समितियां पांच हजार से ज्यादा है, दुग्ध

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सहकारी समितियां है 5385 और अदर सोसायटी 8 हजार के लगभग हैं। ये जो 19 हजार कुछ सोसायटी है इनमें से अधिकांश सोसाइटी इनको हटाने का अधिकार आप किसको दे रहे हैं इस विधेयक में जोइंट डायरेक्टर को, मतलब जी.एस.एस. में किसी को भी हटा दे जोइंट डायरेक्टर। आप करना क्या चाहते हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये तो फिर वहीं घूम कर फिर वहीं आ गये, मंत्री महोदय, आप 1995 के संशोधनों से पीछे हट रहे हैं। आप कह रहे हैं, हम बड़े डेमोक्रेट हैं हमने इसके अन्दर बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आये हैं और आप वापस उन्हीं लोगों के हाथ में शक्ति सौंपना चाहते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसमें जो संशोधन माननीय मांगीलाल जी डागा ने मूव किया है उसके साथ मेरी भावना है इसके बारे में भी दुबारा विचार करें और दुबारा विचार करके इस पर सोचें। आपने अधिकार दिया है रजिस्ट्रार को, जोइंट रजिस्ट्रार को आप इसमें अधिकृत कर रहे हैं। रजिस्ट्रार को तो सिर्फ केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अन्दर कार्यवाही करने के लिए आपने अधिकृत किया है वो कितनी हैं। अपेक्स बैंक में सरकार को अधिकृत कर रहे हैं। अपेक्स बैंक कितने हैं। मंत्री महोदय, बहुत गिने-चुने हैं इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनायें। आप इसमें निश्चित तौर पर साधारण सभा को या साधारण सभा को आप शक्ति नहीं देना चाहते हैं तो आपने इसमें खण्ड 106 में जिस ट्रिब्यूनल का गठन किया है जिसके अन्दर आप सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बात भी कर रहे हैं जिसमें जुडिशियल पावर आप दे रहे हैं उनके हाथ में यह सारी चीज दे दें तो वो सारी चीज को एक्सरसाइज करके और इसको करें इसलिए मेरा निवेदन है इसके बारे में आप पुनर्विचार करें।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं उस समय नेचरल कॉल के कारण बाहर चला गया था।

श्री सभापति : श्री ज्ञानदेव आहूजा। (अनुपस्थित) नाट प्रजेंट।

श्री हीरासिंह चौहान : इसके बाद मैं बोलूंगा, साहब। माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं उत्तर देंगे उसके पहले मुझे सुन लिया जाए।

श्री सभापति : आप थे नहीं उस वक्त।

श्री हीरासिंह चौहान : वो तो अब आ गया हूं, साहब।

श्री सभापति : दूसरे टाइम पर बुलवा देंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं बाद में नहीं। बोलने का तो मौका देंगे आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरी जगह बोलने दो, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, ये तो इनके ज्ञानचक्षु और खोलने का काम करेंगे।

श्री सभापति : नहीं-नहीं।

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति जी, मुझे बोलने का आप मौका दीजीये।

श्री मोहन लाल मोदी : कल मिल जाएगा आपको टाइम कल बोल लीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति जी, आपने मेरा नाम बोला है। हीरासिंहजी को बोलने दिया जाए कृपया।

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति जी, मेरी ओर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है।

श्री सभापति : बिराजिये-बिराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : अब किसी कारण से मैं एक मिनट बाहर चला गया, नाम आ गया। वापस आ गया तो क्या हो गया। नहीं-नहीं, माननीय सभापतिजी, मैं मेरे विचार रखूंगा।

श्री सभापति : नहीं, कैसे विचार रखेंगे आप।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय प्रभारी मंत्रीजी मैं अपने विचार रखूंगा। और विचार भी सुसंगत रखूंगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हीरासिंह चौहान : आप इतने रिजिड क्यों हो रहे हैं।

श्री सभापति : आप थे नहीं उस वक्त।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, मैं बाहर गया था नेचरल काल नहीं हो सकती क्या?

श्री सभापति : आपका नाम पुकारा गया उस वक्त।

श्री हीरासिंह चौहान : बोलने वाले 2-3 थे बीसों नाम थे इसीलिए मैं गया था।

श्री सभापति : नहीं वापस नहीं दूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन को इतना कठोर नहीं होना चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : : माननीय सभापतिजी, मेरा नाम बोला गया है। हीरासिंहजी को बोलने दें।

श्री हीरासिंह चौहान : ....(व्यवधान) मेरा नाम बोला गया मेरा लिस्टेड नाम है इसके बाद भी आप मौका नहीं दे रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन को इतना कठोर नहीं होना चाहिए।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं कितना समय, ओनली दो मिनट लूंगा। दो मिनट।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, आसन को इतना कठोर नहीं होना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य महोदया, आप बहुत अनुभवी हैं। आसन की ओर से नाम पुकारा जाने के बाद माननीय सदस्य को बोलना जरूरी है, वो खड़ा होकर नहीं बोले तो उनको क्षमायाचना करनी पड़ती है कि मैंने नाम दिया था लेकिन मैं आपकी अनुमति से नहीं बोलूंगा। यहां से आसन से पुकारे जाने के बाद जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं रहता है वो आसन का अपमान है। मैं माननीय सदस्य आपको जानकारी देना चाहता हूं....

श्री हीरासिंह चौहान : मैं हाउस में नहीं था।

श्री सभापति : यह कुछ परम्पराएं हैं इन परम्पराओं का पालन किया जाना जरूरी है। यह हमारे यहां की नहीं संसदीय परम्परा है। आसन की ओर से जिसको आसन....

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं मैं था ही नहीं हाउस में।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये आ गये थे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। इस आसन की ओर से जिसका नाम पुकारा जाए उनको बोलना जरूरी है अगर हाउस में हों तो, नहीं हों तो दुबारा नाम काल नहीं किया जाएगा।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं तो विदिन सैकिण्ड आ गया था यहां पर।

श्री सभापति : बिराजिये, आप नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : परम्परा तो ऐसी रही है....

श्री सभापति : हां यही है तो आप पालन करवाइये, महोदया, पालन करवाइये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, कई बार ढील दी जाती है। आप इतने कठोर मत बनिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, मेरा नाम बोला गया है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। महोदया, मैं कल से देख रहा हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : तो क्या आप स्पेशल रिक्वेस्ट भी मंजूर नहीं करेंगे क्या?

श्री सभापति : आप बिराजिये। उत्तेजित की बात नहीं है। मैं कोई उत्तेजित नहीं हो रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : : सभापति महोदय, मेरा नाम तो बोला था।

श्री हीरासिंह चौहान : (व्यवधान).... इतनी देर तो मैं बोल देता।

श्री सभापति : डिप्टी स्पीकर साहब ने बोला था। हीरासिंह चौहान का नाम बोला हुआ है डिप्टी स्पीकर साहब ने क्रास लगा रखा है।

श्री हीरासिंह चौहान : हां बोला था निश्चित बोला था।

श्री सभापति : श्री ज्ञानदेव आहूजा का नाम मैंने बोला था।

श्री हीरासिंह चौहान : नेचरल काल के कारण से मैं बाहर चला गया था उस वक्त दौड़ कर आया भी था मैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : : मैं निवेदन कर रहा हूं, साहब।

श्री सभापति : आप बैठिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप डिप्टी स्पीकर खुद रहे हुए हैं....

श्री हीरासिंह चौहान : हां रहा हुआ हूं।

श्री सभापति : अब आप पैनल आफ दी चेयर में हैं। अब भी पैनल आफ चेयर में हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फिर ये जिद क्यों?

श्री हीरासिंह चौहान : पैनल का क्या अर्थ है बोलना है तो मैं तो आपके ज्ञानवर्द्धन के लिए बोलूंगा।

श्री सभापति : हां आप बाद में कर लेना। आपको दूसरी बार मौका दिया जाएगा।

श्री हीरासिंह चौहान : दूसरी बार क्या ज्यादा तो महत्वपूर्ण यही है। रिमूवल आफ दी सोसायटीज है।

श्री सभापति : आप बिराजिये। आपको दुबारा किसी दूसरे मौके पर मौका दे दूंगा। इस समय बिराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, आप क्या देंगे मेरा लिस्टेड है नाम। आप क्या देंगे मौका?

श्री सभापति : आप ऐसे नहीं बोलेंगे, बिराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : आप क्यों क्या मर्सी करोंगे मेरे पर। मेरा नाम है फिर बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति : बिराजिये। आप नहीं थे।

श्री हीरासिंह चौहान : आपकी मर्सी पर जिन्दा हूं क्या मैं पूरे सम्मान के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरा नाम बोला गया था रह गया था और अब बोलने नहीं दे रहे हैं मुझे। चेयर इतनी मर्सी नहीं कर सकती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं।

श्री मोहन लाल मोदी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य का व्यवहार आसन के प्रति अपमानजनक है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : : बैठ जाइये आप। बुढ़ापा आ गया है पता नहीं क्या अब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बिराज जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आसन तो सहृदय होता है हमेशा और आप जैसा वरिष्ठ सदस्य विराजे हुए हैं आसन पर और सभापति महोदय, इस मंच के अलावा हमारे पास कोई मंच नहीं है इसलिए मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, सत्तारुढ़ दल के सदस्य तो इनसे सचिवालय में भी मिल लेंगे, मंत्री महोदय के घर पर भी मिल लेंगे। ये मंत्री महोदय हम प्रतिपक्ष के लोगों को घास ही नहीं डालते, हमसे बात करना ही पसंद नहीं करते तो सदन के माध्यम से हम कुछ इनसे निवेदन कर सकेंगे। तो, सभापति महोदय, आपसे प्रार्थना है कि वैसे तो आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, हम आसन द्वारा दी गयी व्यवस्था को स्वीकार करेंगे परन्तु मेरा नम्र निवेदन है। सभापति महोदय, आप जैसा विशाल हृदय का व्यक्ति और आपका विशाल व्यक्तित्व और आपका राजस्थान की विधान सभा में अनुभव और आपका गांव-गरीब के प्रति आपके मन की पीड़ा इन सबको देखते हुए मेरा निवेदन है कि आप इनको एक बार अनुमति प्रदान करें।

श्री सभापति : देखिये माननीय सदस्य, आसन का कोई हृदय नहीं है। आसन का कोई हृदय नहीं है। नियमों के अनुसार आसन को चलना पड़ता है। नियम यह है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप जब उपाध्यक्ष थे तब तो आप सदाशय थे। जब आप उपाध्यक्ष हुआ करते थे तब तो बड़े सदाशय थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तब आप बड़े अच्छे थे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब आप आज इतने कठोर क्यों बन गये। मेरा तो यही निवेदन करना है आपसे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, बोलने नहीं बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। यह आपके व्यक्तित्व और आपके स्वाभाव के विपरीत बात होगी।

श्री सभापति : मेरी व्यक्तित्व की आप.... आर्डर-आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, सारा सदन देख रहा है। सारा राजस्थान देख रहा है।

श्री सभापति : इस जगह के ऊपर मैं कुछ नहीं हूं। यह सदन का आसन है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, मेरा नाम तो पुकारा है आपने।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, आपकी सदाशयता की पूरे राजस्थान में भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं लोग और आप जैसे महान् आदमी....

श्री सभापति : यहां भूरि-भूरि प्रशंसा की बात नहीं है, यहां आसन के नियमों के हिसाब से आपका नाम पुकारा गया है आप थे नहीं। डिप्टी स्पीकर साहब ने आपको क्रास कर रखा है, आप उपस्थित नहीं थे। आहूजा साहब का मैंने नाम पुकारा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : : मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : नहीं, मैं टाइम नहीं दे सकता।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं एक मिनट के लिये बाहर गया था और दौड़ के आया भी था।

श्री मदन दिलावर : आप सही फरमा रहे हैं लेकिन आपकी उदारता और उदार मन स्वभाव को देखते हुए हमें पूरी आशा है कि आप माननीय सदस्य को निश्चित रूप से अवसर प्रदान करेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, मेरा नाम तो बोला है आपने।

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, इतने विनय निवेदन का भी कोई असर नहीं पड़ा आप पर।

श्री सभापति : बिराजिए आप, सदन का मखौल मत बनाएं।

श्री हीरासिंह चौहान : रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मखौल थोड़े ही बना रहे हैं।

श्री सभापति : जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उनको सदन में उपस्थित रहना होगा और नाम पुकारे जाने के समय उन्हें बोलना होगा। वह उस वक्त नहीं होंगे तो दुबारा मौका दिया जाना आसन के बस की बात नहीं है, बिराजिए आप। आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं। अभी पैनल आफ चेयरमैन में हैं, इस कुर्सी पर यहां बैठते हैं, आपको इससे ज्यादा आग्रह नहीं करना चाहिए, बिराजिए आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : : मेरा नाम तो आपने ही बोला है, साहब।

श्री सभापति : मैंने पुकारा है आहूजा जी का नाम, यह थे नहीं। अब बिराजिए आप, आप फालतू आग्रह कर रहे हैं।

श्री परसादी लाल (राज्य मंत्री, सहकारिता) : सभापति महोदय, जैसे कि माननीय सदस्यों ने खण्ड 30 में जो अमेंडमेंट दिये हैं माननीय डांगा साहब ने, राठौड़ साहब ने कि किसी संचालक मण्डल को हटाने के लिये कोई गलत काम करे, कोई शिकवा-शिकायत हो, उसको हटाने के लिए रजिस्ट्रार की जगह सरकार को अधिकार हो। प्रदेश में 20 हजार से भी अधिक प्राथमिक सेंटर और शीर्ष संस्थाएं है। अगर इस तरह से प्राथमिक संस्थाओं में भी सरकार को अधिकार होगा और हटाने के लिये जोइंट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार रोज अनुमति के लिये आयेंगे, जैसे आप तो खुद सहकारिता मंत्री रहे हैं, मैंने थोड़े समय से इसका काम देखा है, 128 की जो अपीलें आती हैं वह ही 20-20 साल तक पेंडिंग रहती है, अगर इस तरह छोटी-छोटी चीजों को भी सरकार के स्तर पर लाया जायेगा, अगर इनका अप्रूवल होगा तो फिर संचालक मण्डल हो, समिति का मतलब ही यहां संचालक मण्डल हैं, अगर ग्राम सेवा सहकारी समिति के

(श्री परसादी लाल)

संचालक मण्डल को हटाने का अधिकार भी फिर सरकार को होगा। 20 हजार गृह निर्माण सेवा सहकारी समिति हैं उन समितियों को हटाने का भी सरकार को अधिकार होगा। अनेक स्तर पर पहले ही प्रवर समिति के माननीय सदस्यों ने बहुत विचार विमर्श के बाद यह कहा है कि ए.आर. की जगह इसमें जोइंट रजिस्ट्रार को दे दें प्राथमिक का और जो सेण्ट्रल संस्थाएं हैं उनका हम रजिस्ट्रार को दे दें, जो शीर्ष संस्थाएं हैं उनका राज्य सरकार को अधिकार हो। मैं समझता हूं कि इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। हटाने के लिये बहुत लम्बी शिकवा-शिकायत हो, संचालक मण्डल ने कोई चूक की हो, कोई गलती पर गलती पर गलती कर रहा हो उस समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी बाकी इसकी आवश्यकता कहां है।

दूसरी बात प्रशासक के सम्बन्ध में कही है। सभापति महोदय, सरकार की मंशा साफ है और इस विधेयक की भी मंशा साफ है। सरकार नहीं चाहती है कि प्रदेश की संस्थाओं में प्रशासक लगे। पर कोई चूक करने के कारण, गलती के कारण किसी संचालक मण्डल को बीच में हटाया जाता है सिर्फ उसके लिये चुनाव कराने तक 6 महीने के लिये हमने प्रशासक को लगाने के लिए प्रस्ताव लेकर आये हैं। सरकार की मंशा साफ है केवल चुनाव कराने तक ही प्रशासक होगा।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आपको व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। संशोधन तक ही सीमित है यह मामला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, संशोधन पर क्या बात करनी है, हमने जब कोई आपत्तियां की हैं उनके बारे में हमें संतुष्ट करने का कर्तव्य तो इनका है ना। इसलिए आप इतने रिजिड मत बनो। मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि आपने खण्ड 106 में जिस ट्रिब्यूनल का गठन किया है उसको अधिकार दे दो।

श्री सभापति : कहां है खण्ड 106, सदस्य महोदय, खण्ड 30 चल रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं वो नहीं कह रहा, सभापति महोदय, मैंने कहा एक ट्रिब्यूनल का प्रावधान इसमें है। उसको अधिकार दे दें। संचालक मण्डल हटाने के लिये उसको अधिकार दे दें।

श्री परसादी लाल : आयेगा जब देखेंगे।

श्री सभापति : वह बोल रहे हैं, उनका उत्तर सुन लीजिए।

श्री परसादी लाल : सभापति महोदय, प्रशासक के सम्बन्ध में जो आशंकाएं व्यक्त की हैं हम लम्बे समय तक संस्थाओं में कोई प्रशासक नहीं रखना चाहते हैं। सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए जो प्रशासक की अवधि 6 महीने है हम उसको कम करके इसमें अमेंडमेंट लाकर अभी मूव करके 3 महीने तक ही

(श्री परसादी लाल)

करना चाहते हैं। क्योंकि हम चुनाव तुरन्त चाहते हैं। किसी भी संस्था का रीइलेक्शन हो, प्रशासक की 3 महीने की अवधि रखेंगे। सरकार की मंशा यह नहीं है कि लम्बे समय तक हम प्रशासक रखे, केवल चुनाव कराने तक ही रखना चाहते हैं। 3 महीने के अन्दर अन्दर चुनाव हो जायेंगे। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो प्रशासक की 6 महीने की अवधि है उसको कम करके 3 महीने की अवधि ही इसमें पढ़ा जाये।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, ऐसे कैसे प्रस्ताव कर दोगे आप, कमाल है। आपको संशोधन देना पड़ेगा।

श्री परसादी लाल : अमेंडमेंट मूव करेंगे।

श्री सभापति : ऐसे कैसे मूव करोगे आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह उसी भाषा में मूव कर रहे हैं, पूरा पढ़कर सुनाए। सभापति महोदय, इसका कोमा और एक-एक बिन्दु पढ़ें यह।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए। मंत्री महोदय, आप जो अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं वह पहले आसन को दीजिए कि क्या अमेंडमेंट मूव करना चाहते है। जुबानी नहीं माना जायेगा। अमेंडमेंट लिखकर भेजिए कि क्या अमेंडमेंट है आपका और वह सबको सर्कूलेट कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिना सर्कूलेट किये आप कैसे अमेंडमेंट मूव कर दोगे। आप सर्कूलेट करो उसमें एक-एक शब्द का अर्थ है, कहां कोमा लगेगा, कहां फुल स्टाप लगेगा।

श्री सभापति : आप बिराजिए। अमेंडमेंट आपको मूव करना पड़ेगा, उसकी कापी यहां पहले देनी पड़ेगी, माननीय सदस्यों को देनी पड़ेगी, ऐसे कैसे अमेंडमेंट मूव हो जायेगा। इसको स्थगित करवा लीजिए। यह जो क्लाज 30 है अगर इसमें कोई अमेंडमेंट लाना चाहते हो तो इसको डेफर करवा लीजिए।

श्री परसादी लाल : इसको करवा लेते हैं, मूव कर देंगे।

श्री सभापति : तो प्रस्ताव कर दीजिए की इस पर विचार नहीं किया जाये, इसको स्थगित किया जाये।

श्री परसादी लाल : अभी कर देंगे हम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बाद में कर देना, अगले सैशन में ले आना।

श्री परसादी लाल : इसमें 6 महीने से अवधि घटाकर 3 महीने करने जा रहे हैं।

श्री सभापति : ऐसे नहीं होगा, आप इस खण्ड को स्थगित करवा लीजिए और तब तक आप सोच लीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, छोटा सा अमेंडमेंट है। हम यह चाहते हैं कि इसमें 6 महीने की जगह 3 महीने पढ़ा जाये, इतनी सी बात है, कौनसा बड़ा अमेंडमेंट है जिसके लिये आप इतनी परेशानी कर रहे हो। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि 6 महीने की जगह 3 महीने पढ़ा जाये।

श्री सभापति : देखिए, अमेंडमेंट छोटा हो या बड़ा हो आप तो विधि मंत्री हैं और यह संशोधन कैसे होते हैं आप जानते हैं....(व्यवधान) आप इसमें कोई अमेंडमेंट लाना चाहते हैं तो इसके डेफर करवा लीजिए।

श्री अमीन खान : 6 महीना ठीक हैं क्या है हर चीज में 6 महीना आता है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय अगर आप चाहें तो जो यह आपका खण्ड 30 है इसको।

श्री परसादी लाल : वापस दुबारा पढ़ देता हूं मै।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्री महोदय, इसको इस वक्त सस्पैंड करके 10-15 मिनट बाद में दुबारा ले लेंगे यदि आसन का यही आग्रह है क्योंकि कल की परम्परा यह रही है कि जो भी अमेंडमेंट आपने मूव किये हैं, जुबानी किया गया था उनको माना गया था। इसलिए उस परम्परा के हिसाब से आप उसको मूव कर रहे हैं लेकिन आसन का यदि कानून और नियमों के प्रति इतना आग्रह है तो आप इसको इस वक्त सस्पैंड करवा लीजिए, 10 मिनट बाद इसको मूव कर लीजिए। अभी दूसरा क्लाज ले लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सभापति : आप खण्ड 30 को स्थगित करवा लीजिए और आप जो अमेंडमेंट लाना चाहते हैं वह ले आइए मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री परसादी लाल : सभापति महोदय, कल तो अलाउ कर दिया था।

श्री सभापति : कल की बात कल गई। जो नियमों में है वह है। आसन नियमों से चलता है, सदन नियमों से चलता है।

श्री परसादी लाल : सभापति महोदय, इसको डेफर किया जाये खण्ड-30 के सब सैक्शन 2(क) को।

श्री सभापति : खण्ड-30 पूरा डेफर किया गया। खण्ड-30 पूरा स्थगित किया जाता है, बाद में लिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक पूरा पारित नहीं होगा। विधेयक कैसे पारित होगा। आज तक इतिहास में ऐसा विधेयक पार्टली थोड़े हुआ है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कोई अनिश्चित काल के लिए कर दिया क्या, अभी आधे घंटे में ले लेंगे, 10 मिनिट में ले लेंगे। ज्योंही प्रस्ताव आएगा, अमेंडमेंट आएगा, ले, लेंगे। आज ही लेंगे।

(15.00 बजे)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : तो माननीय सभापति जी, मुझे बोलने का भी मौका मिलेगा, मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है। ऐसे अमेंडमेंट तो कई दफे, हां कोई बड़ा अमेंडमेंट हो और काफी चेंजेज हों, हमने 6 की जगह 3 की एक बार कही की हम जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं, इसके अलावा हमने कोई अमेंडमेंट इसमें रखा नहीं है

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : मंत्री महोदय, छोटा-बड़ा क्या होता है? छोटे-बडे में फर्क क्या है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसके लिए यह कल का दिन चाहते हैं, मैं आपके सामने अभी यह थोड़ी देर में पेश कर दूंगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप छोटे-बड़े का बताइये की छोटा और बड़ा क्या होता है?

श्री सभापति : आप थोड़ी देर में दे दीजिए। उसके बाद में हाथों-हाथ ले लेंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय मंत्री महोदय, आप तो छोटे और बड़े के बारे में बताइये।

श्री सभापति : खण्ड 31, श्री मांगीलाल डांगा।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : श्री घासीलाल मेघवाल। श्री के.सी. विश्नोई।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : श्री त्रिलोक पूर्बिया। श्री मंगलाराम गोदारा (व्यवधान) हां, अगला ले लिया 31, हबीबुर्रहमान। श्री रूपाराम। श्री मोहनलाल बारूपाल। श्री बाबूलाल नागर। श्री गोवर्द्धन कल्ला। श्री शिवनाथ सिंह। श्रीमती पूनम गोयल। श्री के.सी. चौधरी। श्री अब्दुल हादी। श्रीमती सुचित्रा आर्य। श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी। श्री मांगीलाल गिरासिया। श्री नाथूराम। श्री सोहन नायक। श्री रतन लाल तांबी। श्री राधेश्याम गंगानगर। श्री हरचन्द सिंह सिद्धू। श्री हफीज मोहम्मद। श्री मोहनलाल चौहान। श्री जौहरी लाल। श्री रामलाल जाट। श्री संजीव कुमार। श्री अशोक। श्री रमेश खींची। श्री हेमाराम चौधरी। श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या। श्री बंशीलाल गहलोत। श्री हीरालाल विश्नोई। श्री जितेन्द्र सिंह, अलवर। कोई नहीं है।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड 31 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 31 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 32 और 33 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 32 और 33 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 32 व 33 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड 34 इसमें वही, आपके सबके सामने है, यह नाम पुकारूं, यह करीब 50 नाम हैं। यह आप देख लीजिए, यह आपके सबके पास हैं। जो माननीय सदस्य इसमें हैं, वह बोलना चाहें तो बोल लीजिए, वरना मैं एक-एक नाम पुकारूं।

श्री मांगीलाल डांगा : 34 के प्रस्ताव में....(व्यवधान)

श्री सभापति : हां 34, आप नहीं कर रहे हो, बस ठीक है। नहीं बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आग्रह नहीं कर रहा कि आप बोलो ही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका नाम नहीं है। (व्यवधान) श्री सांवर लाल। श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले यह जो पुराने एक्ट में धारा 33 थी, इसको 1995 में जो संशोधन हुआ था धारा 139 में, उसके तहत इस धारा को हटा दिया गया था। और हटाकर सहकारी समितियों में ही प्रजातंत्री तरीके से उनको यह अधिकार दिया गया था कि वह अपने चुनाव अपनी रीति से निर्वाचित इलेक्शन आफिसर के द्वारा कराया जाए। लेकिन अब धारा 32 और 33 में जो सहकारी समितियां बनी हुई हैं उनके चुनाव का अलग प्रकार का क्लाज रखा हुआ है और वह 32,33 में क्लाज सही है। लेकिन ऐसी सहकारी समितियां जिनका राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया हुआ है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का भार नहीं है, उन सहकारी समितियों के लिए खुद सहकारी समितियां ही इतनी सक्षम होती हैं कि अपना निर्वाचन स्वयं करा सकें। इसीलिए मैंने धारा 34 में यह नया क्लाज जोड़ने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए निवेदन किया है। मेरा निवेदन यह है कि अन्य सहकारी संस्थाओं में निर्वाचन, धारा 32 व 33 में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी वित्तीय बैंक और सेवा सहकारी सोसायटी के अतिरिक्त प्रत्येक सहकारी सोसायटी, जिसने

(श्री हीरासिंह चौहान)

अधिनियम के अध्याय 7 में किसी प्रकार की राजकीय सहायता प्राप्त नहीं की है, अथवा प्राप्त सहाययता को वापस लौटा दिया है, ऐसी संस्था को समिति और उसके अधिकारियों के लिए निर्वाचन का संचालन स्वयं सहकारी संस्था द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई साधारण निकाय की बैठक में ऐसी रीति से किया जाएगा जो उप-विधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए। तथा धारा 33 में उल्लेखित से भिन्न सोसायटियों में समिति और इसके अध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन स्वयं सोसायटी द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु बुलाई गई साधारण निकाय की बैठक में ऐसी रीति से किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा, मेरा इस क्लाज को जोड़ने के पीछे सरकार से निवेदन है, सहकारी मंत्रीजी से निवेदन है कि राज्य में ऐसी बहुत सारी सोसायटियां हैं। बहुत सारी सोसायटियां तो स्कूलों का संचालन करती है, बहुत सारी ग्रामीण स्तर पर कई प्रकार की सोसायटियां बनी हुई हैं। सभी सोसायटियों के चुनाव धारा 32 और 33 की तरह, ग्राम सेवा सहकारी, समितियां हैं, या अपैक्स बैंक हैं, या अन्य कोई सोसायटियां हैं उनकी तरह न करवाकर मेरा आपसे निवेदन है कि इनके चुनाव के लिए कम से कम उन सोसायटियों को यह अधिकार दिया जाए और संचालक मण्डल यह अधिकार दे दें कि अमुक प्रकार का निर्वाचन अधिकारी इस चुनाव को करा देंवे।

मैं समझता हूं कि सरकार के पास न तो टाइम है और न सरकार के पास अधिकारी है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पूरे राजस्थान में एक साथ चुनाव होगा, लेकिन इन सोसायटियों को कोई टाइम नहीं होता है जिसका ड्यूरेशन कब खतम हो रहा है, किसका ड्यूरेशन कब खतम हो रहा है, तो सरकार के सामने भी एक विचित्र प्रकार की स्थिति पैदा होगी। और उनके समय पर चुनाव न कराने से उनके भी कई प्रकार की पेचीदगियां पैदा होंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो मैंने निवेदन किया है, यह क्लाज 34 में जोड़ा जाए। जोड़े जाने से जहां-जहां सहकारी समितियां अलग-अलग तरीके से बनी हैं, सरकारी तंत्र से थोडी जुड़ी हुई है, किसी प्रकार की हिस्सा पूंजी भी राज की नहीं है, जो स्वतंत्र रूप से चल रही है ऐसी सोसायटियों के लिए, माननीय मंत्रीजी शासन को भारी पेचिदगियों का सामना करना पड़ेगा।

पहले 1995 में धारा 139 में सभी प्रकार की पिछली सरकार ने छूट दी थी ताकि बिना मतलब का सरकार को, सरकार के अधिकारियों को लेना-देना कुछ भी नहीं है, बिना मतलब की एक्सरसाइज करने के लिए उनको आना जाना पड़ेगा और समय पर चुनाव नहीं होगा, विभिन्न प्रकार की पेचीदगियां पैदा होंगी। इसलिए इस क्लाज को जोड़ेने के लिए माननीय सहकारी मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : श्री केसाराम चौधरी। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान 1995 में धारा 139 के तहत जो संशोधन आया था उसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उस वक्त लगभग 150 ऐसी सोसायटियां, जिनमें सरकार की अंश पूंजी नहीं थी, उनको ओटोनोमी दी गई थी। एक 1965 की धारा 33 में संशोधन लाकर यह लागू किया था की कोई भी ऐसी संस्था जिनमें सरकार की अंश पूंजी और सरकार का धन नहीं लगा हो, निश्चित समयावधि में चुनाव कराने का दायित्व चुने हुए संचालक मण्डल के जिम्मे दिया गया। नियत समय में अगर चुनाव नहीं हो तो चुना हुआ संचालक मण्डल भंग माना जाएगा व उसके सदस्यों को अगला चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। इस तरह का एक संशोधन आया था। वह प्रयोग बड़ा सफल रहा। लगभग 150 ऐसी सहकारी संस्थाओं के चुनाव हुए और लगभग सभी में बोर्ड बदल गया। संस्थाओं ने स्वयं चुनाव कराये। यह नहीं की पहले, इसमें मन में आशंका यह उठती है कि जो पहले से काबिल हैं वह इस तरह की रचना न कर लें कि दूसरा व्यक्ति आ नहीं सके। लगभग सभी के अन्दर नया निर्वाचन मण्डल आया। मैं मंत्री महोदय का इस बात के लिए तो धन्यवाद भी दूंगा और आपको बधाई भी दूंगा कि आपने सेक्शन 33 के अन्दर, सहकारी संस्थाओं के चुनाव निश्चित तिथि में कराने के लिए चुनाव कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को दिया। निश्चित तौर पर इस पूरे विधेयक के अन्दर एक ऐसा कदम, सबसे अच्छा अगर कोई खण्ड है जिसके द्वारा आप वास्तव में निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं तो एक यही है। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि लगभग 20 हजार सहकारी समितियां हैं और, सभापति महोदय, ये ग्राम पंचायत तो हैं नहीं जिनका, सबका एक ही समय पर कार्यकाल समाप्त होता है। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव भी अब राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। परन्तु उन सबका कार्यकाल एक साथ समाप्त होता है। एक ही नोटिफिकेशन से सारी ग्राम पंचायत, पंचायत संस्थाओं के चुनाव प्रारम्भ हो जाते हैं। अब, सभापति महोदय, यह जो 20 हजार के लगभग सहकारी संस्थाएं हैं उन सबका नेचर भी अलग-अलग है। अब इनका नेचर भी अलग-अलग है और इनका समय भी अलग-अलग है। कोई संस्था का कार्यकाल कब समाप्त होगा, किसी का कब समाप्त होगा। तो ये कैसे सम्भव हो पाएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से आप उनके चुनाव कराएं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप तो समर्थन कर रहे हो। (व्यवधान) इसी में, फिर विरोध क्यों कर रहे हो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मैं समर्थन इस बात का कर रहा हूं कि जो धारा 139 के तहत जो ओटोनामी देकर उन संस्थाओं को कह दिया था कि निश्चित समयावधि में विहित रीति के अनुसार वह चुनाव कर, संचालन मण्डल की जिम्मेदारी हो कि वे चुनाव करा लें और चुनाव अगर नहीं कराएं, निश्चित समयावधि के अन्दर तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्वयं ही वह संचालम मण्डल भंग माना जाए और इसके साथ-साथ एक पैनल्टी यह भी इम्पोज हो जाए कि उस संचालक मण्डल के जो सदस्य इसमें हों उनको चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य करार दे दिया जाए। अगर यह करेंगे तो सोसायटी के जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में बैठे हुए लोग हैं उनके दिमाग में यह बात आएगी कि हम चुनाव समय पर नहीं क़राएंगे तो अयोग्य हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि अगर आप वास्तव में जो आपने सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं, स्वायत्ता की बात आप कर रहे हैं, आपने जो सहकारिता के सिद्धांन्त में स्वायत्ता और स्वतंत्रता इसकी बात कही, इस बात को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसके अन्दर कम से कम यह रखें कि सहकारी समितियां एक बार अपना निश्चित विहित रीति के अनुसार चुनाव कराएं। संचालन मण्डल अगर नहीं कराए उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव भी कराए और उनको योग्य भी घोषित करे। अब सभापति महोदय, 19930 संस्थाओं में चुनाव हो जांना, मैं समझता हूं, सम्भव नहीं होगा। वरना यह कंटीन्युअस प्रोसेस हो जाएगा। निर्वाचन आयोग इसमें लगा रहेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह सब सरकार की जिम्मेदारी है और कमीशन की जिम्मेदारी है। आप उसमें आशंका व्यक्त मत करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि एक प्रयोग हमने किया है। 1995 में संशोधन के माध्यम से, ज्यादा नहीं किया, मैं यह नहीं कहता कि बहुत बड़ी, हजारों की संख्या में सोसायटी के अन्दर सोसायटी के खुद के लोगों ने स्वयं अपना चुनाव अधिकारी नियुक्त करके चुनाव करा लिये। पर 150 के लगभग ऐसी सोसायटियां, उनको, जिनको ओटोनामी दी, हमने यह प्रयोग किया है। इसलिये थोड़ा विश्वास करना प्रारम्भ करें। इसलिये मेरा निवेदन है, पहला अधिकार आप दें उनको, पहला अधिकार चुने हुए संचालन मण्डल को विहित रीति और निश्चित समयावधि में चुनाव कराने का अधिकार हो और वह नहीं कराए तब राज्य चुनाव आयोग कराए। यह मेरा संशोधन है। और मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, जिस तरह आज जब से इस विधेयक पर खण्डशः चर्चा होने लगी है और जबसे आप आये हैं, सहकारिता मंत्रीजी के पास बिराजे हैं, सहकारिता मंत्रीजी तो ज्यादा रिजिड हैं। ऐसे कठोर व्यक्ति को राजनीति के अन्दर होना नहीं चाहिए कि अच्छे सुझाव आएं, और आपकी तथा हम सबकी मंशा एक ही है कि सहकारी आन्दोलन मजबूत हो। लोकतांत्रिक आस्थाओं में विश्वास रखने वाले लोग इस आन्दोलन के साथ जुड़ें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह तो इस बात पर विश्वास नहीं करते। परन्तु मैं सहकारिता राज्य मंत्रीजी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब से आये हैं, आपने उनको काफी कुछ खण्डों में संशोधन के लिये राजी किया है। अभी आप एक खण्ड में संशोधन लेकर आये। इस खण्ड में भी आप संशोधन लेकर आये। और अगर ये नहीं मानें तो भी आप खड़े होकर कह दें। सभापति महोदय कहकर उसको पास करा देंगे।

श्री सभापति : माननीय डाक्टर रतनलाल जाट। माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा। माननीय मंत्री महोदय।

श्री परसादी लाल (राज्य मंत्री, सहकारिता) : सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि निर्वाचन आयोग कुछ अन्य संस्थाओं के चुनाव, जिनमें सहायता वगैरह सरकार की नहीं हैं, उनके चुनाव की छूट दी जाए। इस विधेयक की जो मंशा है, प्रवर समिति ने जो, जिस तरह का इसको यहां पेश किया है उसके अनुसार निष्पक्षता, एकरूपता, सारे प्रदेश में इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा, निष्पक्षता अपने आप रहेगी। आज शिकायतें यह आती हैं कि अरबन को-आपरेटिव बैंक या दूसरी संस्थाएं लम्बे समय तक चुनाव नहीं कराती हैं। संस्थाओं का चुनाव समय पर हो, निष्पक्ष हो और पारदर्शिता से हो, इसी उद्देश्य से सभी संस्थाओं के जो खण्ड 33 में जिन संस्थाओं का नाम निर्देशित किया है, उनके सभी के चुनाव एक साथ हों इसलिये जो आपने संशोधन मूव किया है उसको मैं निरस्त करता हूं और इसको पास कराया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय श्री हीरासिंह चौहान, माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़ ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ना पक्ष जीता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मत विभाजन कराएं, सभापति महोदय। हमारी संख्या ज्यादा है क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को तो दूसरे काम, आप देख लें, सदन की क्या हालत है। आप मत विभाजन कराएं।

श्री रामस्वरूप : हमारी संख्या भी कम नहीं है। आप सबको तो मैं अकेला ही बहुत हूं। आप पुनः बुलवा कर देख लो। (व्यवधान) हमारी संख्या कम नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस खण्ड पर मत विभाजन कराएं। आप दुबारा बोलें। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि खण्ड 34 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री हीरासिंह चौहान ने प्रस्तुत किये हैं उन्हे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

श्री रामस्वरूप : ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मत विभाजन कराएं।

श्री रामस्वरूप : ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता। हाथ ऊंचा करवा लें। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 34 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-34 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-30 को सरकार ने डेफर करवाया था। वह संशोधन लाना चाहती थी। लेकिन अभी सूचित किया है उन्होंने कि सलेक्ट कमेटी ने जिस रूप में रिकमण्ड किया है उसी रूप में स्वीकार किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किस रूप में, बताएं तो सही।

सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है आपसे कि पहले सरकार संशोधन लेकर खण्ड-30 के अन्दर आयी, अब सूचना दे दी इन्होंने कि खण्ड 30 में कोई संशोधन लेकर नहीं आ रहे हैं। सलेक्ट कमेटी ने जो परिवर्तन किया उसी प्रतिवेदित रूप से इसे स्वीकार कर लिया जाए। तो सरकार संशोधन लेकर आयी उसके पीछे भी कोई मंशा होगी और सरकार ने अपने संशोधन को वापस लिया है, वह मंत्री महोदय कम से कम सदन को अवगत तो कराएं। और जब वापस लिया है तो हीरासिंहजी और सबको बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, दिया कहां है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आपने आसन से फरमाया है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय ने संशोधन हाउस के अन्दर रखा है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। सरकार ने डेफर करवाया था, संशोधन दिया नहीं था। देने की बात कहीं थी। अब इन्होंने सदन को सूचित किया है, आसन को सूचित किया है।

श्री कन्हैया लाल : हाउस में कहा था। (व्यवधान) संशोधन कर रहे हैं। सभापति महोदय, कहा था, हाउस में संशोधन सर्कुलेट कर रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, उन्होंने घोषणा की थी कि 6 महीने के

(श्री अमराराम)

बजाय मैं 3 महीने का संशोधन मूव करना चाहता हूं (व्यवधान) पास कर दिया जाए। तो मंत्री महोदय ने क्या सोचकर के तो 6 महीने का 3 महीने मूव करने के लिये कहा था और अब इतनी देर में वापस 3 महीने के संशोधन को मूव करना नहीं चाहते हैं।

जब क्या कारण थे और अब कौनसे कारण हो गये? अब दस ही मिनट में कौनसे परिवर्तन हो गये, यह तो मंत्री महोदय, स्पष्ट करें।

श्री हीरासिंह चौहान : एक-एक मिनट पर विधेयक की धाराओं के बारे में, तीन महीने, छह महीने, एक-एक (व्यवधान) क्या हो रहा है। क्या कर रहे हो, यह ग्राम की पंचायत तो है नहीं विधान सभा है। (व्यवधान) यह उचित नहीं है।

श्री सभापति : गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने तो विधान सभा को मजाक ही बना लिया है।

मजाक, यह छोटा है, यह बड़ा है, कभी तीन महीने और कभी छह महीने का.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति महोदय, यह अभी सरकार की तरफ से कहा गया था, माननीय सदस्यों के सुझाव थे और उसकी तरफ उनको कंसीडर करके और हमने यह कहा था कि नहीं छह महीने ज्यादा है, हम तीन महीने की बात सोच सकते हैं और उसके बाद में अमेंडमेंट मूव करेंगे। माननीय सभापति महोदय, (व्यवधान) मेरी सुनिए आप। सुनो तो सही आप।

श्री अमराराम (धोद) : यह कहा था कि मैं उसको मूव करता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : सुनो तो सही आप।

श्री धर्मपाल चौधरी : मूव कर दिया जाए, उन्होंने यह अभी कहा था।

श्री परसादी लाल : मूव तो कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते क्या?

श्री शिवनाथ सिंह : मूव नहीं हुआ था, मूव नहीं हुआ था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कहते हैं तो विद-ड्रा कर लेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : आप सुनो तो सही। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मूव कर सकते हैं तो विद्-ड्रा नहीं कर सकते।

श्री शिवनाथ सिंह : आप सुनो तो सही। माननीय सभापति महोदय, हम.... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह नहीं कहा कि विचार कर रहे हैं, यह कहा है कि हम मूव कर रहे हैं और इसमें संशोधन (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मूव तो नहीं किया न पर....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप यह कहते हैं कहा था, माननीय सदस्य, आप ठीक कहते हैं, कहा था लेकिन....

श्री अमराराम (धोद) : हां।

श्री सभापति : आसन उस रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और मैंने यह कहा था कि यदि सरकार कोई संशोधन लाना चाहती है तो लिखित में लाये, लिखित में दे, पहले आसन को दे तो अब....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : लिखित में लाये, सदस्यों को दे।

श्री सभापति : सरकार ने निर्णय किया है कि वे कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं लाना चाहते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : यह हम चाह रहे हैं कि सरकार से यह निवेदन है (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आप कह रहे हो कि क्यों नहीं ला रहे हैं। जब रुल्स के हिसाब से चलते हैं, हम चाहते हैं कि यह कानून बने और बिलकुल संवैधानिक कानून बने। इसमें कोई त्रुटि नहीं रहे। अमेंडमेंट के लिए एक कायदा है कि दो रोज पहले, एक रोज पहले अमेंडमेंट मिलना चाहिए। अब आपकी तरफ से जब एतराज हुआ कि इसको सर्कुलेट नहीं किया गया....

श्री अमराराम (धोद) : हमारी तरफ से नहीं हुआ, आसन की तरफ से हुआ।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं-नहीं, सुनों तो सही आप। सुन तो लो। और एतराज यह किया गया कि इसको इस रूप में अमेंडमेंट पेश नहीं कर सकते अब कल यह हो सकता है कि इसमें एक रोज पहले सर्कुलेट किया, नहीं किया गया। इसलिए इस सरकार ने यह सोचा, ठीक सोचा है कि हम इस वक्त इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि कहीं भी कोई कानूनी खामी नहीं रहे। अमेंडमेंड सर्कुलेट समय पर नहीं हुआ, आसन उसको रिजेक्ट कर सकती थी लेकिन आसन ने उसको रिजेक्ट नहीं किया। तो इस वक्त सरकार का सोचना बिलकुल सही है और आज इस वक्त इसमें अमेंडमेंट कोई लाया जाएगा तो वह संवैधानिक नहीं होगा। संवैधानिक दृष्टि से यही उचित है कि सरकार ने अब जो सोचा है, ठीक किया है, वह कानूनी है और अब सरकार का पूरा अधिकार है कि इसमें संशोधन लाये या नहीं लाये, उन्होंने कह दिया कि हम नहीं लाना चाहते इसलिए बिलकुल प्रक्रिया सही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा निवेदन इतना सा है कि (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड-30 में जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाए ?

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय सभापति महोदय, मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन मैं वापस लेता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौनसी धारा में है, सभापति महोदय ?

श्री मांगीलाल : खण्ड-30

श्री सभापति : खण्ड-30 है, खण्ड-30

श्री हरिसिंह (महुवा) : दो कदम आगे और दो कदम पीछे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड-30 में जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड-30 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-30 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : खण्ड-35 से लगाकर 43 तक, बीच में थोड़े ही है कोई ?

श्री परसादी लाल : कोई संशोधन नहीं, 35 से 43 तक।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोई संशोधन नहीं है।

श्री सभापति : खण्ड 35 से 43 तक कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है खण्ड 35 से 43 तक प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जाएं।

(स्वीकृत)

खण्ड-35 से 43 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में तक स्वीकार किये गये।

खण्ड-44, संशोधन प्रस्तुत करेंगे श्री सांवर लाल। (अनुपस्थित)। श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, यह जो इस एक्ट के अध्याय 7 में सहकारी सोसायटियों को राज्य सहायता, इसमें मेरा संशोधन, माननीय सभापति महोदय, यह है कि अगर कोई सहकारी समिति या सोसायटी राज्य सरकार से सहायता की मांग करती है तो उसे सहायता दी जाए लेकिन वह अगर सहायता की मांग नहीं करती है तो सोसायटियां तो बहुत हैं और पता नहीं कि राज्य सरकार का किन-किन सोसायटियों के

(श्री हीरासिंह चौहान)

प्रति इसकी पूंजी देने का, उसमें हिस्सा देने का मानस बना रखा है, यह तो मैं नहीं बता सकता लेकिन हर सहकारी सोसायटी को हिस्सा देने वाली बात कहते हो इसलिए मेरा इसमें यह संशोधन है, माननीय सभापति महोदय, और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधन बहुत व्यावहारिक है, जिस संशोधन को स्वीकार करना चाहिए। हमने यह कहा है कि जो सहकारी समिति अपनी तरफ से सरकार से निवेदन करें कि हमको सहायता दी जाए वह (क) में आपने लिखा है, (क) में यह कहा है कि "किसी सहकारी सोसायटी की शेयर पूंजी में प्रत्यक्षतः अभिदाय कर सकेगी।" तो हमने यह कहा है कि "किसी सहकारी सोसायटी की शेयरपूंजी में सहकारी सोसायटी की सहमति पर ही पूंजी में प्रत्यक्ष अभिदाय कर सकेगी।" अब आपको पता नहीं हैं, यह कम्पलसरी कर दिया है और पता नहीं क्या किया है और किस प्रकार इसको आप करना चाहते हो, सहकारी सोसायटियां तो बहुत हैं, 20 हजार सहकारी सोसायटियां हैं, अब आपकी पैनी नजर किस तरफ है, किन सोसायटियों के ऊपर कब्जा करना है, किसके ऊपर आपको इंटरफियर करना है, बहुत सारी स्वतंत्र सोसायटियां चल रही हैं और उनके लिए भी आपने यह कहा है कि उसमें अंशदान किया जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसीलिए माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि कोई सहकारी समिति इस प्रकार की रिक्वैस्ट करे आपसे, लिखित में निवेदन करे तो ऐसी स्थिति में तो आप अपनी शेयर पूंजी दीजिए। अगर वह चाहती है स्वतंत्र रूप से चल रही है तो उसमें शेयर पूंजी देने की कहां आवश्यकता है वह लिखित में दे तो करे, इसलिए इतना ही संशोधन है इसमें।

श्री सभापति : श्री केसाराम चौधरी (अनुपस्थित), डा. रतनलाल जाट (अनुपस्थित), श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, मेरे द्वारा इस विधेयक के खण्ड 44 की उप धारा-(1) में निम्न संशोधन प्रस्तावित है :—

"किसी भी सहकारी सोसायटी की शेयर पूंजी में सहकारी सोसायटी की सहमति पर ही पूंजी में प्रत्यक्ष अभिदाय कर सकेगी।"

सभापति महोदय, यह संशोधन मेरे द्वारा इसलिए प्रस्तावित है कि सरकार किसी भी सहकारी सोसायटी में अपना शेयर कैपिटल क्यों दे, उसके पीछे मकसद एक ही रहता हैं कि जो भी सहकारी समिति है, वह आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हो जाए। सभापति महोदय, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको इनीशियली सरकार थोड़ी-बहुत शेयर कैपिटल दे दे, वे अपने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

व्यापार से अपनी खुद की अंशपूंजी जब पैदा कर लेती है, उसे आवश्यकता नहीं होती जब सरकार की अंशपूंजी की तो उसको देने के लिए भी इस विधेयक के अन्दर कहीं प्रावधान नहीं है। वापस लौटाये तो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक इसी तरह का प्रकरण आजकल चर्चा में है जिसकी चर्चा माननीय श्री हीरासिंहजी चौहान ने की थी सीकर का अरबन को-आपरेटिव बैंक, सिर्फ एक लाख रुपये की शेयर पूंजी है सरकार की परन्तु सरकार, इस बैंक के बार्ड आफ डाइरेक्टर ने प्रस्ताव ले लिया कि हम इस शेयर पूंजी को लौटाना चाहते हैं, हम ओटोनॉमी चाहते हैं परन्तु इसलिए नहीं सरकार उस शेयर पूंजी को ले रही है, 29(2) के अन्दर सरकार ने इसी विधेयक के 29(2) में अधिकार ले रखा है कि अगर उनकी शेयर कैपिटल हो तो उसके अन्दर अपने बोर्ड आफ डायरेक्टर में तीन आदमियों को नामजद कर सकते हैं तो, सभापति महोदय, यह तो एक तरह से इस शेयर कैपिटल के बहाने से सरकार जिस भी संस्था पर कब्जा करना चाहेगी, जबरदस्ती शेयर कैपिटल दे देगी। एक तरफ तो हम कहते हैं कि सरकारी धन का उपयोग कम से कम हो और दूसरी तरफ इस विधेयक के इस खण्ड के माध्यम से हम सरकार चाहे जब किसी संस्था को, सहकारी संस्था को चाहे वह शेयर कैपिटल मांगे या नहीं मांगे सरकार जबरदस्ती उसको शेयर कैपिटल दे दे और शेयर कैपिटल देकर, पर इसी विधेयक के खण्ड-29 के अन्दर जो अधिकार इन्होंने लिये हैं उस अधिकार के तहत यह अपने बोर्ड आफ डायरेक्टर में अपने लोगों को नामजद कर दें। मुख्य कार्यकारी अधिकारी वहां नियुक्त कर दें तो सभापति महोदय, यह सहकार की मूल भावना के विपरीत है। अगर कोई सहकारी सोसायटी मांग करे, सोसायटी का बोर्ड आफ डाइरेक्टर प्रस्ताव करे, तब तो कम से कम सरकार को चाहिए कि शेयर कैपिटल दे और उसका मकसद सरकार का अगर यही है कि आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहेंगे किसी सोसायटी का तो उसी का करे जो मांग करे। जिसको जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय, इस पर आपको विचार करना चाहिए कि जो सोसायटी आपसे शेयर अंशदान मांगेगी नहीं, उसको आप काहे को जबरदस्ती देना चाहते हैं, इसके पीछे आपका मकसद क्या है, मंशा क्या है इसको स्पष्ट करें और मेरा प्रस्ताव है कि जो मैंने संशोधन मूव किया है उसको स्वीकार करें।

एक माननीय सदस्य : धन्यवाद, वैरी गुड।

श्री सभापति : माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा। बोलेंगे आप, श्रीमान् ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हां।

एक माननीय सदस्य : बोल रहे हैं साहब, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोलेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं, आज तो इतना ही है कि जो संशोधन श्री राजेन्द्रजी राठौड़ साहब ने रखा है, उससे सहमत होते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पूरा करें, माननीय मंत्री महोदय, और सिर्फ एक रुपये का या एक लाख का शेयर डालकर अनावश्यक रूप से उन सोसायटियों को तानाशाही तरीके से नहीं चलायें और लोकतांत्रिक तरीके से चलायें, इतना ही मेरा कहना है।

श्री सभापति : धन्यवाद। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद के पात्र हैं। मंत्री महोदय, उत्तर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई जरूरी नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उत्तर तो देना ही पड़ेगा साहब।

श्री परसादी लाल : सभापति महोदय, जैसा कि प्रवर समिति ने प्रतिवेदित किया है उसके अनुसार इसको पास कराया जाये और माननीय सदस्यों ने जैसी भावना व्यक्त की है कि सरकार इनकी सदस्य नहीं हो, हिस्सा पूंजी नहीं हो। सरकार जनहित में कहीं भी अपना कोई शेयर वहां पर जमा करा सकती है और सरकार को यह अधिकार है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड-44 में जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है खण्ड-44 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड-44 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-45 से 47 तक, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-45 से 47 तक प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जाएं।

(स्वीकृत)

खण्ड-45 से 47 प्रवर समिवि द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड-48, प्रभारी मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : संशोधन मूव कर दिया पहले हमने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले हम बोल लेते हैं, फिर जवाब दे देना।

श्री सभापति : आपका नाम लिखा हुआ है एजेण्डे में? मुझे पता नहीं, क्या बोलेंगे आप?

श्री परसादी लाल : सहकारी सोसायटी किसी वर्ष में अपने शुद्ध लाभों में से (क)

(श्री परसादी लाल)

अपने लाभ का 25 प्रतिशत ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जो विहित की जाये, आरक्षित निधियों में अन्तरित करेगी। (ख) लाभ का ऐसा भाग, जो विहित किया जाये, नियमों के अधीन गठित सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि में जमा करेगी।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल डांगा।

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन था, स्वीकार कर लिया है इसलिए इसका प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं।

श्री परसादी लाल : ठीक है। सभी का हो गया।

श्री सभापति : यह आपके पास जितने संशोधन हैं, वह सब माननीय मांगीलालजी डांगा से जितेन्द्र सिंह, अलवर तक (व्यवधान) कोई दिखता ही नहीं है। यहां है कोई बोलने वाला? (व्यवधान) डा. किरोड़ी लाल। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय सभापति महोदय, धारा -48 में उप धारा तीन जोड़ी जाये। इस धारा में अन्य कोई प्रावधान होते हुए भी जिस सहकारी सोसायटी ने इस अधिनियम के अध्याय सात के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की राजकीय सहायता प्राप्त नहीं की है अथवा प्राप्त की हुई सहायता लौटा दी है, ऐसा सोसायटी पर इस धारा का कोई प्रावधान लागू नहीं हो, यह मैंने मूव किया है। सभापति महोदय, वर्ष भर का जो प्रोफिट है, इसको कैसे बांटा जाये? हम सहकारिता में स्वायत्तता और स्वतन्त्रता की बात करते हैं। सदस्यों आर्थिक सहभागिता की बात करते हैं तो यह आवश्यक है वह अपना आर्थिक निर्णय भी स्वयं ले। 1995 में जो हम संशोधन लाये थे, उसमें ऐसी संस्थाएं हैं, जिसमें सरकार की भागीदारी नहीं है, उन्हें स्वायत्तता प्रदान की गयी। लाभ वितरण का अधिकार सहकारी संस्थाओं की सर्वोच्च समिति, आम सभा को दिया गया था, पर लाभ का विवरण आम सभा करेगी, ऐसा लोकतांत्रिक निर्णय सरकार ने लिया था। किन्तु अब जो सरकार इसमें संशोधन ला रही है, उससे लाभ के वितरण के लिये सहकारी संस्थाओं पर बाध्यकारी प्रावधान लाये जा रहे हैं, सभापति महोदय, जिसमें सहकारी शिक्षा के लिये धन उपलब्ध कराने की बाध्यता है और सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिये 10 प्रतिशत राशि देने का प्रावधान है। इससे, सभापति महोदय, सहकारी संस्थाओं आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और जहां राशि भेजी जाएगी, वहां पर इसका पूरा का पूरा दुरुपयोग होने की सम्भावना है। इसका कोई लाभ संस्थाओं को होने वाला नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, यह प्रावधान जो सरकार ला रही है, वह ठीक नहीं है, जनतांत्रिक नहीं है और सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। मैं उसमें संशोधन चाहता हूं।

श्री परसादी लाल : संशोधन क्या है?

श्री सभापति : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, 1995 में धारा 139 के अन्तर्गत यह जो पहले की धारा थी सोसायटी की, पुराने एक्ट के अनुसार यह धारा 62 है। धारा 62 में संशोधन करके लाभांश को बांटने की कार्यवाही की थी। अब आप उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन ऐसा लगा रहे हैं निश्चित तौर से इस प्रकार के लोककारी कार्य करें। आपकी सोच तो अच्छी है। लेकिन इस अच्छी सोच के पीछे आप, किसी सहकारी समिति की स्थिति ठीक नहीं है या वह अपने एक प्रकार का, जिसके शेयर होल्डर है या समिति के है, उन अलग प्रकार के व्यवसायी की अपने सदस्यों को लाभांश या काम करने में करना चाहते हैं या किसी इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करने के लिये या अन्य किसी प्रकार सामाजिक कार्य, क्योंकि सहाकारी समिति बनी है तो केवल वह धन कमाने के उद्देश्य से ही नहीं बनी है। उसके पब्लिक परपज के उद्देश्य उसके साथ जुडे हुए होते हैं। और कोई भी सहकारी समिति का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन के क्लाजेज भी ऐसे बने हुए हैं कि वह लोक हितकारी और कल्याणकारी काम करेगी। निश्चित तौर पर कल्याणकारी कामों के लिए ही वह बनती है। लेकिन आपने इसमें कम्पलसरी कर दिया है कि आप इसमें से इस प्रकार का लाभांश है जो उनसे प्राप्त करेंगे तो इस प्रकार मेरा निवेदन है कि यह जो क्लाजेज में रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, यह स्वावत्ता पर सीधा प्रहार है, हमला है और इससे भविष्य में जो सोसायटियां वगैरह बनेंगी, मेरी राय में इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन करके पब्लिक इंटरेस्ट के लिये बहुत सारी मेडिकल संस्थाएं चल रही हैं जो बहुत सारे लोगों के रोग निदान का काम करती हैं, हमारी सरकारी व्यवस्था नहीं कर सकती। राज्य में हजारों एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो आगे से आगे प्रमोट हो रहे हैं। कभी सैकण्डरी थी तो हायर सैकण्डरी हो गयी। कभी कालेज हो गयी तो इन्हीं पैसों के हिसाब

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

से करती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के बिना मतलब, बेवजह आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगायें, यही हमारा संशोधन है। मेरा तो निवेदन है कि इस प्रकार के रेस्ट्रेक्शन क्लाज नहीं लगायें जायें तो अच्छा रहे।

श्री सभापति : श्री केसाराम चौधरी । (अनुपस्थित), श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : मंत्री महोदय, आपने जो दो मूल संशोधन मूव किये हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने खण्ड 48 के (क) में अपने लाभ का 25 प्रतिशत ऐसी कालावधि के भीतर भीतर जो विहित की जाये, आर्थिक निधियों में अन्तरित रहेगी। मतलब रिजर्व फंड में आपने 25 प्रतिशत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रखने की बात करी, समझ में आया। अब खण्ड-ख में आप क्या संशोधन लेकर आये हैं। "लाभ का ऐसा भाग जो विहित किया जाये, नियमों के अधीन गठित सहकारी शिक्षा और भविष्य निधि में जमा करेगा। जो आपका मूल अधिनियम है, मूल विधेयक है, सभापति महोदय, मैं इसमें आपका भी सहयोग चाहता हूं, क्योंकि सरकार कितनी जागरूक है, मैं समझता हूं मंत्री महोदय को खुद ही पता नहीं है कि कौनसे संशोधन आ रहे हैं। इसको आप पढ़कर देखें। मूल जो है। लाभ का ऐसा

(15.39 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

भाग जो विहित क्या किया जाये नियमों के अधीन गठित सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण-निधि में जमा करेगी। मतलब एक शब्द का भी हेर-फेर नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? किसी चीज का संशोधन है? सेक्शन-ख में है, 48 के ख में, वही की वही आपने वापस रिराइट करके सदन के अन्दर सर्कुलेट कर दी। मुझे आपसे यह आशा नहीं थी कि जो संशोधन आपके अधिकारियों ने लिखकर दे दिया और आपने सदन में सर्कुलेट कर दिया। आप इसमें कहीं कोमा, उपाध्यक्ष महोदय, सदन में इन्होंने जो संशोधन मूव किया है और जो मूव विधेयक का खण्ड-48 है, इसमें एक शब्द का भी हेर-फेर नहीं है।

यह इस चीज को दर्शाता है कि ना तो मंत्रीजी इस चीज के लिए गम्भीर हैं कि किस तरह का संशोधन लाएं, किस तरह का विधेयक बने और मात्र यह अधिकारी जिस तरह कह रहे हैं इस तरह यह है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने उत्तर के अन्दर इस चीज को स्पष्ट करेंगे। नम्बर एक।

नम्बर दो, मैं आपका ध्यान इसी 48 की धारा (2) के खण्ड-(घ) (ग) की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जिस चीज से हम कभी जिंदगी में जुड़े नहीं उसको कुछ समझें और यहां हमारे ज्ञान के चक्षु यह खोलें अनुभवी लोग। अनुभवी तो मैं कहूंगा परन्तु जागरूक कैसे हैं, मैंने अभी सदन में एक बानगी प्रस्तुत की है। मैं आपका ध्यान (घ) (ग) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा :— "सहकारी आन्दोलन को समर्पित किसी के हेतुक के लिए, शुद्ध लाभ के 10 प्रतिशत से अनधिक की रकम की संदाय" होगी। मतलब आप सहकारी आन्दोलन के बढ़ावे के नाम को लेकर जो लाभांश बंटवारा सैक्शन 48 में होगा उसमें दस प्रतिशत की राशि को आप उसमें खर्च करने का प्रावधान डाल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस दस प्रतिशत में हो क्या रहा है? मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछले दिनों विदेश यात्रा के लिए आपके तत्कालीन रजिस्ट्रार, ओ.पी.सैनी गये, कई देशों में घूम कर आये। आपके एस.एल.डी.पी. के एम.डी., एस. एल. जाखड़

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चले गये। मतलब आप दस प्रतिशत राशि लेंगे उस गांव की ग्रामीण सहकारी समिति से लेकर अपैक्स बैंक तक और उसमें कहेंगे कि यह सहकारिता के विकास के लिए पैसा खर्च किया जाय। मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इसका जवाब देंगे कि यह दोनों महानुभाव कौनसी राशि से विदेश यात्रा करके आये? आप क्या करना चाहते हैं? गरीब का पैसा है, विदेश के अन्दर सीख कर आयेंगे वे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हालांकि अनुभवी हैं, मैं तो सोच रहा था कि ज्यादा ज्ञान होगा परन्तु यह सारी कलई आपकी खुल गयी। यह रिजर्व फण्ड में 25 प्रतिशत लाभ का हिस्सा आप रखें उसमें तो ठीक है परन्तु आप लाभ के वितरण का अधिकार क्यों लेना चाहते हैं? आप आम सभा को लगातार क्यों कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं?

आपको मैंने हर बार यह कहा है कि आप उन कदमों से पीछे जा रहे हैं जो 1995 में संशोधन के जरिये इस सहकारी आन्दोलन को मजबूत करने के लिए तत्कालीन सरकार ने उठाये थे। इसीलिए मेरा प्रस्ताव है कि यह लाभ के वितरण का अधिकार आम सभा को दिया जाय और, उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के सिद्धान्त में सहकारिता, स्वायत्तता, स्वतंत्रता, आर्थिक सहभागिता के मूल सिद्धान्त की बात इन्होंने कही है, यह इन सारे सिद्धान्तों के विपरीत है। इसलिए मैं चाहूंगा की इसमें दूसरे खण्ड के अन्दर जो संशोधन इन्होंने मूव किया है खण्ड-ख में, यह बताएं इसमें परिवर्तित क्या है?

श्री हीरासिंह चौहान : एज इट इज है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह 48 के (2) (ग) के अन्दर जो सहकारी आन्दोलन के कार्य पर विकास के नाम पर जो दस परसेंट पैसा ले रहे हैं उसके अन्दर क्या आप इसी काम को करेंगे, आपके रजिस्ट्रार महोदया को और इनके दूसरे लोगों को अगर विदेश यात्रा जाने का आप एक और मौका देना चाहते हैं तो सीधा-सीधा दे दें न आप। इसलिए यह सरकारी धन का अपव्यय है....(व्यवधान).... इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय गम्भीरता से बात करें।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने अभी कहा कि विदेश में इस पैसे को क्यों बरबाद किया जा रहा है, अभी अटल बिहारी वाजपेयी गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, बैठिये।

श्री रामस्वरूप : और दूसरा, अटल विहारी वाजपेयी ने अपने घुटनों को ठीक कराया है। यह भी तो हमारा ही पैसा था, जनता का।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, बैठिये।

श्री रामस्वरूप : जब घुटने ठीक करा सकते हैं तो यह तो सहकारिता का मामला है, विदेश क्यों नहीं जा सकते ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप : गरीबों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहां जानकारी ली है उन्होंने कैसे, कानून हैं वहां के।

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे अधिकारी, चाहे भूमि विकास बैंक के हों, चाहे तत्कालीन रजिस्ट्रार, उनको राजस्थान सरकार के कोष से या सहकारी संस्था के कोष से उनको किसी प्रकार की राशि खर्च नहीं की गयी थी, राष्ट्रीय सहकारी संघ के द्वारा उनको भेजा गया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत लम्बा काम है, कृपा करो, थोड़ी आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राष्ट्रीय सहकारी संघ में पैसा किसका था? वह यहां का पैसा था। राजस्थान की सरकार का पैसा था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो सहकारिता आन्दोलन के नाम पर पैसा भेजा गया था उससे वह गये थे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह घुटना ठीक कराने में किसका पैसा लग गया ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि खण्ड 48 में जो संशोधन-48 के (क) में 25 परसेंट इसमें सदस्यों को लाभांश का प्रतिवर्ष या जब भी सोसायटी करना चाहे, अगर लाभांश रैगुलर रूप से सदस्यों को मिलेगा निर्धारित प्रतिशत में तो इससे को आपरेटिव को ज्यादा मजबूत होने का लाभ मिलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खण्ड-48 (ख) में क्या संशोधन लेकर आये हो, आप तो यह बता दो। खण्ड-48 (ख) पढ़ कर सुना दो, मूल विधेयक का पढ़ कर सुना दो और आप जो लेकर आये हो, उसका सुना दो।

श्री परसादी लाल : पहले (क) पर तो बोल दूं। यह 25 प्रतिशत किया है इसके पीछे यही भावना है सरकार की कि इसमें ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की भागीदारी होगी और उनको सहकारी संस्थाओं से लाभांश का समय पर वितरण होगा।

खण्ड-1 के (ख) में यह बता रहे हैं कि कोई संशोधन नहीं है उसमें माननीय डांगाजी का....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूछ लो किसी से।

श्री परसादी लाल : जो संशोधन दिया है वह....(व्यवधान).... मैं पढ़ रहा हूं, एक बार सुन तो लें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर्ची मंगा लो।

डा. किरोड़ी लाल : पर्ची मंगा लो। रजिस्ट्रार से पर्ची आ गयी।

श्री परसादी लाल : पर्ची की बात नहीं है। इसमें हम करना चाह रहे थे, जो अभी संशोधन मूव किया है, अब उसमें संशोधन करना चाहते हैं इसमें एक प्रतिशत....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कहां लिखा है?

श्री परसादी लाल : शब्दावली, जो डांगाजी ने प्रस्ताव मूव किया है, सरकार उसको मानने के लिए तैयार है। उसमें कहां दिक्कत है। संशोधन दिया है न डांगाजी ने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा अनर्थ मत करें।

श्री परसादी लाल : हम संशोधन माल रहे हैं न उनका। डांगाजी ने जो संशोधन दिया है एक परसेंट का।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह रहे हैं यह।

श्री परसादी लाल : के स्थान पर शब्दावली एक सहकारी संघ में, मान रहे हैं इसको। इसमें कहां दिक्कत है? डांगाजी के संशोधन को मान रहे हैं? एक प्रतिशत वाले डांगाजी के संशोधन को हम मान रहे है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, ऐसा कैसे होगा?

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, वह संशोधन तो विथड्रा हो चुके।

श्री परसादी लाल : विथड्रा कब हो गया?

श्री मानिक चन्द सुराना : इस हाउस की अनुमति से, उपाध्यक्ष महोदय, सारे संशोधन जो माननीय सदस्यों ने मूव किये थे वह विथड्रा हा चुके।

श्री परसादी लाल : विथड्रा हुआ नहीं। 48 में कहां हुआ है?

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, आप दोबारा ले आयें, आपको अधिकार है। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है।

श्री परसादी लाल : 48 में विथड्रा नहीं हुआ है।

श्री रामस्वरूप : 48 में नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप एक प्रतिशत का संशोधन वापस ले आयें।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, 48 में नहीं हुआ है। ....(व्यवधान)

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन स्वीकार कर लिया गया। इन्होंने मेरा प्रस्ताव.... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप नया ले आयें, कोई दिक्कत नहीं है, आप नये रूप से लायें। लेकिन पहले यह संशोधन वापस हो चुके हैं। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : डांगाजी ने जो संशोधन दिया है उसको स्वीकार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया इसलिए मैं प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय राज्य मंत्रीजी, एक मिनट बात सुनें। हम प्रवर समिति के मैम्बर थे। साधारणतः डिबेट में पार्टिसिपेट करने का प्रश्न नहीं है। आप यह नया संशोधन 25 प्रतिशत का लाये कि आपने लाभ का 25 परसेंट, यह जो भी अपन संरक्षित निधियां बतायेंगे उसमें लगायेंगे। बहुत अच्छा संशोधन लेकर आये। प्रवर समिति में यह बात नहीं उठायी लेकिन चलिये, बाद में आयी, आप ले आये। अब आप 25 परसेंट का संशोधन लाये और अब एक परसेंट का (ख) में ला रहे हैं।....(व्यवधान) (ख) में लाने की मंशा मान लीजिये। तो जो (घ) है जो मैम्बर है जिसको बोनस मिलना है, उसका भी तो आप कुछ निर्धारण कर देते "जो समादत्ता शेयर पूंजी पर ऐसी दर से लाभांश का संदाय करेंगी।" यदि मान लीजिये उसमें ऐसा लाभ हुआ है कि मैम्बर अपनी 100 रुपये, 200 रुपये की पूंजी है, उस पर 10 परसेंट उसको मिल सकता है। आखिर बैंक के फिक्स डिपोजिट्स पर भी 10 परसेंट 12 परसेंट मिलता है। मैम्बर को जो उनकी समादत्त शेयर पूंजी पर कोई लाभ मिले, इसको भी तो आप डाल दीजिये। पहले तो अपन उसका विभाजन नहीं कर रहे थे, 25 परसेंट आरक्षित निधियों में नहीं डाल रहे थे। अब जब आप डाल रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि मैम्बर्स का जो लाभ अंश है उसको भी निर्धारित कर दीजिए। एक परसेंट जहां आप कर रहे हैं यह प्रशिक्षण शिक्षा और प्रशिक्षण निधि में। मैम्बर्स को जो बोनस नहीं मिलता है 10 परसेंट, 12 परसेंट सोसाइटी लाभ में हैं इसी कारण से सहकारी आन्दोलन गति नहीं पकड़ रहा है। यदि मैम्बर्स को प्रति वर्ष 10-12 परसेंट देंगे तो मैम्बर्स अपनी शेयर पूंजी को बढ़ायेंगे और मैम्बर्स जब अपनी शेयर पूंजी को बढ़ायेंगे तो सहकारिता का जो आर्थिक पक्ष है वह निश्चित रूप से मजबूत होगा।

इसलिए जब आप मुनाफे का यह विभाजन करने लगे हैं तब मेरा निवेदन है कि आप उन की सदस्यों को, उनकी जो समादत्ता शेयर पूंजी है, कंट्रीब्यूटेड शेयर कैपिटल है, उस पर भी आप उनको 10 परसेंट, 12 परसेंट लाभ का अंश देने का प्रावधान करें। यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके बस की बात नहीं है अभी आपका नहीं है। आपको बुलवायेंगे अभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, एक मिनट।

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार ने मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया है तो सरकार को दूसरा संसोधन लाने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें तो संशोधन ही नहीं है।

श्री मांगीलाल डांगा : और उसमें स्पष्ट है उपविधियों में विनिर्दिष्ट शब्द स्पष्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका तो संशोधन ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक आपत्ति है। सरकार ने सदन में जो संशोधन मूव किया खण्ड-48 में, मैं इसमें आपका सहयोग चाहूंगा और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आइंदा इस तरह की गलती नहीं हो। इन्होंने जो संशोधन मूव किया है उसकों हूबहू, एक शब्द का अन्तर भी नहीं मूल विधेयक के उसमें, आप मुलाहिना फरमाएं, 48 के खण्ड-(ख) में हो तो बता दीजिये। मतलब इनको ध्यान ही नहीं, यों का यों रि-राइट करके और संशोधन के नाम पर सरकार ने सारे सदन के अन्दर सर्कुलेट किये है। आपसे गलती हो गयी। गलती आपकी नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : और "क" और "ख" को क्या कह रहे हैं? दोनों में एक ही भाषा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मूव किया है....

श्री हीरासिंह चौहान : एज इट इज है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मूल जो यह मेरे हाथ में है। आप कहो तो मैं पढ़कर सुनाता हूं।

श्री परसादी लाल : सही है। इसको हम मानते हैं। कल जो मूव किया था उसमें इसको ऐसा का ऐसा वहां प्रिन्ट कर दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह गलती मान रहे हैं न आप।

श्री परसादी लाल : गलती मानते हैं और इसकी जगह मैं जैसे विधेयक के खण्ड-48 के उप खण्ड में माननीय सदस्यों ने संशोधन दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो बिराजो। मान ली न, अब क्या प्रोब्लम है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, ये गलती मान रहे हैं।

श्री परसादी लाल : इसको मानने में कहां दिक्कत है। उन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई फ़र्क नहीं है न।

श्री परसादी लाल : हां, नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो मंत्री महोदय, आप सदन के अन्दर संशोधन लेकर आये इसका मतलब या तो आप गम्भीर नहीं हैं या संशोधन जिन्होंने मूव किया वे आपके अधिकारी गम्भीर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। हो गयी न बात।

श्री परसादी लाल : कहां दिक्कत है आपको?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इनको यह कहना चाहिए कि यह गलती जिस स्तर पर हुई उस स्तर पर हम इसकी जांच करेंगे, उनको दण्डित करेंगे। इस सदन के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया उन्होंने। सदन में ही तो बोल रहे हैं और कहां बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप गलती स्वीकार कर रहे है न?

श्री परसादी लाल : आपकी बात को हम स्वीकार करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप बोलें।

श्री परसादी लाल : विधेयक के खण्ड 48 उपखण्ड। (ख) में माननीय सदस्यों ने जो संशोधन दिया था उसको हम स्वीकार करते हैं और "ख" में मेरा जो अभी संशोधन पेश किया गया था जैसे आप कह रहे थे कि एक के "ख" में, मैं उसको वापस लेता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने दिया क्यों? आप स्पष्ट करें। हमारा अधिकार है यह जानने का। पहली बात तो खण्ड "ख" में कोई संशोधन है नहीं। आपकी मंशा क्या थी। यह तो स्पष्ट करों आप। आपने गलती मान ली। आपसे गलती हो गयी। क्यों हो गयी? यह तो बताओ न।

श्री परसादी लाल : हमारी मंशा प्रशिक्षण के लिए एक प्रतिशत देने की थी उसमें इन्होंने जो संशोधन कल पेश किया उसमें वह बात नहीं थी। माननीय सदस्यों ने जो अमेंडमेंट मूव किया हम उसको स्वीकार करते हैं कि एक प्रतिशत हम देंगे। कहां दिक्कत है इसमें।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी, आप क्या फरमाते हैं सदस्यों के लाभांश के बारे में। माननीय मंत्रीजी से मैंने निवेदन किया "घ" पर।

श्री परसादी लाल : इसमें सदस्यों के लिए तो कोई अमेंडमेंट आया नहीं। प्रवर समिति ने जो प्रतिवेदित किया उसको....

श्री मानिक चन्द सुराना : अमेंडमेंट नहीं आया। 25 प्रतिशत का संशोधन प्रवर समिति का नहीं है। यह तो आप लाये हो।

श्री परसादी लाल : नहीं, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आया। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : इसको आप लाये हैं। माननीय सहकारिता मंत्रीजी, सदस्यों की तरफ से सहकारिता का प्रसार करने की दृष्टि से सदस्यों को लाभांश, आप इसी में क्यों नहीं विनिर्दिष्ट करना चाहते हो?

श्री परसादी लाल : इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आया है सदस्यों के लिए। अगर आता तो उस पर भी हम विचार करते। कोई अमेंडमैंट ही नहीं है। आप तो प्रवर समिति के मैम्बर रहे हो माननीय सदस्य। आपने अगर वहां बात उठायी होती तो वह भी आता। कहां दिक्कत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट। आपके किसी मैम्बर में अमेंडमेंट मूव किया ही नहीं। आप कह रहे हैं मेम्बर ने मूव किया है, उसको स्वीकार कर लीजिए। नहीं किया है उन्होंने मूव। आप स्वयं ही दोनों मूव कर दो और उसको स्वीकार करवा लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। इसीलिए कह रहे हैं। इसको प्रताड़ित करो। सदन को मजाक बना रखा है इन्होंने।

श्री परसादी लाल : डांगा साहब ने किया है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों मूव कर दो न।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने नहीं किया। यह तो मूल में जो सदस्य हैं जो शेयर होल्डर हैं उनके लाभांश का भी अगर आप मूव कर देते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय उसको मान लेंगे।

श्री परसादी लाल : डांगा साहब ने किया है। देखो न आप। मूव किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं है। कहां है?

श्री अमराराम (धोद) : किसी ने नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : जो लिस्ट दी है, मूव नहीं किया। लिस्ट दी है उन्होंने, मूव नहीं किया प्रस्ताव।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मूव नहीं कया जैसा आपने कहा है शेयर होल्डर हैं, सदस्य हैं, उनको भी लाभांश के लिए संशोधन कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। अब मूव कर दो दोनों। (व्यवधान) अब क्या करें वह। मंत्रीजी, आप मूव कर दो। मंत्रीजी, आप बोलो।

श्री परसादी लाल : खण्ड-48 के उप खण्ड। "क" में आपने लाभ का 25 प्रतिशत ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर जो विहित की जाए आरक्षित निधियों में अन्तरित करेगी। "ख" लाभ का एक प्रतिशत जो विहित किया जाए नियमों के अधीन गठित सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि में जमा करेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-48 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-48 में जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड-48 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-48 में संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-49, प्रभारी मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : खण्ड-49 के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जाए :—

"परन्तु इस धारा में किसी बात के होते हुए भी नागरिक सहकारी बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में प्रदत्त दिशा-निर्देश यदि कोई हो तो प्रभावशील रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलालजी।

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरा प्रस्ताव पेश नहीं कर रहा हूं क्योंकि माननीय मंत्रीजी ने दूर-दराज की संस्थाओं के लिए नियमों में उनके लिए यह व्यवस्था करने के लिए आश्वासन दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : कांग्रेस के और कोई माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये कहां बोलेंगे साहब। इनका मुखबन्द है कि पता नहीं क्या है इनका।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो सहकारी संस्थाएं है, किसानों के लिए इतनी भी संस्थाएं बनायीं उनके बारे में मैं यह सोचता हूं कि इनके अन्दर लोगों को कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। मेरा निवेदन है कि कई ऐसी सहकारी समितियां हैं जिनको पहले पैसा देते हैं फिर सात दिन में काश्तकार लाभान्वित होते हैं। छत्तीस सालों से सहकारी समितियों का जो काम चल रहा है उनके अन्दर ऐसा संशोधन होना चाहिए जिससे काश्तकारों का भला हो, ऐसी बात जोड़ो। अकाल के अन्दर सहकारी समितियों के सदस्यों की जिनकी जमीनें बिकी और जिनके पशु बिके यूं मान लो कि ऐसा भ्रष्टाचार हुआ जिसकी कोई हद नहीं। दो कट्टे खाद के देते थे और चार अंकित करते थे और काश्तकारों की ऐसी हालत बिगड़ी, काश्तकारों की जमीन बिक गयी, उनके पशु बिक गये। इसलिए मेरा निवेदन है कि करोड़ों रुपये शेयरों का काश्तकारों का है, सरकार का तो इसके अन्दर ज्यादा पैसा नहीं हैं इसलिए मेरा यह निवेदन है कि अकाल पड़ता है तब खाद, बीज और फसल सब नष्ट हो जाती है यह छह महीने की कमाई और फिर काश्तार की कुर्की हो जाती है। कुर्की नहीं हो और उसके शेयर को भी सम्भालना चाहिए, उसके शेयर को नहीं गिना जाता है। वे जितने रुपये की कुर्की करके वसूल करते हैं उसमें शेयर को गिनना चाहिए, शेयर को एडजेस्ट करना चाहिए। वे कुर्की का अलग से लेना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया। बाद में और बुलवा देंगे आपको दुबारा।

श्री देवीलाल बैरवा : दूसरा निवेदन मेरा यह है कि उसका 500 रुपये बाकी होते हैं और एक हजार रुपये शेयर होता है तो उसका 500 रुपये का ब्याज नहीं लगना चाहिए क्योंकि उसका एक हजार रुपया शेयर का डिपोजिट है। इतना किसानों का भला कर दो ताकि सहकारी समितियों के सदस्यों और काश्तकारों का भला हो जाए और संस्थाओं से अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लालजी।

श्री रामस्वरूप : आप क्या मजाक कर रहे हो? आपके गृह मंत्री मेघवालजी को हराया था इन्होंने। यह वह शख्स है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा इस विधेयक की धारा 49 में नयी उप धारा "ड़" निम्नानुसार जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है। धारा 49 में उप धारा "ड़" को निम्नानुसार जोड़ा जाए :—

"बैंककारी विनियम, अधिनियम 1949 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो अधिनियम है उसमें संस्था अपने पैसे को किसी बैंक में रख सकती है। इसकी स्वतंत्रता है किन्तु जो अब ये हाल फिलहाल में विधेयक ला रहे हैं उससे सहकारी संस्थाओं पर यह प्रतिबंध आ जाएगा कि केवल सहकारी बैंकों में ही अपनी राशि जमा करा सकेंगे। ऐसी बाध्यता आने के बाद संस्था के लाभ पर सीधा असर पड़ेगा और जिन सहकारी संस्थाओं पर बी.आर.एक्ट लागू है उन्हें इसका पालन करना पड़ेगा जिससे सहकारी संस्थाओं के कामकाज पर सीधा हस्तक्षेप होगा इसलिए यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसारामजी। श्री हीरासिंह चौहान।

(16.00 बजे)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी इस धारा 49 के तहत यह व्यवस्था की गयी है, इसमें सरकार की तरफ से एक अमेंडमैंट मूव किया गया है जिससे कुछ समस्या का समाधान तो हो गया है लेकिन इसके लिए मेरा उपाध्यक्षजी, निवेदन है कि बहुत सारी जगह बैंको की व्यवस्था नहीं है। पैसे कहां जमा कराऐं, कहां नहीं कराएं तो यह स्थिति कुछ समितियों के लिए थोड़ी कठिन भी पड़ेगी। हालांकि आपने दिशा निर्देश, यदि कोई हो तो, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कुछ किया है, क्लाज किया है लेकिन फिर भी कुलमिलाकर के इसका दायरा बहुत छोटा किया है कि वह अपनी निधियां, इनवेस्टमैंट आफ दी फण्ड है किस प्रकार कहां जमा कराएं, इसलिए मेरा तो निवेदन है कि इसमें जिस प्रकार से भी हो, इसको थोड़ा सरल करने की कोशिश

(श्री हीरासिंह चौहान)

कीजिए ताकि अपने जो फण्ड वगैरह डिपोजिट कराएं वह कम से कम किसी भी प्रकार की बैंक हो वहां पर जमा कराके वह रख सकते हैं। यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड-49 में निधियों का विनिधान, कोई सहकारी सोसायटी अपनी निधियों का विनिधान निम्नलिखित किसी एक या अधिक में करेंगी, केन्द्रीय सहकारी बैंक, शीर्ष सहकारी बैंक। मैं इस चीज के लिए तो आपको मंत्री महोदय धन्यवाद दूंगा कि आप जो अमेंडमैंट हम लोगों ने जो मूव किया उसकी भावना के अनुरूप है।

मेरा अमेंडमैंट था कि बैंककारी विनियमन अधिनियम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार, परन्तु मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर पांच हजार से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं और इस एक्ट के अन्तर्गत जो आप यह ला रहे हैं, इस कानून के अन्दर जो आप संशोधन लेकर आयें है, अरबन को-आपरेटिव बैंक की तो समस्या का समाधान हो जाएगा पर छह हजार वह संस्थाएं जो गांवों में है और आठ हजार के लगभग दुग्ध समितियां, अब सहकारी बैंक की शाखाएं उपाध्यक्ष महोदय, शहरों में तो होंगी, जिला मुख्यालय पर भी हो सकती है, तहसील मुख्यालय पर भी हो सकती है पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां सुदूर किसी गांव में उस समिति के पास जो उसका फण्ड होगा, जो उसका पैसा होगा आप पाबन्दी लगाने जा रहे हैं कि वह सहकारी बैंकों में ही जमा हो तो एक व्यवस्थापक है। एक व्यवस्थापक तो इसी काम में लगा रहेगा कि कितना पैसा आया, क्योंकि आज कल, उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण सहकारी समितियां अनाज का काम इनके पास है, तेल वितरण का काम इनके पास है, एक तरह से छोटी मोटी दुकान है, बीज वितरण का काम ये करते हैं तो ये अपनी धनराशि को वहां गांवों के अन्दर, अब ग्रामीण आंचलिक बैंक भी गांवों में हैं। गांवों के अन्दर एस.बी.आई. और एस.बी.बी.जे. की शाखाएं भी हैं। वहां तो पैसे जमा करा नहीं सकते क्योंकि आप कानून लेकर आ रहे हैं कि पैसा जमा कराते है को-आपरेटिव बैंक के अन्दर तो कितना दूर जाना पड़ेगा, क्या यह व्यवहारिक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसके अन्दर संशोधन लेकर आएं और जिस तरह आपने दो चार बातें स्वीकार की हैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद, आपने अरबन को-आमरेटिव बैंक को तो कम से कम इस परिधि में ले लिया, उनकी समस्या का समाधान हो गया। आप इसके अन्दर जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां दूसरी संस्थाएं हैं, जो गांवों में स्थित हैं सुदूर स्थित हैं जिससे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपके सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक बहुत दूर हैं उनकी समस्या की तरफ भी ध्यान दें और उनके लिए भी आप इसी तरह का प्रावधान लेकर आएं। यहीं मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष जी, सहकारिता की भावना को मजबूत करने के लिए आपस में सहकारिता का एक तरह ताल मेल रहे, इसी उद्देश्य से सहकारी संस्थाओं का पैसा सहकारी बैंकों में ही जमा हो, दूसरे बैंको में जाएगा तो उससे सहकारिता को मजबूती नहीं मिलेगी। माननीय सदस्य अगर इसमें छूट दे देंगे तो फिर दूसरें बैंको में सारा पैसा चला जाएगा सहकारी संस्थाओं का पैसा सहकारी बैंको में जमा होना चाहिए इसलिए इसको जो हमने संशोधित रूप में पेश किया है इसको पास कराएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, जिद कर रहे हो आप। ग्रामीण सहकारी सोसायटियां गांवों में हैं और गांवों में आपके बैंक हैं सिर्फ जिला मुख्यालय में, आप बहुत बड़ी कठिनाई पैदा कर दोगे उनके सम्मुख।

श्री परसादी लाल : हर पंचायत समिति में सहकारी को-आपरेटिव बैंक है। ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं है जहां पर सहकारी को-आपरेटिव बैंक नहीं हो इसलिए वहां पर मुख्यालय पर तो जाना ही पड़ता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सुदूर गांवों में बैठे....

श्री परसादी लाल : ग्राम सेवा सहकारी संस्थाओं के व्यवस्थापकों को तो.... (व्यवधान) बैंकों में आना जाना पड़ता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय मंत्री महोदय, एक प्रतिशत, आधा प्रतिशत ब्याज भी कामर्शियल बैंकों में ज्यादा है को-आपरेटिव बैंकों से। यह भी लाभ उस सोसायटी को होगा। आधा परसेंट और एक परसेंट ज्यादा है इसलिए कार्मशियल बैंको में जमा कराने के लिए आप छूट दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-49 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-49 में जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड-49 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड-49 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-50 कोई संशोधन नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड-50, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड-50 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-51, प्रभारी मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-51 के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जाए। परन्तु नागरिक बैंकों के लिए जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश जारी किये गये हों, प्रभावशाली होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे ज्ञानदेवजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है रिजर्व बैंक का हवाला ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो ना।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रिजर्व बैंक का हवाला दिया गया है पहले भी मैंने कहा है कामर्शियल बैंक और ग्रामीण बैंक, इनकी आधा और एक परसेंट ब्याज दर को-आपरेटिव बैंक से ज्यादा है। अब उसको रिजर्व बैंक का हवाला देकर के जो जमा कराने के लिए कह रहे हैं तो सोसायटीज को यह छूट दी जाए कि वह बाकी बैंकों में भी जमा कराएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लिख ही नहीं रहे हैं। आप हमारे सुझाव मानें या नहीं मानें (व्यवधान) आप नोट तो करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसारामजी (अनुपस्थित), श्री हीरासिंहजी।

श्री हीरासिंह चौहान : ऐसा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो ना, नहीं बोलना है तो कोई जरूरी है क्या बोलना, आगे बोल जाना। बिराज जाओ ना, दूसरा बोल लेगा।

एक माननीय सदस्य : यह भी उपाध्यक्ष रहे हैं, यूं ही थोड़े मानेंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा निवेदन है, गलत बात तो मैं कहूंगा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाओ।

श्री हीरासिंह चौहान : 51 में मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष जी, इस धारा में ऐसी सहकारी सोसायटी बैंककारी अधिनियम 1949 में इस धारा में प्रावधान लागू नहीं हो सकते हैं। मेरा निवेदन है कि धारा 51 में जो बात आपने कही है उसके अनुसार उधार देने की नीति के लिए तो यह कहीं भी अपने पैसों को जमा करा सकती हैं

(श्री हीरासिंह चौहान)

इस प्रकार का है। इस विषय में इतना ही निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, धारा-51 की उप धारा-6 निम्नप्रकार से संशोधित की जाए। यदि इस धारा में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी....

श्री परसादी लाल : धारा 6 है ही नहीं इसमें, धारा पांच ही है टोटल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसी सहकारी सोसायटी....(व्यवधान) जो बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 से नियंत्रित होती हैं, ऐसी सोसायटी में इस धारा का प्रावधान लागू नहीं होगा। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस चीज के लिए तो प्रभारी मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे संशोधन को....

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरे बिल को ही धन्यवाद दे दें ना तो निपटे ना काम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे संशोधन को आपने काफी कुछ स्वीकार किया। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि उधार देने की जो नीति है, सरकार इस विधेयक के माध्यम से उधार देने की नीति, उस पर भी दखलंदाजी करना चाहती है और, उपाध्यक्ष महोदय, पाबंदी लगाना चाहती है, -51(3) के अन्दर यह जो प्रस्ताव लेकर आये हैं कि किसी भी सदस्य को मूवेबल या इम्मूवेबल प्रोपर्टी की गारंटी होने पर ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगा सकती है, बिलकुल व्यवहारिक नहीं है। आपको तो उल्टा यह कहना चाहिए कि इसमें सरलीकरण करके उनको स्वायत्तता देनी चाहिए। वह अपनी लैंडिंग पालिसी के लिए भी सरकार की तरफ देखे।

इसलिए मेरा निवेदन है कि यह सहकारिता के मूल सिद्धान्त स्वायत्तता, स्वतंत्रता के खिलाफ है और 1995 में जो संशोधन आया था उसमें इस तरह की स्वयत्तता दी गयी थी धारा 139 के माध्यम से तो आप उससे पीछे क्यों हटना चाहते हैं?

इसीलिए मेरा निवेदन है कि जो प्रस्ताव माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने अंशतः स्वीकार किया है उसका थोड़ा और खुलासा करें और हमने जो प्रस्ताव मूव किया है इसको अक्षरशः आप मानें, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल (राज्य मंत्री, सहकारिता) : उपाध्यक्ष महोदय, जो धारा 51 के बारे में आपने बताया इसका उद्देश्य यह है कि कमजोर वर्गों के लिए सरकार यह नियत कर सके, तय कर सके कि इनको इतना हिस्सा आपको ऋण के रूप में देना पड़ेगा। अगर उनको खुली छूट दे दें तो कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण वगैरह मिलने में असुविधा हो जायेगी इसलिए सहकारिता की जो मूल भावना है

(श्री परसादी लाल)

उसी के अनुरूप हमने इसमें प्रवर समिति ने जो प्रतिवेदित किया है उसको पास कराया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-51 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है खण्ड-51 में जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड-51 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड-51 सशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-52 श्री मांगीलालजी.... (अनुपस्थित)

और कोई माननीय सदस्य कांग्रेस के बोलना चाहते हैं?

प्रश्न यह है कि खण्ड-52 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड-52 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-53 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-53 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड-53 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-54 श्री मांगीलालजी.... (अनुपस्थित)

श्री ज्ञानदेव आहूजा, (अनुपस्थित), श्री केसाराम चौधरी (अनुपस्थित), श्री हीरा सिंहजी।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : इसमें 1995 में धारा 139 में संशोधन करके धारा 68 में संशोधन किया था और आडिटर को नियुक्त करने के लिए सोसायटीज को अधिकार दिया था। इस अधिकार को पुनः इसमें आपने वापस लेकर इसमें व्यवस्था की है, सहकारी सोसायटीज के लेखा परीक्षण के लिए रजिस्ट्रार विहित रीति से लेखा परीक्षकों के तीन पैनल, अर्थात् विभागीय लेखा परीक्षकों, प्रमाणित लेखा परीक्षकों और चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 381) में यथा परिभाषित चार्टर्ड एकाउंटेंटों के तैयार करेगा।

(श्री हीरासिंह चौहान)

(2) प्रत्येक सोसाइटी अपने लेखों की लेखा परीक्षा रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक से करवायेगी, परन्तु कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी के लेखाओं की लेखा परीक्षा लगातार दो वर्ष से अधिक नहीं करेगा।

इसमें मेरा निवेदन था यह पहले जो 1995 में संशोधन किया गया उस संशोधन के तहत उस एक्ट में एक धारा थी 139, संस्थाओं के किसी वर्ग के उन्मुक्त कराने की शक्तियां। इस पूरे एक्ट में इस प्रकार कोई धारा नहीं रखी है और सरकार को किसी समय किसी प्रकार की डिफिकल्टी पड़ेगी, कोई संशोधन करना चाहे, शक्तियां लेना चाहे तो इस धारा 139 में जो पहले प्रोविजन था संस्थाओं के किसी वर्ग को उन्मुक्त करने की शक्ति, सरकार किसी सहकारी संस्था या संस्थाओं के किसी वर्ग को सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस अधिनियम में किन्हीं प्रावधानों के उन्मुक्त कर सकेगी, अथवा यह निर्देश दे सकेगी कि उक्त संस्था या संस्थाओं के किसी वर्ग पर ऐसा प्रावधान ऐसे उपांतरों के साथ जो आज्ञा में निर्दिष्ट और लागू होंगे। लेकिन यह जो मौजूदा एक्ट लाये हो इसमें मेरी राय में जहां तक मैंने पढ़ा है और मंत्रीजी हो तो हमें बता देना, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि सरकार आगे जाकर कहीं रिलक्सेशन कर सके या किसी प्रकार की और भी कर सके। तो इस प्रकार यह आडिटर्स की जो व्यवस्था की है, आडिटर्स निश्चित रूप से हर संस्था का होना चाहिए। इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन आडिट कराने के लिए पहले जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, या यह पैनल तैयार करेगा, राजस्थान भर के पैनल तैयार करना और किस किसको कहां कहां भेजना, दो बार, तीसरी बार इंस्पेक्शन या वह आपका आडिट नहीं करना, यह इतना बड़ा जंजाल आप अपने हाथ में ले रहे हो, मैं सोचता हूं कंट्रोल कैसे होगा? हमें तो इस बात की ही दुविधा है और कोई दुविधा नहीं है कि आप कंट्रोल कैसे कर पायेंगे। क्योंकि संस्थाओं की संख्या तो बहुत ज्यादा है और इस प्रकार कंट्रोल करके पूरी आप पावर को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं और सेंट्रलाइज करने के बाद में आप विभिन्न सोसायटियों के आडिटों का लेखा-जोखा किस प्रकार कर पायेंगे और बहुत सारी जगह नहीं हो पायेंगे। इसलिये पहले जो सरकार ने 1995 में संशोधन करके धारा 68 को हटाया था और आडिट की शक्तियां, सोसायटी में ही आडिट होती है। आडिट करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वह आडिट करते हैं, बराबर प्रमाण-पत्र देते हैं इसीलिये इस प्रकार का आप पूरे पावर को सेंट्रलाइज करके इसका उपयोग करना चाहते हो वह आगे जाकर मैं सोचता हूं, बड़ी भारी अव्यवस्था पैदा होगी हम तो केवल सावचेत कर रहे हैं कि वह इसमें नहीं हो पायेगा। इतने ज्यादा पैनल बनाना और वह करना और इस

(श्री हीरासिंह चौहान)

प्रकार तीन आडिटर बनायें और वह करे, इसीलिये मेरा निवेदन है कि इसमें 54 में यह है कि इस 54 के खण्ड में रजिस्ट्रार के स्थान पर अभिव्यक्ति "सहकारी सोसायटी" पदस्थापित की जाये। सहकारी सोसायटियों को यह पावर दिया जाये कि वह खुद अपना आडिटर नियुक्त करके, उसका आडिट करवायें। इसीलिये यह मेरा संशोधन है कि रजिस्ट्रार के स्थान पर सहकारी समितियों को यह पावर दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि खण्ड-54 की उप धारा (2) के अंत में निम्न परन्तु जोड़ा जाना प्रस्तावित है। "परन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक ऐसी सहकारी संस्था जिसमें अधिनियम के अध्याय 7 के अन्तर्गत किसी प्रकार की राजकीय सहायता प्राप्त नहीं की हो अथवा पुनः लौटा दी हो, ऐसी संस्था अपने लेखों की लेखा परीक्षा स्वयं के द्वारा नियुक्त किये लेखा परीक्षक से करवा सकती है।"

उपाध्यक्ष महोदय, अभी चौहान साहब सही कह रहे थे। 1995 के अन्दर जो संशोधन लेकर आये थे धारा 68 के अन्दर और यह अधिकार दिया था कि आडिटर नियुक्त करने का अधिकार बोर्ड आफ डायरेक्टर को हो। बोर्ड आफ डायरेक्टर जिसको चाहे उसको आडिटर नियुक्त करे। किसी भी संस्था का समय पर आडिट हो इसके तो सभी पक्षधर हैं, पर यह बहुत छोटी सी बात हैं संस्था अपना आडिटर किसको तय करे, यह काम भी रजिस्ट्रार तय करेगा। तीन-तीन का पैनल मांगेगा। मतलब बीस हजार संस्थओं में आपने यह निश्चित कर रखा है कि वार्षिक आडिट तो होना चाहिए और बीस हजार संस्थाओं में पैनल मांगेंगे पहले तीन-तीन का, यह क्या जंजाल आप पैदा करना चाहते हैं। आप स्वायतत्ता के सिद्धान्तों के विपरीत काम क्यों कर रहे हैं।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको मालूम है इन्कम टैक्स एक्ट के अनुसार कोई भी संस्था जिसका 40 लाख से ज्यादा सालाना टर्न ओवर हो उसको अपना आडिट सी.ए. से करवाना पड़ेगा। तो आपकी जितनी भी संस्थाएं हैं ग्रामीण सहकारी समितियां तो आपकी खाद, बीज के विक्रय में लगी हैं, राशि बेचने का काम करती हैं, केरोसीन तेल बेचने का काम करती हैं, तो 40 लाख से ज्यादा टर्न ओवर वाली संस्थाएं आपकी को-आपरेटिव सोसायटी में बहुत ज्यादा हो जायेंगी। इसलिये बहुत बड़ी संख्या के अन्दर तो इन्कम टैक्स एक्ट के अनुसार वह अपने सी.ए. से करवा सकते हैं। इसलिये आप यह क्यों सारे के सारे अधिकारों को आप रजिस्ट्रार के अन्दर, ऐसी क्या बात है जो सारे अधिकार, जब से इस एक्ट की एक-एक धारा को उठाकर देखें ऐसा सबल, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं रजिस्ट्रार को, हमारी समझ से परे है। एक तरफ स्वायतत्ता स्वतंत्रता की बात करना चाहते हैं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नौकरशाही का शिकंजा और खड़ा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं और आपने तो मैं समझता हूं लोकतंत्र की हत्या करने का निश्चय कर रखा है। इसलिये छोटे-छोटे मामले के अन्दर भी आप रजिस्ट्रार को अधिकार देना चाहते हैं। इसलिये मंत्री महोदय, जो मूल संशोधन हीरा सिंहजी ने और मैंने, अलग-अलग संशोधन हैं, उन दोनों संशोधनों को आप स्वीकार करें। मेरी यह प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हीरा सिंहजी और राजेन्द्र राठौड़जी ने जो सुझाव दिया, अगर सोसायटीज को यह सब अधिकार दे देंगे आडिट के तो फिर आडिट की कोई आवश्यकता रहेगी नहीं। गबन, घोटाले, जो शिकवा-शिकायतें आ रही हैं उनको फिर दूर किया नहीं जायेगा। इसलिये प्रवर समिति ने जिनका 40 लाख से ज्यादा कारोबार है उसके लिये चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक पैनल होगा, आडिटर्स का भी पैनल होगा। उसमें से पैनल में से सोसायटी चाहे जिसको ले सकती है, दो साल तक के लिये पैनल में से ले सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी पैनल होगा आपका रजिस्ट्रार उसमें से यह आडिट करेगा, कहां दिक्कत है।

कहां दिक्कत है उसमें, अगर सोसायटियों को ही अधिकार दे देंगे तो आडिट कराने की आवश्यकता कहां है? कहां आवश्यकता है आडिट कराने की?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय आप पैनल कैसे बनायेंगे?

श्री परसादी लाल : यह रजिस्ट्रार का काम है कैसे बनायेंगे पैनल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप एप्लीकेशन मांगेंगे पूरे राजस्थान से....(व्यवधान) प्रस्ताव तो है चूरू के मेरे किसी ग्राम खींवासर से और यहां तय करेंगे कि पैनल के अनुसार कौन जायेगा वहां आडिट करने के लिए....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री परसादी लाल : रजिस्ट्रार के पास सारे आडिटर्स की एक लिस्ट होगी।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, पहले आम सभा तय करती थी उसमें क्या दिक्कत है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। आपके माननीय सदस्य प्रवर समिति में थे ना।

श्री परसादी लाल : जिलेवाइज उसका पैनल होगा इसलिए सोसायटी जिसको लेना चाहे उसे वह ले ले जिससे क्या है कि पारदर्शिता रहेगी। एक आडिटर बीसों साल तक करता है एक सोसायटी का, वह मामले सामने आते नहीं। हमने इसमें प्रतिबन्ध भी किया है दो साल से ज्यादा....

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) **:** आप बहुत पारदर्शी हैं।

श्री परसादी लाल : एक आडिटर एक सोसायटी का आडिट नहीं करेगा.... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : बहुत ही पारदर्शी हैं मंत्रीजी, आपकी सरकार बहुत पारदर्शी है। देख लिया सवेरे कितने पारदर्शी हो आप।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें माननीय सदस्य।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति ने जो प्रतिवेदित किया है उसको पास करो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : आपने कहा जवाबदेही, पारदर्शी कितने पारदर्शी हैं सवेरे देख चुके हो आप....(व्यवधान) अपनी गिरेबान में झांके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय अगर चाहेंगे तो प्रस्ताव संशोधित रूप से पारित नहीं होगा। आपके पास बहुत बड़ा बहुमत है, पर बहुमत के आधार पर + + + मत हो आप। कोई तो व्यावहारिक बात मानो। यह करना क्या चाह रहे हैं आप?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप करना क्या चाह रहे हैं। क्यों आप सारे अधिकार यहां जयपुर में केन्द्रित करना चाहते हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, जो प्रवर समिति बनी उसमें आपके माननीय सदस्य थे और सम्मिलित रूप से रिपोर्ट आयी है, इसमें अब क्या बहस होगी। आपके इतने वरिष्ठ सदस्य प्रवर समिति में थे। और अब आप हर बार पर संशोधन ला रहे हो....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उसके बाद में भी तो संशोधन हो रहे थे। प्रवर समिति की जो बुकलेट छप कर आयी है उसके बाद में भी तो संशोधन हो रहे हैं ना।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : प्रवर समिति ने फाइनल दिया है, उसमें संशोधन क्यों मान रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-54 में जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव किये हैं वह स्वीकार किये जायें?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय अब उसमें संशोधन मान रहे हैं। प्रवर समिति के बाद भी, प्रवर समिति से फाइनल होने के बाद भी संशोधन माने जा रहे हैं, स्वीकार किये जा रहे हैं तो दुबारा क्यों माने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 54 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड-54 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-55, मांगीलालजी।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-55 में सहकारी संस्थाओं के किसी भी कार्य-कलापों की जांच का अधिकार रजिस्ट्रार को दिया गया है। इसका प्रावधान है एक तो ऐसी व्यवस्था जिससे उस सहकारी संस्था से सम्बद्ध कोई सहकारी संस्था मांग करे, उस सहकारी संस्था का संचालक मण्डल मांग करे, दूसरा उस सहकारी संस्था के 1/10 सदस्य, साधारण सदस्य मांग करे, इस प्रावधान पर रजिस्ट्रार जांच कर सकेगा। इसके साथ ही इसमें यह जोड़ा गया है कि रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से ही जांच कर सकेगा। रजिस्ट्रार जांच प्रायः उनकी मांग पर कराये, रजिस्ट्रार की नालेज में यह चीज आ जाये कि इस संस्था की जांच करना आवश्यक है तो ही करायेगा। फिर भी स्वप्रेरणा में यह कारण स्पष्ट होना चहिए कि जिस संस्था की भी रजिस्ट्रार स्वयं का किसी अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त करेगा, किस बिन्दु पर वह जांच होगी, किन कारणों से वह जांच की आवश्यकता पड़ रही है। इस तरह से प्रावधान किये जायें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा यहां प्रस्ताव आया है कि ऐसी जांच इन तीन बिन्दुओं के अलावा भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो सरकार की आज्ञा से करायी जाये। उसका मेरा तात्पर्य यह था कि सरकार के सामने तो कई ऐसे बिन्दु आ सकते हैं, सदन में कोई माननीय सदस्य ने प्रश्न भी पूछा कि उस संस्था के बारे में क्या स्थिति है तो सरकार अपना जवाब दे सके और उसकी जांच कराने का आश्वासन दे सके, जांच करा सके और उसकी वास्तविकता को सामने ला सके। कई दफे यह भी होता है कि संस्था के जो सदस्य नहीं हैं, उनका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है, ना कोई जनिहत का सम्बन्ध है फिर भी जा करके शिकायत कर देता है। तो ऐसे मामलों में एक प्रावधान करना चाहिए कि कम से कम उस जांच के लिए उनसे खर्चा जमा कराया जाये और यदि जांच में जिसके खिलाफ जांच की है तो उसको उस अपराध के लिए दोषी को जिम्मेदार ठहराया जाये। यदि ऐसी जाचें बिलकुल असत्य पायी जायें तो उस तरह का भार उन संस्थाओं पर नहीं डाला जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यदि माननीय मंत्रीजी मेरा यह संशोधन स्वीकार नहीं करें तो अपने नियमों में जरूर इस तरह का प्रावधान करें कि जांच करते समय उस संस्था को इन बिन्दुओं के सम्बन्ध में किसमें जांच की जा रही है उल्लेखित करते हुए उस तरह के आदेश रजिस्ट्रार जारी करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : आडिट में बहुत हमने छूट दी है। निरीक्षण व्यवस्था पहले ही समाप्त कर दी गयी। आज रजिस्ट्रार के पास, सरकार के पास समय समय पर सोसायटियों के कामकाज की शिकायतें

(श्री परसादी लाल)

आती रहती हैं। इसलिए इस तरह का इसमें प्रावधान किया है कि किसी सदस्यों की सूचना पर या समिति की सूचना पर रजिस्ट्रार जांच के आदेश दे सकेगा। ऐसी पारदर्शिता बनाये रखने के लिए रजिस्ट्रार को यह पावर देना उचित रहेगा कि वह किसी भी शिकायत पर जांच करा सके।

जांच के जो भी रूल्स वगैरह बनेंगे, डांगा साहब ने कहा, उसमें इस चीज को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-55 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाये।

आप प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ना?

श्री मांगीलाल डांगा : वापस ले लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-55 में जो संशोधन श्री मांगीलाल डांगाजी ने प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

मांगीलालजी वापस लो, अब बोलो।

श्री मांगीलाल डांगा : मैं मेरा संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-55 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड-55 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-56 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-56 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड-56 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-57, श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री केसारामजी, श्री हीरासिंहजी।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, 57 में यह प्रावधान आया है यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गयी किसी लेखा परीक्षा जांच, निरीक्षण या किसी समापक की रिपोर्ट के आधार पर रजिस्ट्रार की जानकारी में यह आता है कि किसी व्यक्ति ने जिसने ऐसी सोसाइटी के संगठन या प्रबन्ध में कोई भाग लिया है या जो सोसाइटी का कोई अधिकारी या कर्मचारी है या किसी भी समय रहा है, इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल कोई संदाय कर दिया है या न्यास भंग या जानबूझकर उपेक्षा करके सोसाइटी की आस्तियों में कमी कर

(श्री हीरासिंह चौहान)

दी है या ऐसी सोसायटी के धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया है या उसे कपटपूर्वक रख लिया है तो रजिस्ट्रार ऐसे व्यक्ति के आचरण के बारे में स्वयं जांच कर सकेगा या अपने द्वारा इस निमित्त लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को जांच करने का निदेश दे सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने इसमें निवेदन किया है हालांकि इस प्रकार के आचरण करने के लिए किसी प्रकार का दोषी है तो उसके ऊपर तो इस प्रकार की कार्यवाही करें तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं ऐसी सहकारी समितियों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जिसमें सरकार का किसी प्रकार का शेयर नहीं है, हिस्सा पूंजी नहीं है। स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं। पहली वाली सरकार ने 1995 में इस धारा को हटा दिया था, आप वापस इस धारा को ला रहे हो, कोई कपट करता है, बेईमानी करता है या मिस यूज आफ दी प्रापर्टी करता है तो उसको तो कोई भी सोसाइटी खुद भी नहीं बचा पायेगी। वह तो खुद ही सोसायटी जो चलाते हैं संचालक मण्डल होता है, ऐसे बेइमान आदमी की तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं करेगा। 1995 में इस धारा से उन्मुक्त किया था। अन्य सोसाइटियां जो आपकी शेयर होल्डर नहीं हैं, जिनमें आपकी हिस्सा पूंजी नहीं है। उनके लिए निवेदन कर रहा हूं कि उन सोसाइटियों को तो कम से कम उनसे मुक्त रखें। बाकी यह सही है कि हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई भी संचालक मण्डल का सदस्य, या कोई उसका कर्मचारी है या अधिकारी है इस प्रकार मिस यूज आफ दी प्रोपर्टी उसमें तो रेस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए।

लेकिन उस पर टोटल कंट्रोल है आपके रजिस्ट्रार और सरकार का। उसको कम से कम इससे कम किया जाए तो मैं समझता हूं कि प्रजातांत्रिक तरीके से, स्वस्थ रूप से सोसाइटी काम कर सकेगी अन्यथा जितनी ज्यादा बाइंडिग आप उस पर रखेंगे, जितना पावर को सेंट्रलाइज करेंगे उतनी ही कई प्रकार की आपत्तियां आएंगी और सहकारी समिति वगैरह हमने पूरे एक्ट को देखा है, इसमें कोई भी संस्था या अच्छा व्यक्ति जो इस प्रकार का परोपकारी काम करना चाहता है या किसी प्रकार की इंस्टीट्यूट चलाकर, मेडिकल हास्टल चलाकर या हास्पिटल चलाकर जो संस्था संचालित करना चाहता है, इतनी जबरदस्त बाइंडिग आपने कर दी है उसके कारण से कोई आदमी आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। क्योंकि तरह-तरह के नाटक होंगे, निश्चित रूप से होंगे क्योंकि सोसाइटी जिस तरीके से चलती है, जिस तरीके से बनती है उसमें थोड़ी बहुत गलतियां तो रहती हैं। क्योंकि सरकार, आपका और हमारा इतना अंकुश रहता है उसके बावजूद भी कई प्रकार के आपके अधिकारी गलतियां करते हैं, कई प्रकार की गलतियां हो रही हैं तो उसको कण्ट्रोल करने में हमको कोई परेशानी आती है तो

(श्री हीरासिंह चौहान)

ऐसी सोसाइटी है जो स्वतंत्र रूप से चलती है जिसमें हिस्सा पूंजी नहीं हैं इस प्रकार की बात करने से, जनभावना पब्लिक इन्टरेस्ट इसमें ज्यादा बढ़ेगा नहीं।

हम संशोधन लगा रहे हैं लगातार लेकिन हमारी किसी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं लेकिन आगे जाकर सम्भावना है कि यह समस्याएं शासन के सामने आएंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले के एक्ट 1956 की धारा 139 के तहत जो-जो अधिकार दिए गए थे उनको आप रखेंगे तो ठीक रहेगा। इस सैक्शन के लिए भी मैं कहता हूं कि इस प्रकार की सोसाइटियां जिनकी कोई हिस्सा पूंजी आपकी नहीं है, उससे उसको उन्मुक्त रखें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डाक्टर साहब का नाम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नाम ही नहीं है, कैसे बोल दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नाम है। अनुमति प्रदान कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : 57 में नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि धारा 57 की नई उप धारा चार में निम्न अनुसार जोड़ा जाए। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आपकी हिम्मत है। इतनी बार आपने प्रस्ताव रखे फिर कोई माने नहीं, मैं तो नहीं खड़ा होता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके पास + + +. मेजोरिटी है। + + + हो, अभी आप अभी आपको असलियत, धरती नजर नहीं आ रही। महुवा साहब, समय यह बताएगा.....।

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : आपको आती थी क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और इतिहास में लिखा जाएगा कि ऐसा कानून, नौकरशाहों को सारे अधिकार देने का कानून आपने पारित किया है।

श्री अमराराम (धोद) : इनको नहीं आ रही थी तभी तो ये हारे थे। आपको सलाह दे रहे हैं, आप इनका कहना मान लो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : It is the best piece of legislation.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो धारा 57 है, यह 1956 के अधिनियम की धारा 74 का रूपान्तरण है। उपाध्यक्ष महोदय, धारा 74 के अन्दर जो कार्यवाही प्रस्तावित की गई है और जो कार्यवाही बड़े लम्बे स्तर तक, विधान सभा में भी कई मामले आए हैं, 74 का नोटिस दे दिया पर आगे कार्यवाही नहीं हुई। इसमें

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तो कोई शक नहीं कि आडिट इंसपेक्शन में, जांच में जहां वित्तीय अनियमितताएं पाई जाएं और वित्तीय अनियमितताएं करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त आप कार्यवाही करें परन्तु यह सारे प्रोविजन पढ़ने के बाद यह महसूस होता है कि हरेक सहकारी संस्था की आडिट रिपोर्ट जब रजिस्ट्रार के पास आएगी और दो साल के भीतर-भीतर रजिस्ट्रार यह देखेगा कि इसमें किसी प्रकार की फाइनेंशल इर्रेगुलेरिटी हुई है तो धारा 57 के अनुसार उन पर कार्यवाही प्रारम्भ होगी। अब 20 हजार से ज्यादा सोसाइटियां, एक रजिस्ट्रार कैसे सम्भव होगा, रजिस्ट्रार देख पाएगा क्या? इसलिए आप इसको विकेन्द्रीकृत करें। एक मैं और निवेदन माननीय मंत्री महोदय से करना चाहता हूं कि इसमें सुनवाई का समय तय होना चाहिए वरना होता यह है कि आडिट की जिनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, इर्रेगुलेरिटी पकड़ी जाए, उस अधिकारी और कर्मचारी को बचाने के लिए ऐसा नेटवर्क बना हुआ है कि एक के भी खिलाफ कार्यवाही लम्बे समय तक नहीं होती। फिर कोई सेवानिवृत्त हो जाता है, फिर कोई इस दुनिया से ही चला जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सुनवाई करके दण्ड पारित करने तक, इस सारी प्रक्रिया का छह माह का समय नियत किया जाए और इसको आप विकेन्द्रीकृत करें। अच्छा तो यह रहे कि आपने ट्रिब्यूनल गठित किया है, इस ट्रिब्यूनल को आप डिविजन स्तर पर बनाएं और डिविजन स्तर अधिकार दे दें कि आडिट की जांच के बाद या इंसपेक्शन के बाद या जांच के बाद अगर वित्तीय अनियमितता नजर आए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज सहकारी आन्दोलन राजस्थान में कमजोर क्यों है? इसका बहुत बड़ा कारण कोई है तो वह वित्तीय अनियमितता और वित्तीय अनियमितता करने की छूट अगर किसी को है तो वह है सहकारी संस्थाओं के ऊपर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको है। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं अच्छी तरह से समझते हैं कि आज बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने गबन किया, जिन्होंने सोसाइटियों के पैसों का दुरुपयोग किया, उनके खिलाफ आज भी बहुत बड़ी संख्या में पुराने अधिनियम की धारा 74 के तहत जांच प्रस्तावित हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं और पूछना चाहूंगा कि पुरानी जांच प्रस्तावित है, क्या एक निश्चित समयावधि तय करने के बाद उनको जांच पूरा करके जिनको दण्डित करना है, दण्डित करें और जिनको छोड़ना है, छोड़ें वे जांचें निर्णित तो करें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसके साथ-साथ यह जो सैक्शन आप लेकर आए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जांच होनी चाहिए लेकिन इसमें समय कितना लगेगा, इसको आप एक ही स्थान पर केन्द्रित क्यों करना चाहते हैं? इस अधिनियम का नाम बदल कर आप राजस्थान सहकारी रजिस्ट्रार, सोसाइटियां को अधिकार देने वाला विधेयक, 2001 रख दें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय चौहान साहब ने सुझाव दिया, इनका संशोधन भी आया कि अरबन बैंक और असहायता प्राप्त संस्थाओं को इस दायरे में नहीं लिया जाना चाहिए कि उन पर भी यह सैक्शन लागू हो।

यह सही बात है कि गबन घोटाले चाहे अरबन हो, चाहे असहायता प्राप्त हो सभी जगह होते हैं, अगर नहीं होंगे तो यह लागू नहीं होगा। परन्तु इसके दायरे में, क्योंकि प्रदेश के लोगों की भी पूंजी हैं, अगर वे अनियमितता करते हैं, सदन में कई बार आपने देखा है, अरबन को-आपरेटिव बैंक के घोटालों के बारे में भी कई बार यहां मामले उठे और सरकार के पास रोज अरबन को-आपरेटिव बैंकों की शिकायतें आती हैं, इसलिए इसको उचित समझा है। जब सरकार के पास शिकायतें आती हैं, हाउस में मामले उठते हैं तो जहां भी प्रदेश के लोगों का निवेश है, जहां भी उनका धन जमा है, कारोबार है, वहां पर सरकार का या रजिस्ट्रार का नियंत्रण रहना चाहिए और इसमें समय सीमा हमने तय की है, रजिस्ट्रार की जानकारी में आने के बाद एक वर्ष, के अन्दर-अन्दर इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। अगर जानकारी में आने के बाद कार्यवाही नहीं होती है, हमने पहले वाली समय सीमा को कम किया है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब दो वर्ष कर दिया। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : हां, दो वर्ष की समाप्ति तक, क्योंकि प्रदेश के अन्दर इतनी बड़ी संस्थाएं हैं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आप एक वर्ष करो। मैं कह रहा हूं, खुले मन से आप इसको एक वर्ष कर दो, दो वर्ष का समय बहुत होता है।

श्री परसादी लाल : पहले एक वर्ष ही किया था सरकार ने पर प्रवर समिति में जब यह मामला गया....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दुबारा विचार किया जा सकता है।

श्री परसादी लाल : प्रवर समिति के मैम्बर्स के सुझाव पर ही इसको एक वर्ष से दो वर्ष किया है। प्रवर समिति के मैम्बर्स के सुझाव पर ही किया है। आपकी पार्टी के भी वरिष्ठ नेता उसमें थे इसलिए हमारी तरफ से नहीं, प्रवर समिति ने जो प्रतिवेदन....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रवर समिति के सुझावों पर आपने अक्षरशः अमल किया है, ऐसी बात तो नहीं है और बाद में भी कई संशोधन आप लेकर आए हैं, एक संशोधन और ले आएं, एक वर्ष कर दीजिए आप। आप इसको सोचो जरा कि सैक्शन 74 में कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही लम्बित है, इसमें बहुत समय लगता है।

श्री परसादी लाल : सरकार को कोई परेशानी नहीं है पर यह प्रवर समिति का प्रतिवेदन है, सरकार को कोई परेशानी नहीं है, एक वर्ष कर दिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री परसादी लाल : समय सीमा गबन घोटालों के मामले में जल्दी निपटारा हो, इसमें सरकार को कोई परेशानी नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मूव कर दो साहब, एक वर्ष का।

श्री परसादी लाल : हां, एक वर्ष का।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक तरफ तो कहते हो कि कोई संशोधन मूव करो तो हमको कापी दो, ऐसा कोई होता है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, मैं नहीं कहूंगा। जनहित का यह मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई संशोधन नहीं।

डा. (श्रीमती) कमला (राजस्व मंत्री) : जब हां कर रहे हैं तो करने दो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : कर दो साहब, इसको कर दो। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : करवा दो, इसमें क्या दिक्कत है? यह ठीक है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बदल गए साहब, आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : खुद मूव कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन ने मनाया है।

श्री उपाध्यक्ष : ये मूव कर रहे हैं, मैं अलाउ करूं जब न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अलाउ करो न आप।

श्री उपाध्यक्ष : अलाउ क्यों करूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्यों नहीं करें आप? यह अधिकार आपमें नियत थोड़े है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने आब्जेक्ट किया है इसलिए नहीं कर रहा हूं। बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन नियमों से चलता है, प्रक्रियाओं से चलता है। यह अधिकार आपके पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों से हाउस चलता है इसलिए डिसअलाउ किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप किसी चीज को अलाउ करें, किसी चीज को अलाउ नहीं करें। सत्ता पक्ष, मंत्री महोदय, जब प्रस्ताव कर रहे हैं तो आप अलाउ कैसे नहीं करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने प्रस्ताव किया। आप बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह मैं मानता हूं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : लोकहित में है, जनहित में है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बैठूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का हमेशा पालन करता हूं। यह मैं मानता हूं कि आसन सर्व शक्तिशाली है पर आसन + + + इतना हो जाएगा....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इतनी + + + की बात कहां से आ गई ? आपने कहा, मैं नहीं मानूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं मानूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कैसे नहीं मानेंगे आप ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, मानूंगा। बिराजो आप। मैं बताता हूं कि कैसे नहीं मानूंगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : लोक हित और जनहित में है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। इसलिए नहीं मानूंगा कि इन्होंने पहले माननीय मंत्रीजी ने, संशोधन प्रस्तुत किए थे, उस पर आपने अब्जेक्ट किया कि जब तक यह हमारे पास सर्कुलेट नहीं होगा हम अलाउ नहीं करेंगे, यह आपका आब्जेक्शन था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर आपने अलाउ कर दिया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आब्जेक्शन नहीं था। आसन का यह आब्जेक्शन था कि सर्कुलेट होना चाहिए। किसी भी माननीय सदस्य का नहीं था, आसन पर सभापति महोदय थे, उनका कहना था कि यह सर्कुलेट होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : जब आब्जेक्ट किया तब आसन ने व्यवस्था दी।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, वह किसी माननीय सदस्य का था ही नहीं सभापति महोदय का था कि सर्कुलेट होना चाहिए।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

डा. (श्रीमती) कमला : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद तो रूलिंग रिवाइज हो गई इसलिए आप इस पर ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-57 में जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किए हैं उनको स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किए गए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसे कैसे स्वीकार किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, न तो आपने हां और ना में लिया। उपाध्यक्ष महोदय, इतने + + + क्यों हो रहे हो। हम चले जाएं यहां से उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-57 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-57 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आज आप नये रूप में दिखाई दे रहे हो। आपका ऐसा रूप कभी नहीं देखा हमने।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड-58 से 60 कोई संशोधन नही। प्रश्न यह है कि खण्ड-58 से 60 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जाएं।

(स्वीकृत)

खण्ड-58 से 60 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये गए।

खण्ड-61 प्रभारी मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 61 के खण्ड 1(ख) को निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया जाए—

"सोसाइटी ने उसके रजिस्ट्रीकरण के दो वर्ष के पश्चात् भी कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है या ऐसे प्रमुख उद्देश्यों को पूरा कर लिया है जिसके लिये उसका गठन किया गया था उसके प्रमुख उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बन्द कर दिया है, तो वह सोसाइटी को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् ऐसी सोसाइटी के परिसमापन का निर्देश देते हुए कोई आदेश जारी कर सकेगा।"

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलालजी।

श्री मांगीलाल डांगा : नहीं है मेरा तो।

श्री उपाध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जो संशोधन लेकर आए...

श्री उपाध्यक्ष : आपका संशोधन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो संशोधन लेकर आए उसको पढ़कर तो सुना दिया, पर यह क्यों लेकर आये इसके पीछे आपका हेतुक क्या है, जरा स्पष्ट तो करें आप।

श्री उपाध्यक्ष : वे संतुष्ट हो गये जिन्होंने मूव किया है।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर मूव हो गया, सदन की सम्पत्ति हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने विथड्रा कर लिया ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें यह भी अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने विथड्रा कर लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए कर रहे हैं कि नियम से चल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज आपको भीलवाड़ा जाना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मुझे तो कहीं नहीं जाना है, आपको घर भेजना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, अगर कहीं जाना है तो....

श्री उपाध्यक्ष : आपको जल्दी घर भेजना है।

प्रश्न यह है खण्ड-61 में संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-61 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड-61 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-62 से 103। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-62 से 103 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जाएं।

(स्वीकृत)

खण्ड-62 से 103 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये गए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा करोगे तो फिर हम भी हमारे ज्ञानदेवजी आहूजा का थर्ड रीडिंग में भाषण करवाएंगे और पूरा एक घंटा बोलेंगे ये और खुलकर बोलेंगे, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड-104। प्रभारी मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-104 के उप खण्ड (3) के पश्चात् नया उप खण्ड (4) निम्नप्रकार जोड़ा जाएं :— "(4) इस धारा के अधीन प्रस्तुत अपील की सुनवाई लम्बित रहने के दौरान राज्य सरकार या रजिस्ट्रार, यथास्थिति न्याय के उद्देश्य की विफलता को रोकने के लिए ऐसे अन्तरवर्ती आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे।"

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मांगीलालजी।

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा प्रस्ताव पेश किया स्वीकार हो गया। इसलिए प्रस्ताव पेश करने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-104 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-104 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड-104 संशोधित रूप में स्वीकार किया।

खण्ड-105 प्रभारी मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-105 के उप खण्ड (4) एवं (5) को निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया जाए :—

"4. अधिकरण का एक सदस्य राजस्थान राज्य सहकारी सेवा का कोई अतिरिक्त रजिस्ट्रार होगा।

5. अधिकरण का दूसरा सदस्य या तो कोई पारंगत अधिवक्ता होगा, जिसे सहकारी विधि में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो अथवा सहकारी क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई ऐसा सहकार सेवी होगा, जो विधि स्नातक हो एवं जो राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं में कम से कम दो बार पदाधिकारी रहा हो।"

खण्ड-105 के उप खण्ड (10) के पश्चात् नया उप खण्ड (11) निम्नप्रकार जोड़ा जाए :—

11. उप धारा (10) के अधीन सुनवाई के लम्बित रहने के दौरान न्यायाधिकरण न्याय के उद्देश्य की विफलता को रोकने के लिए ऐसे अन्तरवर्ती आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल डांगा।

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा मेरे अनुरोध के अनुसार यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने से मेरे द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-105 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-105 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड-105 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-106 से 108 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-106 से 108 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जाएं।

(स्वीकृत)

खण्ड-106 से 108 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये गए।

खण्ड-109 श्री मांगीलालजी।

श्री मांगीलाल डांगा : मैं प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-109 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड-109 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-110 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-110 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड-110 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-111- प्रभारी मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसको डेफर किया जाए थोड़ी देर के लिए। दूसरे सैक्शन ले लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। 112। प्रभारी मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-112 को निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया जाए :

"सदस्यों का दिवाला :— दिवाले के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सदस्य द्वारा सोसाइटी को देय राशि का स्थान उसके विरूद्ध दिवाले की कार्यवाहियों में, पूर्विकता क्रम में उसके द्वारा सरकार को संदेय रकम के पश्चात् होगा।"

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलालजी।

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव स्वीकार हो गया, इसलिए प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-112 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-112 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड-112 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-113 से 120- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-113 से 120 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किए जाएं।

(स्वीकृत)

खण्ड-113 से 120 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किए गए।

खण्ड-121 श्री मांगीलालजी।

श्री मांगीलाल डांगा : नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 121 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-121 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-122 । श्री मांगीलालजी।

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्ताव किया है उसमें 122 के उप खण्ड में निम्न प्रकार नई धारा अन्तः स्थापित की जाए। "राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1958 के प्रावधान सहकारी संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक सहकारी संस्थाओं की व्यवहारिक कठिनाई है और इस प्रकार की मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में सहकारी अधिनियमों में प्रावधान कर छूट दी गई है। इसका व्यवहारिक दृष्टिकोण यह है कि आज सहकारी संस्थाओं को समर्थन मूल्य पर खरीद का काम सौंपा गया है। हमारे किसान सहकारी संस्था में जब माल लेकर पहुंचते हैं तो अमूमन यह राय रहती है कि जो किसान उनके पास पहुंच गया है उनका माल उसी दिन तुल जाए, चाहे 10 या 11 बजे तक उनको आफिस खुला रखना पड़े, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में यह जो एक्ट है, शॉप एक्ट के तहत हमारी सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों और पदाधिकारियों का चालान कर दिया जाता है।

इस शाप एक्ट के टाइम के अनुसार ही गोदाम खोल सकते हैं इसलिए यह एक संस्थाओं की व्यावहारिक कठिनाई है। इसी तरह से कई दफा हमने एफ.सी.आई. और एक संस्था के गोदाम से दूसरी संस्था के गोदाम तक माल ले जाना पड़ता है तो भी ट्रक वाले इंतजार नहीं करते हैं, यदि जाकर रुकेंगे तो दूसरे दिन का किराया वसूल कर लेंगे इसलिए रात को ही हमारा स्टोर कीपर सैल्स मैन जाकर गोदाम खोलकर उनको खाली करवाता है तो इन परेशानियों से सहकारी संस्थाओं को वैधानिक कठिनाइयों से बचाने के लिए मैंने यह संशोधन प्रस्ताव पेश किया है और मुझे आशा है कि सहकारिता के हित में और जनहित में संस्थाओं को कार्यरत रखने के लिए इस संशोधन को स्वीकार करेंगे. क्योंकि जहां तक किसी कर्मचारी के समयबद्ध कार्य के, नियमों का, हमारी सहकारी संस्था के सेवा नियमों में स्पष्ट प्रावधान होता है यदि किसी भी संस्था के कर्मचारी को हम यदि सेवा में लगाते हैं तो उसको ओवर टाइम देना या उसको उसके अगेंस्ट में छुट्टी देनी होगी, यह सारी व्यवस्था हमारे अधिनियम, नियम, उप विधियों और सेवा नियमों में प्रभावित हैं इसलिए इस तरह की दोहरी जो हमारे ऊपर सख्ती लगती है यह हटनी चाहिए इसलिए हमें आशा है कि सरकार इसे स्वीकार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाय ? सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया गया।

माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

खण्डशः विचार

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित जो 122 है उसको उसी रूप में पारित किया जाये।

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-122 में जो संशोधन श्री मांगीलालजी डांगा ने प्रस्तुत किया है उसको वापस लने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि खण्ड-122 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड-122 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-123-प्रभारी मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-123 के उप खण्ड-2 इसको निम्न प्रकार पुरःस्थापित किया जाय : किसी सहकारी....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, दो का क्या हुआ ?

श्री परसादी लाल : दो का, यह तो डिलीट कर दिया, इसको तो जो कोष्ठक में है इसको डिलीट कर दिया। कोष्ठक में जो भी शब्द है उसको लिख लिया गलती से, डिलीट हो गया। (व्यवधान) यह जो कोष्ठक में है, इसको डिलीट कर दिया गया है। जो भी कोष्ठक में शब्द आये इस विधेयक में वह सब डिलीट हैं। यह बिल का हिस्सा नहीं है। आपने ऊपर पढ़ा नहीं शायद, मेरे खयाल में पूरा, किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी वर्ष के अपने शुद्ध लाभ में से आरक्षित निधियों को अन्तरित किये जाने हेतु कालावधि जिसके भीतर-भीतर ऐसा अन्तरण किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलालजी।

श्री मांगीलाल डांगा : मैं वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेवजी आहूजा, अनुपस्थित। श्री केसाराम, अनुपस्थित। श्री रतन लाल जी जाट, अनुपस्थित। श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम बनाने की जो शक्तियां हैं उसका इसमें उल्लेख किया गया है और नियम बनाने की जो शक्तियां हैं, संस्थाएं बहुत सारे अपने उप नियम बनाकर संचालित होती हैं अनेक प्रकार के जो नियम होते हैं, संस्थाएं अपने हिसाब से उनको लागू करती हैं लेकिन इसमें और इस क्लाज को पहले 1995 में धारा-139 के अन्तर्गत, जो यह व्यवस्थाएं थी उनको पिछली सरकार ने हटा दिया था और जिससे सोसायटियां अपने आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी सफल रही लेकिन इसमें आपने काफी लम्बा-चौड़ा उल्लेख किया हैं और कुल मिलाकर अगर इसको पूरा देखा जाय तो कम से कम हरेक अलग अलग धारा के अन्दर आपने नियम बनाने की शक्तियों का जो उल्लेख किया है और वह कुल मिलाकर शायद बहुत बड़ी संख्या में हैं जो कि 38 या इससे भी अधिक है तो यह जो शक्तियां आपने प्राप्त की हैं इसमें विभिन्न प्रकार के नियम हैं, जब आप इसको चलाने के लिए बनाएंगे और हर सैक्शन के ऊपर आपने इसमें उल्लेख किया है तो मैं समझता हूं सोसायटियों की स्वतंत्रता पर जिस प्रकार आप अपने उद्देश्यों को लेकर आये हैं वह बिलकुल लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत ये सोसायटियां चलें इनका जितना भी व्यवसाय है या जिस प्रकार के कार्य कलाप ये करती हैं, बड़ा पारदर्शी हो और स्वतंत्र सोसायटियां अपने कार्यकलाप को करने में सक्षम हो और इस विभिन्न प्रकार के जो नियम बनाने की शक्तियां हैं, इसमें आपने प्राप्त की है, जैसे इसमें धारा 30 के अन्तर्गत लिखा है, समिति के सदस्य और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, निलम्बन, हटाया जाना, पदावधि और आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना तथा धारा 30 के अधीन प्रशासित नियुक्ति और समिति की बैठक की प्रक्रिया तथा समिति प्रशासक और अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाली शक्तियों को पारित किया जाना और उसके कर्त्तव्य के सम्बन्ध में बनाये हैं। इसी प्रकार धारा 39 के अन्दर सोसायटी के पक्ष में किसी बात की पुष्टि हो जाय, सीमा तक और क्रय में भारदृश्य समिति उसकी तुष्टि के लिए उपयोग में लिया जाएगा। धारा 39 के अधीन की जाने वाली घोषणा का उल्लेख किया है तो तो इस प्रकार आपने सभी प्रकार की सोसायटियों को इन नियमों में बांधने की कोशिश की है। मैं मानता हूं नियमों के बिना किसी प्रकार की संस्था चलती नहीं हैं, हरेक संस्था के कुछ नियम होते हैं, उसके उप नियम होते हैं, और उसके उद्देश्य होते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्थाएं बनाई जाती हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह अपना काम भी कर रही है और वर्षों से करती रही है और पिछली सरकार ने 1995 में जो संशोधन किया धारा 139 के अन्तर्गत उनको छूट दी, उस छूट के बाद मैं सोचता हूं इस राजस्थान में इस प्रकार

(श्री हीरासिंह चौहान)

की कोई ऐसी घटना जो बहुत जबरदस्त तरीके से जनता के सामने आई हो, सरकार के सामने आई हो, इस प्रकार की स्थिति आज दिन तक बनी नहीं है लेकिन अब आपने इन नियमों के तहत इतना जबरस्त हर बात का उल्लेख करके हरेक को आपने शिकंजे में कसने की कोशिश की है, नियम बनाओं, मैं पहले ही कह चुका हूं नियम बनाना उचित हैं लेकिन नियमों की अपार संख्या आपने इसमें बना दी है और हर प्रकार की इस एक्ट में भी आपने पूरी व्यवस्था की है इसलिए मैं सोचता हूं कि इन नियमों में कम से कम नियम बनाने की शक्ति तो ले ली लेकिन धारा 139 जो पहले वाले एक्ट में थी इस प्रकार का प्रोविज़न माननीय राज्य मंत्री महोदय इसमें है नहीं जिसमें सरकार को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हों जिसे रेजीड्युरी क्लाज कहते हैं शायद, वह क्लाज इसमें दिया हुआ ही नहीं है बिलकुल ही, इसीलिए इस प्रकार के क्लाज का होना, इस प्रकार की धारा का होना तो इसमें बहुत आवश्ययक था लेकिन इस प्रकार की धारा इसमें इंट्रोड्यूस नहीं की है, आगे जाकर आपको और संशोधन लाना पड़ेगा, संशोधन लाकर इस प्रकार की धारा को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि सरकार को हालांकि इसमें एक्ट में अपने आप में आपने बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं इसके बावजूद भी जब तक इस प्रकार का एक्ट में क्लाज नहीं होगा, एक्ट में धारा नहीं होगी तो आपको समय समय पर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कि इसको आप किस प्रकार की सोसायटियों का कहां छूट देना चाहते हैं, क्या करना चाहते है तो इस प्रकार की अड़चने आपके सामने आएंगी इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि यह जो नियमों की संख्या का आपने इसमें उल्लेख किया है उसको आप थोड़ा रिलेक्स करके इसको कम करते तो जनहित में पब्लिक का इन्टरेस्ट भी इसकी तरफ बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ाएंगे। ग्राम सेवा सहकारी समितियां तो राज की तरफ से बनती हैं, निश्चित रूप से बनेंगी और बननी चाहिए और मैंने यह पहले भी कहा था हर ग्राम पंचायत पर एक इस प्रकार की ग्राम सेवा सहकारी सोसायटी पहले होती थी, इस प्रकार की बनाने की मंशा भी आपकी है। अभी तक तो कल से लेकर आज दिन तक इस प्रकार की कोई मंतव्य आपका हमारे सामने आया नहीं हैं लेकिन फिर भीं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अन्य प्रकार की सोसायटियां हैं इन पर जबरदस्त आपका डिसेंट्रलाइजेशन होगा जिससे इस प्रकार की संस्थाएं बनाने में लोगों को जो परोपकार की भावना से पब्लिक इन्टरेस्ट के लिए बनाना चाहते हैं, उन लोगों को समय-समय पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि पहले यह धारा 139 इंट्रोड्यूस थी इसी प्रकार यह धारा भी बनाई जाए और नियमों में

(श्री हीरासिंह चौहान)

भी थोड़ा रिलेक्शेसन देने की कार्यवाही करें। यही मेरा निवेदन है।

(17.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रभारी मंत्रीजी जो खण्ड 123 में संशोधन लेकर आये हैं। खण्ड 123 के उप खण्ड 40 में मूल विधेयक में जो लिखा हुआ है वह लिखा है— "लाभ का वह प्रतिशत जो किसी सहकारी सोसायटी द्वारा किसी वर्ष के अपने शुद्ध लाभ में से आरक्षित निधियों को अन्तरित किया जायेगा, और वह कालावधि जिसके भीतर-भीतर ऐसा अन्तरण किया जायेगा," और इसमें आपने लिखा है— "किसी सहकारी सोसायटी द्वारा किसी वर्ष के अपने शुद्ध लाभ में से आरक्षित निधियों को अन्तरित किये जाने हेतु कालावधि, जिसके भीतर-भीतर ऐसा अन्तरण किया जायेगा", मतलब क्लिष्ट भाषा को थोड़ी सरल भाषा जरूर कर दी पर मन्तव्य क्या है, यह जरूर स्पष्ट करें। यह आपके साथ पहली बार नहीं, एक बार पहले हो गया, एक ही चीज को या तो जो आप संशोधन लेकर आये उसके पीछे कोई न कोई ऐसा ठोस कारण होना चाहिए और आप कहना क्या चाहते हो यह तो कम से कम स्पष्ट होना चहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता आन्दोलन और सहकारिता आन्दोलन के अन्दर जो भी सहकारी समितियां हैं वे सारी की सारी उपविधियों से चलती हैं और विभाग उसके लिए मोडल बाई-लाज भी बनाता है। अब आप धारा-123 में सरकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नियम बना रही है और नियम बनाने में असीमित शक्ति ले रही है 123(3) में आपने कहा है कि नियम बनाकर सदन में रखेंगे, यह तो लिखा है परन्तु यह भी लिख दिया कि राज्य सरकार तुरन्त लागू करना चाहे तो बिना प्रकाशन और बिना सदन में रखे भी उसको लागू कर सकती है और इसमें करना क्या चाहते हैं, आप एक तरह से पूरा का पूरा सहकारी समितियों का सरकारीकरण करना चाहते हैं। अब आपने 123 (2) के उप खण्ड 32 के अन्दर आप सारी की सारी शक्तियां अपाइंटमेंट आफ सोसायटी एप्लायज, ये सारी की सारी शक्तियां जिनका अधिनियम में कही उल्लेख नहीं किया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी सहकारी समिति में कौन प्रबन्धक होगा, कौन सचिव होगा, कौन लेखाकार होगा, कौन कर्मचारी रहेगा, क्या इनकी योग्यता रहेगी, क्या इनका अनुशासन, नियंत्रण होगा, इसका कहीं पूरे इस विधेयक में उल्लेख नहीं है। परन्तु इस 123 के खण्ड 2 के उप खण्ड 32 के अन्दर आप यह सारा अधिकार लेना चाहते है। अब सहकारी समिति खुद यह तय नहीं कर पाये कि उसका कर्मचारी कौन हो और वह सरकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सारी चीज की स्वीकृति ले, मंत्री महोदय, आप इस चीज की जांच करा लें, आज जितनी भी सहकारी संस्थाएं हैं, जितने भी अपेक्स बैंक हैं इनके अन्दर आज जो एम्प्लायज काम कर रहे हैं वे सारे के सारे उसी परिवार से है जिस परिवार के लोग किसी न किसी उच्चस्थ पदों पर सहकारी संस्थाओं में, को-आपरेटिव विभाग में रहे हैं। आप यह रास्ता क्यों खोलना चाहते हैं? आप सारी की सारी शक्तियां केन्द्रित क्यों करना चाहते हैं? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको इस पर विचार करना चाहिए।

अब आप 123 के खण्ड 2 के उप-खण्ड 39 के अन्दर डिविडेंड का रेट भी तय करोगे। यह क्यों? आप कुछ तो साधारण सभा पर छोड़ो। साधारण सभा पर नहीं छोड़ना चाहो तो आप बोर्ड आफ डायरेक्टर पर छोड़ो। इसमें तो आप-लेकर आये हैं इससे पहले आज ही संशोधन लेकर आये हैं 25 पर्सेण्ट का आप वैधानिक रिजर्व में डालने का पहले ही लेकर आ गये। अब उसका कोई अर्थ नहीं है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर आपको विचार करना चाहिए।

अब इन्वेस्टमेंट आफ फण्ड, आपने पहले ही इस विधेयक में उल्लेख कर दिया और 123 के 2 के उप-खण्ड 42 और 44 में फिर आप यह चीज लेकर के आ गये। मतलब आप क्या नियम बनाना चाहते हैं। जिन चीजों को आपने मूल विधेयक के अन्दर अलग अलग खण्डों के अन्दर सारी बातों को पहले कह दिया, अब उन्हीं चीजों को और नियम बनाकर के आप क्या हासिल करना चाहते हो यह मेरी समझ के परे की बात है।

इसी तरह 123(2) के 50 में लेवी आफ आडिट फीस, मतलब आडिट करने वाला क्या चार्ज करेगा, कितना पैसा लेगा वह भी सारा का सारा कोई सोसायटी नहीं करेगी। वह भी सारा का सारा आप करना चाहते हो। अब 123 के उप खण्ड 51 में आडिट कैसे होगी उस पर भी नियम सरकार बनाना चाहती है। आडिटर तो आपने पहले तय कर दिया और आपने तय कर दिया कि पैनल बनेगा, रजिस्ट्रार तय करेंगे। अब उसमें आडिट की प्रक्रिया क्या रहेगी, आप कोई समय तय करते तो समझ में आता। अब आप क्या कहना चाहते हैं, इसी धारा के खण्ड 30 के अन्तर्गत आपने प्रशासक लगाने की बात कह दी और 30 (2) के अन्दर यह कह दिया कि प्रशासक सरकारी सेवक होगा और अब 123(2) के 86 में आपने यह कह दिया कि प्रशासक का वेतन सारा का सारा सोसायटी पर आपने डाल दिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोडल बाई-लाज बने हुए हैं, संस्थाएं उपविधियों से चलती हैं, आपने सरकारीकरण तो कर दिया परंतु यह एक ऐसा कानून लाये हैं जो बिलकुल सहकारी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सोसायटियों का पूरा का पूरा अपने नियंत्रण में ले लेगा। इतनी असीमित शक्तियां केन्द्रित करना, मैं समझता हूं जिस भावना के साथ आप लेकर आये हैं, को-आरपेटिव मूवमेंट की मूल भावना के विपरीत यह बात है। इसलिए यह जो संशोधन मैंने मूव किया, आप उसको स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल। माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, 123 के 40 में जो संशोधन किया है उसका करने का कारण 48(1) में जो संशोधन किया है 25 प्रतिशत लाभांश के वितरण का, उसी को ध्यान में रखते हुए जब नियम बनेंगे उससे यह क्लाज भी प्रभावित होगा इसलिए नियम बनाने की शक्तियां, जब अधिनियम बनेगा तो उसके नियम बनेंगे तो नियम बनाने से ऐसी कोई बात नहीं आयेगी जो अधिनियम के खिलाफ जाए। इसलिए अधिनियम के अनुसार ही नियम बनेंगे। ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे कोई अधिनियम के विपरीत जाए और प्रवर समिति ने जो प्रतिवेदित किया है, इसका संशोधन करने का कारण तो धारा 48 में जो संशोधन हुआ है उस के कारण से इसको करना पड़ता है 123 के 40 में, बाकी तो कोई आवश्यकता नहीं थी। उसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित और मेरे द्वारा जो प्रस्ताव मूव किया है उसको पारित कराया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 123 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि 123 में जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये उन्हें स्वीकार किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कोई नहीं बोला। हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 123 में जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किया उन्हें स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 123 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड 123 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 124, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 124 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

(स्वीकृत)

खण्ड 124 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 125, श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड 125 के उप खण्ड 3 के पश्चात् नवीन उप खण्ड 4 निम्न प्रकार से जोड़ा जाए— "इस धारा की कोई भी बात होते हुए भी कोई भी सहकारी सोसायटी जिसने इस अधिनियम के अध्याय 7 के अन्तर्गत कोई भी राजकीय सहायता प्राप्त नहीं की है अथवा सहायता पुनः लौटा दी, ऐसी संस्था पर लागू नहीं होगी।" यह जोड़ा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसारामजी। श्री रतन लालजी। श्री हीरासिंहजी। आप बोल रहे हो।

श्री हीरासिंह चौहान : आपने पुकारा है। धारा 125 में आपने बहुत बड़ी शक्तियां रजिस्ट्रार को दी हैं और उसमें उन शक्तियों के तहत 125. Power of Registrar to resciand certain resolutions.

(1) If in the opinion of the Registrar, any resolution passed at the meeting of any co-operative society or committee there of is opposed to the objects of the society or is prejudicial to the interests of the society or its members at large, or is in excess of the powers of the society the Registrar, after giving the co-operative society an opportunity of being heard staying execution of the resolution interimly, propose to rescind the resolution.

(2) In case, where the Registrar has interimly stayed execution of any resolution under sub-section (1), he shall, within a period of forty five days, send the proposal of rescinding the resolution to the Tribunal for consideration.

(3) The Tribunal shall, after giving the society an opportunity of being heard, decide upon the proposal of the Registrar and pass its final orders.

इसमें मेरा निवेदन है कि इसमें अपार शक्तियां हैं जो रजिस्ट्रार को दी गई हैं। अब हालांकि सुनने का अधिकार उसमें दिया गया है लेकिन किसी प्रकार से कोई भी प्रपोजल्स लेती है सोसायटी, सोसायटी जो भी प्रपोजल लेती है, पब्लिक इंटरेस्ट में लेती है, सोसायटी के हित में लेती है। वह अपने उद्देश्यों के बाहर जाकर माननीय सहकारिता मंत्रीजी, कभी लेती नहीं है। लेकिन सभी प्रकार की सहकारी सोसायटी कोई भी मनचला कोई किसी प्रकार की शिकायत कर लेगा और वह पब्लिक इंटरेस्ट से, जो यह प्रस्ताव भी लाया है और रजिस्ट्रार के सामने अपनी बात को कहेगा, क्योंकि सोसायटी को तो उसको

(श्री हीरासिंह चौहान)

सुनने की अपोर्चुनिटी पहले मिलेगी नहीं, क्योंकि एक बार तो उसको सीधा इंटरिम स्टे देने का अधिकार आपने दे दिया। आफ्टर हीयरिंग आप कब करोगे। एक बार स्टे देने के बाद में 45 डेज की तो आपने मियाद रखी है लेकिन 45 डेज की मियाद, सुनवाई के बाद में तारीख पर तारीख बदलती रहती है जिस प्रकार से अदालत में बदलती है। तो इस प्रकार यहां भी तारीख पर तारीख बदलती रहेगी और सोसायटी जो कोई कल्याणकारी कार्य करना चाहती है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि सोसायटी को मैम्बर ही उसकी शिकायत करेगा, कोई भी बाहर का आदमी भी जाकर शिकायत कर सकता है जिसको वह सोसायटी में किसी प्रकार का हित निहित नहीं है, जो नहीं चाहेगा, वह व्यक्ति यह सोसायटी किसी प्रकार से काम करे, वह जाकर एप्लीकेशन दे देगा। उसके साथ में एफिडेविट दे देगा और उसके साथ में कोई सरकारी तंत्र से, रजिस्ट्रार साहब के यहां फोन भी आ जायेगा और इंटरिम आर्डर देने का उसको अधिकार दे दिया आपने, इंटरिम स्टे दे देगा। और वहां आपने कहा कि 45 डेज के अन्दर सुनवाई करेगा, डेफिनेटली 45 दिन के अन्दर वह सुनवाई शुरू कर देगा लेकिन डिसीजन देना तो उसके हाथ में है। वह बाइंडिंग थोड़े ही है फिर 45 दिन के अन्दर उसका डिसीजन देवे ही, तो इस प्रकार की व्यवस्था पर मैं सोचता हूं कि यह जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसमें बड़ा कुठाराघात होगा तो उसमें मेरा निवेदन है, या तो इसमें थोड़ा चेंज कर दीजिये कि एक व्यक्ति और सोसायटी, अगर मैं कहीं गलत भी बोल रहा हूं तो इसमें "If in the opinion of the Registrar, any resolution passed at the meeting of any co-operative society or committee there of is opposed to the objects of the society...." Opposed to the objects of the society का तो कोई रिजोलूशन सोसायटी में होता ही नही हैं। यह तो मानकर चलें कि इस प्रकार अपनी पब्लिक पालिसी के खिलाफ और अपनी सोसायटी के उद्देश्यों के खिलाफ तो कोई रिजोलूशन लेता नहीं है। अब इसमें आपने यह भी नहीं बताया कि वह सोसायटी का, कमेटी के रिजोलूशन को कौन चैलेंज कर सकेगा, इसमें यह बात भी नहीं। कोई भी जा सकता है, कोई भी मनचला जा सकता है, रजिस्ट्रार साहब के यहां चला जायेगा कि एक अपनी बात दे देगा, उसकी कापी मिले या नहीं मिले, इसमें यह लिखा होता है कि वह कम से कम उस सोसायटी की कापी लेकर आवे, यह नहीं किया था, यह नियमों में कर दे और कम से कम एक बार, एक बोडी है, society is not an individual. इंडिविजुअल बोडी है, कारपोरेट बोडी है, उस बोडी को, कैसे उस व्यवस्था को

(श्री हीरासिंह चौहान)

चैलेंज देने के लिए कम से कम आपको यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आफ्टर हियरिंग द सोसायटी, यह आप कर दीजिये। बहुत सारे सरकारी केसेज सिविल कोर्ट्स में जाते हैं। उसमें कहीं 80 डेज का नोटिस है, 80 डेज का नोटिस नहीं है तो उसमें कम से कम इमिजियेट रिलीफ के लिए भी कोई धारा में रिलेक्सेशन कोई कोर्ट देता है तो कम से कम पार्टी काल करके, सुनकर, उसके बाद में इंटरिम आर्डर देता है। लेकिन इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो आगे जाकर कांसीक्वेंसेज इतने स्टेज में खराब होंगे की लम्बित पड़े रहेंगे मामले। आज हालांकि रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और उसके सब-आर्डिनेश्न में सारे प्रकार के कई अफसर को बैठाये रखेंगे और अलग अलग पावर्स देंगे, इसमें भी कोई बात नहीं है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आज सोसायटी अपना धंधा जिस ढ़ंग से करना चाहती है और उसके रिजोलूशन पर रोक लगाने के कारण से नहीं करेंगी।

इसलिए मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बड़े विद्वान हैं और हर बात को अच्छी तरह से जानते भी हैं। और धंधे से, व्यवसाय से अभिभाषक भी हैं, वकील भी हैं। तो इस प्रकार के क्लाजेज, जहां कि इस प्रकार का यह कानून बनाया जा रहा है तो इसमें कम से कम आफ्टर हियरिंग द सोसायटी, यह कम से कम कीजिये तथा कम से कम एकतरफा मत कीजिये। भगवान के लिए सिविल कोर्ट में भी ऐसा नहीं है। केवल एकतरफा सुनकर वह इंटरिम आर्डर दे देगा तो फिर किस प्रकार से सोसायटी अपना काम कर सकेगी। इसलिए कम से कम यह प्रोविजन जरूरत कीजिये इसमें कि आफ्टर हियरिंग द सोसायटी, रिजोलूशन आप बदलते हैं परिवर्तन करते हैं, उस पर स्टे लगाते हैं। तो कम से कम इसके लिए सबसे पहले आपको यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि सोसायटी को सुनने के बाद इस प्रकार का स्टे दिया जायेगा 45 दिन की तो कोई मियाद नहीं होती है। 45 दिन में, कोई जरूरी थोड़े ही है कि 45 दिन में करेगा। जो लैंग्वेज मैंने पढ़ी है, उसमें यह कहा है— "In case, where the Registrar has interimly stayed execution of any resolution under sub-section (1), he shall...." "शैल" वर्ड का यूज किया है आपने, not as binding. 'shall' word is not binding.

.... he shall, within a period of forty five days, send the proposal of rescinding the resolution of the Tribunal for consideration.

अब उसको आगे ट्रिब्यूनल में कंसीडरेशन के लिए और भेजा है, इसलिए मेरा निवेदन है, इसमें स्टे वाला जो प्रोविजन है, इसको भी थोड़ा सा आप ठीक कीजिये ताकि यह प्रजातांत्रिक तरीके से डेमोक्रेटिक पैटर्न से सोसायटी जिन्दा रह

(श्री हीरासिंह चौहान)

सकेगी। अन्यथा इस सोसायटी का जबरदस्त है, मन चाहा जब स्टे लिया जायेगा और ट्रिब्यूनल में कब फैसला होगा तो सोसायटी अपना काम कर नहीं सकेगी। इसलिए इसको थोड़ा सा आप इसमें परिवर्तन करके इस प्रकार की व्यवस्था कीजिये, आफ्टर गिविंग द नोटिव पार्टी, हमने कहा कि आप दो दिन का समय दे दें, चार दिन का समय दे दें, नोटिस की इमीजियेट, तामील हो, यह व्यवस्था भी कर लो लेकिन एकतरफा स्टे वाली व्यवस्था को इसमें सोसायटी के लिए तो रोकने की कोशिश कीजिये। व्यक्ति के खिलाफ भी एकतरफा स्टे लेने में बड़ा जोर है, यह कोर्ट नहीं है, it is not a judicial court.

यह तो आपकी एक्जीक्यूटिव बोडी है, एक्जीक्यूटिव बोडी तो किस प्रकार से स्टे देती है, कैसे क्या होता है, आप और हमने बहुत लम्बा चौड़ा आप और हमको अनुभव है। तो अब अनुभवों का इतना ज्ञान होने के बावजूद भी अगर आप मिसयूज आफ द पावर्स करना चाहते हैं तो पब्लिक में एक प्रकार से जबरदस्त, क्या करना चाहते हैं उनको टेरर पैदा करना चाहते है या उनके काम करने की शक्तियों को नष्ट करना चाहते हैं। तो आपकी मंशा है लेकिन अदरवाइज इसमें आफ्टर गिविंग द नोटिस हियरिंग का करके इसमें व्यवस्था कीजिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़ (व्यवधान) रहने दो सा, आगे बोल देना, क्या जरूरी है बोलना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, धारा, 125 के माध्यम से मंत्री महोदय उसी काम को कर रहे हैं जो इनकी आदत बन गया है। यह खण्ड 125 प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। मंत्री महोदय, मैं जरा पढ़कर सुना रहा हूं "रजिस्ट्रार ऐसे संकल्प की क्रियान्विति को अंतरिम रूप से स्थगित करते हुए उसे विखंडित किये जाने का प्रस्ताव करेगा।" रजिस्ट्रार, ऐसे मामले में, जहां उप धारा (1) के अधीन किसी संकल्प के निष्पादन पर उसने अंतरिम रूप से रोक लगा दी हो, 45 दिवस की कालावधि के भीतर भीतर विखण्डन का प्रस्ताव अधिकरण को विचारार्थ भेजेगा।

खण्ड (3) में है, उपाध्यक्ष महोदय, "अधिकरण सोसायटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् रजिस्ट्रार के प्रस्ताव पर विनिश्चय करेगा और उस पर अन्तमि आदेश पारित करेगा।" मतलब 125 के अन्तर्गत आप रजिस्ट्रार को निरंकुश और असीमित अधिकार दे रहे हो। 125 (1) के अन्दर रजिस्ट्रार स्वविवेक से, हीरासिंहजी कह रहे हैं, किसी की राय की आवश्यकता नहीं है, कोई शिकायत की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रार स्वविवेक से ही समझे और उसकी राय बन जाये कि यह प्रस्ताव सहकारी समिति के उद्देश्यों के विपरीत है या हितों के प्रतिकूल है तो रजिस्ट्रार अपने आप उसको स्टे कर देगा, प्रस्ताव पर स्टे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कर देगा मतलब कोई भी डेमोक्रेटिक पैटर्न पर चुनी हुई संस्था उसके द्वारा उनके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा लिया गया प्रस्ताव अगर रजिस्ट्रार के मन में आ गई, अगर किसी प्रकार की उसमें राजनैतिक दखलंदाजी हो गई, संस्था स्वायत्तता से काम नहीं कर पाये। इसका किस प्रकार का षड्यंत्र अगर रचने का काम सत्ता में बैठे लोग करें तो इससे बड़ा हथियार नहीं हो सकता, प्रस्ताव को पहले तो रजिस्ट्रार बिना सुने स्टे कर देगा, यह ला आफ नेचूरल जस्टिस भी तो कहीं है, प्राकृतिक न्याय के अन्दर तो यह है कि बिना सुनवाई किसी चीज पर फैसला कैसे कर सकता है और फिर 45 दिन तक तो जो उन्होंने स्टे किया गया, उसको ट्रिब्यूनल के पास भेजे या नहीं भेजे, यह उनकी इच्छा पर है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह मेन्डेटरी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 45 दिन में भेजेगा, 45 दिन का समय थोड़ा समय थोड़े ही है, फिर ट्रिब्यूनल उस पर सुनवाई प्रारम्भ करेगा, यानी एक प्रस्ताव जिस प्रस्ताव पर रजिस्ट्रार 125 (1) के तहत अगर उसको स्टे कर देगा तो कई महीने क्योंकि ट्रिब्यूनल के अन्दर कोई समयावधि वे नहीं रखी कि ट्रिब्यूनल कितने दिन में तय करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है मंत्री महोदय, इस पूरे के पूरे खण्ड को आप वापस लें।

यह बिलकुल सहकार की भावना के विपरीत है, प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। इसमें इस तरह की शक्तियां क्यों रहे हैं कि किसी भी प्रस्ताव उसको रजिस्ट्रार चाहे जब स्टे कर दे और 45 दिन बाद, डेढ़ महीने बाद में उसको भेजेगा ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल फिर उस पर हियरिंग करेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आपने और तो हमारी बात मानी नहीं, इस बार जन्म पत्री के + + + ठोकर मार दो, आखिरी बात तो मान लो, आखिरी खण्ड है यह, आप इतने क्यों हरेक चीज को प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हो....

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो पूरा बिल बाकी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कोई पुराना आपके पूर्वजों का राज नहीं है राठौड़ साहब, अब तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में तो आदमी जितना बड़ा होता है, उतना ही लचीला होना चाहिए। इसलिए अब तक तो उत्तर दे रहे थे राज्य मंत्रीजी और अब प्रभारी मंत्री महोदय, अभी आप बड़े फ्रेश मूड में हो, सो के आये हो, आप खड़े होकर एक इस खण्ड को विलोपित करने का प्रस्ताव अगर कर देंगे तो मैं आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करूंगा कि आप वास्तव में डेमोक्रेट हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि....

श्री अमराराम : उपाध्यक्ष महोदय नहीं मानेंगे।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप निश्चित तौर पर खड़े होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने वास्तव में मित्रता निभाई है, आपने ऐसी फुर्ती से कानून पास कराया है और इस आसानी से कराया है....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने थोड़े ही कराया है, आपने बनाया जो करा रहा हूं मैं तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और आज हमारा दुर्भाग्य है कि प्रतिपक्ष के नेता नहीं हैं वरना वो कुछ बात करते। इसलिए मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय, कि आप विचार कर लें, विचार करके इसको विलोपित करने का प्रस्ताव लेकर आयें।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लालजी। प्रभारी मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, धारा 125 के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्यों ने संभावनाएं व्यक्त कीं, वैसी संभावनाएं इसमें नहीं बनतीं। जैसी धारा पुराने एक्ट में धारा 32 थी वह बहुत खतरनाक थी, नोटिस देते ही उस पर कार्यवाही हो जाती थी, इसमें अंतरिम रोक लगेगी और उस अंतरिम रोक की भी उसको कन्फर्मेशन करने के लिए अधिकरण का भेजना पड़ेगा और 45 दिन में भेजेगा। वहां पर वह अधिकरण इस सोसायटी को, जिसके खिलाफ अब ऐसा कोई प्रस्ताव ले आये, मान लो इस धारा को हटा दें और ऐसा कोई प्रस्ताव ले आये मान लो इस धारा को हटा दें और ऐसा कोई प्रस्ताव ले आये जो सोसायटी के हितों के खिलाफ हो, बिलकुल ही एकदम से उलटा हो, कोई भी प्रस्ताव लाये फिर अगर इस धारा को हटा देंगे तो फिर सोसायटी पर सरकार का, रजिस्ट्रार का क्या नियन्त्रण रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नियंत्रण ही करना चाहते हैं न, आपकी मंशा सामने आ गई। आप सहकारी संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण करना चाहते हैं।

श्री परसादी लाल : नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव जो सोसायटी के हितों के खिलाफ हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने खुद ने ही कह दिया, बात सामने आ गई।

श्री परसादी लाल : उस प्रस्ताव को कैसे सोसायटी बरदाश्त कर लेगी, संचालक मण्डल प्रस्ताव ले आये, अगर उनको कोई आपत्ति है रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ वह अधिकरण में जाये, वहां पर सुनवाई का पूरा अवसर मिलेगा। उनकी बात ठीक है तो वहां पर जो भी होगा जो अधिकरण, यहां पर अधिकरण है, पहले यहां पर वन मैन का था न्यायाधिकरण, अब यहां तीन सदस्यों का बनाया है, इसलिए यहां पर न्याय की पूरी गुंजाइश है, यहां पर कोई किसी तरह का कोई भी सोसायटी के साथ रजिस्ट्रार या कोई भी अधिकारी किसी तरह का कोई निर्णय करने से पहले सोचेगा कि न्यायाधिकरण के सामने मामला जायेगा तो इसमें मेरे को क्या जवाबदेही होगी।

(श्री परसादी लाल)

इसलिए जो भी कन्फर्मेशन आर्डर होगा, अंतरिम आर्डर होगा रजिस्ट्रार का, कन्फर्मेशन तो अधिकरण से होगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इसको प्रवर समिति ने जिस रूप में प्रतिवेदित किया है उस रूप में पारित कराया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : 125 अच्छी धारा है, इसको पास कराओ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 125 में जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 125 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड 125 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 126 व 127 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 126 व 127 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

खण्ड 126 व 127 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड 111

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 111 के उप खण्ड 2 में निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए-"रजिस्ट्रार परिसंघीय निकायों, यदि कोई हो तथा राजस्थान राज्य सहकारी संघ के साथ समन्वय व परामर्श करके राज्य की विभिन्न सहकारी संस्थाओं के लिए सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण के लिए कार्य योजना तैयार करेगा। रजिस्ट्रार उसी योजना को राज्य के सहकारी संघ या ऐसी किसी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से क्रियान्वित करेगा जिसके पास ऐसी योजना क्रियान्वित करने के लिए विशेषज्ञता, संसाधन हो।"

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय सदस्य, 111 पर।

डा. (श्रीमती) कमला (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शायद अनुशासन और व्यवस्था का उल्लंघन कर रही हूं लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी के ध्यान में यह लाना चाहती हूं कि भारत सरकार से अप्रूव्ड, राजस्थान सहकारी संघ द्वारा अप्रूव्ड....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, आपका कोई संशोधन है क्या....

डा. (श्रीमती) कमला : यह व्यवस्थाएं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नई परम्परा है।

श्री उपाध्यक्ष : थर्ड रीडिंग पर बोल लीजिये।

डा. (श्रीमती) कमला : यह व्यवस्था मौजूद है उसके अन्तर्गत ही मैं....

श्री उपाध्यक्ष : थर्ड रीडिंग पर बोल लीजिये न, अभी कहां से बोल रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कैसे बोल रही हैं?

डा. (श्रीमती) कमला : देश भर के आधार पर बिलकुल उल्लंघन करते हुए यह जो प्रस्ताव है, यह बहुत ही आपत्तिजनक है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गवर्नमेंट में होते हुए किस नियम में बोल रही हैं?

डा. (श्रीमती) कमला : मैं अपने आप को दोषी मान रही हूं, आपसे कह रही हूं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिल पर कैसे बोल सकती हैं?

डा. (श्रीमती) कमला : आपको कितनी बार तो लिखकर दिया है जो है ना....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके लिखकर देने से क्या होता है, आप किस हैसियत से बोल रही हैं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सुनो ही नहीं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हम आपके साथ हैं। (व्यवधान) राजस्व मंत्रीजी, यह बहुत अनुभवी हैं और इन्होंने सही कहा है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप कैसे बोल रही हैं? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : वर्षों तक का अनुभव लिये हुए मंत्री हैं, केबिनेट मंत्री, जो सही बातें कह रही हैं कि इसका, वेरी डिफेक्टिव ला, यह एक बहुत गलत कानून को आप विधान सभा से पास करा कर हां-हां कर रहे हैं....

डा. (श्रीमती) कमला : संशोधन है मैम्बर का....(व्यवधान)

श्री मांगीलाल डांगा : यह भी सदस्य हैं और उनकी बात को नहीं सुनना बड़ा दुर्भाग्य है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो, मना थोड़े ही कर रहा हूं मैं। आप बिराजो। प्रभारी मंत्रीजी।

डा. (श्रीमती) कमला : संशोधन है उनका।

श्री उपाध्यक्ष : 111.

डा. (श्रीमती) कमला : हां, 111 में।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कर दिया न 111.

श्री उपाध्यक्ष : आपने कर दिया। मांगीलालजी।

श्री मांगीलाल डांगा : बोल रहा हूं, साहब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 111 का संशोधन माननीय मंत्रीजी ने भी पेश किया है और मूल एक्ट में मैंने जो मेरा संशोधन प्रस्ताव पेश किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री

(श्री मांगीलाल डांगा)

महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह से चीफ एक्जीक्यूटिव के नियंत्रण का आपने संचालक मण्डल में रखने का प्रस्ताव पारित कराया था, मैं महसूस कर रहा हूं कि क्या आपके शासन सचिव भी केबिनेट के नियंत्रण में होकर आपकी आज्ञा नहीं मानकर ऐसे प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट संशोधन है कि इसमें प्रथम पंक्ति में शब्द "रजिस्ट्रार" के स्थान पर "राजस्थान राज्य सहकारी संघ" प्रतिस्थापित किया जावें और तृतीय पंक्ति में रजिस्ट्रार शब्द विलोपित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य सहकारी संघ पूरे राजस्थान की सहकारी संस्थाओं का नेतृत्व करता है, मार्गदर्शक है, प्रचारक है। इस संघ के संचालक मण्डल में राजस्थान के सभी शीर्ष संस्थाओं के प्रतिनिधि, राजस्थान की सभी केन्द्रीय सहकारी बैंको का एक प्रतिनिधि, राजस्थान के पूरे सहकारी संघ के एक प्रतिनिधि, राजस्थान की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों का एक प्रतिनिधि और राजस्थान के विभिन्न वर्ग की सहकारी संस्थाओं का एक एक प्रतिनिधि बनकर इसके संचालक मण्डल का गठन होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा राजस्थान सरकार का कि इसमें तीन संचालक मण्डल के सदस्य वरिष्ठ जो आपके अधिकारी हैं उनको भी मनोनीत किया जाता है। इसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वह एडिशनल रजिस्ट्रार रेंक का अधिकारी है। यह संघ इसके महत्व को मैं याद दिलाना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय कुम्भारामजी, स्वर्गीय मोतीलालजी चौधरी और हमारे सदन में बिराजे कमलाजी और शिवनाथ सिंहजी जैसे इसके अध्यक्ष रहे हैं और उस कार्यकाल में इस सहकारिता का प्रचार-प्रसार और यह सहकारी आन्दोलन आगे बढ़ा है। आज यदि इस मेरे संशोधन को नहीं माना जायेगा तो मैं समझता हूं कि यह सहकारी अधिनियम जिस भावना से लाया गया है, इस अधिनियम का कोई तात्पर्य नहीं है और यदि इस तरह के संघ का ब्यूरोक्रेटिक और नौकरशाह का इसके ऊपर दखल करके हमारी सरकार हमारे घोषणा पत्र के खिलाफ इस तरह का वह प्रस्ताव लायेगी, माननीय हाई कमाण्ड के निर्देशों के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लायेंगे मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र की व्यवस्था इस सहकारिता में नहीं हो सकती और मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कि आप इसको, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें और माननीय हाई कमान के निर्देश के अनुसार, हमारे बंगलौर के अधिवेशन के संकल्पों के अनुसार और हमारे घोषणा पत्र के अनुसार इसकी स्वयत्तता, लोकतंत्रता को बहाल करें। आपने जिन सहकारी सिद्धान्तों को परिभाषित किया है उन सिद्धान्तों का यदि इस एक्ट में महत्व है तो मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर बिराजिये। आपका संशोधन नहीं है इसमें....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ये संशोधन लेकर आये हैं मैं भी दो मिनट कोई बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजों तो सही। बुलवां दूंगा तसल्ली रखों, अभी उनके फैसला तो होने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये फैसला करेंगे, यह सदन है इस तरह फैसला नहीं होगा। यह राजस्थान की विधान सभा है यह कोई कांग्रेस का दफ्तर नहीं है। जहां इस तरह बैठ कर फैसला करें लें। हम अपने विचार ही नहीं रखें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पार्टी का कार्यालय नहीं है। यह नहीं चलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं चलेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : यह तो पंचायत करवा दी आपने इस प्रकार दबाव में आकर वो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं। यह कोई तरीका है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : इसमें संशोधन किया है वो वापस ले सकते हैं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : + + + (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ये हाई कमान के आदेश पर क्या होता है।

श्री हीरासिंह चौहान : ऐसे नहीं चलेगा।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय ने संशोधन रखा है।

श्री हीरासिंह चौहान : ये संशोधन रखा है यह किया है क्या.... (व्यवधान) विधान सभा को आप।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये।

डा. (श्रीमती) कमला : यह कोई हाई कमान का निर्देश नहीं है कि आप ये करो ये करो। सुनिये, सुनिये आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हाई कमाण्ड का नाम लिया है 6 बार। 6 बार हाई कमाण्ड का नाम लिया है।

श्री जीतमल खांट : हाई कमाण्ड के आदेश की पालना कर रही हैं आप।

डा. (श्रीमती) कमला : हाइ कमाण्ड का कोई लेना-देना नहीं है यह राष्ट्र की भारत सरकार की अप्रूव्ड सारे देश का पैटर्न है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

डा. (श्रीमती) कमला : सारे देश में यह व्यवस्था मौजूद है। एक अकेला राजस्थान ऐसा होगा जिससे हम बदनाम होंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : बिल पास करने का यह तरीका नहीं है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मांगीलालजी, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह पूरा विधेयक पास नहीं होगा।

श्री मांगीलाल डांगा : नहीं ले रहा हूं। इसको स्वीकार किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मांगीलालजी, हम आपके प्रस्ताव के साथ हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह 6 बार हाई कमाण्ड का नाम लिया गया है। 6 बार। यह पार्टी का आफिस नहीं है विधान मण्डल है। हाई कमाण्ड का आदेश है, हाई कमाण्ड का आदेश अपने घर पर रखें पार्टी कार्यालय में रखें, यहां पर विधान सभा में हाई कमाण्ड का आदेश नहीं चलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन है, कांग्रेस कमेटी का दफ्तर नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमारी नीतियां हैं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कचरा करेंगे बैठ कर....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह हाई कमाण्ड का आदेश अपने घर पर रखें, खुद मानें और पार्टी माने।

डा. (श्रीमती) कमला : ये तो अपने मंत्रीजी को कह रहे हैं याद दिला रहे हैं आपको क्या हाई कमाण्ड का आदेश दे रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, यह हाई कमाण्ड, हाई कमाण्ड कौन-सा हाई कमाण्ड है आपके ऊपर? आसन के ऊपर कौन सा हाई कमाण्ड है?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्हें आप पुकारिये, साहब, यह क्या बात है यों बुला-बुला कर बात कर रहे हैं आप। अपने दफ्तर में बात कीजिये। कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बात कीजिये....(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : भारत सरकार की अनुमोदित नीति, भारत सरकार की अप्रूव्ड राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत....।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भारत सरकार का नाम नहीं लिया है।

डा. (श्रीमती) कमला : यह संस्थाएं बनी हुई हैं इनको किसी को भी डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है इसलिए यह गलत प्रस्ताव है। मैं आपसे यह कहना चाह रही हूं इसमें हाई कमाण्ड का आप नाम लेकर के बिना मतलब उछाल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो आप उस कैबिनेट में क्यों बैठी हुई हैं कलेक्टिव रेस्पान्सिबिलिटी से कैबिनेट काम करती है। क्यों नहीं आप इस्तीफा दे देतीं फिर अगर यही बात है। कलेक्टिव रेस्पान्बिलिटी से कैबिनेट काम करती है।

डा. (श्रीमती) कमला : आपके कहने से न तो इस्तीफा दूंगी न जाऊंगी लेकिन सहकारिता का जो मूल आधार देश ने बना

(डा. (श्रीमती) कमला)

रखा है भारत सरकार ने बना रखा है उसको कोई भी पलट नहीं सकता, यह मैं बताना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका मतलब आपकी इच्छा के खिलाफ ये सहाकरिता के मूल सिद्धांतों की हत्या कर रहे हैं....(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : मेरी इच्छा नहीं है। It is an approved programme of Government of India.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका मतलब यह हुआ कि आपने यह कहा कि सहकारिता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ यह विधेयक पारित हो रहा है, आपका कहना यह है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने गवर्नमेंट आफ इंडिया का नाम कहां लिया। उपाध्यक्ष महोदय, जनतंत्र में सबसे ऊंचा मंच है, आपके आसन से बड़ा हाई कमाण्ड कौन है? माननीय सदस्य ने 6 बार कमाण्ड का नाम लिया है यह हाई कमाण्ड कौन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

डा. (श्रीमती) कमला : हाई कमाण्ड का नाम लेने में क्या बुराई हो गयी।

एक माननीय सदस्य : इस बात से मंत्रीजी भी परेशान हैं कि ये जो पास किया जा रहा है यह गलत किया जा रहा है तो इतनी जल्दी क्या है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमारी राष्ट्रीय सहकारी नीति है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मांगीलालजी, आप प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री मांगी लाल डांगा : नहीं ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-111 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना : इसको दुबारा पढ़ तो दें, साहब, कि संशोधन क्या है दुबारा एक बार पढ़ें तो सही।

एक माननीय सदस्य : हां पढ़ें तो सही क्या संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, आर्डर-आर्डर प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना : इस संशोधन को दुबारा पढ़ें माननीय मंत्रीजी कि मैंने यह संशोधन खण्ड 111(2) में किया है।

श्री उपाध्यक्ष : I am putting it to vote. What is the problem ?

श्री मानिक चन्द सुराना : खण्ड 111 के संशोधन को कोई सर्कूलेट तो किया नहीं आपने हमको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बस यह पढ़ दिया, फुर्ती से रेल की तरह पढ़ दिया आपने तो।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने फरमाया था कि मैं संशोधन अलाउ नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन है इसमें। किया है इसमें। इसमें है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने बिना सर्कूलेट किये संशोधन को आप अलाउ कर रहे हैं। तो दो हमको। बिना पढ़ें हम क्या करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास है।

श्री मानिक चन्द सुराना : हमारे पास नहीं आया है।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें नहीं है। यह तो मंत्रीजी ने अभी पढ़ कर सुनाया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : इसमें परिवर्तन किया है।

श्री अमराराम (धोद) : अभी संशोधन मूव किया है इसमें कहां से आएगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपके पास है संशोधन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मूव किया है सरकार ने उसमें परिवर्तन किया है। उनसे परिवर्तित संशोधन लेकर आये, मंत्रीजी ने इसीलिए कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या परिवर्तन किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप पूछ लो उनसे क्या किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बताइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो मूल संशोधन लेकर आये थे वो नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं है, साहब, इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : यही है और क्या है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसीलिए तो पूछ रहे हैं हम।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमें जो वितरित किया गया है उसमें संशोधन नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसीलिए तो पूछ रहे हैं क्या किया है।

श्री उपाध्यक्ष : यही है न यह संशोधन मूव किया है वो ही है। यही है। और क्या है वाट इज दी प्रोब्लम?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह माननीय सदस्य को बुला कर क्या नाटक हो रहा है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, जो संशोधन माननीय मंत्रीजी ने मूव कि है वो सर्कूलेट हो चुका है और यही उन्होंने मूव किया है और उसी को स्वीकार करा रहा हूं इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सर्कूलेट नहीं हुआ है। अभी जो किया है वो सर्कूलेट नहीं हुआ है, साहब।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सर्कूलेट हो गया है उसको पास करवा लीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक बार इसको फिर पढ़ दें इसमें संशोधन किया था यहां से राजस्थान परिसंघ निकायो यदि कोई हो तथा राजस्थान राज्य सहकारी संघ के साथ समन्वय करके इसके बाद कुछ लाइन आपने बढ़ाई है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोई नहीं बढ़ाई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप बोले उसमें तो कुछ बढ़ाया है। यह ही है क्या।

श्री उपाध्यक्ष : जो आपके सामने सर्कूलेटेड है उसको पास कराने में आपको आपत्ति है क्या?

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, कोई नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, बिलकुल आपत्ति नहीं है, पास कराइये।

श्री उपाध्यक्ष : खतम हो गयी बात।

प्रश्न यह है कि खण्ड 111 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हाई कमाण्ड के आदेश पर स्वीकार किया जाय। हाई कमाण्ड के आदेश पर।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। प्रश्न यह है कि खण्ड-111 में जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हाई कमाण्ड के आदेश पर।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-111 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड 111 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हाई कमाण्ड के आदेश पर।

श्री उपाध्यक्ष : अनुसूचित "क" कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि अनुसूची "क" प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

अनुसूची "क" प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार की गयी।

अनुसूची "ख" श्री मांगीलालजी।

श्री राजेन्द्र राठौड : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि राजस्व मंत्रीजी यहां नोक-झोक कर रही थीं, वो अभी सदन से नाराज होकर गयीं क्या उन्होंने बहिर्गमन किया है सदन को यह बता दें आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आपका लेना-देना नहीं है। यह आपका सब्जेक्ट नहीं है आप बिराजिये। मांगीलालजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मांगीलालजी, कहीं से मांग लाओ।

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन को पारित किया जाय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सदस्य मांगीलालजी, कहीं से मांग लाओ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा माननीय ज्ञानदेवजी आपको बोलना है (बोलने के लिए खड़े नही हुए) श्री केसारामजी, (अनुपस्थित)। श्री रतन लाल जाट, (अनुपस्थित) श्री हीरासिंहजी।

श्री हीरासिंह चौहान : थर्ड रीडिंग पर है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-थर्ड रीडिंग पर नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। श्री राजेन्द्र राठौड़ (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए) डा. किरोडी लालजी। कोई क्या उत्तर देगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह है ही नहीं क्या पढ़ दिया। यह कहां से पढ़ रहे हैं? गलत कागज पढ़ लिया आपने हमारा नाम किस में है?

श्री उपाध्यक्ष : आपने दिये हैं यह मैंने थोड़े दिये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं-नहीं, हमने जो संशोधन दिया था कौन से सैक्शन में है?

श्री उपाध्यक्ष : तो हमने हमारे मन से लिख दिया अनुसूची "ख"।

प्रश्न यह है कि अनुसूची "ख" प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप मे स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

अनुसूची "ख" प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार की गयी।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जाएं।

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये गये।

माननीय खेतसिंह राठौड़, प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक, 2001 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जो बोलना चाहें। श्री सुरेन्द्रजी व्यास बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक, 2001 पुरः स्थापित किया गया था पिछले बजट सत्र में और प्रवर समिति को निर्देशित किया गया सदन के द्वारा और प्रवर समिति ने 50 अमेंडमेंट इसमें सजेस्ट किये। मंत्रीजी, आपका बिल कितना सैल्फ सफिशिएंट, कितना सैल्फ कंटेंड और कितना वाजिब था इसका अंदाजा आप लगाएं और तो और 13-14 अमेंडमेंट आपने इसमें डिबेट शुरू होने से पहले ही सर्कूलेट कर दिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने कई बिल पास करवाये हैं, आप सही कह रहे हैं, इस बार ही ऐसा हुआ है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्रीजी की स्वीकारोक्ति है वैसे को-आपरेटिव सोसायटी का आपका बैक ग्राउंड नहीं है और आप उतने ही ब्लैंक हैं जितना मैं हूं। आपने यहां पर सदन में खड़े होकर कुछ एम. डीज. को सस्पैंड किया था और आपने उन एम.डीज. को सस्पैंड गुणावगुण के आधार पर नहीं किया, आपने क्या कहा कि आप सब कहते हो तो मैं सस्पैंड कर देता हूं। यानि आपने उनके रीस्टेटमेंट का सतूना यहीं बना दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कमलाजी ने जो अभी भावनाएं व्यक्त की और मांगीलाल डांगाजी ने अभी कहा कि हमने उसको प्रेस नहीं किया क्योंकि संभवत: बाद में वह उसको वापस लेते ही लेते लेकिन एक दफा उन्होंने कहा कि इस पर वोट कराया जाए। मंत्रीजी, अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप कौनसे प्रेशर में काम कर रहे थे, डांगा साहब ने खुद ने पूरे सदन को अवगत करा दिया कि रातों रात आप पर क्या प्रेशर आया। एमिनेबल प्रेशर है, एमिनेबल टू लाजिक, ओपन टू लाजिक और रीजन नहीं है, यह एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता था कि 1965 के अधिनियम को बदलकर जो नया विधेयक लाया जा रहा है वह नया अधिनियम यह पारित कराना चाहते हैं तो समय के अन्तराल के साथ जो आवश्यकताएं होंगी उनका समावेश इस अधिनियम में किया जायेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, 1965 में को-आपरेटिव मिनिस्टर कौन था यह माननीय खेतसिंहजी को ज्यादा याद होगा लेकिन तब का यह जो ला है इसमें मुझे आप

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

इसी स्टेज पर अगर कह देंगे तो मैं अपनी डिबेट कनक्लूड कर दूंगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। यह एक सैक्शन 139 है:—

"The Government may, by general or special order, exempt any co-operative society or any class of society from any of the provisions of this Act or may direct that such provisions shall apply to such society or a class of society with such modifications as may be specified in the order"

सभापति महोदय, इस एनेबलिंग क्लाज को कुछ हद तक कांग्रेस गवर्नमेंट ने काम लिया और कुछ सज्जन हाई कोर्ट में भी गये और आपके आर्डर्स को हाई कोर्ट ने वैध माना और इसकी वेलिडिटि भी उन्होंने अपहोल्ड की। लेकिन 1995 में दो नोटिफिकेशन आर्डर निकाले बी.जे.पी. की गवर्नमेंट ने, रीएक्शनरी गवर्नमेंट जो भी आप कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने क्या नोटिफिकेशन निकाले वह समझने की बात है:— ....(interruptions) ....That is a different issue altogether. But what the notification or order was, to draw the attention of this august House, राज्य में सहकारी संस्थाओं को स्वावलम्बी एवं पारस्परिक सहयोग के आधार पर लोकतांत्रिक पद्धति पर कार्य करने वाली स्वैच्छिक लोक संस्थाओं के रूप में गठित व स्वतन्त्र, समर्थ आर्थिक इकाइयों के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 139 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिये जाते हैं कि ऐसी सभी नई सहकारी संस्थाएं जो राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के तहत पंजीकरण हेतु आवेदन करती हैं और जिनमें धारा 47, 48 एवं धारा 59 में किसी तरह से राजकीय सहायता अपेक्षित नहीं है, न ही भविष्य में की जायेगी ऐसी सहकारी समितियां पंजीकृत किये जाने की स्थिति में अधिनियम की निम्न धाराओं के प्रावधानों से उन्मुक्त होंगी :— धारा 13, 14, 17, 18, 20, 22 का परन्तुक 32, 35, 35 (ख), 36, 47, 60, 65, 65 (क), 66, 71, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 128, 143, और 150 यह बहुत लम्बा चौड़ा है उसमें मैं सदन का समय नहीं लूंगा।

11.10.95 में दूसरा आर्डर निकला, राज्य में, सहकारी संस्थाओं को स्वावलम्बी एवं पारस्परिक सहयोग के लिये लोकतांत्रिक पद्धति पर कार्य करनें वाली स्वैच्छिक लोक संस्थाओं के रूप में गठित करने स्वतन्त्र समर्थ आर्थिक इकाइयों के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 139 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

करते हुए इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत ऐसी सहकारी संस्थाएं जिन्हें धारा 47, 48 अथवा धारा 59 के अन्तर्गत किसी भी रूप में राजकीय सहायता नहीं दी गई है उनको अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं के प्रावधानों से उन्मुक्त किया जाता है। यह सब फिर वह ही धाराएं हैं। यह 28.10.1995 को राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक .... दिनांक 11.10.1995 के द्वारा ऐसी पंजीकृत सहकारी समितियां जिन्हें राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 47, 48 एवं 59 की किसी भी रूप में राजकीय सहायता नहीं दी गई है उन्हें राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 139 के अन्तर्गत अधिनियम की विभिन्न धाराओं से उन्मुक्त किया गया है तथा कतिपय अन्य धाराओं को रूपान्तरित रूप से लागू किया गया है किन्तु सहकारी बैंकों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, भूमि विकास बैंकों, गृह निर्माण सहकारी समितियों, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और राजस्थान राज्य सहकारी बैंकों को इस आज्ञा से अप्रभाविक रखा गया है। मंत्रीजी, आपने इन प्रोविजन्स का

(17.43 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

अध्ययन किया होगा, ऐसा मैं मंत्रीजी, मानकर चलता हूं। इस प्रोविजन में कम से कम जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं है, गवर्नमेंट की कोई फाइनेंशियल एड नहीं है उन सोसायटीज को सरकारी नियन्त्रण के प्रभाव से मुक्त करने की दिशा में वह जो तथाकथित रिएक्शनरी सरकार थी उसका प्रोग्रेसिव कदम था। आपने उसका समावेश इसमें नहीं किया। आपकी जो प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है, आपका यह लेजिस्लेशन रिट्रोग्रेड लेजिस्लेशन है। अब अक्टूबर, 1995 में जिन आर्डर्स के माध्यम से इन सहकारी समितियों को सरकारी नियन्त्रण से उन्मुक्त तत्कालीन राज्य सरकार ने किया उनको आपने वापस सरकारी नियन्त्रण में जकड़ लिया। एक बात तो आप मानेंगे, मंत्रीजी, ख़ास तौर पर धारा 15, 125, को आपने पुनः लागू कर दी। धारा 32 से 37 पूरी लागू कर दी जिसमें उन्होंने संशोधन कर दिया था। 29, 30, 49 और 49 भी पुराने एक्ट की बता रहा हूं मैं सिमिलर प्रोविजन्स आपके इस नये बिल में है 51, 54, 57 और 123।

सभापति महोदय, सहकारिता का जो मूल मकसद है वह जन सहभागिता से और सहकारिता से तमाम मैनेजमेंट होना चाहिये सहकारी समितियों का। एक बात तो प्रभावित है चाहे 1965 का एक्ट लो और चाहे 2001 का यह जो एक्ट बन जायेगा, आपने अल्टीमेटली इस बात को तो मान लिया कि को-आपरेटिव सोसायटी में जो लोग मैम्बर बनकर अपना आर्थिक अंशदान देकर एक विशेष प्रयोजन के लिये उस मूवमेंट में आगे बढ़ते हैं सोसायटी का

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

निर्माण करने में और उसको विकास करने में योगदान करते हैं वह लोग करप्ट हो सकते हैं लेकिन आपके गवर्नमेंट सर्वेंट और जो आफिसर्स हैं वो इनकरप्टेबल है, यह बेसिक आपका आइडिया है क्योंकि वह तो करप्ट हो ही नहीं सकते आपने रजिस्ट्रार को पूरे पावर दे रखे हैं और रजिस्ट्रार का जो पावर्स है रिसाइंड आल्टर मोडिफाई, बीच में ड्राप कर दिया था पर मंत्री महोदय आपने उन सहकारी समितियों को क्यों इसमें वापस लिया है जिनके अन्दर आपका कोई अंशदान नहीं है, आपका कोई फाइनेंशियल एड नहीं है? तो एक तो मैं आपसे स्पष्ट रूप से यह पूछना चाहता हूं कि आप जो यह लाए हैं, आपने कुछ अमेंडमेंटस जो आज मूव किए है उनमें कुछ प्रावधान अच्छे हैं, उसके लिए धन्यवाद के पात्र आप नहीं माननीय मांगीलाल डांगा है, इन्होंने हाई कमान से प्रेशर डलवाकर, इन्होंने सदन में तो सबको सूचित कर ही दिया। आपने हाई कमान की आज्ञा नहीं मानी, जिसमें आपके खिलाफ रिपोर्ट जाएगी। कमलाजी भी रिपोर्ट करेंगी आपके खिलाफ और मांगीलालजी डांगा भी। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी समितियों का एफिलिएशन सेन्ट्रल सोसायटियों से और सेन्ट्रल सोसायटी का एफिलिएशन अपैक्स सोसायटी से है। बेसिक कांसेप्ट है या नहीं, इससे आप इन्कार कर सकते हैं क्या? और प्रेक्टिकली ऐसा नहीं है। सहकारी समितियां अधिनस्थ काम करती हैं केन्द्रीय समितियों के, और केन्द्रीय समितियां काम करती है अधिनस्थ अपेक्स सोसायटियों के यह सेमी सोसायटीज में काम करती हैं। रजिस्ट्रार के सबोर्डिनेशन तो एक तो यह स्पष्ट घोषणा करें चुनाव कब तक कराऐंगे? हमें यह भी संदेह पैदा हो रहा है जो आपने एक व्यवस्था की है कि प्रमुख और प्रधान तो नहीं बन सकते। एम.एल.ए. तो बन सकते हैं ना, सांसद और एम.एल.ए.। कहीं ऐसा तो नहीं है कल यह हाउस साइनेडाई एडजोर्न हुआ और आप अपने 5-50 एम.एल.एज. को चैयरमेन बनाकर बैठा दें कि (व्यवधान) जिससे ज्यादा डरेंगे उसको बिठाएंगे। आपसे और हमसे तो पूछने से रहे। आप यह स्पष्ट घोषणा करें कि आपका इसमें कोई अल्टीरियर ओब्जेक्टिव तो नहीं है, अगर यह पावर्स जो आपने अपने आप में लिए हैं वह सिर्फ पालिटिकल रिहेबिलिटेशन के लिए ही लिए, कि हमने जो कांग्रेस के लोग जिनको आप एकोमोडेट नहीं कर सके गवर्नमेंट में उनको कम से कम बैंकों में, संख्या भी बहुत ज्यादा है। कारपोरेशन में भी करेंगे कितनों को करेंगे, 153, और सभापति महोदय ऐसा नहीं है। आपको तो ध्यान होगा 1980 का इतिहास। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय जगन्नाथजी पहाड़ियां ने मुशिकल से दो, चार-पांच विधयकों को छोड़ा होगा नहीं तो किसको क्या बना दिया, किसी को क्या बना दिया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

खेतसिंहजी को सब याद है। तो आपकी वह मंशा हो तो आप बता दीजिए। (व्यवधान) बनाने वाले यही थे। मैं चाहूंगा, अब यह खण्डशः से विचार में हमारे राजेन्द्रजी राठौड़ बहुत परिश्रम करते हैं, हमने उनसे कहा कि परिश्रम करने से Hon'ble Minister is not open to logic and reason. He is amenable to pressure only. प्रेशर आपके पास है नहीं, इसलिए खडशः जबदस्ती विचार करने की कोई आवश्यकता है नहीं। यह तो जो मर्जी आएगी वह लाएंगे और पास कराएंगे। कोई सुझाव देना होगा, अनुनय-विनय करनी होगी तो थर्ड रिडिंग में कर लेंगे। हालांकि वह भी कोई स्वीकार करने वाले नहीं हैं। लेकिन इन सब बातों से अलग हटकर मैं एक स्पष्ट घोषणा चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अब यह स्पष्ट घोषणा करें कि आप इसके चुनाव कब तक कराएंगे? जब आपने इसकी अलग से इलेक्शन आथोरिटी बना दी है, मैं उसकी मैरिट में नहीं जाता हूं ठीक है बेसीकली अच्छा कांसेप्ट है। पूरे को-आपरेटिव मूवमेंट के अन्दर इलेक्शन कराने के लिए आपने अलग से इलेक्शन बाडी बनाई है, जैसे पंचायती राज और नगरपालिकाओं के लिए बनाई है। हम मानकर चलते हैं, कितनी ओटोनोमी रहती है, पोस्टिंग तो आपके हाथ में ही है ना। आपके कैडर के लोग भी तो पोस्टेड होते हैं। यह आप भी जानते हैं और पूरा सदन भी इस बात को जानता है। यह तो जनरल इलेक्शन में बहुत बड़ा डिबेटेबल पाइंट है। गिल और शेषन ने तब यह डिबेट चालू की थी, कि जो डेपूटेशन पर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी रहे उनके खिलाफ डिसिप्लनरी एक्शन इनिशियट करने के पावर्स हमारे पास होने चाहिए और गवर्नमेंट ने इस बात को कंटेस्ट किया है, डेफीनेट पीरियड आफ डेपूटेशन पर इलेक्शन कमिश्नर के साथ काम करते हैं। फिर भी मैं इस अवसर को उपयुक्त नहीं मानता कि मैं उनकी इंडिपेंडेंस के प्रति कोई संशय यहां उत्पन्न करूं। लेकिन आप निश्चित रूप से यह घोषणा करेंगे कि आप विधेयक पारित होने के बाद जब अधिनियम बन जाए तो राजनीतिक दुरुपयोग नहीं करेंगे। चुनाव कब तक करा देंगे, कम से कम यह दो आश्वासन आप देने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी समिति विधेयक, 2001 सरकार इसके साथ लाई है कि इससे जनता को काफी लाभ मिलेगा, ऐसा सरकार का सोचना है। परन्तु....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य, आज पहली बार आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन में प्रस्तुत को-आपरेटिव सोसायटी विधेयक के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय विधेयक पारित होने तक बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय विधेयक पारित होने तक बढ़ाया गया।

विधेयक का पारण

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, यह जो विधेयक है, यह सरकार की मूल भावनाओं को खतम करने वाला और ठेस पहुंचाने वाला है।

मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां पहले होती थीं वह प्रत्येक ग्राम पंचायत में होती थीं। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होने के कारण से उसके क्षेत्र के लोग आसानी से उसका लाभ प्राप्त कर सकते थे, उसका उपयोग कर सकते थे अपनी भागीदारी निभा सकते थे इस बिल में कहीं भी कार्यक्षेत्र अभी तय नहीं किया है कि कितने क्षेत्र पर ग्राम सेवा सहकारी समिति होगी। एक ग्राम में होगी या एक पंचायत का कार्यक्षेत्र रहेगा या इतनी पापुलेशन रहेगी, इसमें कीं भी इनका उल्लेख नहीं आया है। मुझे यहां यह कहना पड़ रहा है मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि राज्य के मुख्य सचिव ने एक प्रस्ताव सरकार के सामने रखा कि ग्राम सहकारी समिति का जो सचिव होगा, ग्राम पंचायत का सचिव होगा, कृषि का पर्यवेक्षक होगा, वह तीनों पदों को हटाकर यानि तीनों पदों पर एक ही व्यक्ति काम करेगा और उसकी नियुक्ति 1200 रुपये में की जाएगी। अब इसमें इसका भी कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या ग्राम सेवा सहकारी समिति का जो सचिव होगा वह कृषि पर्यवेक्षक का भी काम करेगा क्या? क्या वह ग्राम पंचायत का सचिव भी होगा? इन सब बातों पर हमको बड़ा ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा न हो यह विधेयक तो पास करवा लें और कल बाहर जाकर कहें कि अब जो ग्राम सेवा सहकारिता का सचिव है वह ग्राम पंचायत के सचिव का काम भी करेगा और किसानों को अपनी जानकारी भी देगा। जब वह सचिव दोनों काम करने के लिए निकल जाएगा तो ग्राम सेवा सहकारी समिति में कौन मिलेगा, किसके माध्यम से लोगों के काम हो पाएंगे, इसका कहीं भी इन्होंने उल्लेख नहीं किया है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह या तो उसका खण्डन करें कि मुख्य सचिवजी का जो भी प्रस्ताव था उसे किसी भी कीमत पर यहां पर लागू

(श्री मदन दिलावर)

नहीं किया जाएगा। यदि लागू कर दिया तो मैं समझता हूं कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।

मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि यह बिल के प्रति पता नहीं कैसे सद्भावना बता रहे है, लेकिन मुझे लगता है कि दुर्भावना है। सरकार शिकंजा कसना चाहती है और स्वतंत्र रूप से सहकारिता के काम नहीं करने देना चाहती, सहकार की भावना को ठेस पहुचाना चाहती है। कानून आपके पहले भी बने हुए हैं और सरकार उन कानूनों के तहत कई लोगों को दंडित कर सकती थी। लेकिन पहले भी इन्होंने किसी को दंडित करने का प्रयास नहीं किया, तो गारंटी है पहले के बने हुए कानूनों की सरकार ने पालना नहीं की या पालना नहीं करवाई तो इसकी पालना होगी।

मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, कोटा, सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक में बहुत बड़ा गबन हुआ और रमेश चन्द्र शर्मा नाम का व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी लगा हुआ था, उसके ऊपर गबन का आरोप सिद्ध हो गया। चालान पेश हो गया। अदालतों के फैसलें मेरे पास हैं। और अदालत ने यह तय कर दिया कि यह गबन का आरोपी है।

(18.00 बजे)

2-3 हैं। फर्जी दस्तावेज उसने बनाये हैं। 5 हजार की फर्जी एफ.डी. की परिपक्व राशि की देय तिथि 11.1.1985 को उक्त एफ.डी. की धारक श्रीमती सुमित्रा शर्मा जब बैंक में भुगतान लेने आयी तो गबन की पोल खुलने से बचने के लिये श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने एक और फर्जी तरीके से 9 हजार की फर्जी बैंक एडवाइस कैथून के शाखा व्यवस्थापक की हैसियत से बनाकर गम्भीर कूट रचना कर तीसरा अपराध किया। जिसका प्रकरण अतिरिक्त सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ खण्ड, कोटा में गबन एवं कूट रचना की भारतीय दण्ड संहिता की गंभीर धारा 409 जो 120 बी में प्रसंज्ञान में है। प्रमाण में आरोप, उन्होंने सुना है, मैं पुनः न्यायालय के फैसले की कापी भी लाया हूं। इसके आधार पर 2-3 मामले है। मैं सबकी चर्चा यहां नहीं करना चाहता। लेकिन उसके आधार पर वहां के उस समय के प्रशासक और जिला कलक्टर ने इनको टर्मिनल करने का नोटिस दिया और टर्मिनेट कर दिया। लेकिन सरकार ने यह कहा कि आपको अधिकार नहीं था। कोई धाराएं होंगी, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, किस आधार पर अधिकार नहीं था। इसलिये यह आरोपी तो हैं लेकिन जिला कलक्टर नहीं कर सकते थे। हो सकता है कि जिला कलक्टर से यह गलती हो गयी हो। तो फिर सरकार किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी कानून के माध्यम से उसको जेल की सींखचों में ठूंस सकती थी। उसको नौकरी से हटा सकती थी। उसको दण्डित कर सकती थी। लेकिन आज भी वह अधिकारी वहां काम कर रहा है। ऐसी सरकार की कौनसी मजबूरियां हैं जो इस प्रकार के लोगों को नहीं हटा सकती है।

(श्री मदन दिलावर)

श्रीमान् यही नहीं, इसी वर्ष एक छोटूलाल पिता भैरूलाल, जाति नायक, शिड्यूल्ड कास्ट का, निवासी जलोड़ा खाटियान, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा का निवासी है जो बिलकुल गरीब है। इसके बच्चे भाड़े लेते हैं, ग्वाल का काम करते हैं, यानि बंधुआ मजदूरों की तरह काम करते हैं। इतना बुढ्ढा है, लगभग 70 वर्षीय होगा। मेरे से 15 दिन पहले मिला था। उन्होंने कहा कि इस रमेश चन्द्र शर्मा ने, जब मैं सहकारी समिति में लोन लेने के लिये गया तो वहां के सहकारी समिति के जो सचिव हैं, सत्यनारायण करके, उन्होंने मेरा अगूंठा निशानी सब पर करा लिया। मैं तो अनपढ़ था। और फिर मेरे को नोटेरी के पास ले गये कि तुझे लोन दिलाना है, चलो वहां नोटेरी के पास जाकर के अपने अंगूठे निशान करके इस रमेश चन्द्र शर्मा ने अपने बेटे के नाम उस जमीन को गिरवी रखवा करके लोन ले लिया और उस गरीब के रेवेन्यू खाते में जाकर के वह जो नोट लगता है रहन का, वह लग गया। श्रीमान्, अब वह ऐसी स्थिति में है, न तो वह भोजन कर रहा है, और पूरे परिवार वाले मरणासन्न स्थिति में है कि मेरी 17 बीघा जमीन है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, थर्ड रीडिंग के ऊपर सिर्फ बिल पर ही बोलें।

श्री मदन दिलावर : मैं बोल रहा हूं, कह रहा हूं। मैं बिल पर इसलिये कह रहा हूं कि मैं यह उदाहरण दे रहा हूं कि जब ये इसकी पालना नहीं करा सके तो यह कैसे करवाएंगे। यह ऐसी जल्दबाजी में क्यों लाए।

श्री सभापति : थर्ड रीडिंग का यह अर्थ नहीं है कि आप जो चाहे सो बोलें। आप अपने आपको कन्फाइन रखें, उसी बिल पर....

श्री मदन दिलावर : हां, मैं जो चाहे नहीं, बिलकुल। मैं यह कहना चाह रहा था कि आखिर में ऐसे लोगों को आज भी उन पदों पर रखते हैं। इस सरकार की भावना क्या है, क्या यह शुद्ध भावना है। क्या यह अच्छी भावना है, क्या सहकारिता को बढ़ावा देने वाली भावना है कि भ्रष्ट लोगों को वहां रखें। वह परिवार मर जाएगा। कल मुझे टेलीफोन आया है कि कुछ अधिकारी लोग गाड़ियां लेकर के उसके घर पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम, जो हमने कागज लिख दिया है इस पर दस्तखत कर दो तो तुम्हारे रहन का मामला हट जाएगा। मैंने कहा किसी पढ़े लिखे आदमी को पढ़ाकर कागज पर दस्तखत करना। नहीं तो पहले तो तुम्हारी जमीन ले ली हैं, कहीं तुम्हारा घर भी न ले जाएं। तो अभी वह इंतजार कर रहा है। मेरे से टेलीफोन पर कहा है कि आप आएंगे तभी करूंगा, नहीं तो मैं दस्तखत नहीं करूंगा। पर दबाव है बराबर, इस बात पर दबाव है कि हमने जो कारस्तानी की है। (व्यवधान) उसकी दरखास्त है मेरे पास। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतने भ्रष्टाचार के बाद सरकार कुछ नहीं कर पाये।

(श्री मदन दिलावर)

ऐसे ही मैं भूमि विकास बैंक, बारां की बात कर रहा हूं। पाबन्दी तो यह है कि भूमि विकास बैंकों का सचिव उस जिले का रहने वाला नहीं होगा। लेकिन वहां उस जिले का रहने वाला, महान भ्रष्ट है। उसके खिलाफ कई शिकायतें हैं। कई गबन के आरोप, लेकिन श्रीमान्, उसको भी यह कहते हैं प्रशासनिक दृष्टि से ऐसा निर्णय लिया गया है। मेरे को विधान सभा क्वश्चन में बताया, और इसमें छूट दी है, शिथिलता, एक बेईमान आदमी को वहां रखने के लिये प्रशासनिक दृष्टि से शिथिलिता दी गयी है।

मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि कितनी आपाधापी में इसको लाया गया है। प्रवर समिति को सौंपा। तो प्रवर समिति ने क्या किया, 50 संशोधन कर दिये। अब 50 संशोधन, तो बड़ी विद्वता के साथ किये होंगे। उन्होंने देखा होगा, पढ़ा होगा, सरकार तो अंधाधुंध तरीके से इस बिल को ला रही है। कोई देखा ही नहीं। जैसे कोई अंधेरी रात में आकर के प्रशासनिक अधिकारियों ने इनको सौंप दिया। और इसे बिना ट्यूबलाइट जलाकर पढ़ा, अंधेरे में। और उसको वापस का वापस यहां लाकर रख दिया। क्या इतने सारे अधिकारी, इतनी सारी फौज, इतने विद्वान मंत्री, इतने पुराने मंत्री और इनके बनाए हुए, लाए हुए बिल में एक मुख्य मंत्री की दावेदार श्रीमती कमलाजी थीं, वे भी विरोध की गयी और बहिष्कार कर गयी कि यह क्या लाये हो। यह तो सहकार भावना का विरोध करने वाला बिल है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : बहिष्कार करके नहीं गयी हैं।

डा. महेश जोशी : सभापति महोदय, कोई मंत्री बहिष्कार करके नहीं गया। आप इस बात को एक्सपंज कराएं क्योंकि यह गलत बयानी है और यह बहिष्कार कहना यह लोकतांत्रिक परम्परा नहीं है। आप इसको एक्सपंज कराने की कृपा करें।

श्री मदन दिलावर : सहकार भावना का अनादर किया जा रहा है। इसलिये बहुत कुठित थीं। उन्होंने अपनी भावना को व्यक्त भी किया यहां। खड़े हो करके अपनी भावना को व्यक्त भी किया।

जो सरकार यह बिल पेश कर रही है, वही सरकार 13-14 संशोधन लेकर आ रही है। पहले क्या ये खरबूजे खाने गयी थी क्या? अंधा धुंध तरीके से ला रही है। और फिर कोई वाजिब संशोधन रखता है, जनहित में रखता है, सहकारी के हित में कोई प्रस्ताव रखता है तो सत्ता के मद में अंधे होकर जो कहे हां, क्या बंधुआ मजदूर हो क्या? सच-सच तो कहो कि जो गड़बड़ है उसको गड़बड़ कहो, जो सही है उसको सही कहो। लेकिन + + + एक मांगीलालजी ने कुछ कहा तो यहां इधर बुलाकर गला दबा दिया। आखिर यह क्या हो रहा है। आखिर यह क्या हो रहा

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

है। माननीय सदस्य को इधर बुलाकर गला दबाया जाए। और फिर कहते हैं कि सहकारिता की भावना का आदर करने वाला यह बिल है।

श्री महेश जोशी : यह + + + क्या होता है, माननीय सदस्य + + + क्या होता है।

श्री सभापति : + + + शब्द निकाल दें आप।

श्री मदन दिलावर : असहाय हो गया वह।

डा. महेश जोशी : आप खुद + + + लग रहे हैं।

श्री सभापति : इस शब्द का प्रयोग निकाल दिया। अब आप दुबारा प्रयोग मत करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह गला घोटेंगे, आपको क्या मतलब है इस बात से।

श्री मदन दिलावर : हमारा तो मत घोंटो। उनका घोट दिया पर हमारा तो मत घोंटो।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य को फिर याद दिलाउंगा।

श्री मदन दिलावर : 5 मिनट ओनली। बस, जा रहा हूं। केवल 5 मिनट बोलने वाला हूं।

श्री सभापति : थर्ड रीडिंग का मतलब क्या होता है, उसको भी आप जानते हैं। 2-3 बार सदन में रहे हैं। उस हिसाब से आप बोलेंगे तो ठीक रहेगा। और मंत्रीजी को भी आपको जवाब देने में सुविधा रहेगी।

श्री मदन दिलावर : नहीं, मैं उसी पर बोल रहा हूं। (व्यवधान) बिलकुल।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या जवाब देंगे ये, उस हास्टल के बारे में कहां जाएंगे जानकारी करने के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जाना पड़ेगा।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, मंत्री महोदय को सारा ध्यान है। कई जगह से शिकायतें आयी हैं और ये अदालती आदेश इनके पास थे। मैंने विधान सभा में भी इस मामले को लगाया है और पूछा लेकिन बड़ा मौन होकर के ऐसे मुस्कराकर के बात को टालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चाहे यह सरकार छोड़ दे, किसी भ्रष्टाचारी को पनपा दे, चाहे बेइमान को संरक्षण दे दें, चाहे कितने भी घोटाले करने वालों को संरक्षण दे लेकिन जनता 2 साल के बाद माफ नहीं करने वाली है। जनता 2 साल के बाद ऐसे छक्के छुड़ाएगी, खेतसिंहजी, आप खेत हो जाएंगे। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह बिल सहकारिता की भावना का गला घोटने वाला है, अहितकारी है, जनता के साथ न्याय करने वाला नहीं है। यही कहते हुए अपनी बात को मैं समाप्त कर रहा हूं। जय हिन्द।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में 2-4 मिनट लूंगा। मान्यवर, माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने जो बिल पेश किया उसके ऊपर सलेक्ट कमेटी बनी। सलेक्ट कमेटी में इसका डिस्कशन हुआ। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि सलेक्ट कमेटी इस हमारे सदन का मिनिएचर है। यही होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में कि सलेक्ट कमेटी इसी सदन का एक छोटा रूप है। उसमें तमाम पार्टी के सेक्शंस का रि-प्रजेंटेशन उसमें था। इधर से डिप्टी लीडर बी.जे.पी. के थे, उधर से थे। उम्मीद तो यह की जाती थी, मान्यवर कि, कितना शानदार बिल जो को-आपरेटिव का मंत्री महोदय लाये। वर्षों बाद एक नया नवीनीकरण आ रहा है और फिर उसमें ....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उसमें आपका भी सहयोग था इसलिए और भी इम्पोर्टेण्ट हो गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब ही इतने संशोधन आये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उसमें सलेक्ट कमेटी ने गहनता से विचार किया और सरकार ने सलेक्ट कमेटी की रिकमंडेशंस को अकोमोडेट किया। हमारे माननीय डिप्टी लीडर, बी.जे.पी., यह भी उसमें थे। इनका बड़ा कंट्रिब्यूशन था, सबका कट्रिब्यूशन था वह अमेंडमैंट्स सब होने के बाद सर्व-सम्मति से यह आना चाहिए था लेकिन मान्यवर, पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस में और आज जो डिक्लाइनिंग प्रोसेस जो चल रहा है, लेजिसलेशंस का, लेजिस्लेचर्स का, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेम्बलीज हो, उनमें सारी परम्पराओं को हम ध्वस्त करते जा रहे हैं, यह मैं नहीं कहता, मैंने चीफ व्हिप साहब से भी निवेदन किया था कि चीफ व्हिप साहब, यह क्या है? हमारी पार्टी के इतने लोगों ने अमेंडमेंट्स दिये हैं, इतने लोगों ने दिया है तो उन्होंने फरमाया कि हम क्या करें, दे दिये और ऐसे ही इधर से। पार्टी के इधर के, पार्टी के चीफ व्हिप ने भी अमेंटमेंट पर अमेंडमेंट दिये जबकि उनका प्रतिनिधित्व उनके डिप्टी लीडर कर रहे थे। अब कहां सामंजस्य है, मुझे यह बताइये सभापति महोदय, क्या एक दूसरे से सामंजस्य नहीं, सारी संसदीय परम्पराओं को हम गिराते जा रहे हैं। जो हमें उनको डेमोक्रेटिक परम्पराओं को, ट्रेडिशंस को यहां हमें नष्ट करने के बजाए हम उनको और मजबूत बनाते, हम कमजोर करते जा रहे हैं। आपके मार्फत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें दो-तीन क्लाजेज को लेकर बड़ा विरोध हुआ। हमारे माननीय सदस्य, हमारे भारत के संविधान को जिसको पंडित जवाहर लालजी नेहरू, सरदार पटेल, डाक्टर अम्बेडकर ने बनाया और हमारी संविधान सभा ने उसको पास किया। पार्लियामेंट्री विंग, जुडिशियरी और एग्जिक्यूटिव, एग्जक्यूटिव भी अपने आप में संवैधानिक संस्था है और उसका प्रतिनिधित्व करती है एग्जक्यूटिव एजेंसी,

(श्री रामनारायण चौधरी)

वह गवर्नमेंट, हम असेम्बली में, पार्लियामेंट्री विंग और जुडियशियरी, तीनों सबका अलग-अलग दायरा है। आज कोई भी जांच यदि आप करना चाहे तो किसके मार्फत होगी? एग्जिक्यूटिव एजेंसी ही उसकी जांच करेगी। कोई एम.एल.ए. मिनिस्टर जांच कर सकता है क्या? मिनिस्टर मौके पर जाकर जांच कर लाया, कोई स्कैंडल हुआ, अभी बोल रहे थे होस्टल में वहां ऐसा हो गया क्या बनवारी लालजी उस होस्टल की जांच कर लाएंगे। और जांच कर लाएंगे तो आप भी महत्व नहीं देंगे, आप ही यह कहेंगे कि यह पालिटिकली मोटिवेटेड है। आप ही कहेंगे, बाकी जूडिशियरी तो क्या करेगी उसको तो अलग छोड़ो, तो आज सारी व्यवस्था हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। अब आप रजिस्ट्रार को पावर देने में बड़ा भारी क्रिटिसिज्म हुआ। यह तो सारी बातें हैं। रजिस्ट्रार तो किसी भी सरकार का, राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि है, वह बिना सरकार की मंशा के जो कुछ भी उनकी प्लानिंग है वह सरकार के सामने रखेगा। सरकार जब उसको ओ.के. करेगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगा। कहां से कर देगा रजिस्ट्रार इस सारे एक्ट को उथल-पुथल। नहीं कर सकता तो हम भय से ग्रस्त हो रहे हैं। भय से आशंकित हो रहे हैं। अभी-अभी सलेक्ट कमेटी के बाद में माननीय डिप्टी लीडर बी.जे.पी. ने बैठे-बैठे एक सुझाव दिया था और को-आपरेटिव मिनिस्टर साहब ने उसको मान लिया, यानि सरकार का तो खुला दृष्टिकोण है, ओपन है, हमारे कह रहे थे, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कि....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : कमलाजी का नहीं माना।

श्री रामनारायण चौधरी : सबका माना है, नहीं-नहीं, यह तो आप अपनी बात कहते हो।

डा. महेश जोशी : राजेन्द्रजी राठौड़ का नहीं माना हमने, एक भी सुझाव। उनका एक भी सुझाव नहीं माना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो मैं इनको नहीं मानता।

श्री सी. पी. जोशी : + + + को भी नहीं मानते।

श्री रामनारायण चौधरी : एक बात पर बड़ा भयभीत थे कि अगर सहकारी संस्था किसी की संस्था को स्वीकार नहीं करती है तो वह नहीं करे, यह तो नहीं करेगी तो आज के इस युग में यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। किसी भी गांव को ले लो, मेरे गांव को ले लो, सुमित्राजी के गांव को ले लो, कामरेड के गांव को ले लो, मान्यवर, आपके गांव को ही ले लो, किसी को, हर गांव में दो-दो पार्टियां है और सहकारी समितियों पर भी एक-एक पार्टी काबिज है। और इस चुनाव के बाद और

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण चौधरी)

काबिज होगी क्योंकि आपने यह लिंकेज ऐसा रखा है इसके लिए सी.सी. बैंक बनेगा, इसके जरिए यू.सी. बैंक बनेंगे, इसके जरिए अपेक्स बैंक बनेगा। तो साहब, यह तो ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गांवों के लेकिन यह पोलिटिकली ज्यादा है। इनका पालिटिक्स से बहुत ज्यादा गहरा लगाव है। गांव की पालिटिक्स शुरू ही पंचायत से और ग्राम सेवा सहकारी समिति से होती है। इसको कोई इन्कार नहीं, कर सकता और कोई कहेगा नहीं होती तो वह अपने आप को धोखा दे रहा है औरों को भी दे रहा है। यहीं से शुरू होती है। हम तो कहते हैं, ठीक है, यह एक्सरसाइज होनी चाहिए, मान्यवर, आज हम सुनना चाहते थे हमारे लीडर आफ अपोजीशन, प्रतिपक्ष के नेता को, वे अभी चीन जाकर आये हैं। चीन के, मैं सोच रहा था कि उनसे रिक्वैस्ट करेंगे कि वे चीन जाकर आये हैं, वहां क्या व्यवस्था है, इस को-आपरेटिव के बारे में तो आज हमारा दुर्भाग्य समझिये कि वे नहीं पधार सके, कोई कारण हो सकता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रामनारायणजी को भिजवा दो न चीन, इतनी तो करो मेहरबानी। और मेरे को भिजवा दो, इनके साथ।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं उनको सुनना चाहता था तो....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप रामनारायणजी को क्या, इनको दोनों को भिजवा दो।

(18.16 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामनारायण चौधरी : उनको हम सुनना चाहते थे, कि वहां क्या पोजीशन है इस मूवमैंट की (1) मान्यवर तत्कालीन प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधान मंत्री पण्डित जवाहर लालजी नेहरू ने रेड चायना कामरेड साहब की रेड चायना हुई थी 49 में और 52 में पण्डितजी ने डेलीगेशन भेजा था। उसने अध्ययन किया था वहां जाकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनकी दो-तीन बातें मुझे याद हैं, उस रिपोर्ट की। उन्होंने लिखा है जब से को-आपरेटिव सोसायटीज और को-आपरेटिव मूवमैंट चीन में आया है, रेड होने के बाद, लाल चीन बनने के बाद तो गांवों के अन्दर सहकारी समितियां बनी तो वह सहकारी समिति के पदाधिकारी जिनके घरों पर फूस नहीं था उनके घरों पर लोहे की चद्दरें हो गई और जिन सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के घरों पर पहले टींस थीं लोहे की चद्दरें थी वहां पटि्टयां पड़ गई, पक्के मकान हो गये, यह उन्होंने नक्शा खींचा था। तो अब आप इस करप्शन की, इन बातों को आप भूल जाइये। यह तो बदलती हुई दुनिया है, यह बदल रही है तेजी से। कहीं भी दुनिया का कोई हिस्सा कहीं से बचा हुआ नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मतलब दुनिया में करप्शन हो रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : करप्शन की बात नहीं है, यह तो दुनिया बदल रही है। इसको आप करप्शन का नाम क्यों लो, दुनिया बदल रही है, साधन आज इतना पैसा गांवों में सब जगह आज बिखेर रहे हैं, वह बिखर रहा है ऐसे....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी में कोई बदलाव देखा क्या आपने?

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्रीजी तो सब जमाना देखे हुए हैं।

डा. महेश जोशी : एवर-ग्रीन हैं यह तो।

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्रीजी तो सब जमाने से गुजरे हुए हैं, यह तो सौभाग्यशाली हैं कि 52 से इस सदन के सदस्य हैं और हर सीजन में और हर मौसम में, हर समय इनका दबदबा रहा है और यह तो ऐसे ही हैं।

श्री अमराराम (धोद) : वाह, क्या बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अभी यह कह रहे थे, अभी हमारे कोटा जिले के अटरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि दो साल, मैंने कहा किसको कह रहे हो, खेतसिंहजी ने तो अपनी पारी खेल रखी है, ऐसी तो किसी ने नहीं खेली है और कोई आप और हम तो खेल नहीं सकेंगे।

डा. महेश जोशी : कुछ तो सीखिए राजेन्द्र जी राठौड़ आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपकी आखरी पारी नहीं है। आपकी आखरी पारी थोड़े ही है, यह आखरी पारी नहीं खेल रहे हैं, अभी तो एक पारी और खेलेंगे यह।

एक माननीय सदस्य : यह आखरी पारी है जोशीजी की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम भी बोलेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अनुरोध करूंगा आपके मार्फत से....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोल लेना मैं कहां मना कर रहा हूं। बोल लेना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : थर्ड रीडिंग है।

श्री उपाध्यक्ष : थर्ड रीडिंग में तो कोई भी बोलो न।

श्री सी. पी. जोशी : मन नहीं भरा है इनका।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह थर्ड रीडिंग चल रही है। आप कितनी रीडिंग पर बोलेंगे चीफ व्हिप साहब, बी.जे.पी. के, आपके डिप्टी लीडर से यह एप्रूव्ड है यह सारा बिल इनके दस्तखत है और उसकी छिछालेदारी आप ही कर रहे हो उनके पीछे बैठे-बैठे, आप मेहरबानी करके उनसे दो मिनट कंसल्टेशन कर लेते लेकिन वह आपने नहीं

(श्री रामनारायण चौधरी)

किया, आपके पास में बैठे हैं, वरिष्ठ लीडर आपके महान विद्वान....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसका स्वरूप बदल दिया इन्होंने अमेण्डमैंट करके।

श्री रामनारायण चौधरी : सुराना साहब, नहीं-नहीं, नहीं बदला। जो सुराना साहब ने स्वरूप दिया था वह सारा इसके अन्दर है। उसके स्वरूप को बदलने की तो आपने कोशिश की है, सारी विधान सभा का मिनियचर सलेक्ट कमेटी, उसके अन्दर आप दोनों बिराजमान थे, उसके अन्दर आपका बहुत बड़ा कंट्रिब्यूशन था, आपका बड़ा कंट्रिब्यूशन था, सबका था तो आप, अब ऐसे है, मैं आपको यह कहूंगा, आप कहेंगे कि आपने पार्लियामैंट्री वर्ड का उपयोग नहीं किया। मैं तो यह कहूंगा कि हम सब यहां + + + मच रहे थे, + + + तो किसी की बात मानता नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : सभी + + + है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्या कह गये, उपाध्यक्ष महोदय, इस शब्द को वापस निकलवाइये, एक्सपंज करिए, विलोपित करिये। + + + कह दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : परम्पराएं होती है, ट्रेडिशंस, कंवेंशंस हैं। उनका किसी को खयाल नहीं था। हम थैंकफुल हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप क्या फरमा रहे थे साहब?

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट, आप बिराजें। देखों, मैं आपकी इज्जत करता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, आप जरा खुलासा करें आप + + + किसको कह रहे हो। बताएं तो सही। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अब आप समझते हो सब। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जो स्वेच्छाचारी हो। जो मर्जी आये सो करे, उसे कहते हैं + + +

श्री रामनारायण चौधरी : यह लो, इनसे पूछ लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम सारे नियमों से बंधे हुए है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : + + + का मतलब तो यही है। + + + का मतलब तो यही है जो मर्जी आये सो करे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको पूरे सदन में कौनसा स्वेच्छाचारी नजर आया?

श्री रामनारायण चौधरी : पूरे सदन में हम सब + + + हो रहे थे।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मदन दिलावर : फिर तो खेतसिंहजी के लिये आपने कहा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : खेतसिंहजी राठौड़ साहब + + + हुए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : खेतसिंहजी के लिये + + + कह रहे हैं। बहुत गलत बात है, साहब। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : खेतसिंहजी तो आपको अकोमोडेट कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : खेतसिंहजी तो + + + हैं, + + + नहीं। यह + + + हैं, तो आप हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसको पारित करें, आप फरमाओ तो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपके मार्फत अनुरोध करूंगा कि हम धन्यवाद करें को-आपरेटिव मंत्री महोदय का, सहकारी मंत्री महोदय का, कि ऐसा क्रान्तिकारी और रचनात्मक सहकारी बिल लाये हैं। कानून लाये हैं। इसके साथ यह प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्यों ने आशंकाएं प्रकट कीं चीफ व्हिप, बीजेपी भी कह रहे थे कि आपने चुनाव दे दिया आयोग को, कैसे करेंगे? कोई आज हो, कल हो। कोई ऐसी युक्ति निकालिये कि जिस तरह से ग्राम पंचायतों का एक फिक्स पीरियड है, एक साथ चुनाव आप कैसे करा सकते हैं? यह आप अपने अधिकारियों से पूछिये, कानून जानने वाले विधिवेत्ताओं से पूछिये इधर के लोग हैं इनसे भी सलाह करिये कि एक साथ कैसे चुनाव कराये जा सकते हैं। किसी का तो टर्म खतम हो गया और किसी का नहीं हो रहा है तो एक साथ सबको कैसे कर सकते हैं आप? यह होना चाहिये। एक टर्म आप पांच साल का कर रहे हैं एक साथ सब के पांच साल के चुनाव कराओ, फिर पांच साल बाद कराओ। आप कह रहे हैं छह महीने से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहने देंगे। आप कानून विधिवेत्ताओं....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फिर करायेंगे चुनाव. ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : वह सरकार की मर्जी है क्या करेगी वह। हमारे सब अधिकार सरकार में....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको नहीं बनाएंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं तो बन-बनकर वापस आ गया। बन-बनकर आ गया। एक पाइंट है वह सबको स्ट्राइक कर रहा है कि एक साथ चुनाव कराये तो एक साथ कैसे करें। कइयों में बाकी है, उस चुनाव को कैसे विधि विधान के अन्दर बिठाकर सब सहकारी समितियों के साथ चुनाव कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया बोलने का। सदन का भी बहुत आभारी हूं कि मेरी बात को सुना। धन्यवाद।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी आन्दोलन प्रारम्भ होने के बाद में गांवों के अन्दर कुछ नये परिवर्तन हुए हैं। किसान, जो बनिये के चगुंल में था उससे वह दूर हुआ और उसमें एक नई जागृति आयी। सहकारी आन्दोलन के जो सिद्धांत हैं, वह अच्छे सिद्धांत हैं। उसी के अनुरूप यदि हमारा यह आन्दोलन चले तो कहीं भी असफलता नहीं मिलेगी।

विशेष तौर से आज हमारी सबसे छोटी जो सोसाइटी है ग्राम सेवा सहकारी समिति, वह किसानों के लिये काम आ रही है। उसका जो व्यवस्थापक है, आये दिन जब कभी लोन वितरण का समय आता है, खाद-बीज वितरण का समय आता है, वह हड़ताल कर देते हैं। उनकी मांग है कि उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाये और उनका वेतन फिक्स किया जाये। नहीं तो कई सोसाइटियां है वह रुचि लेते नहीं हैं और जब तक हम उनको राज्य कर्मचारी नहीं बनाएंगे तो वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त रहेगा। आप कितनी मेहनत कर लें। आप प्रधानमंत्रीजी को तामील करवाना चाहते हैं और वह मुख्य मंत्रीजी के पास सम्मन भेजते हैं। सम्मन फिर डी.जी. को भेजा जाता है, डी.जी.एस.पी. को देते हैं और एस.पी. थानेदार और थानेदार कांस्टेबल को। अगर कांस्टेबल घर जाकर यह लिख देता है कि घर पर आदमी नहीं मिला बाहर गया हुआ है। कितना खर्चा हो गया? आप कई योजनाएं बनाएंगे ऊपर से, आपके रजिस्ट्रार महोदय बनाएंगे, आपके सहकारी मंत्री इस आन्दोलन के लिये कई प्रशिक्षण देंगे, कई रजिस्ट्रार आपके यहां बुलाएंगे, लेकिन जो व्यवस्थापक है, जो इस सोसाइटी को देखता है और यह सोसाइटी, जो हमारी शीर्ष बैंको की सदस्य बनती है, हमारे सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक हैं, जो उनको ऋण प्रदान करती है, उस ऋण का यदि मिस-यूज होता है और किसानों को मिलता नहीं है। जिस ऐम के लिये, जिस लक्ष्य के लिये किसान पैसे का उपयोग करना चाहता है। आपने तो वीकर सैक्शन के लिये प्रावधान बनाया कि इतना प्रतिशत वीकर सैक्शन के लिये रिजर्व रहेगा। लेकिन इसकी मोनिटरिंग कौन करेगा? क्या वाकई में जो वीकर सैक्शन है, उनको यह मिल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं, अब काम तो होता है कुछ और वह कहे कि ब्याह-शादी में काम लेंगे। अब वह दूसरी तरह से लिखता है तो यह सारी मिलीभगत किससे होती है, यह उस व्यवस्थापक से होती है। आज भेड़ें लेनी हैं मान लो, लोन अनाप-शनाप सब्सिडी दे रहे हो और वहां भेड़ें फर्जी बता रहे हैं तो यह कौन कर रहा है, व्यवस्थापक है और उस व्यवस्थापक के खिलाफ हम जब तक वह कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आता है तब तक उसके खिलाफ जो माकूल एक्शन होना चाहिये, वह एक्शन नहीं

(श्री अमराराम चौधरी)

होता। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि उसको आप एक सरकारी कर्मचारी बनाये, स्थायी बनाये और उसकी तनखाह फिक्स करें। उसके बाद में जो सोसाइटीज हैं उनमें हर साल कन्वर्जन का जो काम है, हमारी बैंक हैं, वह आंकड़े लगा देती हैं। रजिस्ट्रार साहब जाकर देखते हैं, बहुत वसूली हो गयी। कन्वर्जन का लोन हमने इधर दिया, दूसरे हाथ से वापस लेकर चले गये। खाली कागजों के अन्दर यह होता है। यह मैंने कई बार देखा है। तो यह जब तक होगा तब तक जिस ऐम, लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह प्राप्त नहीं कर सकते। इसके पीछे हमारे जो को-आपरेशन की भावना है, हमारे सदस्यों की जागरुकता जब तक नहीं रहेगी, तब तक यह सफल नहीं हो सकता।

आज बहुत-से ऐसे बैंक हैं, भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष यहां बैठे हैं। इनके समय में पूरे राजस्थान में इनका बैंक प्रथम आया। मुझे कुछ दिन काम करने का अवसर मिला। मेरा बैंक भी पूरे राजस्थान के अन्दर प्रथम आया यह कारण क्या है? और तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने केरल से भी अच्छा हमारे बाड़मेर जिले का जो बैंक हैं, उसको बताया और वह बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। बहुत सी जगह बैंक हैं जहां पर आज बड़े-बड़े लोग हैं उनको लोन देने के बाद में वह लोन वापस जमा नहीं कराते हैं। पैसा ले लेते हैं और उसका भार सोसाइटी पर और उन सदस्यों पर है, वह सोसाइटी डिफाल्टर होती है, रिकवरी नहीं होती है। इससे उन लोगों को लोन नहीं मिलता जिन लोगों की आवश्यकता होती है फसल बोने के समय, बीज-खाद लेने के लिये, लेकिन ऐसे लोग पैसा लेने के बाद में जमा नहीं कराते। उसके लिये खास तौर पर एक्शन होना चाहिये। यह एक्शन हम राजनीतिज्ञ तो कर नहीं सकते। यह कर सकते हैं सरकारी कर्मचारी। तो रजिस्ट्रार को जो शक्तियां दी हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं क्योंकि बिना अकुंश, यह खाली आप उनके भरोसे छोड़ेंगे तो यह कोई हो ही नहीं सकता कुछ भी।

शुरू-शुरू में जो हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां थीं, और भी हमारे जो सोसाइटियां थी वह बहुत ही ईमानदार थीं। आज हमारे व्यस्थापकों को आप देखिये, उनके मकान देखिये वो क्या हैं। यह पैसा कहां से आया है? यह पैसा है, उन गरीब किसान, उन सदस्यों का है। इसके लिए आपको निगरानी रखनी पड़ेगी, माननीय सहकारिता मंत्रीजी। इसी प्रकार से आपने सहकार आपके द्वार अभियान चलाया, सब कुछ अभियान चलाया, अच्छा काम किया लेकिन यह जो गबन हो रहा है, जिन लोगों को फायदा मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिल रहा है। इसके लिए आप जरा विशेष तौर पर टीम बना करके और सोसाइटी क्यों डिफाल्टर हो रही है, देखे। और वोटिंग लिस्ट के बारे में मेरा निवेदन है कि वोटिंग लिस्ट में आप

(श्री अमराराम चौधरी)

उन डिफाल्टर का नाम ही एड मत कीजिये। डिफाल्टर खड़ा तो नहीं हो सकता यह बात तो सही है लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, जो पैसे लेता है और पैसा देता नहीं है वह वोट देने का अधिकारी नहीं होना चाहिए जब ही पैसा अपने आप आयेगा। जो कोई भी खड़ा होगा, क्यों भाई पैसा जमा करा दे, मेरे को वोट मिलेगा नहीं तो वोटर लिस्ट में तेरा नाम नहीं आयेगा। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंहजी। वैसे तो बहुत बोल लिये।

श्री हीरासिंह चौहान : कम बोलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह तीसरा वाचन है, बहुत संक्षिप्त में कुछ निवेदन सहकारिता मंत्रीजी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

सदन का प्रत्येक सम्माननीय सदस्य यह जानता होगा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां एक आन्दोलन के रूप में हमारे राज्य में आयी थीं। उनकी जो वर्तमान स्थिति है वह बहुत कमजोर हो गयी है और साथ ही साथ आपने बहुत सारी सोसाइटियों को अकुमुलेट करके इनकी संख्या जहां पर कम की है। मंत्री महोदय, यह एक्ट तो पास हो ही रहा है लेकिन जैसा सम्माननीय रामनारायणजी चौधरी साहब ने कहा कि आप एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था करायेंगे तो मेरा आपसे एक निवेदन और है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर, अगर इस अभियान को तेज ही करना है और वापस इसमें नव-जीवन देने का काम करना है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, या आप आबादी तय कर दीजिये, कोई न कोई क्राइटेरिया यू हेव टु डिसाइड। और उसके बाद में इसका चुनाव एक साथ करने की व्यवस्था कीजिये।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार पंचायत राज में ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों के सरपंच पंचायत समिति में बैठते हैं। इस प्रकार का आपका कोई प्रारूप बना हुआ नहीं है। सोसाइटियों के चुनाव होने के बाद मार्केटिंग तक सात-आठ मैम्बर आ जाते हैं और मैम्बर हैं, क्या काम कर रहा है, किस प्रकार की इस सहकारिता के अभियान को आगे बढ़ाना चाहता है, लोन वितरण करने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार सस्ते अनाज की जो भी व्यवस्था होती है, कपड़ा, घासलेट वगैरह, इसका सही ढंग से मूल्यांकन करके जानकारी उनको मिलती रहे। तो मेरा निवेदन है कि मार्केटिंग के स्तर पर आपके ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्ष हैं, उनका भी किसी न किसी प्रशिक्षण में शामिल होगा It is a one part of the training. तो इसको ट्रेनिंग के रूप में न करके लगातार उनको बैठकों की व्यवस्था आप कीजिये ताकि यह संस्थाएं जीवित रूप में रह सकें और मार्केटिंग के जो भी अध्यक्ष वगैरह बनते हैं, हालांकि आपके सेंट्रल

(श्री हीरासिंह चौहान)

कोआपरेटिव बैंक के चुनाव अलग-अलग खण्डों में होकर के चुने जाते हैं फिर भी इस प्रकार की अगर व्यवस्था करेंगे आप तो इसमें नव-जीवन प्रदान कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं। बिल तो पास हो रहा है लेकिन एक बात जो किसी न अमेंडमेंट भी मूव नहीं किया, आपने अभी तक भी सोसाइटी पर पैनल प्रोविजन लागू करने की व्यवस्था नहीं की। यह जो अलग-अलग धाराएं बनायी हैं, धारा 109 में जो आपने ओफेंसेज कौन-कौनसे एक्ट के होंगे और क्लाज (2) में पनिश्मेंट दिया हैं और उसके बाद में आपने किसी भी प्रकार के सोसाइटी के आफेंस के लिए परमिशन की किसी न किसी स्तर पर व्यवस्था करके आगे व्यवस्था की है जिससे यहां यह होगा यह कि बिना इसके परमिशन से "No prosecution under this Act shall be initiated, except with the previous sanction of the Government in the case of an offence under clause (c) of sub-section (1) of section 109 and of the Registrar, cooperative Societies Rajasthan...." तो इस प्रकार क्या है कि जो क्रिमिनल केसेज बनते हैं, ब्रीच आफ ट्रस्ट है, मोस्टली इसमें यही बनते हैं। उसमें डाइरेक्ट कोग्निजेंस लेने, पहले आप हियर करते हैं, सुनने की, यह पहले भी और इसीलिए यह सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इसमें डाइरेक्ट कोग्निजेंस लेने आपको व्यवस्था करनी चाहिए। आपका परमिशन देना, यह जितना भी भ्रष्टाचार इन सोसाइटियों में फैला है इसका एक मात्र कारण है कि पैनल प्रोविजन यहां पर सीधा कोग्निजेंस लेने से आपने इस एक्ट से पहले वाले एक्ट से भी रोक रखा था और अभी भी आपने रोक रखा है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती है न इसकी कोई परमिशन मिलती।

उपाध्यक्ष महोदय, इन दो तीन बातों का मैंने निवेदन किया। यह जो प्रोविजन तो रह गये, आज मेरे कहने से हटेंगे नहीं लेकिन कुल मिलाकर हर ग्राम पंचायत स्तर पर सोसाइटी बनाये और चुनाव एक साथ पूरे राजस्थान में हो और ग्राम पंचायतों का स्वरूप लेकर जिला परिषद् जो बना हुआ है इस प्रकार का कोई नियमों में संस्थागत ढांचा तैयार कीजिये जिससे इस सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहन मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। आप बहुत बोल लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं तो, साहब, आपको शेर, गजल सुनाता।

श्री उपाध्यक्ष : कल और बाकी है अभी तो।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी सम्माननीय मैम्बर्स का बहुत आभारी हूं। पक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ से बहुत ही प्रगतिशील सुझाव मुझे मिले और दो दिन की इस डिबेट में आम तौर पर काफी महानुभावों ने भाग लिया, अच्छे-अच्छे सुझाव दिये। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत-बहुत आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कानून पास होने जा रहा है। आज राजस्थान के लाखों लोग इस तरफ देख रहे हैं कि यह कानून पास हो जाय उसके बाद में चुनाव की कुछ व्यवस्था हो जिससे सारी सहकारी समितियां नयी हो जाएं, उनके अन्दर नये मैम्बर्स आ जाएं। बड़े लम्बे समय के बाद लोगों की यह भावना पूरी होगी।

श्रीमान्, आप जानते हैं कि पिछले दस साल से चुनाव के बारे में कई बार घोषणाएं हुई लेकिन चुनाव नहीं हो सके। आगे से आगे बात बढ़ती गयी और यह तय हुआ कि ज्यों ही नया कानून पास हो जाय उसके बाद यह व्यवस्था की जाए। मैं सबसे पहले आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की यह प्रबल इच्छा है कि चुनाव जल्दी से जल्दी हों।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चुनाव आयोग कब तक बना दोगे आप?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप चुनाव आयोग कब तक बना दोगे?

श्री उपाध्यक्ष : आप तसल्ली से सुनो न।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप कोई बोलते हैं, मैंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया इसलिये कृपापूर्वक आप मेरी बात सुन लीजिये और इसके बाद आपको कोई भ्रांति होगी तो मैं उसका निराकरण करूंगा। यह मेरा दायित्व और फर्ज है।

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि चुनाव के बारे में एक महीना तो अगर आज आप पास करते हैं तो उसके बाद इस बात का लग जायेगा कि प्रेसिडेंट की अस्सेंट चाहियेगी और उसके बाद में मैं यह सोचता हूं कि मार्च के अन्दर निश्चित तौर पर हम चुनाव करा सकेंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मार्च में विधान सभा आ जायेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : विधान सभा आ जायेगी, आपने यह सही कहा है लेकिन विधान सभा में आम तौर पर अपने यहां पिछले दो-तीन वर्षों से प्रेक्टिस यह रही है कि वोट आन अकांउट ले लेते हैं और फिर बाद में मिल लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं ऐसा हो सकता हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह भविष्यवाणी आप द्वारा की जा रही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, वोट आन अकाउंट हो सकता है बशर्ते कि चुनाव अगर मार्च में किये जाएं। चुनाव की मांग होगी तो निश्चित तौर पर जनता जो चाहेगी वह सरकार करेगी।

प्रजातांत्रिक सरकार है। वोट के लिहाज से हम जीतकर आये हैं और आप थोड़े पीछे रह गये लेकिन आधार यही है। जनता अगर चाहती है कि मार्च में चुनाव कराये जाएं तो सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि मार्च में चुनाव हों इसलिए उस दृष्टि से मैं आपसे कह रहा था और यह कि बहुत लम्बा समय गुजर गया, चुनाव नहीं हो सके। आज हरेक के दिल और दिमाग में एक ही बात है कि को-आपरेटिव का कानून पास हो जाए और चुनाव हो जाएं तो नयी संस्थाएं जाग्रत हो जाएं और काम शुरू करें तथा पूरे राजस्थान के अन्दर एक नयी व्यवस्था हो पंचायत राज के चुनाव हुए। नये लोग आये। थोड़ी सी जाग्रति आयी। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि सहकारिता के भी चुनाव हो जाएं और चुनाव होने से निश्चित तौर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति से लगाकर को-आपरेटिव बैंक्स और अपैक्स बैंक तक में नये आदमी आयेंगे। उनके अन्दर नये डायरेक्टर्स बनेंगे और उनके नये चेयरमैन बनेंगे। एक नयी जाग्रति आयेगी। उनकी सोच और समझ किस प्रकार से राजस्थान के अन्दर किसान का उत्थान हो सकता है किस प्रकार से लोनिंग दिया जाएं, कैसे वसूली की जाए। जो अभी हम दे रहे हैं वह सिस्टम ठीक है या उस सिस्टम के अन्दर किस तरह हम प्रगति करें कि जिससे और बेहतर तरीका होगा जिससे लोगों को ज्यादा लाभ भी मिल सके, उनका विश्वास हासिल हो सके और डे बाई डे को-आपरेटिव आगे तरक्की कर सके। इसी उद्देश्य से चुनाव कराने की हमारे अन्दर एक लगन है और हम चाहते हैं कि ये चुनाव हों

मान्यवर, दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि इस कानून के बनने के बाद निश्चित तौर पर यह आप मान लीजिए कि यह एक मण्डल एक्ट होगा इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने इसमें बड़ा परिश्रम किया है जैसा कि मेरे मित्र मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, जो कि प्रवर समिति के मैम्बर भी थे उन्होंने फरमाया बहुत कोशिश के साथ पहली बैठक हुई, दस-बारह मीटिंग्स हुई जिसके चेयरमैन हमारे स्टेट मिनिस्टिर थे, बाद में हमने प्रवर समिति बनायी जिसके अन्दर अच्छे-अच्छे लैजिस्लेटर्स को लिया

(श्री खेतसिंह राठौड़)

और उन्होंने इस पर बहुत सोच-विचार कर यह सब तैयार किया और उसके बाद भी हाउस के अन्दर, सही कहा मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ अमेंडमेंट्स आप लाये। अमेंडमेंट एक दो ही आया करते हैं लेकिन आप तो 15 16 अमेंडमेंट्स ले आये। यह वास्तव में ऐसी रही बात जिससे मुझे लाने पड़े और कुछ इसके लिए प्रगतिशील भी हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि कई बातें तो अपन ने सोची थी या उस वक्त वहां डिस्कस की थीं उसमें भी कुछ बातें ऐसी रह गयी थी उसके ऊपर अगर नये सुझाव आये हैं और उससे और अगर प्रगति हो और उससे विकास हो....(व्यवधान) यह अमेंडमेंट आये हैं। आपने माना है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डिबेट चालू हुई उसके पहले अमेंडमेंट आ गये। मंत्रीजी, सुझाव कहां से आ गये है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह सुझाव तो आपके ही दिमाग से आये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह सुझाव हाइकमान से आये या कहां से आये?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अमेंडमेंट पहले आये या बाद में आये यह एक छोटा विषय है। अमेंडमेंट आये थे। आपने एक एक अमेंडमेंट को देखा है, आपने अमेंडमेंट्स के ऊपर चर्चा भी की है। आपने उनको मंजूर किया है अभी वे अमेंडमेंट्स पास हुए हैं इसलिए उन बातों पर अब ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपको इस मौके पर यही निवेदन करूंगा....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने मेहनत तो बहुत की है। एक साल पहले आपके काले बाल थे अब सफेद हो गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने एक नये एक्ट के अन्दर ऐसे प्रावधान कर दिए हैं कि हर पांच साल में चुनाव होंगे। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जैसे पंचायतों के अन्दर यह हो गया कि हर पांच साल में चुनाव होंगे ही होंगे उसी प्रकार से अब को-आपरेटिव के अन्दर भी हो जाएगा कि हर पांच साल से चुनाव होंगे। प्रजातंत्र के अन्दर सबसे बड़ी चीज यह है कि चुनाव होने चाहिए। चुनाव नहीं होते हैं तो उससे अपने आप गन्दगी पैदा हो जाती है। आपमे से कई माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां इतने गबन हो रहे हैं, वहां इतनी गड़बड़ हो रही है इसका कारण यही है कि दस वर्षों तक चुनाव नहीं हुए, आडिटिंग पूरे नहीं हुए, उनकी

(श्री खेतसिंह राठौड़)

जांच ठीक तरीके से नहीं हो सकी और इस वजह से लापरवाही और विभाग की तरफ से भी इतने प्रयत्नशील रहे और इलेक्टेड मैम्बर्स नहीं होने की वजह से ये सारी गडबड़ हुई। अब मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव होने के बाद प्रशासक भी बहुत कम रहेंगे। हम तो प्रशासक शब्द ही हटा रहे थे। सिर्फ अब प्रशासक रहा है कि उस हालत में रहा है कि चुनाव होने के बाद में संस्थाएं अपना काम करेंगे, उनको पूरा वर्चस्व और पूरी स्वायत्तता दी है वे अपने काम अधिकार में जो है वह करें। लेकिन अगर किसी सोसाइटी में कोई गबन हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, कोई टूट हो जाए और कोई आपस में दो दल हो जाएं, इस हालत में छह महीनों के लिए प्रशासक लगेगा महज, और छह महीने के अन्दर हम चुनाव करवा देंगे। हम तो तीन महीने ही ले रहे थे। आपने ही कहा कि नहीं यह क्या अमेंडमेंट लाये हैं इस अमेडमेंट को हम पास नहीं करना चाहते। (व्यवधान) आप लोगों ने ही तीन के छह करवाये हैं बाकी तीन ही रहते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं-नहीं, हमने नहीं, करवाये हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसके अलावा मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था मान्यवर, जहां तक उन्मुक्तता का प्रश्न है, हमने काफी उन्मुक्तता दी है और कुछ हमारा ऐसा अनुभव रहा है कि जहां जिनको ज्यादा उन्मुक्तता दी गयी है वहां पर गड़बड़ें भी हुई हैं तो उनके लिए हमारा एक तो यह है कि आडिट होना चाहिए। आडिट के लिए हम पैनल देंगे। उस पैनल में से आप बता दीजिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहते हैं या आडिटर चाहते हैं जिसको आप चहेंगे उसको नियुक्त करने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा। अब आप कहेंगे कि यह क्यों? अगर यह नहीं रखें और यही रखें कि आप का बैंक है, आपका चाहा हुआ आडिटर है उस आडिटर से आप जांच करवायें। अगर आप उस आदमी से जांच करवायें तो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत तो वह आपको फेवर करेगा ही क्योंकि आपके द्वारा ही अपाइंट किया हुआ है। आपकी ही फीस लेकर वह आडिट करेगा। इसलिए यह जरूरी हमने समझा कि पैनल आपके सामने हम रखेंगे। उस पैनल में से आप कह सकते हैं कि हम तो आडिटर रखेंगे या चार्टर्ड एकाउंटेंट रखेंगे। फिर उसमें से भेजने का अधिकार रजिस्ट्रार का होगा। वह भेज देगा और वह सारी आडिट कर लेगा और आपके वहां पर अच्छे कार्य हैं तो अच्छा लिखेगा। उसमें कोई वहम की बात नहीं है। इसीलिए

(श्री खेत सिंह राठौड़)

हमने यह प्रोविजन किया। अब आप इसके लिए कहते है कि आपने रजिस्ट्रार को ज्यादा पावर क्यों दिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसकी फीस सोसाइटी देगी। आप भारी फीस वालों को अपाइंट करोगे। पैनल आप क्यों देंगे? सोसाइटी खर्चा वहन करेगी और पैनल आप देंगे और पैनल में जो भारी भरकम फीस लेने वाले हैं उनको आप नियुक्त करेंगे?

श्री परसादी लाल : सोसाइटी कहेगी उसी को अपाइंट करेंगे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सोसाइटी देगी। आप तो सिर्फ रिक्वायरमेंट ले डाउन कर दो, क्वालिफिकेशन ले डाउन कर दो। सोसाइटी जिसको मर्जी हो वह जो क्वालिफिकेशन फुलफिल करता होगा उसको आडिटर अपाइंट कर देगी। आप पैनल क्यों देंगे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : पैनल में से, पैनल हम बनायेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्यों पैनल देंगे आप? यह स्वायतत्ता के ऊपर अतिक्रमण है यह नहीं। आप पैनल क्यों देंगे? आप क्वालिफिकेशन ले डाउन कर दो कि इन इन क्वालिफिकेशन के आदमियों के आडिट करायी जाए। अब इन क्वालिफिकेशंस को कोई फुलफिल करता होगा....

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब देखिए, इसमें ज्यादा बहस में पड़ने का कोई प्रश्न नहीं है। सारे क्लाजेज पास हो गये हैं अब तो पारित होने पर आ गया है। अभी अपन इसमें कोई चेंज भी चाहे तो कर नहीं पायेंगे। इसलिए मैं आपसे यहीं निवेदन करना चाहूंगा कि हमसे जितना हो सका है उतनी हमने स्वायत्तता देने की कोशिश की है उसके बाद कई दफा कई कानूनों के अन्दर समय-समय पर भी इसमें अमेंडमेंट होते हैं। अगर भारत के संविधान में अमेंडमेंट आ सकते हैं तो यह तो को-आपरेटिव का एक्ट है इसमें क्या बात है। जब वहां के लोग काम करने वाले महसूस करेंगे कि नहीं, इसमें यह कमी रह गयी है या इसमें और यह एड होना चाहिए था या इसमें यह क्लाज हटा देना चाहिए तो हट जाएगा इसमें ऐसी क्या बात है कि जिसके लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं।

अन्त में मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके इस कानून को पारित कीजिए जिससे कि आने वाले महीनों के अन्दर को-आपरेटिव के चुनाव हो सके, नये लोग आये और इन संस्थाओं के अन्दर काम कर राजस्थान की बहबूदी बढ़ाये किसानों को लाभ दें और उससे किसान कि समृद्धि बढ़े और

(श्री खेतसिंह राठौड़)

राजस्थान के अन्दर आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चुनाव आयोग का गठन कब तक कर देंगे आप? (व्यवधान) मंत्रीजी, इतना सा बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2001 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2001 संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.51 बजे शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2001 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उत्तर)

कृषि कार्य हेतु अस्थाई कनेक्शन

177. श्री मदन लाल वर्मा (डग) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विद्युत नियामक आयोग का कृषि कार्य हेतु किसानों को सिंचाई के लिए अस्थाई कनेक्शन जारी करने का विचार है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि अस्थाई कनेक्शन जारी करने से राजस्व की हानि होगी ?

उत्तर

(1) विद्युत नियामक आयोग एक स्वतंत्र इकाई है जो इसके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर निष्पक्ष सुनवाई कर निर्णय लेने में सक्षम है। परन्तु कनेक्शन जारी करने की नीति विद्युत वितरण निगमों के अधिकार क्षेत्र का कार्य है। वर्तमान में कृषि कार्यों के लिए अस्थाई कनेक्शन देने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अस्थाई विद्युत कनेक्शन केवल उन परिस्थितियों में ही दिया जाता है जहां कनेक्शन कुछ समय के लिए या निर्माण कार्य के लिए ही चाहिए और उसके बाद उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाए। चूंकि कृषि कनेक्शन की आवश्यकता कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। अतः यदि किसानों को अस्थाई कनेक्शन दिये जाए तो उसके लिए बिछाए गए विद्युत तंत्र (33 एवं 11 के.वी. लाइन, सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर आदि) पर वितरण निगम का निवेश निष्फल हो जाएगा तथा इससे विद्युत तंत्र को भी नुकसान पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त अस्थाई विद्युत कनेक्शन देने से लम्बे समय से प्रतीक्षा करने वाले किसानों में भी असंतोष व्याप्त होगा। इस प्रकार की व्यवस्था में दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है।

(2) जी, हां। यदि कृषि कार्य के लिए अस्थाई कनेक्शन दिया जाए तो विद्युत वितरण निगम को राजस्व हानि होगी।

कृषि उपज मण्डी, श्रीडूंगरगढ़ (चूरू) के गोदामों की बकाया राशि

178. श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रीडूंगरगढ़ जिला चूरू में कृषि उपज मण्डी द्वारा कौन-कौन से गोदाम किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं को भण्डारण हेतु कब-कब से कितने-कितने किराये पर दे रखे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किस-किस गोदाम का किराया किस-किस संस्था/व्यक्ति पर कितने-कितने

(श्री मंगलाराम गोदारा)

समय से बकाया है? संस्था/व्यक्तियों की बकाया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त गोदाम की बकाया राशि वसूली हेतु किस-किस स्तर पर प्रस्ताव किन-किन कारणों से विचाराधीन है? गोदामवार बकाया की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त बकाया किराया वसूली के लिए सरकार प्रयासरत है? यदि हां, तो कब तक बकायादारों से किराया वसूल कर लेगी?

उत्तर

(1) श्रीडूंगरगढ़ कृषि उपज मण्डी में एक ग्रामीण गोदाम 500 मैट्रिक टन का है। उस गोदाम को मै. सत्यनारायण रामचन्द्र श्रीडूंगरगढ़ को दिनांक 18.12.1997 से दिया हुआ है। फर्म से 1500/- रुपये प्रतिमाह जमा किया जा रहा है। परन्तु फर्म द्वारा गोदाम की पूर्ण क्षमता का उपयोग किये जाने के कारण मण्डी समिति ने फर्म से 6750/- रुपये प्रतिमाह किराये की वांछना की है।

(2) फर्म द्वारा नियमित रूप से 1500/- रुपये जमा कराये जा रहे हैं। मण्डी समिति की वांछना अनुरूप शेष राशि बकाया है।

(3) मण्डी स्तर पर कार्यवाही प्रक्रिया/जांच अधीन है।

(4) जी, हां जांच उपरान्त निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जाएगी।

नगर निगम, जयपुर द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट निष्पादन हेतु जारी निविदाओं में अनियमितता

179. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर, नगर निगम द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट निष्पादन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं? यदि हां, तो कितने फर्म ने निविदा में भाग लिया व किस फर्म की निविदाएं किस स्तर पर स्वीकृत की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि निविदादाताओं की पात्रता के पूर्व में तय किये मानदण्डों में निविदा प्राप्ति के पश्चात् कोई परिवर्तन किया गया? यदि हां, तो क्यों व किसके आदेश से? क्या निविदाएं प्राप्त होने पर नेगोसिएशन की कार्यवाही की गई? यदि हां, तो किन नियमानुसार?

(3) क्या स्वीकृत निविदादाता को निगम द्वारा निविदाएं आमंत्रित किये जाने के पश्चात् सुविधाएं उपलब्ध करवाने में बढ़ोत्तरी की गई? यदि हां, तो किसके आदेश से?

(श्री धर्मपाल चौधरी)

(4) क्या यह सही है कि निगम द्वारा निविदादाता को विभिन्न चिकित्सीय व अन्य संस्थानों से प्रति बैड शुल्क वसूलने को अधिकृत किया है? यदि हां, तो किसकी स्वीकृति से? प्रतिवर्ष संस्थाओं से वसूल की जाने वाली सम्भावित राशि क्या होने का अनुमान है?

(5) क्या यह भी सही है कि स्वीकृत निविदादाता से अन्य निविदादाता का प्रति बैड शुल्क कम था तथा अन्य सुविधा भी कम चाही गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। 9 फर्मों ने भाग लिया। मै. इंस्ट्रोमेडिक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली की निविदा निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तर पर स्वीकृत हुई।

(2) जी, हां। योजना को शीघ्र क्रियान्वयन हेतु परिवर्तन किया गया। संशोधन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर पर किया गया। निगोसिएेशन की कार्यवाही निविदाओं की शर्तों के तहत अधिकतम अंक प्राप्तकर्ता से की गई।

(3) जी, हां।

(4) नगर निगम, जयपुर के स्तर पर निविदा शर्तों के अनुसार ही की गई तथा आकलित क्षमता के आधार पर अनुमानतः 70 लाख रुपया प्रति वर्ष संस्थाओं से राशि वसूल होने का अनुमान है। निगोसिएेशन के बाद स्वीकृत निविदादाता का बैड शुल्क कम होने के कारण आशय पत्र जारी किया गया।

(5) नेगोसिएेशन के बाद स्वीकृत निविदादाता का बैड शुल्क कम होने के कारण आशय पत्र जारी किया गया। यह शुल्क मेडिकल विभाग के अधिकारी एवं राज्य के मेडिकल फैक्ट्रीशनरों निजी अस्पताल एवं नर्सिंग एसोशिऐशन के पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी एवं सहमति से तय किया गया। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों का दोहन

180. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धि के संबंध में राज्य सरकार के पास क्या-क्या जानकारियां उपलब्ध हैं?

(2) क्या सरकार को जानकारी मिलने के बाद उनके अन्वेषण व दोहन के लिए कोई कदम उठाये हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी जानकारी कब-कब मिली तथा उनके अन्वेषण व दोहन के लिये कब-कब क्या-क्या कदम उठाये?

(3) उक्त कार्य में भारत सरकार व राज्य सरकार की क्या-क्या भूमिका है तथा दोनों सरकारों ने अपनी-अपनी भूमिका

(श्री हरजीराम बुरड़क)

किस-किस सीमा पर निभाई तथा भविष्य में दोनों सरकारों की क्या-क्या योजनाएं हैं जो किस प्रकार से कब तक पूरी होंगी?

(4) अब तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कौन-कौनसा पेट्रोलियम पदार्थ कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस स्थान पर उपलब्ध है? विवरण मय नक्शों के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भू भौतिकीय व भू वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर राज्य में चार बेसिन (basins) (1) जैसलमेर बेसिन, (2) बाड़मेर-सांचौर बेसिन (जिला बाड़मेर व जालौर), (3) बीकानेर-नागौर बेसिन (बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू जिले) व (4) विध्यन बेसिन (धौलपुर, करौली, बारां, बून्दी व सवाईमाधोपुर जिले) में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस की सम्भावनाएं पाई गई हैं। राज्य में अब तक किये गये अन्वेषण कार्यों के आधार पर जिला जैसलमेर में 1179 मिलियन घन मीटर गैस के एवं 14.60 मिलियन टन भारी तेल के भण्डार पाये गये। इनके अतिरिक्त बाड़मेर जिले के गुढ़ा व कोसलू क्षेत्र में एवं श्रीगंगानगर जिले में नानूवाला के पास उच्च कोटि के खनिज तेल का भी पता चला है।

(2) जी, हां। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस व खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं। फलस्वरूप कब-कब व जिन-जिन स्थानों पर जितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम के भण्डार हैं उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "1" व "2" में दिया गया है। राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों के अन्वेषण का कार्य वर्ष 1962 से ही लगातार चल रहा है। प्राकृतिक गैस का दोहन वर्ष 1994 में प्रारम्भ किया गया है।

(3) पेट्रोलियम अन्वेषण व दोहन में भारत सरकार की भूमिका मुख्य है। वही इसके लिए कानून बनाती है, अन्वेषण एजेन्सी या खनन एजेन्सी का चयन व अनुमोदन करती है तथा लाइसेन्स व लीज की शर्तें निर्धारित करती है। राज्य सरकार लाइसेन्स/लीज भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर स्वीकृत करती है तथा निर्धारित लाइसेन्स फीस, वार्षिक डेडरेन्ट व रायल्टी प्राप्त करने की अधिकारी है। जहां तक भूमिका निभाने की बात है, भारत सरकार व केन्द्र सरकार दोनों ने ही नियमों के अन्तर्गत अपनी-अपनी भूमिका निभाई है, तथापि यह अवश्य है कि राजस्थान में पेट्रोलियम की उपलब्धता की काफी सभावनाएं हैं, परन्तु अन्वेषण कार्य की गति धीमी रही है व केन्द्र सरकार ने उस कार्य में गति देने के लिए 1990 के पश्चात उदारीकरण नीति के अन्तर्गत राज्य में पेट्रोलियम अन्वेषण हेतु 12 ब्लाक्स चिन्हित किये हैं, परन्तु अभी तक तीन ब्लाक्स ही संयुक्त क्षेत्र में अन्वेषण हेतु आबंटित किये गये हैं। भारत सरकार ने

(राज्य मंत्री, खनिज)

1998 में नई पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी भी घोषित की है जिसके अन्तर्गत चिन्हित 12 ब्लाक्स में से एक और ब्लाक भारत सरकार द्वारा हाल ही में आबंटित किया गया है।

(4) अब तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पेट्रोलियम पदार्थ (तेल एवं गैस) के पाये जाने के स्थान एवं मात्रा के संबंध में विवरण परिशिष्ट "1" व "2" पर उपलब्ध है। जिन स्थानों पर पेट्रोलियम अथवा प्राकृतिक गैस पाई गई है वे संलग्न नक्शे में दर्शाये गये हैं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चौमूं (जयपुर) में परिवहन कार्यालय की स्थापना

181. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी जिला परिवहन कार्यालय कार्यरत हैं? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर?

(2) क्या सरकार चौमूं (जयपुर) में जिला परिवहन कार्यालय स्थापित/चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि चौमूं तहसील के वाहनों की पंजीयन संख्या राज्य के अन्य कस्बों से काफी अधिक है? यदि हां, तो कितनी? उक्त तहसील के वाहनों के पंजीयन की संख्या विवरण श्रेणीवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त निम्न स्थानों पर जिला परिवहन कार्यालय है :

1. जिला परिवहन कार्यालय, कोटपूतली।
2. जिला परिवहन कार्यालय, ब्यावर।
3. जिला परिवहन कार्यालय, रामगंजमण्डी।
4. जिला परिवहन कार्यालय, प्रतापगढ़।
5. जिला परिवहन कार्यालय, शाहजहांपुर।
6. जिला परिवहन कार्यालय, रतनपुर।

(2) जी, नहीं। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) चौमूं तहसील को अलग से वाहनों के पंजीयन क्रमांक जारी नहीं किए गए हैं। इसलिए अलग से श्रेणीवार वाहनों की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में आंगनबाड़ी केन्द्र

182. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा व अवशेष ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये

(श्री मांगीलाल गरासिया)

आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के कितने व कहां-कहां के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विश्व बैंक की हिस्सा राशि के सहयोग से आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण में उदयपुर जिले में स्वीकृति क्यों नहीं दी गई? क्या सरकार अब भी उदयपुर जिले एवं उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। क्योंकि अतिरिक्त नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) विश्व बैंक संपोषित समेकित बाल विकास परियोजना तृतीय के अन्तर्गत उदयपुर जिले में 31 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की स्वीकृति जारी हो चुकी है। इनमें से 26 केन्द्रों के निर्माण हेतु भारत सरकार की हिस्सा राशि 24,375 लाख रुपये जिग्रावि.अभि. को हस्तानान्तरण की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसको इस वर्ष में राज्य सरकार का हिस्सा राशि मिलने पर पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। (विवरण संलग्न है)

परिशिष्ट "ब"

भवन निर्माण हेतु 26 प्रस्तावित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची निम्न प्रकार है

क्र.सं.	नाम आंगनबाड़ी केन्द्र
1	2
1.	कोकावास
2.	मजावड़ा-1
3.	मजावड़ा-2
4.	विछावेड़ा
5.	मन्देसर-1
6.	मन्देसर-2
7.	टूस डागियान
8.	भटेवर-1
9.	भटेवर-2
10.	बाक़ला-1
11.	बाक़ला
12.	पिण्डोलिया
13.	मन्देरिया
14.	अडिन्दा-1
15.	अडिन्दा-2
16.	कच्छेर
17.	माल की टूंस-1
18.	माल की टूंस-2
19.	टांक

1	2
20.	कुंथवास
21.	महाराज की खेडी
22.	टूस डांगियान-2
23.	सगतपुरा
24.	कडेवा
25.	वाणिया तलाई
26.	खरसाण

अजमेर, सिटीजन कांउसिल द्वारा व्यय राशि

183. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अजमेर सिटीजन कांउसिल, अजमेर सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या सरकारी समितियां अधिनियम, 1912 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त संस्था के वर्ष 1997-98 से 2000-2001 तक की अंकेक्षित बैलेन्स शीट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) खण्ड-2 में वर्णित अवधि के लिए संस्था द्वारा खेलकूद, सांस्कृतिक या मनोरंजन, साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं अन्य किस गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु कितनी राशि का व्यय किया गया? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में व्यय की गई राशि संस्था द्वारा किन संसाधनों से जुटाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) जी, नहीं। अजमेर सिटीजन्स कांउसिल, अजमेर का रजिस्ट्रेशन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत हुआ है। राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 में रजिस्ट्रार संस्थाओं को इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने की शक्तियां नहीं है।

(2) राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, संस्थाओं को इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने की शक्तियां नहीं है।

(3) उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के प्रस्तावित आश्रम स्कूल

184. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के आदिवासी बाहुल्य गांव टिमेडा व सागवा में सरकार आश्रम स्कूल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी, नहीं। राज्य सरकार का टिमेडा एवं सागवा में आश्रम स्कूल खोलने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

तहसील नोहर के ग्राम चारणवासी से मलमानी तक अपूर्ण सड़क

185. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण उत्थान योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) में तहसील नोहर के ग्राम चारणवासी से मलवानी होते हुए फेफाना तक 8 किलोमीटर सड़क का प्रस्ताव पास करने पर निविदा लेकर कार्य चालू किया था? क्या उक्त कार्य को बीच में ही रोका गया है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो कार्य बंद क्यों है?

(2) क्या यह भी सही है कि 1000 से ज्यादा आबादी वाली सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों से दूसरी पंचायत तक उक्त योजना में जोड़े जाने का प्रावधान है? क्या उक्त गांव 3500 की आबादी का है? क्या सरकार उक्त अधूरी सड़क को पूरी करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेफाना से चारणवासी सड़क स्वीकृत की गई थी जिस पर कार्य प्रगति पर है। चारणवासी से मलकानी पर कुछ कार्य गलतीवश कर दिया गया था जो बाद में बंद कर दिया गया था। चूंकि मलवानी ग्राम पूर्व में डामर की सड़क से दूसरी ओर से जुड़ा हुआ है।

(2) जी, नहीं। ग्राम मलवानी की 1991 की जनसंख्या 2315 है व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेफाना से चारणवासी सड़क का कार्य प्रगति पर है लेकिन चारणवास से मलकानी पर कार्य नहीं कराया जा रहा है चूंकि इस योजनान्तर्गत अगर कोई गांव एक तरफ से जुड़ा है तो दूसरी तरफ से जोड़ना नीति में नहीं आता है।

पुलिस कन्ट्रोल रूम, सिरोही को प्राप्त शिकायत की जांच

186. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस कन्ट्रोल रूम, सिरोही को दिनांक 19 एवं 20 जनवरी, 2001 को क्या-क्या संदेश प्राप्त हुए? उक्त संदेशों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संदेशों में कोई शिकायत, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी के दुराचरण के संबंध में भी थी? क्या उक्त शिकायत पर तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सिरोही भी मौके पर गए थे? कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पीड़ित पक्षकार अथवा उसके परिजनों द्वारा मुख्य मंत्री कार्यालय को फैक्स के जरिए उक्त अधिकारी के विरुद्ध

(श्री संयम लोढ़ा)

शिकायत प्रेषित की गई? यदि हां, तो उक्त के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या पीड़ित पक्षकार अथवा उसके परिजनों की उक्त शिकायत की प्रति किसी जनप्रतिनिधि द्वारा मुख्य मंत्री को व्यक्तिगत रूप से भी दी गई? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) पुलिस कन्ट्रोल रूम, सिरोही में प्राप्त होने वाले संदेशों के इन्द्राज हेतु एक रजिस्टर खोला हुआ है। दिनांक 19, 20-1-2001 को प्राप्त हुए संदेश भी रजिस्टर में लिखे गये थे, परन्तु इन दिनांकों के पन्ने रजिस्टर से गायब मिले हैं। इस संबंध में जांच की जा रही है।

(2) जी, हां। दिनांक 19, 20-1-2001 की रात्रि को सुश्री आशा त्रिवेदी पुत्री जयन्ती लाल त्रिवेदी पुलिस कन्ट्रोल रूम, सिराही को टेलीफोन से सूचना दी गई कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्री ताराचन्द मीणा, उनके निवास के अहाते की दीवार फांदकर घुस गये हैं। उक्त सूचना पर तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री वीरभान अजवानी श्री जयन्ती लाल त्रिवेदी के मकान पर गये थे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पुलिस थाना, सिरोही के हैड कांसटेबल से जो मौके पर गस्त में आये थे उन्हें निर्देश दिये थे कि श्री जयन्ती लाल से रिपोर्ट लेकर अग्रिम कानूनी कार्यवाही करें। श्री जयन्ती लाल ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं दी जिसके कारण कार्यवाही नहीं हुई।

(3) जी, हां। कार्यवाही की जा रही है।

(4) माननीय मुख्य मंत्रीजी को व्यक्तिशः या डाक द्वारा दिये गये पत्रों का कोई अलग-अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

राष्ट्रीय मरू उद्यान जैसलमेर का सीमा परिवर्तन

187. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर में वन्य जीव संरक्षण हेतु कितने क्षेत्र आरक्षित हैं और उनका क्षेत्रफल कितना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय मरू उद्यान के नाम से सम सब तहसील का क्षेत्र अभ्यारण्य है?

(3) क्या यह भी सही है कि सम क्षेत्र के अभ्यारण्य में इन्दिरा गांधी नहर की गडरा रोड ब्रान्च का कार्य चल रहा है?

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(4) क्या यह सही है कि नहरी क्षेत्र होने से उपनिवेशन विभाग का भू-आबंटन होगा?

(5) क्या नहरी क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए मरू उद्यान की सीमाएं बदलने का प्रस्ताव विचाराधीन है?

(6) क्या यह सही है कि पोकरण तहसील के ओरण क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण हेतु तारबन्दी की हुई है?

(7) क्या यह भी सही है कि पूरे जिले में वन्य जीव मारना निषेध है फिर उक्त तारबन्दी का क्या प्रयोजन है?

(8) क्या सरकार पोकरण की तारबन्दी हटाने तथा सम सब तहसील के अभ्यारण्य की सीमाएं परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में वन्य जीव संरक्षण हेतु एक अभ्यारण्य तथा 5 अन्य क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण हेतु आरक्षित है। इन क्षेत्रों का विवरण संलग्न परिशिष्ट के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। सम उप तहसील का 1962 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र घोषित अभ्यारण्य का हिस्सा है।

(3) वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर की गडरा रोड ब्रांच पर जहां कार्य चल रहा है अभ्यारण्य क्षेत्र नहीं है।

(4) जिला जैसलमेर की सम उप तहसील के उल्लेखित ग्रामों के सी.ए.डी. चक प्लान तैयार होने पर विद्यमान नियम, कानूनों के अनुसार निर्णय लिया जावेगा।

(5) नहरी क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए मरू राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव वर्तमान में वन विभाग के वचाराधीन नहीं है।

(6) जी, हां।

(7) क्षेत्रों की तारबन्दी उनके आश्रय स्थलों को विकसित करने के प्रयोजन से की गई है।

(8) जी, नहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय पार्क/अभ्यारण्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने बाबत अन्तरिम स्थगन आदेश होने से किया जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट "क"

जिला जैसलमेर में वन्य जीव संरक्षण हेतु आरक्षित क्षेत्र

क्र.सं.	नाम क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) में
1.	वन्य जीव अभ्यारण्य (राष्ट्रीय मरू उद्यान क्षेत्र)	1962.00
2.	शिकार निषेध क्षेत्र	
	1. रामदेवरा (चार क्लोजर)	10.81
	2. उजला क्लोजर (एक क्लोजर)	3.50
	3. रासला क्लोजरर्स (दो क्लोजर)	6.10
	4. घूडसर क्लोजर (एक क्लोजर)	2.00
	फासिल पार्क क्षेत्र	1.04
	1. आकल क्लोजर	1.04
	योग	**1985.45**

जिला नागौर ग्रिड के सब स्टेशनों हेतु अतिरिक्त कर्मी

188. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में वर्तमान में कुल कितने 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के समस्त 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशनों पर वर्तमान में कितने-कितने विद्युत् कर्मचारी कहां-कहां पर कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्रिड सब स्टेशनों पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है? यदि हां, तो कब तक अतिरिक्त कर्मचारी लगा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्तमान में 153, 33/11 के.वी. सब स्टेशन कार्यरत हैं, जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त जिले में स्थित 33 के.वी. सब स्टेशनों पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या सब स्टेशनवार उपरोक्त परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी, हां। उक्त सब स्टेशनों पर कर्मचारियों की कमी की समस्या के समाधान के लिए सब स्टेशनों का रख-रखाव ठेके पर दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

नागौर जिले में स्थापित 33/11 के.वी. की चौकियों एवं उन पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का विवरण

खण्ड का नाम	33/11 के.वी.ग्रिड सब स्टेशन का नाम	33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
1. नागौर खण्ड	1. नागौर	4
	2. गोगेलाव	3
	3. जोधियासी	3
	4. मूंडवा	5
	5. कुछेरा	1 (132 के.वी. में बदल गया है)
	6. साजू	1
	7. खाजवाना	6
	8. इन्दोकली	2
	9. रूण	3
	10. बुनरावता	2
	11. गवालू	1
	12. खेखवास	3
	13. बनाया	1
	14. कडलू	3
	15. असावरी	1
	16. जुझेडा	3
	17. खारडा	2
	18. पालडीबोध	1
	19. डनाना	1
	20. भांवड़ा	2

1	2		3
	21.	माणकपुर	1
	22.	लालाप	1
	23.	टांकला	1
	24.	खींवसर	2
	25.	कुडली	2
	26.	पाछला सिद्धा	2
	27.	विरलोका	1
	28.	बैराथल	2
	29.	मेड	2
	30.	कुमार	2
	31.	खडला	2
	32.	बैरावास	1
	33.	लाम्पोलाई	1
2. मेड़ता खण्ड	34.	भानास	1
	35.	भैसड़ा	1
	36.	नवलासागर	1
	37.	काल्यासनी	1
	38.	आकेली	1
	39.	हिनरपूरी	1
	40.	मूंगदड़ा	1
	41.	जसनगर	1
3. मेड़ता खण्ड	42.	लिलिया	1
	43.	बड़गांव	1

1	2	3
	44. सांतलावास	1
	45. रेण	1
	46. मेड़ता रोड	2
	47. छापरी	1
	48. जोरडाकलां	2
	49. सिरसला	1
	50. कुम्पडास	1
	51. गागुडा	1
	52. रियाशश्यामदास	1
	53. नोखाचान्दावता	2
	54. वालनपुर	1
	55. बासनीसेजा	2
	56. लाम्बाजाटन	2
	57. मोकाला	2
	58. ढाडासनी	2
	59. गांडिया	1
	60. गगराला	2
	61. छीटन	1
	62. लुणियावास	1
	63. कुरडाया	2
	64. इंदावर	2
	65. पुन्दलु	2
	66. डेगाना	3

1	2		3
	67.	हरसोर	2
	68.	इडवा	1
	69.	दुगौर	2
	70.	नीमड़ी चारंदावता	1
	71.	जावला	2
	72.	ढाढ़रिया	1
	73.	नीमड़ीकलां	2
	74.	सांजू	2
	75.	छुंटाटी	2
	76.	रियाबाउ	4
	77.	पादुकलां	4
	78.	आलनियावास	4
	79.	भैरूंदा	3
	80.	थांवला	3
	81.	रोहिसा	2
4. डीडवाना खण्ड	82.	मोलासर	4
	83.	खारवोली	2
	84.	लादड़िया	3
	85.	जेतपुरा	2
	86.	बोसा	3
	87.	निमोद	3
	88.	बावड़ी	2
	89.	नूवा	3

1	2	3
	90. घड़कोली	2
	91. सदरासन	2
	92. रोल	4
	93. जायल	5
	94. डेह	2
	95. झाड़ेली	2
	96. अड़बड़	2
	97. जैहरी	2
	98. बरसूना	2
	99. बड़खाटू	4
	100. डीडवाना	7
	101. कैराप	5
	102. जेवलियावास	4
	103. खुनखुना	5
	104. तोसीना	5
5. मकराना खण्ड	105. मकराना	7
	106. बोरावड़	3
	107. गमीपुरा	3
	108. बेजरोली	2
	109. मिहंकिया	2
	110. घूडसू	3
	111. राथलिया	1
	112. भिचारा	2

1	2	3
	113. रोहिन्डो	3
	114. रोहिन्डो	3
	115. भादवा	3
	116. हरनावा	3
	117. बागोट	3
	118. बीह	3
	119. भारवारी	2
	120. बिदियाद	4
	121. गुल्ला	3
	122. पीलवा	3
	123. परबतसर	7
	124. नावां	6
	125. मारोठ	4
	126. राबलिया	1
	127. मुवाना	3
	128. भींडा	5
	129. चौसला	3
	130. गोगौर	3
6. मकराना खण्ड	131. पीचोला	2
	132. राजास	3
	133. मीठडी	6
	134. जिलया	3
	135. रानासर	4

1	2	3
	136. मंडावरा	1
	137. शिव	4
	138. भांवला	5
	139. इंडाणी	3
	140. पांचवा	4
	141. चितावा	4
	142. खाकोली	2
	143. नगवाड़ा	2
	144. अड़कसर	2
	145. टोडास	3
	146. लालास	3
	147. खोरंडी	5
	148. लाम्बा	3
7. लाडनूं उप खण्ड	149. लाडनूं	7
	150. लोढ़ी	2
	151. रताऊ	3
	152. बाकलिया	5
	153. सुनारी	4
	154. निम्बीजोधा	4

प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी आदेश

189. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि प्रौद्योगिकी विभाग में कोई स्थाई आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब जारी किये और नहीं, तो आदेश जारी नहीं होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्रभावी स्थाई आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

नगरपालिका, कारपेन (बूंदी) में कियोस्क आबंटन में अनियमितता

190. श्री घासीराम मेघवाल (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, कापरेन, जिला बूंदी में कियोस्क आबंटन समिति की बैठक दिनांक 15.10.2001 को रखी गई थी? यदि हां, तो उक्त में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि निर्धारित समय पर अधिशासी अधिकारी नहीं पहुंचने से लाटरी नहीं निकाली गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या इससे पूर्व भी उक्त नगरपालिका द्वारा कियोस्क आबंटन में लाटरी निकाल कर अनियमित तरीके से अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार समय पर नहीं पहुंचने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और कब तक?

(5) उक्त अनियमितता की शिकायत करने पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। कोरम के अभाव में बैठक नहीं हो सकी।

(2) जी, हां। यह सही है कि दिनांक 15.10.2001 को कियोस्क आबंटन समिति की बैठक प्रातः 11 बजे आहूत की गई थी। परन्तु अधिशासी अधिकारी के विलम्ब से पहुंचने के कारण व कोरम के अभाव के कारण लाटरी नहीं निकाली जा सकी।

(3) जी, नहीं कियोस्क आबंटन समिति का कोरम पूर्ण होने पर ही पूर्व में नियमानुसार लाटरी निकाली गई थी।

(4) जी, हां अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(5) इस संबंध में विभाग को पूर्व में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। अब समुचित विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु राजकीय सहायता राशि

191. श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राज्य में सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये हिस्सा पूंजी, ऋण, अनुदान इत्यादि की सहायता प्रदान कर रही है?

(2) सरकार द्वारा किन-किन सहकारी संस्थाओं को कितनी हिस्सा पूंजी का अभिदाय किया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा किन-किन सहकारी संस्थाओं को कितनी-कितनी ऋण राशि उपलब्ध करा रखी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 2001-2002 में सरकार द्वारा किन-किन सहकारी संस्थाओं को कितनी-कितनी हिस्सा पूंजी उपलब्ध कराई जाऐगी?

(5) वर्ष 2001-2002 में सरकार द्वारा किन-किन सहकारी संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि, ऋण, अनुदान इत्यादि राजकीय सहायता किन उद्देश्यों के लिये उपलब्ध कराई जाएगी?

(6) सरकार द्वारा किन-किन, सहकारी संस्थाओं को कितनी-कितनी सहायता के लिये राजकीय गारंटी दी हुई है?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) 31.3.2001 तक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सहकारी संस्थाओं को लगभग रु. 323.69 करोड़ की हिस्सा पूंजी उपलब्ध करा रखी है। संस्थाओं की श्रेणीवार राजकीय हिस्सा पूंजी राशियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) 31.3.2001 को विभिन्न सहकारी संस्थाओं की ओर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋणों की लगभग 148.98 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। संस्थाओं की श्रेणीवार बकाया राजकीय ऋण राशियों की सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) वर्ष 2001-2002 में राज्य आयोजना मद में केवल महिला सहकारी समितियों को रुपये 17.00 लाख का तथा भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित मेक्रो मैनेजमेंट की कार्य योजना अन्तर्गत राज्य सरकार के 10 प्रतिशत अंशदान के रूप में रुपये 2.15 लाख की हिस्सा पूंजी देने का प्रावधान किया गया है। विभाग की अधिकांश योजनाओं में केवल प्रतीक प्रावधान ही रखा गया है तथा अन्य

(सहकारिता मंत्री)

योजनाओं में हिस्सा पूंजी का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

(5) वर्ष 2001-2002 में सहकारी विभाग के आयोजना मद में रुपये 248.98 लाख का प्रावधान अनुदान मद में वेतन भत्तों, भूमि विकास बैंकों में नियोजित विभागीय स्टाफ के वेतन भत्तों के पुनर्भरण, प्रचार-प्रसार, साख संस्थाओं को असंतुलन की पूर्ति हेतु सहायता, समग्र विकास परियोजना, राज्य सहकारी संघ, राइसेम विभागीय स्टाफ को प्रशिक्षण, महिला सहकारी समिति को सहायता एवं भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित मेक्रो मैनेजमेंट की कार्य योजना आदि योजनाओं अन्तर्गत रखा गया है।

वर्ष 2001-2002 में ही रुपये 45.00 लाख का प्रावधान पूंजीगत मद के तहत सहकारी परिवारों के निर्माण/रख रखाव हेतु एवं रुपये 19.19 लाख का प्रावधान महिला सहकारी समितियों को हिस्सा पूंजी तथा भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित मैक्रो मैनेजमेंट की कार्य योजना आदि योजनाओं के लिए रखा गया है।

इसी प्रकार ऋण मद में रुपये 23.20 लाख का प्रावधान सहकारी सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण कोष, भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित मेक्रो मैनेजमेंट की कार्य योजना आदि योजनाओं के लिए रखा गया है।

(6) सरकार द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को सहायता के लिए राजकीय गारंटी दी गई है :—

(राशि लाखों में)

1.	राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर	120300.00
2.	राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., जयपुर	138705.63
3.	राजस्थान सहकारी हाउसिंग फैडरेशन, जयपुर	2450.00

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पेंशन से वंचित असहाय व्यक्ति

192. श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि वृद्धों, विधवाओं, विकलांगों आदि को दी जाने वाली पेंशन का लाभ सभी जरूरतमन्द व्यक्तियों को नहीं मिल पाता क्योंकि कुछ नियमों में कमी तथा कुछ स्थानीय जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कुछ जरूरतमन्द लोग उक्त पेंशन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं? यदि हां, तो इन्हें सुधारने तथा सभी जरूरतमन्द व्यक्तियों को उक्त योजनाओं का लाभ देने के लिये क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं?

उत्तर

जी, नहीं। जिन व्यक्तियों के द्वारा पेंशन के लिये आवेदन किया जाता है तथा जो जांच में पात्र पाये जाते हैं, उन सबको पेंशन स्वीकृत की जा रही है। यह सम्भव है कि सभी जरूरतमन्द वृद्धों, विधवाओं, विकलांगों आदि को पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा हो, लेकिन इसका कारण नियमों में कमी अथवा स्थानीय जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही न होकर जरूरतमन्द लोगों की पेंशन के संबंध में जानकारी की कमी हो सकती है। राज्य सरकार ने व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पुस्तिका का प्रकाशन भी किया है तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान में उक्त योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।

निराश्रित वृद्धों, विधवाओं, विकलांगों से पेंशन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, जांच के पश्चात् आवेदकों को पेंशन स्वीकृत की जाती है। उक्त पेंशन के लाभान्वितों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है, वर्ष 1997-98 में लाभान्वितों की संख्या 2,21,997 थी जो वर्ष 2000-2001 में बढ़कर 6,18,437 हो गई। जबकि वर्ष 2001-2002 में 8,51,963 निराश्रित वृद्धों, विधवाओं व विकलांगों को लाभान्वित करने हेतु बजट प्रावधान किया गया है। वर्तमान में प्रशासन गांव के संग अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त पेंशन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर, पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की जा रही है।

जिला श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ की सड़कों की मरम्मत हेतु आबंटित राशि

193. श्री के. सी. विश्नोई (संगरिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ सड़क की मरम्मत हेतु वर्ष 2000 एवं 2001 में कितनी राशि आबंटित की है?

(2) क्या उक्त आबंटित राशि का पूरा उपयोग किया जा चुका है? यदि हां, तो उक्त सड़क की कितने किलोमीटर मरम्मत हुई है? क्या इस वर्ष में भी उक्त मार्ग के मरम्मत हेतु राशि का प्रावधान है? यदि हां, तो कितना तथा कितने किलोमीटर तक सड़क मरम्मत या पुनर्निर्माण का लक्ष्य रखा गया है?

(3) क्या उदय सिंह चौक संगरिया (जिला हनुमानगढ़) से बस स्टाप (संगरिया) तक सड़क बनाने हेतु गत दो वर्ष पूर्व निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हां, तो उक्त पर रोक किस आधार पर लगा रखी है? उक्त निविदा की अब क्या स्थिति है?

उत्तर

(1) जी, हां। श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ को जानी वाली सड़क की मरम्मत हेतु वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में क्रमशः रुपये 301.00 लाख एवं रुपये 21.25 लाख की स्वीकृति जारी हुई थी एवं क्रमशः 194.47 लाख व 51.76 लाख रुपये की राशि का आबंटन हुआ।

(2) जी, हां। आबंटित राशि में से वर्ष 1999-2000 में 51.75 कि.मी. एवं वर्ष 2000-2001 में 6.0 कि.मी. मरम्मत का कार्य हुआ है। वस वर्ष (वर्ष 2001-2002) उक्त सड़क मार्ग की मरम्मत हेतु 19.00 लाख रुपये का प्रावधान है व 2.5 कि.मी. सड़क लम्बाई के उन्नयन एवं सुधारीकरण का लक्ष्य रखा गया है। बाकी खराब हिस्से में पेच रिपेयर का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा बजट आबंटन के बाद निविदा आमंत्रित कर कार्यादेश जारी किया गया था, लेकिन वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका।

जिला झालावाड़ में जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र

194. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झालावाड़ में एक जनवरी 1999 से 1 अक्टूबर, 2001 तक कितनें-कितने बन्दूकों के लाइसेंस किन-किन जिला कलक्टर के द्वारा दिये गये? लाइसेंसधारियों का नाम, पता तथा जाति व उम्र की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त लाइसेंसधारियों में कुछ के पास पहले से ही लाइसेंस थे? यदि हां, तो किन के पास ऐसे लाइसेंस थे? नाम, पते, जाति, उम्र सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन लाइसेंसधारियों के पास पूर्व में भी लाइसेंस थे क्या उन लोगों का पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके आचरण की जांच करवाई गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त क्षेत्र के एक ही समुदाय के लोगों को उक्त लाइसेंस दिये गये? क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई?

(4) क्या उक्त लाइसेंसधारियों के विरुद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज है? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या मामले दर्ज हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ज़िला झालावाड़ में एक जनवरी, 1999 से 1.10.2001 तक 127 लाइसेंस जारी किये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(गृह मंत्री)

(3) 19 लाइसेंसधारियों को अतिरिक्त शस्त्र और दिये जाने पर पुलिस अधीक्षक से उनके आचरण की जांच नहीं कराई गई क्योंकि नियमों में इसकी कोई बाध्यता नहीं है। उक्त क्षेत्र में एक ही समुदाय के लोगों को लाइसेंस जारी नहीं किये गये, सभी समुदायों के व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किये गये हैं।

(4) जी, हां। उक्त लाइसेंसधारियों में से 6 के विरुद्ध मुकदमे दर्ज हैं, उनकी सूची परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम घट्टी (बारां) की वन भूमि पर अतिक्रमण

195. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील छबड़ा (बारां) के ग्राम घट्टी व तहसील छीपाबड़ौद के ग्राम मालोनी में जंगलात की भूमि पर किन-किन व्यक्तियों ने कब से अतिक्रमण कर रखा है? सरकार उक्त अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

तहसील छबड़ा (बारां) के ग्राम घट्टी में वर्तमान में जंगलात की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। तहसील छीपाबड़ौद के ग्राम मालोनी में जिन लोगों ने वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है। अतिक्रमित किये गये क्षेत्र का मौके पर राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों के संयुक्त सर्वे द्वारा निर्धारण कर नियमानुसार उन्हें बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है।

तहसील छीपाबड़ौद के ग्राम मालोनी में वन भूमि पर हुए अतिक्रमणों का विवरण

क्र.सं.	नाम अतिक्रमणी	अतिक्रमियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3
	वर्ष 1997 के अतिक्रमण	
1.	श्री भंवर सिंह पुत्र माधोसिंह	न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा 600 रुपये की शास्ति आरोपित बेदखली के आदेश जारी किये गये।
2.	श्री अमर लाल पुत्र गिरधारी	न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा 700 रुपये की शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश जारी किये गये।
3.	श्री खेमसिंह पुत्र माधोसिंह	विवादास्पद प्रकरण है। राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के अभाव में लम्बित है।
4.	श्री तेजसिंह पुत्र रतन सिंह	विवादास्पद प्रकरण है। राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के अभाव में लम्बित है।
5.	श्री चैनसिंह पुत्र मोतीसिंह	विवादास्पद प्रकरण है। राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के अभाव में लम्बित है।
6.	श्री बृजराज सिंह पुत्र अमर सिंह	विवादास्पद प्रकरण है। राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के अभाव में लम्बित है।
7.	श्री कंवल सिंह पुत्र मोती सिंह	विवादास्पद प्रकरण है। राजस्व एवं वन विभागों के संयुक्त सर्वेक्षण के अभाव में लम्बित है।
8.	श्री गोविन्द सिंह पुत्र हरीसिंह	विवादास्पद प्रकरण है। राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के अभाव में लम्बित है।
9.	श्री सरदार सिंह पुत्र अमर सिंह	विवादास्पद प्रकरण है। राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के अभाव में लम्बित है।

1	2	3
	वर्ष 1998 के अतिक्रमण	
1.	श्री भंवर सिंह पुत्र माधोसिंह	न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा 600 रुपये की शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश जारी किये गये।
2.	श्री परबत सिंह पुत्र माधोसिंह	ग्राम मालोनी में इस नाम का व्यक्ति वर्तमान में नहीं रहने के कारण प्रकरण निरस्त किया गया।
3.	श्री गोविन्द सिंह पुत्र हरीसिंह	विवादास्पद प्रकरण है। राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के अभाव में लम्बित है।
4.	श्री बृजराज सिंह पुत्र अमर सिंह	विवादास्पद प्रकरण है। राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के अभाव में लम्बित है।
5.	श्री तेजसिंह पुत्र मोतीसिंह	विवादास्पद प्रकरण है। राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के अभाव में लम्बित है।
6.	श्री तेजसिंह पुत्र रतन सिंह	विवादास्पद प्रकरण है। राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के अभाव में लम्बित है।
7.	श्री सावल सिंह पुत्र मोतीसिंह	विवादास्पद प्रकरण है। राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के अभाव में लम्बित है।
8.	श्री सरदार सिंह पुत्र भंवर सिंह	विवादास्पद प्रकरण है। राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के अभाव में लम्बित है।
	वर्ष 1999 के अतिक्रमण	
1.	श्री जवाहर सिंह पुत्र किशन सिंह	न्यायालय सहायक वन संक्षरक द्वारा 600 रुपये की शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश जारी किये गये।
2.	श्री त्रिलोक सिंह पुत्र गोर्धन सिंह	न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा 750 रुपये की शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश जारी किये गये।
3.	श्री भंवर सिंह पुत्र माधोसिंह	न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा 400 रुपये की शास्ति आरोपित कर बेदखली के आरोप जारी किये गये।

1	2	3
4.	श्री गोविन्द सिंह पुत्र अमर सिंह	न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा 250 रुपये की शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश जारी किये गये।
5.	श्री भवानी सिंह पुत्र अमर सिंह	न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा 250 रुपये की शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश जारी किये गये।
6.	श्री मोहनसिंह पुत्र किशन सिंह	न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा 500 रुपये की शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश जारी किये गये।
7.	श्री छोटेसिंह पुत्र उदय सिंह	न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा 80 रुपये की शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश जारी किये गये।
8.	श्री गोपाल पुत्र उंकार	विवादास्पद प्रकरण है। राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के अभाव में लम्बित है।
9.	श्री माधोलाल पुत्र किशना	विवादास्पद प्रकरण है। राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के अभाव में लम्बित है।
10.	श्री मोडू पुत्र किशना	विवादास्पद प्रकरण है। राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के अभाव में लम्बित है।
11.	श्री शिवराज सिंह पुत्र अमरसिंह	विवादास्पद प्रकरण है। राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के अभाव में लम्बित है।
12.	श्री राजेश्वर पुत्र किशना	विवादास्पद प्रकरण है। राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के अभाव में लम्बित है।
13.	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र रखेराज सिंह	विवादास्पद प्रकरण है। राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के अभाव में लम्बित है।
14.	श्री गोविन्द सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह	विवादास्पद प्रकरण है। राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के अभाव में लम्बित है।

सचिवालयों में ऊर्जा विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित संयंत्र

196. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण ने गत दिनों 25-25 किलोवाट के दो सौर ऊर्जा संयंत्र सचिवालय स्तर के कार्यालयों में स्थापित किये हैं?

(2) क्या निविदा में दोनों सौर ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया था? यदि हां, तो कितना?

(3) उक्त संयंत्र की स्थापना से अब तक वास्तविक उत्पादन कितना हुआ? दोनों संयंत्रों का उत्पादन विवरण अलग-अलग सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सप्लायर भुगतान से पहले उत्पादन का मानदण्ड तय किया गया है? यदि हां, तो अब तक कितना उत्पादन हुआ? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सप्लायर का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या निर्धारित उत्पादन के मानदण्ड से पूर्व ही बिल सत्यापित किये गये? बिन्दुवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। एक 25 किलोवाट का ग्रिड इंटरेक्टिव एसपीवी पावर प्लांट विधान सभा भवन व दूसरा 25 किलोवाट पावर प्लांट राजकीय सचिवालय परिसर में एस.एस.ओ. भवन पर स्थापित किया गया है।

(2) जी, नहीं।

(3) इन संयंत्रों से 31.10.2001 तक हुआ विद्युत उत्पादन निम्न सारणी में दिया जा रहा है :—

विधान सभा भवन संयंत्र (विद्युत इकाई)	राजकीय सचिवालय संयंत्र (विद्युत इकाई)
3114	2538

(4) जी, हां। सप्लायर को दिये गये कार्यादेश के अनुसार वर्षभर में कुल 44000 इकाई विद्युत उत्पादन का मानक दिया गया। इन विद्युत उत्पादन गृहों से सितम्बर, 2001 में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हुआ व 31.10.2001 तक 3114 व 2538 इकाई विद्युत क्रमशः विधान सभा व सचिवालय स्थित विद्युत गृहों से उत्पादित हो चुकी है। क्योंकि अभी एक वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है इसलिए अभी यह कहना कठिन है कि निर्धारित विद्युत उत्पादन हुआ या नहीं।

(5) सप्लायर को वर्तमान में आंशिक भुगतान किया गया है। शेष भुगतान केन्द्र सरकार के गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, नई दिल्ली से शेष आर्थिक सहायत प्राप्त होने पर कार्यादेश की शर्तों के अनुसार किया जावेगा।

जिला अलवर में संचालित अवैध बूचड़खाने

197. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में कुल कितने अधिकृत पशु कत्लखाने (बूचड़खाने) हैं ?

(2) क्या उक्त अधिकृत बूचड़खानों के अलावा भी कोई बूचड़खाने अवैध रूप चलाये जा रहे हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त अवैध बूचड़खानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में अलवर नगर परिषद् क्षेत्र में एक अधिकृत बूचड़खाना है।

(2) नगरपालिका, राजगढ़ (अलवर) क्षेत्र में 14 घरों व नगरपालिका, तिजारा में 8 स्थानों एवं अलवर नगर परिषद् में 38 स्थानों एवं खैरथल में 8 स्थानों पर अवैध रूप से पशुवध व मांस विक्रय का कार्य करने के तथ्य ध्यान में आये हैं, जिनके संबंध में शीघ्र समुचित कार्यवाही की जा रही है।

(3) भाग संख्या-2 में उत्तर निहित है।

जिला श्रीगंगानगर में छात्रावासों में अनियमितताएं

198. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला श्रीगंगानगर में कितने छात्रावास हैं तथा उक्त में कितने विद्यार्थी हैं ? छात्रावासों के नाम व छात्रों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रत्येक छात्रावास को सरकार द्वारा कितनी खाद्य सामग्री प्रति माह दी जाती है तथा कितनी का वितरण विभाग द्वारा किया जाता है ? गत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या छात्रावास में दाखिले हेतु कोई नियम बनाये हुए हैं ? यदि हां, तो नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या समाज कल्याण अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा समस्त कार्यवाही कर ली जाती है ? क्या स्थानीय विधायक चेयरमैन हैं, परन्तु चेयरमैन को किसी भी कार्यकलाप या योजना में कभी नहीं बुलाया जाता ? क्या सरकार उक्त संबंध में राज्य के सभी समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देशित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) उक्त छात्रावासों में खाद्य सामग्री के अलावा सरकार द्वारा विद्यार्थियों को अन्य क्या सुविधाएं दी जाती हैं ? क्या खाना आदि सही ढंग से नहीं दिये जाने

(श्री राधेश्याम गंगानगर) :

की शिकायत है? क्या सरकार उक्त व्यवस्था को सुचारू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) छात्रावासों के नाम व छात्रों की संख्या का विवरण निम्नप्रकार है :

क्र.सं.	नाम छात्रावास	स्वीकृत छात्र सं.	वर्ष 2001-02 में प्रवेशित छात्रों की संख्या
1.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, श्रीगंगानगर	02	02
2.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास नं. 2, श्रीगंगानगर	35	35
3.	राजकीय सावित्री देवी फूले छात्रावास, श्रीगंगानगर	40	40
4.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, केसरीसिंहपुर	25	25
5.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गजसिंहपुर	25	25
6.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, करणपुर	35	35
7.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास नं.1, रायसिंहनगर	60	60
8.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास नं.2, रायसिंहनगर	25	25
9.	राजकीय सावित्री देवी फूले कन्या छात्रावास, रायसिंहनगर	25	25
10.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अनूपगढ़	40	40
11.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, घड़साना	30	20
12.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रावला	35	35
13.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, 365 हैड	35	35
14.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जैतसर	25	23
15.	राजकीय सावित्री देवी फूले कन्या छात्रावास, श्रीविजयनगर	25	20
16.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सूरतगढ़	50	46
17.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लालगढ़	25	22
18.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सार्दुलशहर	40	40
19.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मुकलावा	35	35
20.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, समेजा	25	25
21.	अनुदानित छात्रावास, केसरीसिंहपुरा	25	25
		732	716

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) वर्तमान में छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को निःशुल्क आवास, भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, साबुन, तेल बाल कटिंग, समाचार पत्र, बिजली-पानी की सुविधाएं दी जाती हैं। जिन पर प्रति छात्र वार्षिक निम्नप्रकार से व्यय होता है :

1.	भोजन, नाश्ता, ईंधन, विशेष भोजन	4987.50 रु. प्रतिवर्ष
2.	साबुन, तेल, कटिंग •	228.00 रु. प्रतिवर्ष
3.	बिजली-पानी	266.00 रु. प्रतिवर्ष
4.	समाचार पत्र	57.0 रु. प्रतिवर्ष
5.	पोशाक	760.00 रु. प्रतिवर्ष
6.	बिस्तर धुलाई	114.00 रु. प्रतिवर्ष
7.	स्टेशनरी	कक्षा 6 से 8.40 रु. प्रतिवर्ष कक्षा 8 से 12.60 रु. प्रतिवर्ष

सामग्री छात्रावास की मैस समिति द्वारा क्रय की जाती है। विभाग द्वारा राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। श्रीगंगानगर जिले में गत तीन वर्षों में निम्नप्रकार मैस समितियों को राशि स्वीकृत की गई :

1998-1999	22,76,116 रुपये
1999-2000	36,48,890 रुपये
2000-2001	30,57,361 रुपये

(3) छात्रावास में छात्रावासों के प्रवेश हेतु विभाग द्वारा छात्रावास संचालन नियम 1982 बनाये हुए हैं जो परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) छात्रावास प्रवेश के समय समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली जाती है एवं छात्रावास प्रवेश समिति में स्थानीय विधायक अध्यक्ष है, छात्रावास प्रवेश के समय स्थानीय विधायक को आमन्त्रित किया जाता है। अन्य बैठकों में विधायकों को आमंत्रित किया जाता है तथा सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है।

(5) उक्त छात्रावासों में खाद्य सामग्री के अलावा छात्रों को निःशुल्क बिस्तर तथा खाने के बर्तन उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा छात्र-छात्राओं को कठिन विषय जैसे अंग्रेजी, गणित, विज्ञान की विशेष कोचिंग दी जाती है तथा कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40/- रुपये व 9 से 12 तक को 60/- रुपये प्रति छात्र पुस्तक व स्टेश्नरी हेतु एक मुश्त राशि दी जाती है तथा खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है एवं उन्हें ज्ञानवर्धक चरित्र विकास सम्बन्धी पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। छात्रावासों में खाना पौष्टिक एवं अच्छी गुणवत्ता का उपलब्ध कराया जाता है तथा छात्रावासों का संचालन सुचारू रूप से किया जाता है।

(नियमों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सहायक अभियन्ताओं हेतु आयोजित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा

199. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में वर्ष 2001 तक विभाग में ऐसे कितने सहायक अभियन्ता है जिन्होंने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है और अनुत्तीर्ण सहायक अभियन्ताओं मे कितने सहायक अभियन्ता अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विभागीय परीक्षा में 3 बार बैठने के बाद भी अनुत्तीर्ण रहने वाले सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही का सेवा नियमों में क्या प्रावधान है? गत 10 वर्षों में ऐसे सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) वर्ष 2000 में सहायक अभियन्ताओं के विभागीय परीक्षा हेतु भरे हुए आवेदन पत्र विभाग को किन-किन तारीखों को प्राप्त हुए और आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि क्या थी?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 2000 में सहायक अभियन्ताओं के विभागीय परीक्षा हेतु भरे हुए आवेदन पत्र विभाग को समय पर प्राप्त हो जाने पर भी विभाग द्वारा आवेदन पत्र, अन्तिम तिथि के बाद हरिश चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान को प्रेषित किये गये? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो प्रेषित पत्र एवं संस्थान द्वारा आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने सम्बन्धी पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्ष 2000 में सहायक अभियन्ताओं के विभागीय परीक्षा के आवेदन पत्र अस्वीकार होने के लिये कौन कर्मचारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या अगस्त, 2001 में विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण सहायक अभियन्ताओं को पदावनत करने की कार्यवाही विचाराधीन थी? यदि हां, तो विचाराधीन सहायक अभियन्ताओं में कितने आरक्षित वर्ग के थे?

(7) क्या उक्त पदावनति के विरुद्ध माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया है? यदि हां, तो स्थगन आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) वर्ष 2000-2001 में कितने सहायक अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं के पदावनति आदेश जारी किये गये और कितने आदेशों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया है?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में अक्टूबर, 2001 तक 644 सहायक अभियन्ताओं ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अनुत्तीर्ण रहे सहायक अभियन्ताओं में से 29 अनुसूचित जाति एवं 37 सहायक अभियन्ता अनुसूचित जनजाति के हैं जिन्होंने अभी तक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इनकी सूची परिशिष्ट "क" पर अंकित है।

(2) पी.डब्ल्यू.डी. मैन्यूअल के नियम 11.8 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (विभागीय परीक्षाएं) नियम 1959 के नियम 22 के उप नियम 4 के अधीन नियमित चयनित सहायक अभियन्ताओं को जिन्होंने विभागीय परीक्षा तीन अटेम्पट में तीन वर्षों के अन्दर उत्तीर्ण नहीं की है, को अगले कनिष्ठ पद पर पदावनत करने एवं सीधी भर्ती से चयनित सहायक अभियन्ताओं को सेवा से पृथक करने का प्रावधान है।

नियम 19 में यह भी प्रावधान है कि कोई सहायक अभियन्ता विभांगीय परीक्षा में असाधारण परिस्थितियों के कारण नहीं बैठ पाया हो और विभागाध्यक्ष उन कारणों से सन्तुष्ट हो तो उसे विभागीय परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।

जिन सहायक अभियन्ताओं ने 3 अटेम्पट (तीन वर्षों) में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे हैं उनको वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत नहीं की जा रही है एवं इनको सहायक अभियन्ता के पद पर स्थाई नहीं किया गया है।

जो सहायक अभियन्ता तीन अटेम्पट में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे थे उनमें से 8 सहायक अभियन्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत वर्ष 2001 में विभागीय परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

(3) वर्ष 2000 में सहायक अभियन्ताओं के विभागीय परीक्षा हेतु भरे हुए आवेदन पत्र विभाग को विभिन्न तिथियों को प्राप्त हुए उनकी सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। वर्ष 2000 में सहायक अभियन्ता के विभागीय परीक्षा हेतु विभाग में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त होनें की अन्तिम तिथि 21.7.2000 निर्धारित की गई ताकि पात्रता की जांच कर, आवेदन पत्रों को दिनांक 21.8.2000 तक हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को भिजवाये जा सकें।

(4) जी, हां। 17 आवेदन पत्र अन्तिम तिथि के बाद हरिश चन्द्र माथुर, राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को प्रेषित करने के कारण बिना कार्यवाही लौटा दिये गये। 13 आवेदन पत्र उन सहायक अभियन्ताओं के थे जिन्होंने 3 वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी एवं 4 आवेदन पत्र विलम्ब से प्राप्त हुए। इन सहायक अभियन्ताओं ने अपने आवेदन पत्रों में उन विशेष परिस्थितियों

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

का कोई उल्लेख नहीं किया जिसके तहत वे विभागीय परीक्षा 3 वर्षों में उत्तीर्ण नहीं कर पाये। अतः इनके आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया गया।

इन सहायक अभियन्ताओं ने विभागाध्यक्ष को सितम्बर के प्रथम सप्ताह में मौखिक रूप से विभागीय परीक्षा में पूर्व में नहीं बैठने के बारे में परिस्थितियों से अवगत कराया। नियम-19 के तहत विभागाध्यक्ष ने इन सभी सहायक अभियन्ताओं को विभागीय परीक्षा में बैठने का एक और मौका देने का निर्णय लिया। इसके तुरन्त बाद आवेदन पत्रों को राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान को भिजवा दिय गये।

विभाग द्वारा प्रेषित पत्र परिशिष्ट "ग" पर एवं राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा आवेदन पत्रों को स्वीकार करने सम्बन्धी पत्र की प्रति परिशिष्ट "घ" पर अंकित है।

(5) सहायक अभियन्ताओं ने अपने आवेदन पत्रों में नियम-19 के तहत शिथिलता प्रदान करने हेतु उन विशेष परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया एवं कुछ अभियन्ताओं ने विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत किये अतः आवेदन पत्र अस्वीकार होने के लिये वे स्वयं ही जिम्मेदार हैं।

(6) एवं (7) जी, हां। विभागीय परीक्षा में 3 अवसर लेने के उपरान्त अनुत्तीर्ण रहे सहायक अभियन्ताओं में से एक ओ.बी.सी. श्रेणी का, तीन अनुसूचित जाति एवं 5 अनुसूचित जनजाति के अभियन्ता थे।

(8) वर्ष 2000-2001 में किसी भी सहायक अभियन्ता को पदावनत नहीं किया गया है। वर्ष 2000-2001 में दो अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) के पदावनति आदेश जारी किये गये थे। माननीय उच्च न्यायालय ने एक प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या स्थगन आदेश जारी किया गया। वर्तमान में स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बीकानेर में हुई अतिवृष्टि का री-सर्वे

200. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में दिनांक 22/23 जुलाई, 2000 को हुई अतिवृष्टि के फलस्वरूप तहसील लूणकरणसर, बीकानेर, पूगल व छतरगढ़ के गांवों में कच्चे-पक्के मकान ध्वस्त हो गये थे? यदि हां, तो किस-किस के कितने-कितने? तहसीलवार व गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अतिवृष्टि के फलस्वरूप ध्वस्त हुए उक्त 4 तहसीलों के कौन-कौन से व्यक्तियों को अब तक अनुग्रह राशि

(श्री मानिक चन्द सुराना)

का वितरण किया जा चुका है? तहसील व गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जन प्रतिनिधियों/सरपंच/पंच एवं सैकड़ों लोगों ने जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त हुए मकानों के वर्गीकरण में आंशिक रूप से गिरे मकान मानने को सही नहीं मानते हुए पुनः री-सर्वे कराने की प्रार्थना कलक्टर, बीकानेर को की थी? यदि हां, तो गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि प्रशासन द्वारा मनोनित व्यक्तियों सरपंच, वार्ड पंच, अध्यापक, पटवारी, ग्राम सेवक से री-सर्वे कराया गया? यदि हां, तो किस-किस गांव की री-सर्वे की रिपोर्ट कलक्टर, बीकानेर को किन-किन तारीखों में प्राप्त हुई और क्या उस री-सर्वे के अनुसार अनुदान राशि का वितरण किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) री-सर्वे पहले के सर्वे के मुकाबले कितने नये व्यक्तियों के नाम पूर्णतः ध्वस्त हुए मकानों के संबंध में वे कितने मकान आंशिक रूप से गिरे हुए होने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, बीकानेर ने री-सर्वे की रिपोर्ट प्राप्त होने के बावजूद भी अभी तक किसी भी गांव में री-सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीणों को ध्वस्त हुए मकानों के पेटे अनुग्रह राशि का वितरण नहीं किया है?

उत्तर

(1) जी, हां। तहसीलवार व गांववार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "अ", "ब", "स", "द")

(2) अतिवृष्टि के फलस्वरूप ध्वस्त हुए मकानों के लिए अब तक चार तहसीलों के 35,924 परिवारों को 388.47 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का वितरण किया जा चुका है। जिनकी तहसीलवार/ग्रामवार/व्यक्तिवार सूची परिशिष्ट "य", "र", "ल", "व" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(4) जी, हां। तहसील लूणकरणसर के 152 गांवों की री-सर्वे रिपोर्ट दिनांक 25.8.2000 को प्राप्त हुई। 83 प्रकरणों को छोड़कर शेष को सहायता राशि वितरित की जा चुकी है।

(5) तहसील लूणकरणसर के री-सर्वे में कुल 2272 नये व्यक्तियों के नाम पूर्णतः ध्वस्त वालों के और 4320 नाम आंशिक रूप से गिरे हुए मकान वालों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई। विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(6) जी, नहीं। री-सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार गांव मलकीसर के 83 प्रकरणों को छोड़कर शेष में सहायता राशि वितरित की जा चुकी है। इन 83 प्रकरणों की कार्यवाही भी प्रगति पर है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर के कार्यों में हुई अनियमितता की जांच

201. श्री अशोक (खण्डार) : क्या वन राज्य मंत्री हमें यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रणथम्भौर बाघ परियोजना सीमा सवाई माधोपुर में चलाये जा रहे इको डवलपमेंट योजनान्तर्गत किन-किन गांवों को चयनित किया गया है?

(2) उक्त गांवों में उक्त योजनान्तर्गत क्या-क्या कार्य कराये जा रहे हैं? उक्त कार्यों पर कितना व्यय किया जा चुका है?

(3) उक्त योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों पर विभाग एवं ग्रामीण जनता द्वारा किस अनुपात में व्यय किया गया एवं ग्राम की ई.डी.सी. कमेटियों ने अपने हिस्सा राशि को कार्यवार किस तरह से व्यय किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त योजनान्तर्गत चलाये जा रहे कार्यों में ग्रामवासियों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा कार्यों की गुणवत्ता व मूल्यांकन सम्बन्धी एवं नियम विरुद्ध कराये जा रहे कार्यों की शिकायत की है? यदि हां, तो शिकायतवार अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) रणथम्भौर बाघ परियोजना के अन्तर्गत सवाईमाधोपुर जिले में पड़ने वाले क्षेत्र में 34 ग्रामों को इको डवलपमेंट योजनान्तर्गत चयनित किया गया है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त गांवों में उक्त योजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार के 124 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके हैं तथा 32 विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। उक्त कार्यों पर अब तक कुल 305.58 लाख रुपये व्यय किया गया है।

(3) इण्डिया इको डवलपमेंट योजना के तहत कार्यों पर व्यय विभाग द्वारा 75 प्रतिशत एवं ग्रामीण जनता (ई.डी.सी. सदस्य) द्वारा 25 प्रतिशत के अनुपात में किया गया है। ग्राम की ई.डी.सी. सदस्यों द्वारा जन सहयोग कार्यों में श्रम सामग्री एवं नकद के रूप में व्यय किये गये हैं। अब तक कुल 62.39 लाख जन सहयोग श्रम सामग्री एवं नकद में प्राप्त कर व्यय किये गये हैं। जन सहयोग का कार्यवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) उक्त योजनान्तर्गत चलाये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं मूल्यांकन संबंधी एवं नियम विरुद्ध कराये गये कार्यों के संबंध में प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की जा रही कार्यवाही परिशिष्ट "स" में दर्शाया गया है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बांसवाड़ा के परतापुर में प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

202. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में परतापुर के निकट 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो उक्त स्टेशन को मंजूरी देने के संबंध में सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

जी, नहीं। अभी तकनीकी दृष्टि से वर्तमान लोड को देखते हुए परतापुर में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की आवश्यकता नहीं है। परतापुर 33/11 के.वी. सब स्टेशन, बांसवाड़ा 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन तथा सागवाड़ा 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन के मध्य स्थित है, तथा 33 के.वी. लाइन से दोनों सब स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। भविष्य में आवश्यतानुसार तकनीकी दृष्टि से आवश्यकता होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

लालवास कालोनी, जयपुर में अवैध निर्माण की तोड़-फोड़

203. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में जमुवारामगढ़ रोड स्थित लालवास कालोनी अनधिकृत रूप से बनी हुई है? क्या उक्त में कभी तोड़-फोड़ भी हुई है? यदि हां, तो किस-किस तारीख को और कालोनी में तोड़-फोड़ करने के क्या कारण थे?

(2) क्या उक्त कालोनी में तोड़-फोड़ के बाद दुबारा निर्माण कार्य हुए हैं? यदि हां, तो किसके आदेश से और कब हुए हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी को तोड़ने के आदेश जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त द्वारा दिये गये हैं? क्या उक्त अनधिकृत कालोनी के दुबारा निर्माण की मौखिक स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त द्वारा दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। जयपुर जिले में आमेर तहसील में जमुवारामगढ़ रोड पर कुछ व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से चारदीवारी एवं कमरे बनवा लिये थे, इन चारदीवारी एवं कमरों को ज.वि.प्रा. द्वारा सामुहिक अभियान रखकर दिनांक 10.9.2001 को तोड़ा गया था। तोड़-फोड़ इसलिये की गई थी। यह भूमि राजस्व रिकार्ड में दफ्तर हनी ड्यूरेन्ज के नाम दर्ज है। मौके पर निर्माण कार्य इस भूमि का बिना रूपान्तरण करवाये किया जा रहा था। इस कारण तोड़-फोड़ की गई थी।

(2) इस भूमि पर दिनांक 10.9.2001 को तोड़-फोड़ के बाद दिनांक 12.9.2001 को कुछ व्यक्तियों द्वारा दुबारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया था जिसे रुकवाया गया लेकिन दिनांक 13.9.2001 को पुनः निर्माण कार्य चालू करने पर थाना आमेर से पुलिस जाब्ता व उप निरीक्षक को साथ लेकर प्रवर्तन

अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण ने कार्य बन्द करवा दिया था। यह निर्माण कार्य दुबारा बिना किसी आदेश के अतिक्रमियों ने अपने स्तर पर ही प्रारम्भ किया था। तोड़-फोड़ एवं दुबारा निर्माण कार्य करने की दिनांक में एक दिन का अन्तर रहा है।

(3) जी, नहीं। यह निर्माण अवैध पाये जाने के कारण ध्वस्त किया गया। पुनर्निर्माण की कोई स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं दी गई है।

डूंगरपुर से खैरवाड़ा तक डामरीकृत सड़क निर्माण

204. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर से खैरवाड़ा तक डामर सड़क का कार्य करवाया गया है? यदि हां, तो उक्त डामरीकरण पर कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क का तीन वर्ष के अन्दर दो बार डामरीकरण किया गया है? यदि हां, तो उक्त अवधि में सड़क पर कितना व्यय हुआ था? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। बी.ओ.टी. के तहत उक्त डामरीकरण कार्य पर निवेशक द्वारा 369.12 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

(2) जी, नहीं।

निलम्बित पुलिस अधिकारियों के मामलों का निस्तारण

205. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस प्रशासन के उप निरीक्षक तथा उससे ऊपर के स्तर के कितने अधिकारी हैं जो निलम्बित हैं तथा उक्त कर्मी कितनी अवधि तक भी आरोप पत्र नहीं दिये गये उनकी संख्या कितनी है?

(3) उक्त में से ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनको आरोप पत्र दिये छः माह से अधिक का समय हो गया लेकिन उनके मामलों का निस्तारण नहीं हुआ है?

उत्तर

(1) पुलिस थाना में उप निरीक्षक तथा उससे ऊपर के रेंक के कुल 64 अधिकारी निलम्बित हैं। उक्त सभी दो माह की अवधि से अधिक समय से निलम्बित हैं। रेंजवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त निलम्बित अधिकारियों में से 11 अधिकारियों को आरोप पत्र जारी कर दिये गये तथा 53 अधिकारियों को दो माह की अवधि तक भी आरोप पत्र नहीं दिये गये हैं।

(3) उक्त में से 8 अधिकारी ही हैं, जिनको आरोप पत्र दिये छः माह से अधिक का समय हो गया है। उनके मामले विचाराधीन है।

परिशिष्ट "क"

डी.ई. शाखा, पुलिस मुख्यालय, जयपुर

क्र.सं.	रेंज कार्यालय का नाम	निलम्बित अधिकारी का पद नाम				दो माह की अवधि तक निलम्बित अधिकारी				दो माह की अवधि से अधिक समय से निलम्बित अधिकारी				दो माह से अधिक अवधि के निलम्बित अधिकारियों को आरोप पत्र दिये गये				ऐसे अधिकारी जिन्हें आरोप पत्र दिये लेकिन 6 माह से अधिक का समय हो गया और मामले का निस्तारण नहीं हुआ है			
		उ.पु.अ.	पु.नि.	उ.नि.	योग	उ.पु.अ.	पु.नि.	उ.नि.	योग	उ.पु.अ.	पु.नि.	उ.नि.	योग	उ.पु.अ.	पु.नि.	उ.नि.	योग	उ.पु.अ.	पु.नि.	उ.नि.	योग
1.	कोटा रेंज कोटा	—	1	6	7	—	—	2	2	—	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	उदयपुर रेंज	—	2	1	3	—	1	—	1	—	1	1	2	—	—	1	1	—	—	1	1
3.	जोधपुर रेंज	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	अजमेर रेंज	—	2	6	8	—	—	—	—	—	2	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	बीकानेर रेंज	—	1	4	5	—	1	2	3	—	—	2	2	—	—	2	2	—	—	2	2
6.	भरतपुर रेंज	—	1	5	6	—	—	1	1	—	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	जयपुर रेंज (द्वितीय)	—	—	4	4	—	—	1	1	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	जयपुर रेंज (प्रथम)	—	—	7	7	—	—	2	2	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	रेलवे राज.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	यातायात	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	पु. दूर संचार जयपुर	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	एस.सी.आर.बी.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	1	—	—	1	1
13.	पुलिस सतर्कता राज.	2	2	4	8	2	—	1	3	2	3	5	—	—	2	3	5	—	—	2	2
14.	सीजाईडी (इन्टे) राज., जयपुर	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1
15.	सीजाईडी (सीबी)	—	4	—	4	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	पुलिस मुख्यालय जयपुर	2	2	—	5	—	—	—	—	2	2	—	5	—	—	—	1	—	—	—	1
		1. आई.पी.एस.			योग 64						(आई.पी.एस.)		(आई.पी.एस.)								

ह०/-

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वनपाल का रिक्त पद

206. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वन विभाग के अन्तर्गत कुल कितने पद अधिकारी/कर्मचारियों के स्वीकृत हैं? वर्तमान में उक्त में से कुल कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं? यदि, हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में रेन्जर का पद रिक्त है? यदि, हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि दो वर्षों तक रेन्जर का चार्ज एक वनपाल के पास रहा एवं उसने क्षेत्र में चल रहे कार्यों में अनियमितताएं की हैं? क्या क्षेत्र की जनता एवं जनप्रतिनिधियों ने शिकायत कर उस पर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाये हैं? यदि, हां, तो उक्त के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नियमित संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के 18 तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों के 50 पद आबंटित हैं। यह सभी पद भरे होने से वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं है।

(2) पद रिक्त नहीं होने से उन्हें भरे जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) जी नहीं।

(4) रेंज सिवाना के क्षेत्रीय का चार्ज दो वर्षों तक वनपाल के पास नहीं रहा है। रेंज का कार्यभार गत वर्षों में दो अवधियों में लगभग 6 माह के लिये वनपाल के पास रहा है। वनपाल के द्वारा अनियमितताएं करने के सम्बन्ध में सदस्य विधान सभा सिवाना से एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी प्रारम्भिक जांच सहायक वन संरक्षक, बाड़मेर द्वारा की जा रही है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र शिव में ताप बिजलीघर की स्थापना

207. श्री अमीन खान (शिव) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार तहसील शिव के ग्राम गिरल (बाड़मेर) में ताप बिजलीघर बनाने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार बाड़मेर जिले से कोयला बाहर भेजने के बजाय जिले में 125 मेगावाट का प्लांट लगाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ग्राम गिरल (बाड़मेर) में एक पावर प्लांट स्थापित करने हेतु फिजिबिलिटी ड्राफ्ट रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है जिसके पश्चात् ही उक्त पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

राजस्थान आवासन बोर्ड में व्याप्त अनियमितताएं

208. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ ने गत डेढ़ वर्षों के दौरान राज्य सरकार एवं आवासन मण्डल के प्रशासन को आवासन मण्डल में व्याप्त अनियमितताओं एवं अराजकता के विरुद्ध ज्ञापन/पत्रादि देकर जांच की मांग की है? यदि हां, तो उक्त ज्ञापनों/पत्रादि की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मण्डल में व्याप्त अनियमितताओं, अराजकता एवं राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करने पर जांच कार्य प्रारम्भ किया गया है? यदि, हां, तो किन-किन बिन्दुओं पर? जांच कार्य की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जांच दलों व राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल से जांच के लिए प्रस्तावित बिन्दुओं की मूल पत्रावलियां उपलब्ध नहीं कराने पर सरकार ने पत्र संख्या प.5 (12) नविवि/II/2001 दिनांक 10.9.2001 जारी किया है? यदि हां, तो क्या अब सभी मूल पत्रावलियां सरकार व मण्डल में जांच दलों को उपलब्ध हो गई हैं? यदि नहीं, तो ऐसी कितनी मूल पत्रावलियां हैं जो जांच दलों को नहीं दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ द्वारा विगत डेढ़ वर्षों के दौरान राज्य सरकार एवं आवासन मण्डल के प्रशासन को आवासन मण्डल में व्याप्त अनियमितताओं एवं अराजकता के विरुद्ध दिये गये ज्ञापन/पत्रादि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) हां यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल में रु. 8.00 करोड़ के कथित घोटाले की शिकायत के सम्बन्ध में तथा समाचार पत्रों में छपी खबर एवं शिकायत के सम्बन्ध में कुल दो प्रकरणों में राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के विशेष जांच दल द्वारा विशेष जांच का कार्य प्रारम्भ किया गया है। जांच कार्य प्रगति पर है। उक्त जांच

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

के सम्बन्ध में जांच दल द्वारा जिस रिकार्ड की मांग की गयी है, उनमें से अधिकांश रिकार्ड उपलब्ध करा दिया गया है एवं शेष उनकी मांग के अनुसार जांच दल को उपलब्ध कराया जा रहा है।

जांच दल के प्रभारी द्वारा मांगे गये रिकार्ड की स्थिति निम्नप्रकार से है :—

1- मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड की मूल पत्रावली अभी तक अपेक्षित है।

2- जांच दल के प्रभारी के अनुसार मांग-पत्र के बिन्दु संख्या 1, 2, 3 व 9 की पत्रावली जांच दल को उपलब्ध करा दी गयी है। शेष बिन्दुओं के सम्बन्ध में रिकार्ड उपलब्ध करवाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को पत्र लिख दिया गया है। जो रिकार्ड अभी तक अपेक्षित है उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र लिख दिया गया है। इसके अतिरिक्त मानसरोवर स्थित 203 दुकानों/भूखण्डों के आबंटन के सम्बन्ध में भी अनियमितता पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा इस संम्बन्ध में जांच कर आबंटन निरस्त करने के आदेश जारी किये गये थे, किन्तु इसी दौरान मानसरोवर व्यापार विकास समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लिये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा उनके पत्र दिनांक 25.7.2001 द्वारा निरस्तीकरण की कार्यवाही फिलहाल स्थगित करवाते हुये केवल उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों में सर्वश्री एम.एल.दुबे अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं टी.पी. मित्तल, उप आवासन आयुक्त का स्थानान्तरण क्रमशः जयपुर से बाहर जोधपुर एवं अलवर किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त संघ द्वारा विभिन्न मांग पत्रों में अनियमितता एवं अराजकता के बारे में जो उल्लेख किया गया है उसके सम्बन्ध में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर तथ्यात्मक रिपोर्ट। Facucal Report परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा मण्डल से सम्बन्धित पत्रावलियां प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां। यह सही है कि नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र संख्या प.5(12)नविवि/II/2001, दिनांक 10.9.2001 द्वारा मण्डल की धारा 60 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जारी निर्देशों

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

के तहत जांच दल को रिकार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। जांच कार्य प्रगति पर है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत सांवलपुरा तंवरान में सड़क निर्माण

209. श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत सांवलपुरा तंवरान में हरिपुरा मोड से कुडला बालाजी तक डामर सड़क या ग्रेवल सड़क की स्वीकृति हुई है ?

(2) उक्त सड़क की स्वीकृति कब हुई ? उक्त सड़क कितनी लम्बाई की स्वीकृत हुई है ?

(3) उक्त सड़क कार्य का ठेका किस ठेकेदार को दिया गया है ? क्या उक्त कार्य पूर्ण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्रेवल सड़क स्वीकृत हुई थी।

(2) उक्त सड़क दिनांक 4.1.1996 को 4 कि.मी. लम्बाई की स्वीकृत हुई थी।

(3) उक्त सड़क कार्य का ठेका श्री सन्तोष कुमार गुर्जर ठेकेदार नीमकाथाना को आबंटित किया गया था। कार्य स्वीकृति के अनुसार पूर्ण कर दिया गया है।

परिशिष्ट-2

(अतारांकित प्रश्न संख्या-344 की आदेश की प्रति)

राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लि., जयपुर

क्रमांक एफ : 1 राहाविनि/सं/99 दिनांक

कार्यालय आदेश

निगम के प्रोसेस हाउस में कार्यरत निम्न कर्मचारियों द्वारा आज दिनांक 6.7.1999 को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार तिथि से स्वीकृत किया जाता है :—

1. श्री नरोत्तम शरण शर्मा, सहायक 10.7.1999
2. श्री जैनुलआबदीन, सहायक 01.8.1999

उपरोक्त कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप इन्हें पांचवे वेतन आयोग के वेतन स्थरीकरण का लाभ 1.8.1998 से एवं अन्य राज्य सरकार/निगम द्वारा स्वीकृत लाभ/परिलाभ एवं स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लाभ के भुगतान नियमानुसार किया जायेगा। उपरोक्त कर्मचारियों को 9 वर्ष का चयनित वेतनमान का लाभ भी देय होगा। श्री नरोत्तम शर्मा को आज दिनांक तक के देय समस्त लाभों की गणना करने के पश्चात् 17 माह का भुगतान न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।

ह० /-

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

क्रमांक-न्याय\2001\1869 दिनांक 27.4.2001

प्रेषिति : प्रभारी अधिकारी (लीगल)
राज. स्टेट हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन
लिमिटेड, जयपुर।

विषय : राज. राज्य बनाम श्री नरोत्तम शर्मा व अन्य सैशन केस सं. 7/98

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक-एफ (7) दिनांक 26.4.2001

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि प्रकरण सरकार बनाम नरोत्तम शरण व प्रथम सूचना सं. 299/92 न्यायिक अभि सं. 7/98 थाना बांदीकुई जुर्म अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी/109/403बी/34, 323 में न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीन बांदीकुई निर्णय दिनांक 01.5.2000 के विरुद्ध अपील पेश नहीं की गई है।

ह०/-
जिला मजिस्ट्रेट,
दौसा

राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन लि., चौमूं हाउस, जयपुर

क्रमांक : एफ-1 राहाविनि\संस्था\2001 दिनांक :

कार्यालय आदेश

श्री नरोत्तम शर्मा, पूर्व सहायक, प्रोसेज हाउस को निगम के आदेश क्रमांक एफ 1 राहाविनि/संस्था/16892 दिनांक 12, अक्टूबर, 1992 को अपराधिक प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा के कारण निलम्बित किया गया था एवं निगम के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 1 राहाविनि/संख्या 93-94/21507 दिनांक 8.3.1994 के द्वारा बहाल किया गया था। उक्त प्रकरण के क्रम में न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान के निर्णय क्रमांक 97 दिनांक 1.5.2000 के द्वारा श्री शर्मा को आरोपों से दोष मुक्त किया गया है एवं कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट दौसा के पत्र क्रमांक न्याय/2001/1869 दिनांक 27.4.2001 के द्वारा न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश बांदीकुई के निर्णय दिनांक 1.5.2000 के विरुद्ध अपील नहीं की गई है। न्यायालय द्वारा श्री शर्मा को दोषमुक्त करार देने पर इस निगम के आदेश क्रमांक एफ राहाविनि संस्था/93-94/21507 दिनांक 8.3.1994 के क्रम में निलम्बनकाल 12.10.1992 से 8.3.1994 को निगम की सेवा मानने तथा इस अवधि में देय समस्त परिलाभों का भुगतान पूर्व में भुगतान किये गये निर्वाह भत्ते की कटौती करते हुए करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। निगम के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ (1) राहाविनि/संस्था/99/10061-10068 दिनांक 7.7.1999 के द्वारा श्री नरोत्तम शर्मा, पूर्व सहायक का स्वैच्छिक सेवा निवृति के देय परिलाभों में से रोके गये भुगतान रुपये 11781.00 का भुगतान भी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री नरोत्तम शर्मा को निगम द्वारा दिनांक 10.7.1999 को स्वैच्छिक सेवा निवृति दी जा चुकी है। निगम के अन्य कर्मचारियों के समक्ष देय माह जुलाई, 1999 से 10.7.1999 तक बढ़े हुए 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते के एरियर एवं बढ़े हुए महंगाई भत्ते के आधार पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के परिलाभों के एरियर राशि का श्री शर्मा का भुगतान किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह०/-
प्रबन्धक प्रशासन

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-345 की जांच रिपोर्ट की प्रति)

शिकायत विरुद्ध श्री रमेश चन्द शर्मा स्टेनो नगरपालिका सवाईमाधोपुर

उक्त विषयान्तर्गत श्री रमेश चन्द शर्मा के विरुद्ध श्री सिराजरसूल जेदी सवाईमाधोपुर द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत में वर्णित तथ्यों का सवाई माधोपुर कार्यालय जाकर रिकार्ड से जांच की गई एवं अधिशासी अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई जो तथ्य जांच के सामने आये हैं वो निम्नानुसार हैं :—

बिन्दु संख्या-1 : श्री मोहन लाल खण्डेलवाल को नगरपालिका द्वारा 16.5.1978 को नीलामी द्वारा एक भूखण्ड इंदिरा नगर योजना में 50 × 90 साइज का विक्रय किया गया था जिसकी नीलामी की राशि 16.5.1978 को जमा नहीं होने के कारण तत्कालीन अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उक्त नीलामी 22.5.1978 को निरस्त करते हुये अमानत राशि जप्त कर ली गई। नोटशीट की फोटो प्रति फ्लेग संख्या 1 पर अवलोकनीय है। तत्पश्चात् बिना किसी सक्षम आदेश के तत्कालीन केशियर श्री राधेश्याम शर्मा ने 1/4 राशि रु. 85,032/- रसीद सं. 2156/22 दिनांक 25.5.1978 को जमा करवाली। कैश बुक की फोटो प्रति फ्लेग नं. बी पर अवलोकनीय है यहां यह उल्लेखनीय है कि राशि भूखण्ड की बोली निरस्तर होने व अमानत राशि जप्त होने के उपरान्त पर नियम विरुद्ध जमा की गयी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नगरपालिका के पत्र सं. 279 दिनांक 8.5.1985 से निदेशालय को यह सूचना भेजी गई है कि यह राशि 16.5.1978 को जमा हो गई थी पत्र की फोटो प्रति फ्लेग नं. सी पर अवलोकनीय है यह पत्र जैसा कि नोटशीट की फोटोकापी का अवलोकन करने से भी रमेश चन्द शर्मा के बयान से इसकी पुष्टि होती है श्री शर्मा द्वारा तैयार किया जाकर, श्री दीवान सिंह सहायक अभियन्ता जो कि उस समय नगरपालिका सवाईमाधोपुर में प्रतिनियुक्ति पर थे। उनके हस्ताक्षर से भिजवाया गया था। न्यायालय सम्भागीय आयुक्त कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.10.1991 को श्री खण्डेलवाल के पक्ष में निर्णय इस पत्र के आधार पर यह मानते हुये दिया है कि राशि दिनांक 16.5.1978 को जमा करा दी गई है इस प्रकार इस पत्र के द्वारा निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज. जयपुर एवं श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त कोटा को असत्य रिपोर्ट दी गई है यह इस रिपोर्ट के आधार पर ही श्री खण्डेलवाल के पक्ष में श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा फैसला किया गया है। यह कृत्य उच्चाधिकारियों को गुमराह करने की श्रेणी में आता है।

बिन्दु सं. 2 : नगरपालिका द्वारा 10.9.1980 को नीलामी द्वारा भूखण्ड सं. 2 व 3 श्री नवरंग कुमार को विक्रय किया गया। उसकी 1/4 राशि नीलामी तिथि को ही जमा करा ली गई तथा शेष न्यायालय का "स्टे" होने के कारण जमा नहीं करवाई गई। न्यायालय का "स्टे" दिनांक 27.7.1983 को "स्टे" कन्वर्ज हुआ। 10.9.1980 के पश्चात् लगभग 2 1/2 वर्ष तक राशि जमा नहीं करवाई गई थी। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक तथ्य है कि न्यायालय के "स्टे" के बावजूद भूखण्ड में से 20/10 भूखण्ड का नक्शा यह कहते हुये पास किया गया कि 1/4 राशि जमा है और स्वीकृति भूखण्ड के 1/4 भाग से कम कर दी जा रही है यह स्वीकृति नियम विरुद्ध है और न्यायालय के कन्टेम की श्रेणी में आती है।

यह स्वीकृति श्री रमेश चन्द शर्मा व अधिशासी अधिकारी श्री रोशन सिंह शेखावत आयुक्त द्वारा जारी की गई थी।

बिन्दु सं. 3 : प्रेम नगर योजना का भूखण्ड नं. 5 श्री सिराजुद्दीन जेदी को नीलाम किया गया था। वह 3/4 राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त कर पुनः नीलाम किया गया। जिसके विरुद्ध मामला उच्च न्यायालय में जैरेकार है।

इस प्रकार जांच में यह तथ्य सामने आये हैं कि श्री रमेश चन्द शर्मा स्टेनो के द्वारा प्रकरण नं. 1 व 2 में नियम विरुद्ध कार्यवाही की गई है। प्रकरण नम्बर 1 में तो उच्चाधिकारियों और न्यायालय को गुमराह किया गया।

ह०/-
(भागवन्ती जेठवानी)
जांच अधिकारी एवं
क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय
विभाग रामपुरा, कोटा

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-348 का विवरण)

रिक्त पदों का विवरण वर्ष 1995 से 2001 तक

कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

कनिष्ठ लिपिक

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1995-96	221	221	–
1996-97	221	201	15 नवीन स्वीकृत
1997-98	226	216	10 नवीन स्वीकृत 9.4.1997 को
1998-99	170	164	6
1999-2000	170	170	–
2000-2001	170	170	–

स्टेनोग्राफर जूनियर

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1995-96	7	7	–
1996-97	7	6	1 (6 पदों की नवीन स्वीकृति 9.4.97 को)
1997-98	13	6	7
1998-99	13	12	1
1999-2000	13	12	1
2000-2001	13	9	4

ह०/-
आयुक्त (कार्मिक)
जयपुर नगर निगम

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-349 का विवरण)

योजना का विवरण

नगरपालिका ने राजीव नगर आवासीय योजना (आई.डी.पी.) के अन्तर्गत आवासीय योजना की समस्या का समाधान करने हेतु आवासीय योजना 1988 में बनाई गयी। तथा 1992 में योजना संशोधित हुई। संशोधित योजना में 99 भूखण्ड आवासीय साइज :—

प्लाट की माप	प्लाटों की संख्या	एफ. F	आर. R	एस. S
40 × 90 फुट	3	20	10	10 फुट
40 × 70 फुट	14	20	10	10 फुट
30 × 60 फुट	41	15	10	5 फुट
25 × 50 फुट	36	10	5	5 फुट

एवं वाणिज्यिक दुकाने 10 × 20 फुट की साइज में 32 दुकाने स्वीकृत हैं। स्कीम कृषि भूमि खातेदारी श्री तेजाराम पुत्र तोलाजी गोयल द्वारा 35 बीघा 4 बिस्वा व उमाराम पुत्र खसाजी व अन्य द्वारा कृषि भूमि 3 बीघा। बिस्वा विक्रय-विलेख द्वारा दिनांक 27.3.1989 व 12.7.1989 को पालिका द्वारा क्रय की गई। एवं न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सिरोही में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही बनाम नगरपालिका का फैसला दिनांक 2.3.1994 में हुआ उसके पश्चात भंवर लाल पुत्र तेजाराम गोयल जाति मेघवाल बनाम तहसीलदार सिरोही जिला कलक्टर, सिरोही, प्रशाषक नगरपालिका सिरोही व अन्य का निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सिरोही 28.9.2001 को हुआ। पुनः पालिका बोर्ड के प्रस्ताव सं. 6 दिनांक 30.6.2001 के द्वारा राजीव नगर आवासीय भूखण्ड आबंटन हेतु आवेदन पत्र पालिका द्वारा आमंत्रित की जा कर आबंटन की कार्यवाही जारी है।

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-354 की सूची) परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम	कार्य का नाम
1.	सूर्या कंस्ट्रक्शन कं.	जोन बी-2 क्षेत्र में सड़कों के नवीनीकरण का कार्य।
2.	सूर्या कंस्ट्रक्शन कं.	वैशाली मार्ग से सिरसी रोड को जोड़ने वाली 40 फीट चौड़ी सड़कों का निर्माण कार्य।
3.	सूर्या कंस्ट्रक्शन कं.	सैक्टर 26 में मुख्य सैक्टर रोड पर पेवर का कार्य।
4.	सूर्या कंस्ट्रक्शन कं.	लोहा मण्डी योजना की अप्रोच एवं आंतरिक सड़क निर्माण कार्य।
5.	सूर्या कंस्ट्रक्शन कं.	200 फीट चौडी सैक्टर रोड मुरलीपुरा का सुदृढ़िकरण एवं नाली निर्माण कार्य।
6.	सूर्या कंस्ट्रक्शन कं.	कंस्ट्रक्शन आफ रोड ड्रेन एण्ड अदर डवलपमेंट वर्क एट गोपालपुरा फलाई ओवर
7.	सूर्या कंस्ट्रक्शन कं.	कंस्ट्रक्शन आफ रोड ड्रेन एण्ड अदर डवलमेंट वर्क एट सांगानेर फलाई ओवर
8.	सूर्या कंस्ट्रक्शन कं.	न्यू सांगानेर रोड पर पश्चिमी छोर पर सर्विस लेन बनाने का कार्य। (कार्य आदेश जारी नहीं हुआ हैं।

परिशिष्ट "ब"

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक	कार्य पूर्ण की प्रस्तावित दिनांक
1.	जोन बी-2 क्षेत्र में सड़कों के नवीनीकरण का कार्य	3.6.2001	29.6.2001
2.	वैशाली मार्ग से सिरसी रोड को जोड़ने वाली	17.9.2001	14.12.2001
3.	सैक्टर 26 में मुख्य सैक्टर रोड पर पेवर का कार्य	25.10.2001	31.10.2001
4.	लोहा मण्डी योजना की अप्रोच एवं आंतरिक सड़कों का निर्माण कार्य।	3.2.2001	2.8.2001
5.	200 फीट चौडी सैक्टर रोड मुरलीपुरा का सुदृढ़िकरण एवं नाली निर्माण कार्य।	3.10.2001	7.3.2002
6.	कंस्ट्रक्शन आफ रोड ड्रेन एण्ड अदर डवलपमेंट	6.1.2001	22.3.2001
7.	कंस्ट्रक्शन आफ रोड क्रेन एंण्ड अदर डवलपमेंट वर्क एट सांगानेर फलाई ओवर	23.12.2000	22.3.2001

परिशिष्ट "स"

क्र.सं.	कार्य का नाम	शास्ती की स्थिति
1.	जोन बी-2 क्षेत्र में सड़कों के नवीनीकरण का कार्य	जी नहीं।
2.	सैक्टर 25 में मुख्य सैक्टर रोड पर पेवर का कार्य।	जी नहीं।
3.	लोहा मण्डी योजना के अप्रोज एवं आंतरिक सड़क निर्माण कार्य।	जी नहीं।
4.	कंस्ट्रक्शन आफ रोड ड्रेन एण्ड अदर डवलपमेंट वर्क एट गोपालपुरा फलाई ओवर।	जी नहीं।
5.	कंस्ट्रक्शन आफ रोड ड्रेन एण्ड अदर डवलपमेंट वर्क एट सांगानेर फलाई ओवर।	जी नहीं।

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-358 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

1 अप्रैल, 2000 से 31 अगस्त 2001 तक विधान सभा क्षेत्र (बडी सादड़ी) के अन्तर्गत आने वाले थानों पर हत्या एवं तस्करी के थानेवार दर्ज अभियोग मय निस्तारण स्थिति

क्रम सं.	नाम पुलिस थाना	शीर्षक	कुल दर्ज अभियोग	आखरी नतीजा			चालान	पेन्डिंग
				F.R. अ.व.	F.R. अ.प.	F.R. अ.स.		
1.	धमोतर	हत्या	1	–	–	–	1	–
		तस्करी	32	–	–	–	32	–
2	निकुम	हत्या	1	–	–	–	1	–
		तस्करी	10	–	–	–	10	–
3.	भादसौड़ा	हत्या	2	–	1	–	1	–
		तस्करी	19	–	–	–	19	–
4.	रठाजंना	हत्या	1	–	–	–	1	–
		तस्करी	44	–	1	–	43	–
5.	डूंगला	हत्या	1	–	–	–	1	–
		तस्करी	20	–	–	–	20	–
6.	बड़ी सादड़ी	हत्या	—	—	—	—	—	—
		तस्करी	53	–	–	–	53	–
7.	जाखम	हत्या	—	—	—	—	—	—
		तस्करी	14	–	–	–	14	–
8.	**कुल योग**	**हत्या**	**6**	–	**1**	–	**5**	–
		तस्करी	**192**	–	**1**	–	**191**	–

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-359 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

जयपुर शहर में वर्ष 1999 से 31 मार्च, 2001 तक विभिन्न थानों में हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती, एवं राहजनी से सम्बन्धित पंजीबद्ध हुये मुकदमों का निस्तरण शीर्षकवार निम्न में अंकित हैं

क्र.सं.	अपराध शीर्षक	कुल दर्ज अभियोग	अदमवकू	अदम तफतीश	अदम सबूत	अदमपता	पेंडिंग	चालान
1.	हत्या	94	13	–	2	15	–	64
2.	लूट	99	21	–	–	27	1	50
3.	राहजनी	58	4	–	–	30	–	24
4.	चौरियां	6873	347	3	–	5282	2	1239
5.	डकैती	10	–	–	–	1	–	9

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-368 की सूची) परिशिष्ट "अ"

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अजमेर जिले में वर्ष 2000 – 2001 में स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	पैकेज सं.	स्वीकृत राशि	दिनांक	व्यय राशि 10/2001 तक (लाखों में)	विशेष विवरण
1.	सम्पर्क सड़क स्यार	आरजे-01-01	12.20	21.5.2001	11.27	बी.टी. कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर
2.	सम्पर्क सड़क बिड़ला	आरजे-01-01	72.90	21.5.2001	43.36	बी.टी. कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर
3.	सम्पर्क सड़क श्रीरामपुरा	आरजे-01-01	19.13	21.5.2001	12.71	बी.टी. कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर
4.	सम्पर्क सड़क फारकिया	आरजे-01-01	27.40	21.5.2001	21.87	बी.टी. कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर
5.	सम्पर्क सड़क चौसला	आरजे. 01 – 02	25.90	21.5.2001	00.72	बीसलपुर बांध की डूब में आने के कारण नहीं बनाई जा रही है।
6.	सम्पर्क सड़क जसवंतपुरा	आरजे. 01 – 02	38.60	21.5.2001	27.62	बी.टी. कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर
7.	सम्पर्क सड़क मगरी	आरजे. 01 – 02	27.80	21.5.2001	13.37	बी.टी. कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर
8.	सम्पर्क सड़क चांवडिया	आरजे. 01 – 02	16.25	21.5.2001	09.90	बी.टी. कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर
9.	सम्पर्क सड़क राघपुरा	आरजे. 01 – 02	14.20	21.5.2001	11.82	बी.टी. कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-369 के पत्र की प्रति)

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर

क्रमांक : प.26(1)जेआरवाई\साक्षेविया\95-96\1594 दिनांक : 6-12-95

कार्यालय-आदेश

सांसद श्री कुंजीलाल मीना द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित कार्यों को उनके सामने अंकित राशि की सांसद महोदय के सांसद कोटे से सांसद स्थनीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	कियान्वयन विभाग का नाम
1	2	3	4
1.	राप्रावि. धाधूरेत (सपोटरा) एक कमरा	0.48 लाख	वि.अ.प.स. सपोटरा
2.	राप्रावि. अलवतकी (सपोटरा) एक कमरा	0.48 लाख	वि.अ.प.स. सपोटरा
3.	राप्रावि. महमदपुर (सपोटरा) एक कमरा	0.48 लाख	वि.अ.प.स. सपोटरा
4.	राप्रावि. एकट (सपोटरा) एक कमरा	0.48 लाख	वि.अ.प.स. सपोटरा
5.	राप्रावि. कोटराढहर (हिण्डौन) एक कमरा	0.48 लाख	वि.अ.प.स. हिण्डौन
6.	राप्रावि. नंग सूरोठ (हिण्डौन) एक कमरा	0.82 लाख	वि.अ.प.स. हिण्डौन
7.	राप्रावि. गूजर गेलेता (वामनवास) एक कमरा	0.48 लाख	वि.अ.प.स. वामनवास
8.	राप्रावि. टोडूकापुरा (हिण्डौन) एक कमरा	0.82 लाख	वि.अ.प.स. हिण्डौन
9.	सीमावि. कटकड (हिण्डौन) एक कमरा	1.62 लाख	वि.अ.प.स. हिण्डौन
10.	ग्राम पंचायत डूंगरवाड़ा (वामनवास) प्राथमिक विद्यालय में एक कमरा निर्माण	0.48 लाख	वि.अ.प.स. वामनवास
11.	प्रा. वि. ग्राम पंचायत रायसना ग्रामबाढ एक कमरा	0.48 लाख	वि.अ.प.स. नादौती

1	2	3	4
12.	रा. वि. सोलपुर ग्राम पं. ईसरदा एक कमरा	0.48 लाख	वि.अ.प.स. स.मा.
13.	वोडागांव सपोटरा से लिंक रोड डाबरा ग्रेवल रोड 1 किमी.	2.00 लाख	अधि.अभि.नि.वि. करोली
14.	कैलागांव भगतकापुरा में कूप निर्माण	1.00 लाख	वि.अ.प.सं. करौली
15.	रामकुण्ड (गढ़मोठियापुरा) में मवेशी व जनता पेयजल टेंक	0.50 लाख	वि.अ.प.स. हिण्डौन
16.	जीत की खोह ग्रा. पं. मोठियापुरा (1 कूप)	0.50 लाख	वि.अ.प.स.हिण्डौन
17.	लाखनपर घाटी की कटाई (रोड)	5.00 लाख	अधि.अभि.सा.नि.वि.स.मा.
18.	रा. महा. वि. गंगापुर पुस्तकालय कमरा निर्माण	2.00 लाख	वि.अ.पं. गंगापुरसिटी
19.	बागरिया ढाणी ग्रा.पं. भावड एक कूप	0.50 लाख	वि.अ.पं.स. वामनवास
20.	कुंचागाबिचपुरी के मध्य नाले पर रूठी ढाणी के पास पुलिया निर्माण	2.00 लाख	अधि.अभि.सा.जि.वि.स.मा.
21.	ढाणी गदली मलियान ग्रा.प. मण्डल कूप निर्माण	0.50 लाख	वि.अ.पं.स. वामनवास
22.	कैमा माली मोहल्ला एक कूप	0.50 लाख	वि.अ.पं. नादौती
23.	ग्राम गावडा में सार्वजनिक कूप एक	1.50 लाख	वि.अ.पं.स. हिण्डौन
24.	ग्राम फेलीकापुरा सामु. भवन	1.00 लाख	वि.अ.पं.स. हिण्डौन
25.	ग्राम भोपारा (मरमदा) सामु. भवन	1.00 लाख	वि.अ.पं.स. सपोटरा
26.	ग्राम बरेड़ा में हरिजन मौहल्ले में नलकूप	0.70 लाख	वि.अ.पं.स. हिण्डौन
27.	ग्राम बन्धनकापुरा ग्राम पांचयत निभेरा	0.70 लाख	वि.अ.पं.स. सपोटरा
28.	ग्राम पंचायत जड़ावता में कोशाली पुलिया निर्माण	0.50 लाख	अधि.अभि.सा.नि.वि.स.मा
29.	ग्राम भेसखेड़ा को विश्व बैंक द्वारा निर्मित लिंक रोड़ से जोड़ना	2.00 लाख	अधि.अभि.सा.नि.वि.स.मा

स्वीकृति की शर्ते :

1. सांसद योजना में वर्णित दिशा निर्देशों एवं राज्य सरकार से समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्य करवाया जावे।

2. ग्रामीण कार्य निर्देशिका में वर्णित दिशा-निर्देश एवं तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कार्य करवाया जावे।

3. कार्य करवाने से पूर्व सक्षम अधिकारी से तखमीना एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जावे।

4. इस योजना के तीत दी गयी अग्रिम राशि के लेखों को अलग से संधारण लिखा जावे एवं राशि का उपयोग अन्य योजना में स्वीकृत कार्यों पर नहीं किया जावे।

5. योजना में स्वीकृत कार्यों का होने वाले व्ययों के अलावा अन्य व्यय मान्य नहीं होंगे।

6. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में अभिरणों को भिजवाये।

7. योजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 2 तारीख को आवश्यक रूप से निर्धारित प्रारूप में भिजवाये।

8. इस राशि का व्यय सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से किया जावे।

नोट : रु. 0.48 लाख स्वीकृत राशि कमरों का साइज 20 × 15 मीटर एवं 0.82 लाख स्वीकृत कमरों की साइज 20 × 18 फीट एवं 8 फीट चौड़ा बरामद होगा।

ह० /-
अतिरिक्त कलक्टर (विकास)
सवाईमाधोपुर
दिनांक : 6.12.1996

कार्यालय जिला ग्रामीण अभिकरण सवाईमाधोपुर

क्रमांक : 2022-24 दिनांक : फरवरी,2001

अधिशासी अभियन्ता

सा.नि.विभाग खण्ड

सवाईमाधोपुर/गंगापुर सिटी

विषय : सांसद योजनान्तर्गत स्वीकृत ग्राम कुआं गांव व बिचपुरी के मध्य पुलिया निर्माण बाबत्।

प्रसंग : अभिकरण का पत्र क्रमांक 1170 दिनांक 31.3.2000.

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि पूर्व सांसद श्री कुंजीलाल मीना द्वारा प्रस्तावित कार्य कुआं गांव व बिचपुरी के मध्य पुलिया निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसको 6 वर्ष का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी उक्त कार्य प्रारम्भ कराकर बंद कर दिया गया किन्तु पूर्ण नहीं कराया गया है। पूर्व में आप द्वारा स्थान विवाद होना बताते हुए कार्य बंद कर दिया गया था जबकि उक्त कार्य पर जो विवाद था उसका निपटारा किया जा चुका है। जिसके संदर्भ में आपको, विकास अधिकारी बामनवास को विधायक महोदय के साथ मौका देखा जाना था किन्तु जिला कलक्टर महोदय के समक्ष निर्णय होने के उपरान्त भी आप द्वारा अभी तक मौका नहीं देखा गया है। जो बड़े खेद का विषय है। न ही आप द्वारा पूर्व प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में कोई जवाब भिजवाया गया है। पुनः माननीय विधायक महोदय ने उक्त कार्य को शुरू करवा कर शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु लिखा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य को अविलम्ब प्रारम्भ करवा कर इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

ह०/-

अतिरिक्त कलक्टर (विकास)

सवाईमाधोपुर

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-372 की सूची)

परिशिष्ठ "अ"

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में निम्न सड़कें क्षतिग्रस्त है :—

क्र. सं.	सड़क का नाम	निर्माण वर्ष	नवीनीकरण वर्ष (आंशिक किमी. में)
1.	जयपुर जोबनेर-पचकोड़िया-भादवा सड़क	1975 से पूर्व	1985, 87, 88, 92, 93,97, एवं 99
2.	फुलेरा-जोबनेर सड़क	1965 से पूर्व	87, 88, 93, 96 एवं 99
3.	पचकोड़िया-लोहरवाड़ा सड़क	1987 से पूर्व	1987, 94
4.	लालपुर से हिंगोनिया सड़क	1987 से पूर्व	1992, 96
5.	हरसोली से हिंगोनिया सड़क	—"—	1987, 90, 92 एवं 99
6.	सम्पर्क सड़क भैंसवा	1995	–
7.	बागावास-बधाल सड़क	1984 से पूर्व	1984, 87, 92, 93, 96
8.	रेनवाल से मलिकपुरा सड़क	1986 से पूर्व	—
9.	जोबनेर-कोडी-सिनोदिया सड़क	1988 से पूर्व	1988,89 एवं 99
10.	काजीपुरा से खण्डेल सड़क	1991 से पूर्व	1991 एवं 96
11.	महला-जोबनेर सड़क	1955	1990 एवं 1999
12.	पचकोड़िया से हिंगोनिया वाया खीरवा	1996 से पूर्व	1996 एवं 1999
13.	फुलेरा से काचरोदा	1985 से पूर्व	—
14.	खण्डेल से सूरसिंहपुरा	1995-96	–
15.	सम्पर्क सड़क डूंगरी	1995-96	–
16.	सीकर रेनवाल पचकोड़िया सड़क	1957	1992,94,99
17.	बासडी खुर्द से बाघावास	1995	–
18.	लूनियावास से बधाल	1995	–
19.	प्रतापपुरा से रामजीपुर कलां	1986	–
20.	फुलेरा बाईपास	1998	–
21.	सांभर से श्यामीयों की ढाणी	1995 से पूर्व	—

उक्त सड़कों के मरम्मत कार्य भी समय—समय पर करवाये जाते रहे हैं।

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-376 का विवरण)

नागौर जिले में कार्यरत 220/132 के.वी. और 132/33 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन पर स्थापित क्षमता व स्वीकृत भार का विवरण

क्र. सं.	ग्रिड सब—स्टेशन का नाम	जी.एस.एस. पर स्थापित क्षमता (एम.वी.ए.में)	जी.एस.एस. पर स्वीकृत 33/11 के.वी. उप चौकियों की क्षमता एम.वी.ए. में (स्वीकृत भार)
220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन			
1.	मेड़ता सिटी	150	116
2.	नागौर	200	141.6
3.	कुचामन	100	151.25
132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन			
1.	मेड़ता सिटी	56	114.79
2.	गोटन	26.5	26.38
3.	कुचेरा	50	56.18
4.	खींवसर	25	28.90
5.	डीडवाना	50	45.55
6.	नावां सिटी	25	23.70
7.	लाम्बाजाटन	25	34.10
8.	मकराना	64.25	93.88
9.	भैरुन्दा	32.5	50.55
10.	चितावा	12.5	21.05
11.	मोलासर	25	25.10

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-381 की सूची)

DISCOM WISE STATUS OF SPECIAL SCHEME FOR RELEASE OF AGRICUL TURE CONNECTIONS AS ON 31st OCTOBER, 2001 CALCULATED OVER TELEPHONE

S.NO.	NAME OF DISCOM DISTRICT	APPL RECD.	D.N. ISSUED	D.N. DEPTD.	Conns. Released during			TOTAL	TOTAL AMOUNT RECD. (Rs. IN LACS)
					1999-2000	2000-2001	2001-2002		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(A) JAIPUR DISCOM									
1.	ALWAR	1437	1066	930	15	552	142	709	269.62
2.	BARAN	167	144	119	7	93	12	112	30.71
3.	BHARATPUR	41	30	27	0	19	0	19	5.85
4.	BUNDI*	1035	810	632	0	294	181	475	150.10
5.	DAUSA	796	517	401	0	193	119	312	166.48
6.	DHOLPUR	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	JAIPUR	5260	3727	3074	4	1151	799	1954	181.76
8.	JHALAWAR	127	118	104	2	57	36	95	25.66
9.	KOTA*	282	281	273	0	195	81	276	27.43
10.	S. MADHOPUR	280	191	163	9	99	39	147	65.98
11.	TONK	158	151	142	14	96	29	139	49.30
12.	KARAULI	160	96	74	1	32	14	47	26.45
SUB-TOTAL(A)		**9743**	**7131**	**5939**	**52**	**2781**	**1452**	**4285**	**999.34**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(B) AJMER DISCOM									
1.	AJMER	556	466	376	5	249	113	367	131.15
2.	BANSWARA	34	33	32	1	11	20	32	9.5
3.	BHILWARA	754	675	647	28	425	56	509	152.57
4.	CHITTORGARH	1753	1512	1254	1	541	328	870	400.57
5.	DUNGARPUR	69	68	61	13	28	18	59	26.02
6.	JHUNJHUNU	2720	2381	1862	2	1445	144	1591	858.01
7.	NAGAUR (Ex. PS Ladnu)	1789	1689	1387	18	993	317	1328	702.38
8.	RAJSAMAND	379	318	188	14	119	22	155	18.70
9.	SIKAR	3099	1874	1605	3	1071	265	1339	893.50
10.	UDAIPUR	602	551	387	14	221	60	295	27.07
SUB-TOTAL (B)		**11755**	**9567**	**7799**	**99**	**5103**	**1343**	**6545**	**3219.47**
(C) JODHPUR DISCOM									
1.	BARMER	2247	1561	1310	10	700	307	1017	859.08
2.	BIKANER	455	294	273	25	149	99	273	214.41
3.	CHURU	556	293	225	5	192	16	213	158.92
4.	NAGAUR (P.S. Ladnu only)	68	54	47	0	23	10	33	31.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	JAISALMER	15	12	9	0	8	1	9	6.25
6.	JALORE	4610	3005	2577	11	2006	363	2380	1488.16
7.	JODHPUR	1233	1069	870	111	688	59	858	583.10
8.	HANUMA-NGARH	588	569	551	23	474	54	551	189.35
9.	PALI	1037	887	751	28	587	114	729	296.48
10.	SIROHI	633	437	387	43	289	36	368	129.91
11.	S.GANGA-NAGAR	385	358	343	22	296	20	338	108.25
SUB–TOTAL (C)		11827	8539	7343	278	5412	1079	6769	4065.89
GRAND TOTAL (A+B+C)		**33325**	**25237**	**21081**	**429**	**13296**	**3874**	**17599**	**8284.70**

* Corrected as per circle office report.

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-390 की सूची)

शंकर भवर निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

योजना का नाम : वरुणविहार—ए

स्थित : ग्राम पालड़ी मीणा, आगरा रोड, जयपुर

क्रमांक	सदस्य का नाम	प्लाट नं.	वर्गगज
1	2	3	4
1.	श्री गोकुल प्रसाद गोठवाल पुत्री श्री कल्याण प्रसाद गोठवाल	1	
2.	श्री धर्मचन्द पुत्र श्री मदनलाल महावर	2	
3.	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री गयारसी लाल	3	
4.	श्री मोहन लाल पुत्र श्री घीसी लाल	4	
5.	श्री रामलाल महावर पुत्र श्री तुलसीराम महावर	5	
6.	श्री मोहन लाल पुत्र नानगराम खुर्रा	7	
7.	श्री रोशनलाल पुत्र श्री बुद्धाराम महावर	7	
8.	श्री गोपीलाल पुत्र श्री गोपीचन्द जी	8	
9.	श्री बाबुलाल पुत्र श्री दयाल महावर	9	
10.	श्री आनन्दी लाल पुत्र श्री टोडरमल महावर	10	
11.	श्री बाबूलाल पुत्र श्री मोतीलाल महावर	11	
12.	श्री पन्नालाल पुत्र श्री गोरी लाल	12	
13.	श्रीमती मन्नी देवी पत्नी श्री मुन्ना लाल महावर	13	
14.	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री घासीराम महावर	14	
15.	श्रीमती तारा देवी पत्नी श्री छोटीलाल महावर	15	
16.	श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री छोटीलाल महावर	16	

1	2	3	4
17.	श्री राजूलाल पुत्र श्री चौथमल	17	
18.	श्री धन्नाराम पुत्र श्री प्रताप महावर	18	
19.	श्री गोपाल महावर पुत्र श्री भौरीलाल महावर	19	
20.	श्री कौशल कुमार पुत्र श्री भीमसेन महावर	20	
21.	श्री लादूराम महावर पुत्र श्री हरसहाय महावर	21	
22.	श्रीमती दुलीबाई पत्नी श्री जगन्नाथ महावर	22	
23.	श्री हरिनारायण महावर पुत्र श्री पूरणमल	23	
24.	श्रीमती कृष्ण कुमार पत्नी श्री जुगलकिशोर महावर	24	
25.	श्री खेमचन्द पुत्र श्री डालूराम महावर	25	
26.	श्री हीरालाल पुत्र श्री रूपचन्द	26	
27.	श्री केशर लाल पुत्र श्री रूपचन्द महावर	27	
28.	श्री महादेव पुत्र श्री गोपीराम महावर	28	
29.	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री महादेव महावर	29	
30.	श्री मांगीलाल पुत्र श्री सेवाराम महावर	30	
31.	श्री कान्ती प्रसाद पुत्र श्री धन्नालाल महावर	31	
32.	श्री देवीलाल पुत्र श्री रामसहाय महावर	32	
33.	श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री मदनलाल महावर	33	
34.	श्री मदन लाल पुत्र श्री हुक्कम चन्द महावर	34	
35.	श्री हेमन्त कुमार महावर पुत्र श्री बलदेव प्रसाद	35	
36.	श्री चौथमल पुत्र श्री बृजमोहन	36	
37.	श्री रूपनारायण पुत्र श्री भीमचन्द महावर	37	
38.	श्री सोहनलाल पुत्र श्री रामचन्द महावर	38	

1	2	3	4
39.	श्री महेशचन्द पुत्र श्री दुर्गालाल महावर	39	
40.	श्री हीरालाल पुत्र श्री राधेश्याम महावर	40	
41.	श्री घनश्याम पुत्र श्री राधेश्याम महावर	41/42/43/44	
43.	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मोहनलाल सेन	45	
44.	श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी श्री कबूलचन्द गुप्ता	46	
45.	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद जांगिड़	47	
46.	श्री रोडूराम पुत्र श्री सीताराम महावर	48	
47.	श्री पोखर महावर पुत्र श्री ताराचन्द महावर	49	
48.	श्री रामअवतार पुत्र श्री रामकरण	50	
49.	श्री रामअवतार पुत्र श्री रामकरण	51	
50.	श्री तुलसीराम पुत्र श्री धन्नराम	52	
51.	श्री प्रकाश नट पुत्र श्री हीरालाल	53	
52.	श्री भगवान पुत्र श्री भूपालसिंह	54	
53.	श्री मोहनलाल सेन पुत्र श्री रामधन सेन	55	
54.	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री विश्म्भर सिंह	56	
55.	श्री रामफूल मीणा पुत्र श्री मंगलराम मीणा	57	
56.	श्री शंकरलाल मीणा पुत्र श्री मंगलराम मीणा	58	
57.	श्री छोटीलाल महावर पुत्र श्री भूराराम महावर	59	
58.	श्रीमती शांतिदेवी पत्नी श्री नन्दाराम टेलर्स	60	
59.	श्रीमती चन्दा देवी पत्नी श्री बंशीधर शर्मा	61	
60.	श्रीमती सीतादेवी शर्मा पत्नी श्री रमेशचन्द्र शर्मा	62	
61.	श्री लक्ष्मण महावर पुत्र श्री दौलतराम महावर	63	
62.	श्री पांचूराम महावर पुत्र श्री नेनूराम महावर	64	

1	2	3	4
63.	श्री धन्नालाल पुत्र श्री नेनूराम महावर	65	
64.	श्री फूलचन्द पुत्र श्री किशनलाल	66	
65.	श्रीमती रुकमणी देवी पत्नी श्री पोखरमल	67	
66.	श्रीमती छोटीदेवी पत्नी श्री रूपनारायण	68	
67.	श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी श्री टीकमचन्द	69	
68.	श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी श्री टीकमचन्द		
69.	श्री गोपाल पुत्र श्री राधेश्याम	70	
70.	श्रीमती हरदेवी पत्नी श्री टेकचन्द महावर	71	
71.	श्रीमती गोरीदेवी पत्नी श्री बाबूलाल	72	
72.	श्री फूलचन्द पुत्र श्री दामोदर लाल सैनी	73	
73.	श्रीमती धन्नी देवी पत्नी श्री टीकमचन्द	74	
74.	श्री ओमप्रकाश छिपा पुत्र श्री सीताराम छिपा	75	
75.	श्रीमती अनोखीदेवी पत्नी श्री सीताराम शर्मा	76	
76.	श्री द्वारका प्रसाद सर्राफ पुत्र श्री रामगोपाल सर्राफ	77	
77.	श्री खूबचन्द शर्मा पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा	78	
78.	श्री चेतराम पुत्र श्री जंगलीराम	79	
79.	श्री कैलाशचन्द पुत्र श्री भगवान सहाय	80	
80.	श्री कैलाशचन्द पुत्र श्री भगवान सहाय	81	

नोट : आबंटन पत्र/रसीद/साइट प्लाट देखने व जांच के उपरान्त ही सूची में दिये नामों को वैध माना जावे।

एस.डी.

उपरोक्त सूची समिति के भू.पू. मंत्री श्री नन्दकिशोर द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

एस.डी.

निरीक्षक कार्यकारी

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-392 की सूची) परिशिष्ट "अ"

कुजटी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि.

21.9.1999 से 27.1.1999 तक का भुगतान लिस्ट

क्र.सं.	नाम सदस्य	दुग्ध राशि (रु. पैसे)
1	2	3
1.	श्री मलाराम पुत्र श्री आसाराम	71.90
2.	श्री लिक्षमण राम गोदारा	186.21
3.	श्री मूलाराम	97.78
4.	श्री गोपालराम	106.95
5.	श्री रेखाराम मंदिया	700.02
6.	श्री भोडाराम धोरी	162.67
7.	श्री केसाराम पुत्र गणेशा	152.00
8.	श्री हरूराम नाई	48.67
9.	श्री रामनारायण	205.47
10.	श्री बुदाराम कुकणा	341.79
11.	श्री भेराराम	310.30
12.	श्री श्रवणराम	115.83
13.	श्री मोहनराम	233.44
14.	श्री भागीरथ	418.26
15.	श्री चोलाराम	40.65
16.	श्री चोलाराम धोरी	74.00
17.	श्री लिछमणराम	207.67
18.	श्री देदाराम	190.31

1	2	3
19.	श्री चोथाराम	39.83
20.	श्री शिवदासराम	645.48
21.	श्री जेठाराम	218.17
22.	श्री हरीराम	166.20
23.	श्री धनाराम	79.35
24.	श्री सावताराम सुधार	48.13
25.	श्री दुर्गाराम	174.82
26.	श्री भीखाराम	126.26
27.	श्री रामूराम नेण	68.28
28.	श्री रामेश्वर तरड	183.53
29.	श्री रामेश्वर/रामचन्द	241.61
30.	श्री हरीराम मू.	357.25
31.	श्री लेखराम	583.41
32.	श्री गिरधारी	605.52

ह०/-

सहायक रजिस्ट्रार (उद्योग)

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-400 का विवरण) परिशिष्ट-1

चौमूं व गोविन्दगढ़ पर नहीं ठहरने वाली बसों का मार्गवार विवरण

क्र.सं.	मार्ग का नाम	प्रारम्भिक स्थान से प्रस्थान समय
1.	जयपुर-चूरू	0905
2.	जयपुर-बीकानेर	0937
		1730
		1300 डीलक्स
		2100 डीलक्स
3.	जयपुर-रोडू	1430 डीलक्स
4.	जयपुर-जालन्धर	1545
5.	जयपुर-लाडनूं	1600
6.	जयपुर-पिलानी	1637 डीलक्स
7.	जयपुर-बीदासर	1807 डीलक्स
8.	उदयपुर-जयपुर-सीकर	1837 डीलक्स
9.	जयपुर-गंगानगर	1930 डीलक्स
10.	जयपुर अनूपगढ़	2200
11.	टौकं-लुहारू वाया जयपुर-सीकर	0700 (चौमूं ठहरती है)

परिशिष्ट–2

प्रात: 0800 बजे से 10 बजे तक चौमूं एवं गोविन्दगढ़ स्टेण्ड पर ठहरने वाली
निगम बसों की समय सारिणी

सीकर की ओर			जयपुर की ओर		
चौमूं	गोविन्दगढ़	कहां को	गोविन्दगढ़	चौमूं	कहां को
0755	0810	चूरू	0800	0815	जयपुर
0745	0815	खादू	0800	0830	जयपुर
0800	0820	झुंझुनूं	0810	0845	जयपुर
0805	0820	बीकानेर	0815	0830	जयपुर
0805	0820	चूरू	0815	0830	जयपुर
0815	0830	सूरतगढ़	0815	0830	अजमेर वाया जयपुर
0835	0850	सार्दुलपुर	0825	0900	जयपुर
0845	0900	हनुमानगढ़	0830	0900	जयपुर
0855	0910	लाडनूं	0837	0852	जयपुर
0905	0920	झुंझुनूं	0837	0852	जयपुर
0905	0920	बीकानेर	0840	0915	जयपुर
0915	0930	झुंझुनूं	0845	0920	जयपुर
0925	0940	हनुमानगढ़	0855	0930	जयपुर
0925	0950	खादू	0900	0915	उदयपुर वाया जयपुर
0935	0950	बीकानेर	0910	0945	जयपुर
0945	1000	सीकर	0915	0930	जयपुर
			0925	1000	जयपुर
			0930	0945	जयपुर
			0937	0952	जयपुर
			0940	1000	जयपुर
			0945	1000	जयपुर
			0952	1007	जयपुर
			1000	1015	जयपुर

परिशिष्ट—2

सायंकाल 06.00 बजे से 08.00 बजे (18.00 से 20.00 बजे) तक चौमूं एवं गोविन्दगढ़ पर ठहरने वाली बसों की समय सारिणी

सीकर की ओर			जयपुर की ओर		
चौमूं	गोविन्दगढ़	कहां को	गोविन्दगढ़	चौमूं	कहां को
1730	1800	श्रीमाधोपुर	1805	1820	जयपुर
1745	1800	सीकर	1815	1830	जयपुर
1752	1807	पिलानी	1815	1830	जयपुर
1800	1815	सीकर	1815	1845	जयपुर
1800	1815	झुंझुनूं	1830	1845	जयपुर
1745	1815	आभावास	1835	1850	सार्दुलपुर
1807	1822	सीकर	1840	1855	जयपुर
1815	1830	कोछोर	1845	1900	जयपुर
1822	1837	लाडनूं	1852	1907	जयपुर
1830	1845	झुंझुनूं	1900	1915	जयपुर
1820	1850	नांगल	1915	1930	नीनेडा वाया जयपुर
1837	1852	चूरू	1925	1940	जयपुर
1837	1852	सरदारशहर	1935	1950	जयपुर
1845	1900	मण्डावा	1945	2000	जयपुर
1845	1900	गुढ़ा	1955	2010	कोटा वाया जयपुर
1850	1905	चूरू			
1900	1915	सिरसा			
1907	1922	सरदारशहर			
1915	1930	सीकर			
1915	1945	कावटू			
1930	1945	झुंझुनूं			
1930	1945	श्रीमाधोपुर			
1937	1952	चूरू			
1945	2000	सीकर			

परिशिष्ट-17

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाऐं जो पढ़ी हुई मानी गयी)

पुलिस चौकी, लालगढ़ (बीकानेर) के कर्मचारियों द्वारा एक सैनिक दम्पत्ति से कथित मारपीट

(श्री देवीसिंह भाटी—कोलायत)

जिला बीकानेर के पुलिस थाना नया शहर पुलिस चौकी लालगढ़ के इंचार्ज थानेदार विकास, सिपाही दयाराम व सुरेश ने गत वर्ष 25.10.2000 को दीवाली की एक रात पहले अपने घर जाते हनुमान जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे फौजी सूरजभान सिंह व उसकी पत्नी को बिना वजह मंदिर के बाहर व पुलिस चौकी में बुरी तरह से जूते, घूसों व पट्टे से मार पीट की। फौजी सूरजभानसिंह का दो माह का बच्चा घर पर मां के दूध बगैर भूखा 4-5 घंटों तक रोता रहा लेकिन पुलिस कर्मियों ने कोई दया नहीं दिखाई। मौहल्ले के लोगों की तसल्ली पर घर जाने की छूट दी। नया शहर थाने में दूसरे दिन मुकदमा दर्ज नहीं करने पर पुलिस अधीक्षक के आदेश से दिनांक 28.10.2000 प्र.सू.रिपोर्ट 300/2000 धारा 342, 323, 504, 34, आई.पी.सी. के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने पर रामपुरा मौहल्ले के नागरिकों द्वारा प्रदर्शन करने पर पुलिसकर्मियों को निलम्बित किया गया। विधान सभा के गत शरदकालीन सत्र में मेरे द्वारा नियम 295 के अन्तर्गत विषय उठाने पर माननीय गृह मंत्री ने सम्भागीय आयुक्त को जांच सुपुर्द की। जांच अधिकारी द्वारा सही तथ्यों पर जांच कर पुलिस कर्मियों के विरुद्ध रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है।

गत वर्ष दीपावली पर घटना हुये वर्ष से अधिक समय गुजर गया है। विधान सभा में भी मुद्दा उठ चुका है। पुलिस अधिकारी मुकदमें की जांच जानबूझकर लम्बी खींच रहे हैं। थल सेना के फौजी को बयानों के लिये बार-बार बुलाया जाता रहा है जिससे परेशान होकर फौजी बयान देना छोड़ दे क्योंकि फौजी को बार-बार छुट्टी नहीं मिलती है। अब सब गवाहों के बयान हुये 4 माह से ऊपर हो चुके है लेकिन जांच अधिकारी न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं कर रहा है। पुलिस वाले पुलिस कर्मियों का नाजायज पक्ष ले रहे हैं जिससे समय अधिक मिलने पर दोषी मुस्तगीस पर दबाव डाल कर राजीनामा करवा ले। दबाव डलवाया भी जा रहा है।

इसी प्रकार विभागीय जांच भी जिला पुलिस अधीक्षक के पास लम्बित नहीं पड़ी है। यह जांच भी लम्बी की जा रही है और दोषियों को दण्डित नहीं किया जा रहा है।

दोषी उप निरीक्षक नया नौकरी लगा है अगर अभी से उसका यह सोच रहा तो पूरे सेवाकाल में वह निर्दोष लोगों के साथ हमेशा अमानवीय व्यवहार करेगा।

विधान सभा में मुद्दा उठने के बाद भी पुलिस विभाग को परवाह नहीं है तो फिर कौनसे फोरम पर न्याय की उम्मीद रह जाती है।

इसी सम्बन्ध में फौजी सूरजभान सिंह के विरुद्ध सोची समझी साजिश के तहत सिपाही दयाराम ने भी चार दिन ठहर कर झूठा मुकदमा 300/2000 हरिजन अत्याचार के तहत दर्ज करवाया था जो बाद जांच स्पष्ट झूठा पाये जाने पर अन्तिम निष्कर्ष दे दिया गया।

गृह विभाग ग्रुप-1 से 6.1.2001 को पुलिस कर्मियों के निलम्बन की सूचना विधान सभा को देने के बाद आगे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

अतः ऐसे अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मुझे विषय रखने का अवसर प्रदान करें व विभाग दोषियों के विरुद्ध तुरन्त अन्तिम कार्यवाही कर सूचित करावें।

सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा नियम विरुद्ध नियुक्तियां

(श्री अमराराम—धोद)

उपरोक्त विषय में आपसे निवेदन है कि सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक में 1997-99 में सहकारी बैंक में ऋण पर्यवेक्षक के पदों पर पदोन्नति दी गयी जिसमें शैक्षणिक एवं वरिष्ठ वरिष्ठता एवं कार्य कुशलता सभी मैजर की अनदेखी की गयी तथा व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पदोन्नति की गयी जिसमें उदाहरण करण सिंह, ऋण पर्यवेक्षक है तथा इसी बैंक में पद नहीं होते हुए भी ड्राइवरों की नियुक्तियां की गई जिनकी नियुक्तियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी नियुक्तियों को अवैधानिक करार दे दिया गया है लेकिन आज तक यह निर्णय लागू नहीं हुआ है तथा 1987 से लेकर आज तक स्टोर केन्द्रीय सहकारी बैंक की जांच कब तक की गई तथा क्या कमियां पाई गई है।

अतः माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 70 के तहत 1990 में जांच की गई थी उसमें पाई गयी अनियमितताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाहीं की गई है, अवगत करवायें तथा इस बैंक में विशेष वेतन वृद्धि किन-किन कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दिए गए है, क्या उचित दी गई है? अतः इन तमाम् कार्यों की जांच करके बैंक को आर्थिक हानि पहुंचाने, वाले अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों से यह धन वसूल किया जावे।

फसल खराबी के कारण श्रीगंगानगर जिले के किसानों की ऋण वसूली स्थगित करने विषयक

(श्री सोहन नायक—रायसिंहनगर)

मैं प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत माननीय सहकारिता मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चहता हूं, कि श्रीगंगानगर जिले के समस्त किसानों की रबी की नरमें एवं कपास की फसलें अमेरीकन सुडी कीट से शत प्रतिशत खराब हो गई है जिस कारण किसान अत्यंत विपदा में है तथा दो वक्त की रोटी के लिये भी लाले पड़े हुये है।

अभी हाल ही में उनकी इस दयनीय स्थिति को देखते हुये माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं सिचाई मंत्री महोदया ने सिंचाई आबयाना माफ किया इसके लिये जिले के किसानों की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय व माननीय सिंचाई मंत्री महोदया का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि फसले खराब होने के कारण किसान ऋण चुकाने में असमर्थ है। अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऋण वसूली आगामी फसल की आवक तक स्थगित किया जावे जिससे कि किसानों को राहत मिल सके तथा वित्त संस्थाएं उनका मानसिक शोषण नहीं करें।

अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में घोषणा करें कि आगामी फसल की आवक तक किसानों से ऋण नहीं वसूला जावे। मैं आपका आभारी रहूंगा।

डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिलों में जोगी (रावल) जाति के लोगों को एस.सी. में रिजर्वेशन देने विषयक

(श्री नाथूराम अहारी—डूंगरपुर)

राजस्थान में कई ऐसी जातियां हैं जो निर्धनतम की सीमा में आते है उन्हें एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. में मेंरिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन डूंगरपुर, बांसवाडा, एवं उदयपुर जिलों में जोगी जाति जो सबसे ज्यादा गरीब है ये लोग आदिवासियों और अन्य ओ.बी.सी. के लोगों के यहां भिक्षावृत्ति कर अपना जीवनयापन करते है, इन लोगों के पास खास कोई भूमि नहीं है, अन्य जिन व्यक्तियों को रिजर्वेशन दिया है उनसे तो जोगी जाति के लोग अत्यन्त गरीब है।

महोदय जोगी (रावल) जाति को गुजरात में एस.सी. में लिया है और उन्हें एस.सी. में रिजर्वेशन मिल रहा है जोगी जाति को रावल भी कहते है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि जोगी जाति के लोगों को एस.सी. में चयन करावे और जोगी जाति के लोग अत्यन्त गरीब है उन्हें एस.सी. के लोगों को जो रिजर्वेशन मिलता है उसी भांति जोगी जाति के लोगों को भी मिल सकें। धन्यवाद।

लाडनूं की सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन एरियर एवं बोनस भुगतान विषयक

(श्री हरजीराम बुरड़क—लाडनूं)

श्रीमती जिनकु देवी जैन, बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय लाडनूं सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान है और इसके संचालक के लिए समिति बनी हुई है परन्तु अध्यापिकाओं के वेतन व अन्य भुगतान उप निदेशक शिक्षा विभाग अजमेर द्वारा सीधा ही किया जा रहा है और संचालक समिति द्वारा अपने हिस्से की राशि उप निदेशक अजमेर को पहले ही भेजी जाती रही है।

शिक्षाओं को अप्रैल, 89 से जून, 1991 तक का स्थिरीकरण का बकाया एरियर राशि तथा दो वर्षों के बोनस राशि तथा दो वर्षों के बोनस राशि का भुगतान अभी तक बकाया है जिसका भुगतान नहीं हो रहा है। अध्यापिकाओं द्वारा मांग की जा रही है जिस पर जिला अधिकारी से लेकर निदेशक तक एक दूसरे का लिखते रहते हैं परन्तु भुगतान नहीं हो रहा है जबकि संस्था द्वारा अपने हिस्से की राशि उप निदेशक को भेजे हुए कई वर्ष हो गये परन्तु अभी तक उप निदेशक के द्वारा भुगतान नहीं किया है।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करके निवेदन कर रहा हूं कि उपरोक्त राशि का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र किया जावे और अब तक भुगतान नहीं करने के दोषी अधिकारीयों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

खनिज विभाग द्वारा कथित नियम विरुद्ध खान आवंटन विषयक

(श्री कन्हैया लाल—बस्सी)

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत निम्न प्रकार ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि खान-भू-माफिया तंत्र के सरगना श्री विष्णु किशोर कट्टा, श्री संजीव कुमार कट्टा एवं इनके परिवारजन श्रीमती गीता कट्टा, श्रीमती रजनी कट्टा पूजा खण्डेलवाल पुत्री श्री विष्णु किशोर कट्टा आदि-आदि के नाम से राजस्थान के विभिन्न जिलों में लगभग 36 खनन पट्टे स्वीकृत/आवेदित हैं। जबकि खनिज विभाग के नियमों के तहत एक ही परिवार के सदस्यों के नाम तीन से अधिक खनन पट्टे आवेदित नहीं होने चाहिये। अपने परिवारजनों के नाम प्रधान खनिज क्वार्टज सीलिका सैण्ड, चाइना क्ले फेल्सपार गारनेट, पायरोप्लाइट आदि खनिज के नाम से पूर्वेक्षण अनुज्ञा पर लिये गये क्षेत्रों को ग्राहक टटोलकर, खनिज अधिकारियों से मिलीभगत कर, बाद में हजारों मीटर लीजों के टुकड़ों-टुकड़ों का अनापत्ति प्रमाण पत्र व अनुपयोगी प्रमाण पत्र जारी करके एरिया मुक्त कर लीज करवाने व बेवान करने का करीब 10-15 वर्षों से धन्धा बनाकर करोड़ों रुपये सालाना खुद बटोर कर राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व में चूना लगा रहे हैं। अपने परिवारजनों के नाम से अनगिनत आवंटित खदानों का अवैधानिक बेचान कर दूसरों को सपोट करना, जिसका जीता-जागता उदाहरण मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम भोजपुरा में स्थित सैण्ड स्टोन की खान को जरिये इकरारनामा चित्तौड़गढ़ निवासी श्री पंकज चतुर्वेदी को व बैनाड़ा स्थित चेजा पत्थर की खानों को भी श्री प्रभुदयाल करोल व उसके रिश्तेदारों को एवं चाकसू क्षेत्र के ग्राम निमोडिया शील की डूंगरी लीज को श्री मस्तान सिंह नाम के व्यक्तियों का बेचान कर रखा है।

खनिज विभाग द्वारा श्री कट्टा परिवार के मामले में कभी भी नियम 5(3) सी एवं 4(4) के तहत बकाया नहीं का प्रमाण-पत्र व शपथ-प्रमाण नहीं मांगे गये हो। यदि उक्त परिवार के सदस्यों ने कुछ शपथ पत्र पेश किये भी है तो पूर्णतः असत्य झूठे है जबकि पति-पत्नी की ओर से एमएल/पीएल के क्षेत्रों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उक्त कट्टा परिवार अपने निजी हितों की पूर्ति हेतु खनिज उद्योग संघ नामक संस्था का खुलकर दुरुपयोग कर रहा है एवं खनिज विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों का ब्लैकमेल करने, डराने, धमकाने, अवैधानिक कार्य करवाने की नीयत से विभागों में प्रभाव कायम करने के लिये इनके विरुद्ध बेनामी, छदम, आधारहीन झूठी शिकायतें करना इस सरगना परिवार की आदत में शुमार है।

कट्टा परिवार प्रति माह लाखों रुपयों की राजस्व चोरी कर खनिज विभाग को अपने चंगुल में फंसा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों का व्यवसाय कर रहा है जबकि इस परिवार के द्वारा पेश की जाने वाली सभी आयकर रिटर्नी के आंकड़े निराधार असत्य हैं। ये आयकर की खुलकर चोरी करने के दोषी भी हैं।

अतः माननीय से निवेदन है कि कट्टा परिवार जिसमें इनके पुत्र, पुत्रियों, पत्नी, पुत्रवधु के नाम से तीन से अधिक सभी खनिज पट्टों को एवं आवदेनों को तत्काल निरस्त कर उनके द्वारा अब तक की सभी गैर कानूनी, असंवैधानिक नियम विरुद्ध तरीके से अर्जित काले धन जो मूल रूप से राज्य सरकार के खनिज विभाग की राजस्व आय है, को वसूल किया जावे।

उपरोक्त सभी तथ्यों की अविलम्ब निष्पक्ष गहन जांच करवाकर दोषी पक्षकारों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

नागौर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृतशुदा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन भुगतान रोकने विषयक

(श्री हरिशचन्द कुमावत—नावां)

माननीय श्री बनवारी लाल जी बैरवा समाज कल्याण मंत्री, राज. सरकार ने दिनांक 1.7.01 का पत्र एवं उसके साथ समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं शीर्षक से पुस्तिका का प्रकाशन किया। इस पुस्तिका में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित समस्त सामाजिक कार्य योजनाओं का क्रमवार वर्णन किया हुआ है। प्रकाशित पुस्तिका हमें भी भेजी गई तथा इस पुस्तक में उल्लिखित योजनाओं के बारे में अधिकाधिक लोगों को जानकारी देकर सुपात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने में सहयोग की अपेक्षा भी की गई। समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित इस पुस्तिका में पृष्ठ 1 पर उल्लिखित वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन व अन्य योजनाएं जिसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रथम रूप से उल्लिखित है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिये जो मापदण्ड जिनकी पूर्ति करनी आवश्यक है, दर्शाई गई है। इस पात्रता में क्रमांक 5 पर उल्लेख किया गया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा नगण्य आय एवं 20 वर्ष से ऊपर के कमाउ पुत्र नहीं होने की शर्त राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लागू नहीं है।

राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा राविरा पत्रिका जो जून, 2001 में अंक संख्या 90 प्रकाशित किया गया उसके पृष्ठ सं. 24 पर भी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता

उल्लिखित है उसमें भी क्रमांक 5 पर भी यही कहा गया है। इसी प्रकार पंचायत राज विभाग द्वारा राज. विकास पत्र जारी किया जाता है उसमें भी ऐसा ही उल्लेख है जिला कलक्टर नागौर द्वारा साक्षरता विभाग द्वारा जारी पुस्तिका जिसका विमोचन शिक्षा राज्य मंत्री माननीय अब्दुल अजीज द्वारा कराया क्या उसमें यही पात्रताएं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु प्रकाशित की गई है इन सब प्रकाशनों से यह बात निश्चित रूप से प्रकट होती है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता के अनुरूप राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन इस प्रदेश में लागू है।

परन्तु नागौर जिले में वर्ष 1999 में व वर्ष 2000 में स्वीकृत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन जिसके लिये पी.पी.ओ. जारी हो गये उसके अनुसार कई लोगों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन भुगतान करना भी चालू हो गया था। परन्तु यह राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन कुछ भुगतान करने के बाद भुगतान करने से रोक दिया गया है। उदाहरणार्थ:— श्री पूसाराम पुत्र श्री हीरालाल एवं दुर्गा देवी धर्म पत्नी श्री पूसाराम निवासी कुचामनसिटी को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन भुगतान करने के लिये पी.पी.ओ. नं. 31326 दिनांक 19.6.2000 जारी हो गया परन्तु इनको पेंशन देना चालू नहीं किया गया व बीच में ही रोक ली गई। काफी लिखा-पढ़ी जिला कलक्टर, नागौर कार्यालय में इस सम्बन्ध में करने के बाद श्री पूसाराम एवं श्रीमती दुर्गा देवी सोनी निवासी कुचामनसिटी को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन भुगतान करने के आदेश कोषाधिकारी नागौर ने अपने पत्र क्रमांक : 2002 दिनांक 24.2.01 के साथ पूर्व में जारी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन भुगतान के आदेश पी.पी.ओ. की डुप्लिकेट प्रति भिजवा कर इन्हें भुगतान करने के आदेश दिये व श्री पूसाराम सोनी को पेंशन का भुगतान चालू कर दिया व 19 माह की इकट्ठा राशि 3,800/- रुपये उन्हें नोवा कोषालय से भुगतान कराई गई। यद्यपि इनकी संयुक्त पेंशन पति पत्नी की 300/- रुपये प्रतिमाह है उसके बजाये 200/- रुपये ही प्रति माह के हिसाब से पेंशन का भुगतान क्यों किया गया इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है व अब अचानक उसको पूरी पेंशन का भुगतान करना भी रोक दिया गया है। केवल इस एक व्यक्ति की नहीं ऐसे अनेक लोगों की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन जो वर्ष 1999 में व वर्ष 2000 में स्वीकृत हो गई थी पी.पी.ओ. जारी हो गया था ऐसी पेंशन को बन्द करना न्यायोचित नहीं है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता के अनुसार जिन लोगों की पेंशन स्वीकृत होकर भुगतान चालू हो गया था उनकी चालू पेंशन को रोकना एक अपराध है व साथ ही राज्य सरकार जिस भावना से पत्रिकाओं में छपवा कर जानकारी का प्रकाशन कर रही है उस पर कुठाराघात है।

मैं इसी विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिन लोगों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत होकर पी.पी.ओ. जारी हो गये, को भुगतान देना चालू हो गया उन्हें भुगतान करने से रोका नहीं जावें व चालू पेंशन को रोक कर अब तक जितनी राशि का भुगतान उन्हें नहीं हुआ है, शीघ्र भुगतान कराया जावें।

विधान सभा क्षेत्र चौमूं के महाविद्यालयों में अतिरिक्त विषय खोलने विषयक

(श्री भगवान सहाय सैनी—चौमूं)

चौमूं विधान सभा क्षेत्र में संस्कृत महाविद्यालय के अलावा संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय व संस्कृत प्रवेशिका विद्यालय उपलब्ध है, लेकिन संस्कृत आचार्य पढ़ाई के लिए उपलब्ध नहीं होने के कारण चौमूं व आसपास के क्षेत्र के छात्रों को आचार्य पढ़ने में भारी असुविधा होती है।

इसी प्रकार पी.जी. कालेज कालाडेरा में स्नातक स्तर तक लगभग 500 छात्र अध्ययन करते हैं, लेकिन पी.जी. स्तर पर भूगोल विषय कालेज में नहीं होने के कारण ग्रामीण छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

राजकीय महिला महाविद्यालय चौमूं में वर्तमान में केवल चार विषय स्वीकृत हैं, जिनमें तीन विषय पढ़ना आवश्यक है, छात्राओं को उपलब्ध विषयों के अलावा विषयों में पढ़ने के लिए निजी शिक्षण संस्थानों का सहारा लेना पड़ता है या पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, सरकार महिला शिक्षा को प्रोत्साहन भी दे रही है, लेकिन छात्राओं को भारी मांग के बावजूद संस्कृत व लोक प्रशासन विषय नहीं खोले गए है।

अतः संस्कृत शिक्षा मंत्री व शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, कालाडेरा को आचार्य स्तर में क्रमोन्नत करावे तथा राजकीय महाविद्यालय चौमूं में पी.जी. स्तर पर भूगोल विषय खुलवाने व राजकीय महिला महाविद्यालय चौमूं में संस्कृत व लोक प्रशासन विषय खोले जावे जिससे छात्र व छात्राओं को उच्च शिक्षा का लाभ मिल सकें।

विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की कतिपय ग्राम पंचायतों को बागोड़ा तहसील में सम्मिलित करने से उत्पन्न स्थिति विषयक

(श्री रतनाराम चौधरी—रानीवाड़ा)

माननीय, काफी समय से आम जनता की मांग एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा मांग करते आ रहे है कि ग्राम पंचायत थोबाऊ एवं फागुतरा, पुनासा, दातीवास चारों पंचायत पहले भीनमाल तहसील में शामिल थी परन्तु इन चारों पंचायतों को भीनमाल से हटा कर बागोड़ा तहसील में शामिल कर दिया गया है।

जिससे आम जनता में भारी असंतोष है जबकि भीनमाल चारों पंचायत के नजदीक है जबकि बागोड़ा तहसील के काफी दूरी पर है बरसात के समय आम रास्ते बंद हो जाते है। क्योंकि बागोड़ा के एवं चारों पंचायत के बीच में दो नदियां आती है।

और उपरोक्त चारों पंचायतों की कृषि मण्डी भीनमाल पड़ता है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं विद्युत विभाग का तथा जलदाय विभाग का अधिशासी अभियन्ता के हैड क्वार्टर भीनमाल में है अतः कृपया जल्दी कार्यवाही कर इन चारों पंचायतों को पुनः बागोड़ा तहसील में हटा कर भीनमाल तहसील में जोड़ने का आदेश प्रदान करावें। भीनमाल सब डिविजन अधिकारी एवं जिला जालौर के कलक्टर ने भी इन चारों पंचायतों को पुनः भीनमाल में जोड़ने की सिफारिश राज्य सरकार को की है। अगर समय पर चारों पंचायत भीनमाल में नहीं जोड़ी गई तो वहां के लोग आम जनता आन्दोलन पर उतारू हो जायेंगे। इस पर कार्यवाही कर मुझे अनुग्रहीत करें। इस बाबत मैंने कई दफा राज्य सरकार को पहले निवेदन लिखित में कर चुका हूं। सादर।

मांगरोल जिला बारां में प्रस्तावित पेयजल योजना की स्वीकृति करने विषयक

(श्री रामगोपाल बैरवा—पीपल्दा)

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्बा मांगरोल जिला बारां में वर्तमान में कार्यरत पेयजल स्कीम के माध्यम से सम्पूर्ण कस्बे में पेयजल की सप्लाई नहीं हो पाती है। क्योंकि स्कीम बनाने के बाद से उक्त कस्बे की आबादी बढ़ गई व स्कीम छोटी है। जिससे नई बस्ती में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है। जिससे गर्मी के समय पेयजल का संकट बना रहने से नागरिकों में रोष व्याप्त है।

उक्त समस्या से समय-समय पर विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया जिसके लिये उन्होंने स्थाई समाधान हेतु नई अतिरिक्त पेयजल स्कीम के प्रस्ताव बना कर सरकार के पास भेजे है। परन्तु लम्बे समय के बाद भी सरकार व विभाग के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने से अभी भी स्कीम पेंडिग चल रही है।

अतः ग्रामवासियों व आने वाली गर्मी की समस्या को मद्धेनजर रखते हुये मांगरोल जिला बारां की प्रस्तावित पेयजल योजना को शीघ्र स्वीकृत करवा कर जनता को राहत पहुंचाने का श्रम करें। सधन्यवाद।

विधान सभा क्षेत्र शिव में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन खोलने विषयक

(श्री अमीन खां—शिव)

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि तहसील शिव के ग्राम भीमाडरातडी, कानासर गोलाड, कानासर, शिवाजीनगर, प्रहलादपुरा, मुठरोकी ढाणी कैण्ड, पनाबास, राजबेरा, आदि गांवों की जमीन के नीचे अच्छा पानी है। इन गांवों में करीब 200 कृषि नलकूप है और कैण्ड भीयाड से कानासर से जलदाय विभाग ने तहसील शिव तहसील बायतू के 400 ग्रामों व ढाणियों के क्षेत्रीय योजना से जोड़ रखे है। विधुत का लोड होने से वोल्टेज सही नहीं मिल रहे हैं जिससे 400 ग्राम व ढाणी में पीने के पानी का संकट खड़ा होने वाला है और 200 कृषि नलकूपों से किसान रबी की फसल नहीं पायेंगे।

विभाग ने एक साल पूर्व शिव में 132 जी.एस.एस. के निर्माण स्वीकृत किया गया है। जिसका शिलान्यास माननीय उर्जा मंत्री राजस्थान सरकार ने तारीख 1.1.2001 को शिव में किया था उस समय उर्जा मंत्री ने सितम्बर, 2001 तक जी.एस.एस. बन कर तैयार होने की घोषणा की थी। परन्तु 132 के जी.एस.एस. कार्य सितम्बर को चालू किया गया है और कार्य धीमी गति से है।

अतः आपकी मार्फत उर्जा मंत्री से बहुत अदब से अर्ज है कि उक्त ग्रामों की रबी फसल पकाने व 400 ग्राम ढाणी को पानी पीने के लिए शिव 132 जी.एस.एस. निर्माण शिघ्र पूरा कर जनता को राहत दिलाए। सधन्यवाद।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौसा—महुवा के आसपास हो रही सड़क दुर्घटनाओं विषयक

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल—गंगापुर)

मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत लोक महत्व के निम्न प्रकरण की तरफ परिवहन मंत्री, राजस्थान पुलिस व प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राज्य में विशेष तौर से जयपुर—आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौसा महुवा के आसपास व जयपुर से कोटा व अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जीप ट्रक भिडंत की घटनाएं आये दिन हो रही है। एक समाचार पत्र के अनुसार पिछले माह सड़क दुर्घटनाओं में 46 लोग मरे व 24 गम्भीर रूप से घायल हुये।

शायद ही कोई ऐसा दिन जाता है जबकि समाचार पत्रों में इस आशय की समाचार नहीं छपती हो। रोज दुर्घटनाएं घटती है, जिनमें पूरे परिवार के परिवार दुर्घटनाग्रस्त होते है, बीसियों मरते है, पर ना तो परिवहन विभाग, ना स्वास्थ्य विभाग, ना ही राजस्थान पुलिस व प्रशासन के कान में जूं रेंगती है। इन दुर्घटनाओं को बड़े सहज ढंग से लिया जाता है। दुर्घटना स्थल पर राज्य सरकार का कोई बड़ा अधिकारी मंत्री या नेता तक नहीं पहुंचता। पुलिस का थानेदार अवश्य एक-दो सिपाही को लेकर पहुंचता है, रपट दर्ज करता है और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर देता है। संवेदनशील सरकार में बैठे संवेदनहीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कर्तव्य पूरा हो जाता है। कभी किसी नेता या अधिकारी ने यह नहीं सोचा अथवा अपना स्टेटमेंट दिया कि आखिर ये दुर्घटनाएं आये दिन क्यों हो रही है। इनकी रोकने के लिये कभी किसी ने कोई विचार नहीं किया। परिवहन विभाग अथवा पुलिस के अधिकारियों से यदि पूछा जाये तो वे कहते है कि आबादी बढ़ी है इसलिये दुर्घटनाएं हो जाती हैं अतः कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी सरलता व सहजता से वे ये बात कह देते है इंसान की जान की कीमत उनकी निगाह में कुछ नहीं।

महोदय, सच तो यह है कि ये सड़क दुर्घटनाएं परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग की लापरवाही एवं गैर जिम्मेदारी से होती है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर एवं राजकीय मार्गों पर विशेष तौर से जयपुर से दौसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एवं दौसा से गंगापुर राजमार्ग पर जीपें जो टैक्सी के रूप में चलती हैं, उनको मैं सवारियों से ठसा-ठस भरी देखता हूं। जो कि 1980-90 कि.मी. प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ती है जिनमें न केवल अन्दर ही सवारियों बैठती है बल्कि बाहर भी लटकती है, ऊपर हुड पर भी बैठती है। एक जीप में जहां 8 सवारियां बैठनी चाहिये वहां 25-30 से भी ज्यादा सवारियां बैठाई जाती है। ऐसी भरी हुई जीप को बेकाबू स्पीड से अनाड़ी ड्राइवर जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ी

चलाना दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है। इसी प्रकार जुगाड सैकड़ों की मात्रा में इन मार्गों पर चले रहे हैं जो दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। जिसके लिये प्रशासन जिम्मेदार है। विशेष तौर से परिवहन विभाग, पुलिस विभाग जिम्मेदार है, जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। हर ऐसी जीप, जुगाड़ एवं वाहन से परिवहन विभाग व पुलिस थानों का महावारी बना हुआ है जिनसे कोई टोका-टाकी नहीं होती और आये दिन दुर्घटनाएं घटती है।

महोदय, जिस हिसाब से जुगाड़ इन मार्गों पर बढ़ते जा रहे हैं एक दिन ऐसा होगा कि जुगाड़ ही जुगाड़ हर जगह नजर आयेंगे फिर इनको रोकना मुश्किल होगा क्योंकि फिर ये हजारों की तादाद में होंगे और ये रोकने पर हड़ताल, बन्द व चक्ककाजाम करेंगे। राजनीतिक दल चाहे वे किसी भी पार्टी से सम्बन्धित हों वोटों की राजनीति करते हैं इनको रोक नहीं पायेंगे और सब परिवहन व्यवस्था भंग हो जायेगी। अतः समय रहते कठोर कदम उठाना आवश्यक है।

मैं इस पत्र द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करें। यदि क्षेत्र में सवारियों से भरी ठसा-ठस भरी जीप अथवा अन्य वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है और 10-15 आदमियों की मौत होती है तो उस क्षेत्र के परिवहन अधिकारी तथा इंचार्ज को जिम्मेदार मानकर सस्पेंड किया जाये, उसके खिलाफ अन्य कानूनी व अनुशासनिक कार्यवाही की जावे तभी ये सड़क दुर्घटनाएं रुक सकती हैं। आशा है, सरकार ध्यान देगी। धन्यवाद।

नगर तहसील सहित पूरे भरतपुर जिले में व्याप्त पेयजल संकट विषयक

(मोहम्मद माहिर आजाद—नगर)

अधिक वर्षा के लिए पहचाने जाने वाले भरतपुर जिले में गत वर्ष औसत से कम वर्षा हुई थी और इस वर्ष बहुत कम बारिश होने से जहां नगर तहसील सहित भरतपुर जिले की जनता त्रस्त है वहीं राजस्थान सरकार का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भी वहां की जनता के साथ घोर अन्याय व खिलवाड़ कर रहा है।

1. 1999 में पूर्ण होने वाली भटपुरा पेयजल योजना आज तक हर स्तर पर प्रयास करने के बावजूद पूरी नहीं हुई है जिसमें भारी अनियमितताओं की स्वयं जिला कलक्टर ने भी शिकायत की है।

2. कस्बा नगर व सीकरी को अपर्याप्त पेयजल आपूर्ति हो रही है।

3. लाडमका, खण्डेवला, न्यामतपुर, नीमखेड़ा, धनमतपुरा, नाबदा, ककराला, खोहरी, बनेनी, मूण्डिया, मालिकी, जारला आदि बड़े गांवों में कहीं रेलवे की इजाजत का बहाना बनाकर कहीं सामग्री की उपलब्धता तो कहीं विद्युत कनेक्शन की आड़ लेकर बहुत कम मात्रा में पेयजल आपूर्ति की जा रही है जिससे नगर व पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

श्रीमान् इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, भरतपुर, शासन सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व माननीय मंत्री जी को भी अनेकों बार निवेदन करने के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से लोगों में भारी रोष व्याप्त है।

पिछले दिनों नगर व डीग तहसील के गांवों में खारे व दूषित पानी को स्वच्छ व पर्याप्त पेयजल सुलभ कराने के लिए चम्बल पेयजल योजना का माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा उद्घाटन किया गया था परन्तु अभी तक नगर तहसील के एक भी गांव को इससे लाभान्वित नहीं किया गया है।

अतः मेरा माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि भटपुरा, चम्बल पेयजल योजना मूडिया पेयजल योजनाओं को शीघ्र पुरा कराने, भ्रष्ट लोगों को दण्डित कराने, स्वीकृत हैण्डपम्प शीघ्र लगवाने तथा अथवाड़ी व गंगोरा के बंद पड़े बोरों को चालू करवाने तथा रूपारेल नदी में नये बोर करवाकर नगर तहसील व भरतपुर के लोगों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल सुलभ कराने का आदेश प्रदान कर क्षेत्रीय लोगों की समस्या का शीघ्र समाधान कराने का कष्ट करें।

भादरा (जिला—हनुमानगढ़) में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने विषयक

(श्री संजीव बेनीवाल—भादरा)

भादरा विधान सभा क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भादरा क्षेत्र आबादी व क्षेत्रफल की दृष्टि से विशाल क्षेत्र है जिसमें गांवों के अलावा एक कस्बा भादरा भी आता है। भादरा में आसपास के काफी छात्र व छात्राएं विद्या अध्ययन हेतु आते हैं लेकिन भादरा में महाविद्यालय नहीं होने की वजह से छात्र व छात्राओं को उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है। बहुत से छात्र हनुमानगढ़ व पड़ौसी राज्य हरियाणा में अध्ययन के लिए जाते हैं। बाहर पढ़ाई के लिए जाना विशेषकर लड़कियों के लिए अत्यन्त मुश्किल है। भादरा में कालेज नहीं होने की वजह से बहुत से गरीब छात्र व छात्राएं बीच में ही पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। केवल धनाढ्य परिवारों के बच्चे ही अन्यत्र जाकर

पढ़ाई करते है। यदि भादरा में राजकीय महाविद्यालय खोल दिया जाता है तो क्षेत्र के छात्र व छात्राएं बिना परेशानी के निरन्तर पढ़ाई कर सकते है।

अतः निवेदन है कि जनता की भावनाओं एवं छात्रों के हित को मध्य नजर रखते हुए भादरा में राजकीय महाविद्यालय शीघ्र खोलने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

दूनी थाना (जिला-टोंक) में आरोपियों को गिरफ्तार करने विषयक

(श्री दिग्विजय सिंह—उनियारा)

दिनांक 4.11.2000 की घटना है जिसकी रिपोर्ट थाना दूनी में दिनांक 6.11.2001 जिला टोंक में रिपोर्ट प्राथमिकी सं. 295/2001 श्री जयचन्द पुत्र श्री रतनलाल मीणा, उम्र 18 साल, निवासी ग्राम राजकोट ने कराई थी। रिपोर्ट में श्री जयेन्द्र मीणा द्वारा कहा गया है कि दिनांक 4.11.2000 की घटना है कि सायं 4.30 बजे आंवा बस स्टेण्ड पर उसके पास दो व्यक्ति सर्वश्री प्रभुलाल सैनी व श्री सत्यनारायण माहेश्वरी निवासी सीतापुरा मिले और उसे मास्टर प्रेम के घर पर ले गए, जहां उन्होंने श्री जयेन्द्र मीणा को पहले तो डराया और कहां कि तुम लड़की का चक्कर छोड़ दो तब उसने कहां कि वह तो उस लड़की से चार माह से मिला ही नहीं। यह लड़की थी सत्यनारायण माहेश्वरी के बड़े भाई की पुत्री है जो कुछ समय पहले जयेन्द्र मीणा से साथ भाग गई थी और इसे श्री सत्यनारायण माहेश्वरी व उसका परिवार एवं श्री प्रभुलाल सैनी वापस लाये थे। इस समय उसे जयेन्द्र को चाय पिलाई और कुछ ही समय बाद उसे चक्कर आने लगे और उसने कहां तुम लोगों ने मुझे क्या पिला दिया, मुझे चक्कर आ रहे है। श्री जयेन्द्र जब यह कह रहा था उस समय प्रभुलाल सैनी व सत्यनारायण ने उसे कहां कि तू उस लड़की के नाम पत्र लिख कि तू खुदकशी कर रहा है और लड़की जीतू के नाम दबाव में पत्र लिखवाया। जब उसे शक हुआ कि ये लोग उसे मार डालेंगे और दबाव में दस्तखत किये। श्री जयेन्द्र मीणा ने मौके कि स्थिति भांप कर वहां से बाहर निकला और आंवा बस स्टेण्ट पहुंचा जहां उसे भरत मीणा पुत्र जगदीश मीणा मिला और उसे दूनी अस्पताल पहुंचाया। वहां उसकी हालत बिगड़ी तब अस्पताल वालों ने उसे देवली अस्पताल रेफर कर दिया, वहां से उसे फिर कोटा महाराज भीमसिंह होस्पिटल में भेज दिया। उसका वहां पर इलाज हुआ और दिनांक 6.11.2001 को पुलिस ने बयान लिए जिस पर मुकदमा सं.खा.295/2001 चार 328

आई.पी.सी. दर्ज कर किया गया, जिसे श्याम सिंह आई/सी थाना द्वारा कलमबद्ध कर दर्ज किया गया।

श्री जयेन्द्र सिंह लगभग 15 दिन जीवन मृत्यु के बीच झूझता रहा और बाद में अपने परिवार के यहां कोटा में आ गया और इलाज कराता रहा। श्री जयेन्द्र सिंह मीणा की रिपोर्ट पर थानाधिकारी दूनी श्री गोपाल सिंह चौधरी ने मुलजिमों को अब तक भी गिरफ्तार नहीं किया बल्कि मुलजिम प्रभुलाल सैनी और सत्यनारायण को आश्वस्त किया कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जब तक गोपाल सिंह थानाधिकारी दूनी पर है। श्री जयेन्द्र सिंह मीणा के जीवन को खतरा बना हुआ है क्योंकि मुलजिमान खुलेआम घुम रहे है और कह रहे हैं कि उनकी पहुंच ऊपर तक है और ऊपर तक रकम पहुंच गई है, इसलिए यदि ज्यादा किया तो तुम्हे "काटकर फेंक दिया जावेगा"। ऐसी स्थिति में श्री जयेन्द्र सिंह मीणा भयभीत है, ऐसे संगीन जुर्म के बाद भी श्री सत्यनारायण वर्तमान उप—प्रधान पंचायत समिति, देवली और श्री प्रभुलाल सैनी पूर्व प्रधान देवली को गिरफ्तार करने में स्थानीय पुलिस डर रही है क्योंकि वे लोग प्रभावशाली भा.ज.पा. नेता हैं। मेरा माननीय गृह मंत्रीजी से आग्रह है कि तुरन्त उन्हें गिरफ्तार किया जावे। अतः प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के तहत माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में बिजली आपूर्ति विषयक

(श्री समरजीत सिंह—भीनमाल)

मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र भीनमाल जिला—जालौर में बिजली की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, भीनमाल विधान सभा क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भीनमाल 220 ग्रिड स्टेशन से होती है। यह ग्रिड स्टेशन सिरोही से जुड़ा हुआ है। भीनमाल 220 ग्रिड स्टेशन के अन्तर्गत विद्युत सप्लाई 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन, भीनमाल 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन, सायला, 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन, सांचौर 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन, रानीवाड़ा एवं बाड़मेर जिले में अंतिम छोर धौरीमन्ना तक जाती है।

सिरोही से भीनमाल रेडियल फीडर है व जब भी विद्युत सप्लाई में कटौती होती है, भीनमाल को ही सबसे पहले काट दिया जाता है। जालौर जिलें में जालौर सब डिवीजन सिरोही रिंग में आने से कटौती कम होती है लेकिन भीनमाल रेडियल फीडर में होने के कारण बार-बार कटौती होती है इससे जिले के दो डिविजनों में विद्युत सप्लाई में अत्यधिक

अंतर आता है, जिसके कारण भीनमाल क्षेत्र की जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक है। अतः विद्युत सप्लाई में हो रहे अन्तर को दूर किया जावे।

रबी की फसल को देखते हुये भीनमाल 220 ग्रिड सब स्टेशन को 90 मेगावाट लोड का कोटा दिया जाना चाहिये जिसके स्थान पर मात्र 35 मेगावाट ही दिया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में जैसावास 33 के.वी. व जेतु 33 के.वी. पर अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर की मांग लम्बे समय से लम्बित पैंडिंग है, जिसको शीघ्रातिशीघ दूर किया जावे।

महोदय, मेरा निवेदन है कि रेडियल फीडर की वजह से जो कटौती भीनमाल स्टेशन की होती है उस अन्तर को शीघ्र दूर किया जाना आवश्यक है। साथ ही जो विद्युत उपलब्ध है वह बिना किसी अवरोध के व बिना किसी भेदभाव के किसानों तक पहुंचे। सधन्यवाद।

धौलपुर ग्रामीण क्षेत्र में चम्बल नदी से सिंचाई विषयक

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह—धौलपुर)

मेरी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सिंचाई साधनों का अत्यन्त अभाव है। जल स्तर बहुत नीचा है तथा पथरीला पठार है। किसान पथरीले क्षेत्र में गहरे कुएं खुदवा कर बिजली अथवा डीजल मोटर से सिंचाई करने में असमर्थ है। बरसात का पानी भी एकत्र करने में कठिनाई है। गरीब किसान को कुओं से पानी लेने में खर्च अधिक होने के कारण धौलपुर ग्रामीण क्षेत्र की सिंचाई कम हो पा रही है।

यह विडम्बना है कि राज्य की सबसे बड़ी नदी चम्बल का विशाल जल भण्डार मेरे क्षेत्र के किनारे से बहता है फिर भी क्षेत्र का विशाल ग्रामीण क्षेत्र पर्याप्त सिंचाई से महरुम है। मेरा निवेदन है कि चम्बल नदी में नहीं प्रचुर जल का उपभोग धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्र की सिचांई के लिये लिफ्ट योजना द्वारा उपयोग में लाया जावे। इससे कृषकों को असीम लाभ होगा तथा बेकार पड़ी जमीन में भरपूर दोनों फसले ली जा सकेंगी।

अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार शीघ्र ही चम्बल नदी लिफ्ट योजना से क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था लागू करें।